खण्ड-376, अंक-9
सोमवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1907
(17 मार्च, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1986)

खण्ड 376 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास), तथा अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) (जारी) 85–121

प्रस्तुत बजट पर चर्चा का समय और बढ़ाए जाने तथा लिखित सुझाव व भाषण कार्यवाही का अंग बनाए जाने की मांग के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न 122–123

1986–87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 2—आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) तथा अनुदान संख्या 3—आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) (स्वीकृत) 123–130

अनुदान संख्या 88—सूचना विभाग (स्वीकृत) 131–156

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 156

उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्ति हेतु टंकक के पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 156–158

सत्थियां 159–165

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़
अच्युतानन्द तिवारी, डा0	गोरखपुर	निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	फसीउर्रहमान, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोंडा
अजीत कुमार सिंह, श्री	कानपुर	फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
अफसर यू0 अहमद, श्री	बस्ती	फूल सिंह सौदाई, श्री	मुजफ्फरनगर
अमिताभ लवानियां, श्री	आगरा	बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर	बसंत सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली	बालेश्वर, श्री	देवरिया
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	बुधपाल सिंह "बुर्जावाले",	श्री बुलंदशहर
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	बैजनाथ, श्री	देवरिया
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती	भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
गौरी शंकर भइया, श्री	बलिया	महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	मुस्तमंद अली खां, श्री	मथुरा
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर	मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली	मोहम्मद वसीम अंसारी,	श्री रायबरेली
जयराम वर्मा, श्री	फैजाबाद	रणजीत, श्री	देवरिया
जागन सिंह, श्री	रामपुर	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
जौहरी लाल शिवेदी, श्री	कानपुर	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर	राजेश कुमार खैरा, श्री	ललितपुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी

राम पाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोंडा	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
राम सजीवन, श्री	बांदा	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर	सुरेश चन्द्र, श्री	नैनीताल
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर	हर शरन सिंह, श्री	मेरठ
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सखावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद	हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
सतीश अजमानी, श्री	खीरी		

नोट:—श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री, श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अन्सारी, लघु **उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री, एवं क0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री।**

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जय प्रकाश नारायण स्मारक निर्माण हेतु विचाराधीन योजना

*1—श्री मैनेजर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जय प्रकाश नारायण स्मारक निर्माण के लिए कोई योजना बनाने का निर्देश माननीया स्व0 इन्दिरा गांधी, भू0 पू0 प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश शासन को दिया था? यदि हां, तो सरकार ने स्मारक निर्माण की क्या योजना बनायी है और उसे कब तक कार्यान्वित करने जा रही है?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

भारत सरकार ने स्व0 प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में गठित जय प्रकाश नारायण मेमोरियल कमेटी के बैठक की कार्यवाही राज्य सरकार को परीक्षण एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी थी जिसमें स्व0 श्री जय प्रकाश नारायण के जन्म स्थान (सिताब-दियरा जिला बलिया) को स्मारक के रूप में परिवर्तित करने की योजना के परीक्षण का सुझाव दिया गया था।

योजना विचाराधीन है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी के निर्देश के अनुसार अब तक राज्य सरकार ने उस योजना का जो परीक्षण किया है, उसमें क्या प्रगति हुई है और कितने समय के अन्दर यह योजना अन्तिम स्वरूप ले लेगी और वर्तमान स्थिति में इस योजना का वर्तमान ब्योरा क्या है, बताने का कष्ट करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जो स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता में जय प्रकाश नारायण मेमोरियल कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें 29 जून की बैठक में यह बताया गया था कि— "दी कमेटी फरदर डीजायर्ड दैट दी पासिबिलिटी आफ कन्वर्टिंग दी बर्थ प्लेस आफ श्री जय प्रकाश नारायण इन विलेज सिताब दियारा डिस्ट्रक्ट बलिया इन्टू ए मेमोरियल माईट बी एक्सप्लोर्ड।"

श्री अध्यक्ष—

इसका हिन्दी तरजुमा कर दें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसका हिन्दी तरजुमा हुआ कि— "कमेटी ने निश्चय किया कि श्री जय प्रकाश नारायण की जन्मस्थली ग्राम-सिताब दियारा, जिला—बलिया को स्मारक के रूप में परिवर्तित करने पर विचार किया जाय।"

इसके तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां से विशेष सचिव, पंचायती राज को और एक आरकीटेक्ट को भेजा वहां पर देखने के लिये कि किस तरह से स्मारक के रूप में बदला जाय। यह प्रकरण विचाराधीन था, उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही थी तभी जो यह जन्मस्थली थी स्व0 जय प्रकाश नारायण की, उनकी मृत्यु के बाद उनके जो वारिसान थे, उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना कर दी और सारी प्रापर्टी को ट्रस्ट को सौंप दिया। ट्रस्ट ने उस स्थान पर मेमो-

---

नोट:-अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 श्री शतरुद्र प्रकाश की रुचि पर लिया गया।

रियल बनाने के लिये 31 मई, 1985 को ही श्री चन्द्रशेखर द्वारा शिलान्यास भी करवा दिया और उसके बाद उस पर तेजी से काम करके 11 अक्टूबर, 1985 को उसका उद्घाटन भी हो गया। यह जो स्थान था, जहां यह ट्रस्ट की प्रापर्टी है, वहां उत्तर प्रदेश सरकार इसको उनका मेमोरियल बनाने में किस प्रकार से योगदान दे, इस स्तर पर विचार करना पड़ रहा है।

श्री शत्रुघ्न प्रकाश–

चूंकि जय प्रकाश नारायण जी महान देशभक्त थे और देश की आजादी में उन्होंने महान योगदान दिया, इस बात को देखते हुए क्या राज्य सरकार उस ट्रस्ट को कोई सहयोग प्रदान करने पर विचार कर रही है? यह भी बतायें कि क्या ट्रस्ट की तरफ से सहयोग प्रदान करने सम्बन्धी कोई आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के पास आया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसी प्रकरण पर विचार किया जा रहा है। जब ट्रस्ट ने काम नहीं शुरू किया था तब उत्तर प्रदेश सरकार ने ढाई लाख रुपये का आवंटन कर दिया था। लेकिन वहां काम शुरू करके उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। यह ट्रस्ट की प्रापर्टी है, उस पर सरकार किस तरह से दखल दे? इसलिये इसमें ट्रस्ट और सरकार के बीच विचार-विमर्श होने की आवश्यकता है।

श्री शारदा नन्द अंचल–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि श्री जय प्रकाश नारायण के वारिसान ने ट्रस्ट बनाया है तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके वारिसान कौन-कौन लोग हैं और ट्रस्ट बनाने वाले लोग कौन हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

उनके वारिस श्री जय प्रकाश नारायण के भतीजे, श्री अनिल कुमार जी हैं। इसके अतिरिक्त श्री रत्नेश्वर प्रसाद, श्रीमती स्नेहमयी, मैनेजर सिंह और जगदीश सिंह आदि यह सब लोग उस ट्रस्ट के मेम्बर्स हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या जय प्रकाश नारायण स्मारक जो कि बन कर तैयार हो चुका है, जिसमें सरकार ने भी कुछ सहायता दी थी, उसके अनुरक्षण की व्यवस्था के लिये क्या सरकार उस पर विचार करेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

यह स्मारक ट्रस्ट की प्रापर्टी है। उसमें किस तरह से सरकार अपना योगदान दे सकती है? इसके लिये ट्रस्ट के सदस्यों के और सरकार के बीच मैंने बताया है कि विचार करने की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रदेश में जो निजी ट्रस्ट हैं उनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण सेवा की जा रही है तो शासन द्वारा इसके पहले भी और अब भी उन्हें सहायता दी जा रही है। क्या इसी प्रकार श्री जय प्रकाश नारायण स्मारक को भी सरकार सहायता देने पर विचार करेगी? और अब तक जो उसे सहायता नहीं दी गयी है, उसके क्या कारण हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

सरकार इनका मेमोरियल अपने खर्चे से बनवाने के लिये तैयार थी, इसके लिये वहां आर्किटेक्ट भेजा भी गया था कि वह निर्माण करायेगा। लेकिन ट्रस्ट के मेम्बर्स ने पहले ही मेमोरियल बनवाना शुरू कर दिया और कुछ काम हो जाने पर उसका उद्घाटन भी कर दिया। अब वह किस रूप में सरकार से सहायता

चाहते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

उ0 प्र0 सचिवालय, लखनऊ में कार्यरत आरक्षित कोटे के कर्मचारी

**2–श्री काशी सिंह एरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय लखनऊ में 31 दिसम्बर, 1985 को कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या क्या है? क्या इस श्रेणी हेतु आरक्षित कोटे के बराबर है ? यदि नहीं, तो इस कोटे को कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार समूह 'ग' तथा 'घ' में स्थिति निम्न प्रकार थी:–

समूह–ग

अनुसूचित जाति–399

अनुसूचित जनजाति–4

समूह–घ

सफाई कर्मचारियों को छोड़कर

अनुसूचित जाति–295 शत प्रतिशत इसी

अनुसूचित जनजाति–4 श्रेणी के हैं।

समूह 'घ' में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कोटे (18 प्रतिशत) से अधिक है किन्तु अनुसूचित जनजाति की आरक्षित कोटे से कम है। समूह 'ग' में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों ही श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या आरक्षित कोटे से कम है।

कोटे को पूरा करने का प्रयास जारी है किन्तु कोई तिथि निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है।

श्री काशीसिंह एरी–

मान्यवर, मैंने प्रश्न विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों का पूछा था, लेकिन सरकार ने श्रेणी क तथा ख की सूचना नहीं दी है। मैं श्रेणी क तथा ख के लोगों को भी कर्मचारी मानता हूं, इस लिये मेरी भावना को देखते हुए श्रेणी क से श्रेणी घ तक सारी स्थिति की जानकारी देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो श्रेणी क और ख में अधिकारियों की स्थिति है, वह क्या है, कृपया स्पष्ट करें?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरे पास सभी की स्थिति है, लेकिन वह काफी लम्बी सूची है। माननीय सदस्य किस वर्ग में रुचि रखते हैं, वह बता दें तो मैं जवाब दे दूं और अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूरी सूची पढ़ कर सुना दूं।

श्री काशी सिंह एरी–

ठीक है, मैं सूची माननीय मंत्री जी से ले लूंगा । एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के अंतिम भाग में कहा है कि कोटे को पूरा करने का प्रयास जारी है, किन्तु कोई तिथि निर्धारित करना व्यवहारिक नहीं है। तो माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि "व्यवहारिक नहीं है" को स्पष्ट करें तथा अगर कोई तिथि नहीं निर्धारित कर सकते हैं, तो क्या कोई समय निर्धारित करेंगे, जब इस कोटे को पूरा कर दिया जायेगा?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जहां तक समय की बात है, तो यथाशीघ्र यह पूरा कर लिया जायेगा और जहां तक प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति

के जो अभ्यर्थी हैं, उनका वो जगह से चुनाव होता है। कुछ पद लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत आते हैं और दूसरे जिनका चयन सचिवालय द्वारा होता है। लोक सेवा आयोग को लिखकर भेज दिया जाता है और आवश्यकता बता दी जाती है कि 18 प्रतिशत के हिसाब से इतने पद चाहिये। वह परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं, इसलिये स्थान खाली रह जाता है और सचिवालय में जिनकी भर्ती होती है, वहां पर पूरा प्रयास किया जाता है कि यह कोटा पूरा रहे। इसीलिये मान्यवर, यहां की स्थिति बेहतर है। इसीलिये तिथि बता सकना व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है और उचित नहीं है।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि श्रेणी ग में इन दोनों जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? उसका टोटल या प्रतिशत क्या है? क्या यह सही है कि इन रिक्तियों को सामान्य वर्ग के लोगों से भरा गया है या भरा जायेगा?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समूह ग में दोनों श्रेणियों में निश्चित रूप से यह संख्या कम है। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जो लोक सेवा आयोग से भरे जाते हैं, जैसे वैयक्तिक सहायक, प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक आदि। लोक सेवा आयोग को अपनी अपेक्षा भेज दी जाती है और जब तक वह पास नहीं होते हैं तब तक हम विवश हैं हम उनको रख नहीं सकते हैं।

श्री नत्था राम रावत–

मान्यवर, यह सरकार बीसों वर्ष से यह उत्तर देती है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं जिसके कारण कोटा पूरा नहीं होता है। जबकि लिखित परीक्षा में लोग उत्तीर्ण हो जाते हैं किन्तु मौखिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिये जाते हैं तो यह जो तरीका अपनाया गया है या यह जो अनियमितता की जाती है इसको रोककर उनका कोटा पूरा करने के लिए सरकार कोई प्रयास करेगी?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बीसों साल से अपेक्षित अर्हता के उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं और यह समस्या तब तक आती रहेगी जब तक अपेक्षित अर्हता वाले नहीं उपलब्ध हो पायेंगे। जहां तक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद उनको ले लेने की बात है, मान्यवर लोक सेवा आयोग में लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होता है और जब उसमें वह सफल नहीं होते हैं तो हम विवश हैं।

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों का 18 प्रतिशत आरक्षण के बारे में सरकार की ओर से लिखकर जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जन जाति के लिए भी कुछ लिखकर जाता है?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दोनों के लिए जाता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग में कितने लोगों की मांग की थी, कितने पद रिक्त हुए थे और कितने पदों के लिए लोक सेवा आयोग को भरने के लिए लिखा गया था?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, समय-समय पर पद रिक्त होते रहते हैं और जितने पद रिक्त होते रहते हैं उनके 18 प्रतिशत का कोटा रख दिया जाता है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय, जब यह पद रिक्त होते हैं तो कार्य में व्यवधान भी होता होगा, तो माननीय मंत्री जी जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरने के लिए कोई दूसरा प्रयास करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसके लिए हम कई प्रयास कर रहे हैं हमने हरिजन निदेशालय को पत्र लिखा है कि हरिजन निदेशालय यह सुनिश्चित करें कि जो यह परीक्षार्थी इन परीक्षाओं में बैठे, उनको विशेष कोचिंग दी जाय ताकि उनके चयन की अधिक गुंजाइश रहे । इसके अलावा हमने यह भी प्रयास किया है उनका कोटा पूरा करने के लिए 18 प्रतिशत ही नहीं अबकी जो वैकेन्सी हो उनमें 50 प्रतिशत तक स्थान सुरक्षित कर रहे हैं ।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जातियां हैं जो दूसरे प्रदेशों में अनुसूचित जनजातियां हैं तो माननीय मंत्री जी इन जातियों को यहां भी जन जातियों के रूप में घोषित करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, तिवारी जी ने जो प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति का एक शिड्यूल है उसके अन्तर्गत जो भी आयेंगे उनको हम अनुसूचित जाति मान लेंगे ।

श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह आरक्षण का कोटा मेरी समझ में किसी भी विभाग में पूरा नहीं है और न ही होने वाला है तो ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगली बार कहीं भी चुनाव करायेंगे उसमें, आरक्षण को पूरा करने के लिए सीधी उनकी भर्ती करने का कष्ट करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह तो कहा जा सकता है कि कोटा पूरा नहीं है लेकिन यह कहना असंभव है कि भविष्य में कोटा पूरा नहीं होगा । क्योंकि एक से एक योग्य हरिजन उम्मीदवार आ रहे हैं इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि कोटा पूरा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि सभी स्थान भर लिये जायं, यह सम्भव नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कर दिया है कि उनके लिये 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भविष्य में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिये सरकार व्यवस्था करने जा रही है। यह खुशी की बात है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी माननीय मंत्री जी से पूछा था और पुनः पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति के लिये आप कितने प्रतिशत तक आरक्षित करने जा रहे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले तो मैं माननीय सदस्य की खुशी को समाप्त नहीं करना चाहता लेकिन यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने यह नहीं कहा कि सभी पदों के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण होगा । मैंने कहा कि जहां अनुसूचित जनजाति के लिये कम हुआ है, कुछ विशिष्ट वर्गों में 50 प्रतिशत तक हम करेंगे और अनुसूचित जनजाति भी उसी अनुपात में रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

नत्थी (ख) , प्रश्न संख्या-1 . . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, नत्थी (क) प्रश्न संख्या-1 में रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो मैनेजर सिंह जी का है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, उसमें रुचि है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है । वह बाद में आयेगा, यदि समय रहा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दिए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य

*1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6ठी व 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 के 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो उसे पूरा न किए जाने के कारण क्या है ? क्या शासन नीति निर्देशक सिद्धान्तों का पालन करते हुए 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उसे पूरा करेगी? यदि नहीं, तो ऐसा न किए जाने का कारण क्या है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)–

जी हां ।

संसाधनों की कमी मुख्य कारण है । लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयास जारी है ।

लक्ष्य पूरा करने की दिशा में सक्रिय प्रयास जारी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

श्रीमन्, यह जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई है। उसमें यह व्यवस्था थी कि 10 वर्षों के भीतर 14 वर्ष तक के बालकों को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार प्रबन्ध करेगी और छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने यह निर्धारित किया था कि कक्षा 8 तक नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि संसाधनों की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयास जारी है । मैं जानना चाहता हूं कि उनके क्या प्रयास जारी हैं जिनसे आप नि:शुल्क शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि इसके लिए आवंटित की गई थी ? यही कारण है कि 100 प्राइमरी स्कूल के बच्चों में केवल 23 बच्चे ही जूनियर हाई स्कूल में पहुंच पाते हैं । यह बता दें ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, जहां तक बालक-बालिकाओं की संख्या का सवाल है, मैं पूरा बता दूं कि जहां सन् 1950-51 में 60 प्रतिशत बालक और 11 प्रतिशत बालिकायें शिक्षित की गई थीं वहीं अब 96 प्रतिशत बालक और 49 प्रतिशत बालिकायें सन् 1984-85 में शिक्षित की गई । इस प्रकार 36 प्रतिशत से 74 प्रतिशत बच्चे शिक्षित किए गए । बालिकाओं का प्रतिशत 11 बढ़ाकर 49 प्रतिशत हो गया । इस प्रकार बालक बालिकाओं को शिक्षित कराने का प्रतिशत निरन्तर बढ़ रहा है ।

इसी तरह से मान्यवर, 1985-86 अनुमानित उपलब्धि जो हुई वह 522 की रही जिसमें 242 विद्यालयों के निर्माण के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किए गए हैं। पर्वतीय जिलों में 9 में से 5 विद्यालयों के निर्माण के आदेश निर्गत हो चुके हैं । यह 1985-86 की स्थिति है विद्यालय खोलने की..(व्यवधान) । जहां तक बजट

प्राविधान का सवाल है उसमें 84-85 में जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या.....
(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मंत्री इर्रेलीवेन्ट जवाब दे रहे हैं । मैंने बालक-बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा देने के संबंध में सवाल पूछा था और मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इतने बच्चों को पढ़ाया और इतने विद्यालय खोले । मैं पुन: पूछना चाहता हूं कि आप इन बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा करने जा रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अगर आपके पास सूचना हो तो दे दीजिए ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि 1985-86 में 95 प्रतिशत बालकों ने प्रवेश लिया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनके संज्ञान में यह बात है कि इनमें से सिर्फ 20 प्रतिशत बच्चे आठवीं कक्षा तक पढ़ पाते हैं । जो 14 वर्ष तक की आयु निर्धारित की गई है उसमें से 40 प्रतिशत पांचवीं तक पहुंच पाते हैं और आठवीं तक पहुंचते-पहुंचते ड्रापआउट 80 प्रतिशत तक पहुंच जाता है । तो इसको रोकने के लिए और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे 8वीं तक शिक्षा प्राप्त कर सकें इसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

विद्यालय खुल रहे हैं उसमें लड़कों की संख्या बढ़ रही है (व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

वह तो ठीक है । बच्चों का प्रवेश होता है लेकिन विभाग से जो सूचना प्राप्त है उसके मुताबिक 80 प्रतिशत बच्चे बीच में ही ड्राप कर देते हैं । 50 प्रतिशत बच्चे तो 5वीं तक ड्राप हो जाते हैं इस प्रकार 8वीं तक 80 प्रतिशत ड्रापआउट हो जाते हैं तो इसको रोकने के लिए कौन सा तरीका अखत्यार कर रहे हैं ताकि अशिक्षित वर्ग खतम हो सके ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, जितने बच्चे विद्यालयों में प्रवेश लेते हैं उनमें से कुछ विषम परिस्थितियां आ जाने से 5वीं या 4थी कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं । तो ऐसी स्थिति में उनकी संख्या 5, 6, 7 वीं कक्षा तक कम होना स्वाभाविक है तो इसके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है ।

श्री राजेन्द्र सिंह चौहान–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ड्रापआउट की संख्या इसलिए बढ़ जाती है कि विद्यालयों में पढ़ाई रेगुलर नहीं होती है और बेसिक शिक्षा परिषद् का काम बड़ा शिथिल है । इस बात को देखते हुए क्या प्राइमरी शिक्षा को जिला परिषदों को हस्तान्तरित करेंगे जिससे शिक्षा पद्धति में सुधार आ सके?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में दिया है और कहा है कि 6ठी योजना में साक्षरता का लक्ष्य महत्वाकांक्षी रखा गया था लेकिन वित्तीय साधनों की कमी के कारण उसे पूरा नहीं किया जा सका । मेरी जानकारी इसके अन्यथा है । छठी योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 14 साल तक के बच्चों की साक्षरता के लिए, उसमें कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा गया था और कितना धन आवंटित किया गया था। क्या यह सही है कि जितना धन आवंटित किया गया था

वह सब खर्च नहीं हो सका यदि हां, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसके लिए उनको सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो लिखित उत्तर मिला था उसमें माननीय मंत्री जी ने कहा है कि लक्ष्य पूरा नहीं कर सके क्योंकि वित्तीय साधनों की कमी थी जब कि वित्तीय साधन उपलब्ध थे । यदि उनके पास इसकी सूचना नहीं है तो इसे स्थगित करा दें। यदि वित्तीय साधन नहीं थे तो बताना चाहिए कि छठी पंचवर्षीय योजना में इतने करोड़ रुपए का प्राविधान था और इतना खर्च हो गया, उसके बाद भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ । मेरी जानकारी है कि प्राविधानित धन था और वह खर्च नहीं किया जा सका, यह शासन की लापरवाही और निष्क्रियता का उदाहरण है, इसलिए मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, सूचना एकत्र करके माननीय सदस्य को अवगत करा दूंगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी स्वयं डूप-आउट कैसे हैं ?

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, काम चलाऊ शिक्षा मंत्री मौजूद हैं और राज्य शिक्षा मंत्री उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि काम चलाऊ शिक्षा मंत्री से आप उत्तर दिलवा दें ।

परिवहन मंत्री (डाक्टर संजय सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो सूचना में बड़ी उत्सुकता है तो उसकी जानकारी करा दी जायेगी ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 14 वर्ष तक के बालकों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने में कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा । क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस वित्तीय भार को वहन करने की आपने व्यवस्था की है?

(उत्तर देने में विलम्ब होने पर)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मंत्री जी बनारस की लाज रखें, क्यों बनारस की नाक आप कटवा रहे हैं ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र करके माननीय सदस्य को उपलब्ध करा देंगे ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने में कितना भार पड़ेगा, यह सूचना भी मंत्री जी के पास नहीं है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को आप स्थगित कर दें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर दे दिया है पहले, इसलिए अब अन्तिम प्रश्न श्री सूर्य प्रताप शाही जी आप पूछ लें ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था उसमें क्या सही है कि आठवीं कक्षा तक नि:शुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की थी? यदि हां, तो उसको क्यों नहीं पूरा किया गया और इस पर कितने धन की आवश्यकता थी, कितना

आवंटित किया गया और उसमें कितना धन खर्च नहीं किया गया?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। संसाधनों की कमी के कारण लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि लक्ष्य पूरा हो जाए।

जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी/जूनियर स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त पोशाक का वितरण न किये जाने के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

*2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों के गरीब छात्रों/छात्राओं को मुफ्त पोशाक वितरित करने हेतु शासन द्वारा 1981 से 1985 के बीच आवंटित धनराशि में भारी घपला किया गया है और कुल कपड़े का लगभग 90 प्रतिशत से अधिक भाग अभी तक नहीं वितरित किया गया है? क्या यह भी सत्य है कि जिस कपड़े को वितरित किया जाना बताया जाता है उसके बारे में नियमों और शासनादेशों की घोर अवहेलना की गयी है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद के कार्यालय में न तो पात्र छात्रों/छात्राओं की कोई सूची है और न उन लोगों की ही कोई सूची है, जिन्हें कपड़ा वितरित किया जाना बताया जाता है? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर उन्हें दण्डित करने में शासन की क्या कठिनाई है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराई जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, इस घपले में पुराने डिप्टी डायरेक्टर और आजकल के एडिशनल डायरेक्टर, बेसिक एजूकेशन तक का इन्वाल्वमेंट है, तो इस मामले की जांच कब और किन-किन बिन्दुओं के ऊपर तथा कितने समय में अन्तिम रूप से जांच रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ यह जांच सौंपी गई है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जांच के आदेश दिनांक 7-2-86 को शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा को दिये गये हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैंने जानना चाहा था कि किन-किन बिन्दुओं पर, किन्तु उसका जवाब नहीं आया है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

यह कपड़ा खरीदने और उसको वितरित करने के सम्बन्ध में है, कपड़ा सही ढंग से खरीदा गया या नहीं और वितरित किया गया या नहीं और कहां अनियमितता बरती गई है, इसकी जांच कराई जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

जिस समय का यह शासनादेश है, उसके हिसाब से यह लोअर इन्कम के लिए प्राविधान है। इसमें छात्र प्रधान का सार्टीफिकेट लाते हैं, उसके बाद उसे प्रधानाचार्य पास करते हैं कि फलां-फलां बच्चे को वर्दी दी जाए और फिर उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक की पुष्टि होकर आती है, तो कपड़े बच्चों

की नाप के हिसाब से सिलाए जाते हैं और बच्चों को वितरित किये जाते हैं, तो क्या छात्र-छात्राओं की प्रस्तावित सूची थी और उसके बाद बी0 एस0 ए0 के यहां अनुमोदित सूची थी और उसके बाद जिन-जिन को कपड़े वितरित किया गया था वह सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में उपलब्ध है या नहीं? इसमें जानकारी कराने की क्या आवश्यकता है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मैंने कहा है इन सभी बिन्दुओं पर जांच जारी है, पूरी सूचना आने के बाद ही बताया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र सिंह–

चूंकि प्रदेश के संसाधनों की कमी की वजह से बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत स्कूलों में उपकरणों और भवन का अत्यन्त अभाव है, तो क्या इसमें धन व्यय करने के बजाय इसे खत्म करके, मंत्री जी उस अति महत्व के कार्य में धन व्यय करने का कष्ट करेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

इसमें केन्द्र से भी सहायता मिलती है, ऐसी स्थिति में इसे रोका नहीं जा सकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इसमें आज से 6 माह पहले जांच आदेश जारी किये गये हैं और डेढ़ माह पहले प्रश्न की सूचना दी गई है, तो क्या इन 6 महीनों में निदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद् की ओर से शासन को कोई अन्तरिम जांच आख्या मिली है या नहीं? यदि नहीं, तो क्या शासन स्तर से उनको कोई अनुस्मारक दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दिया गया है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

एक जिम्मेदार अधिकारी जांच कर रहा है, उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई बात कही जा सकती है। यह मामला पूरे जिले से सम्बन्धित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने यह जानना चाहा था कि क्या 6 महीने में अन्तरिम उत्तर भी नहीं आया है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

रिमाइन्डर भेज दिया जाएगा।

श्री नरेशपाल सिंह–

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जनपद बदायूं में भी जो वस्त्र वितरित किया गया है, उसमें भी काफी अनियमितताएं हैं, तो क्या मंत्री जी उसकी भी जांच करायेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह केवल फैजाबाद जिले का प्रश्न है, इसमें नहीं आता है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 80-81, 81-82, 82-83, 83-84 व 84-85 में अलग-अलग वर्षों में कुल कितना रुपया इस मद में दिया गया है और उसमें से कितना रुपया वहां व्यय हुआ और कितना बचा और वह किसके पास गया?

श्री अध्यक्ष–

इसका तो इन्हें हिसाब-किताब देखना पड़ेगा।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, 80-81 में 10 हजार रुपये, 81-82 में 20 हजार रुपये, 82-83 में 22 हजार रुपये, 83-84 में 22 हजार रुपये और 84-85 में 15800 रुपये। इस तरह से कुल 89800 रुपये इस मद में दिये गये हैं।

मौजा मेवापुर, तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग

*3–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि मौजा मेवापुर, मुतालके दवेगांव तहसील बीकापुर, जनपद फैजाबाद में कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है जबकि उक्त मौजे के लगभग 100 बच्चे दूर स्थित स्कूलों में पढ़ने जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी सत्र के पूर्व एक प्राइमरी स्कूल उक्त मौजे में खोलेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद तिवारी–

जी हां।

वर्तमान परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त ग्राम के एक किलो मीटर की दूरी पर एक प्राइमरी पाठशाला चल रही है।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वर्तमान परिस्थितियों में वहां स्कूल खोलने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या भविष्य में वहां पर स्कूल खोलने की आवश्यकता का अहसास उनको होगा या नहीं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

मान्यवर, डेढ़ किलोमीटर के अन्दर शासन की विद्यालय खोलने की नीति है। इसके साथ ही साथ 300 की आबादी पर भी विद्यालय खोलने की नीति है। इस संबंध में जो समिति है उसके माननीय सदस्य, सदस्य हैं। वह उस कमेटी में बैठते हैं उसी कमेटी में स्कूलों को खोलने का निर्णय होता है तो निर्णय करके विद्यालय खुलवा देंगे तो कोई एतराज नहीं है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जनहित को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी उस गांव में प्राइमरी स्कूल खुलवाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, अभी जो नीति है उसके अनुसार उतनी जनसंख्या पर स्कूल स्थापित किये जाते हैं। जब वह नीति बदलेगी तो वहां स्कूल खोलने की व्यवस्था की जायगी।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया डेढ़ कि0 मी0 पर स्कूल खोलने की व्यवस्था है। पहाड़ों में इतनी दूरी में तमाम गहराइयां और चढ़ाइयां होती हैं जिससे बच्चे चढ़ नहीं सकते और उतर नहीं सकते। तो मेरा निवेदन है कि यह जो मानक है क्या इस मानक से पहाड़ को छूट दी जायगी क्योंकि वहां रास्ते बहुत खराब होते हैं?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न मैदानी क्षेत्रों के संबंध में है। माननीय सदस्य का कोई लिखित प्रश्न अगर होगा, तो उसके बारे में विचार होगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, विशेष परिस्थिति के कारण इस गांव में विद्यालय खोलने की बात कही गयी है। वहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां के छात्र दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो क्या विशेष परिस्थिति को देखते हुए माननीय मंत्री जी उस गांव में विद्यालय खोलने के बारे में आदेश पारित करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

यह जो स्कूलों की स्थापना की बात है यह जिला समितियां तय करती हैं। इसमें विधान सभा के सदस्य उस कमेटी

के सदस्य होते हैं। वहां विशेष परिस्थिति में अगर प्रस्ताव भेजेंगे तो यहां से विचार कर लिया जायगा।

(नत्थी ग ता0 प्र0 सं0-1 पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण कर लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

आप वरिष्ठ एम0 एल0 ए0 हैं। मैं आगे बढ़ गया हूं। यह तरीका नहीं अपनाना चाहिये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

अधिकारियों द्वारा क्षेत्र समिति की बैठकों में उपस्थित न होने के संबंध में कार्यवाही

*1–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की क्षेत्र समितियों की माह अप्रैल, 85 से लेकर अक्तूबर, 85 के दौरान हुई बैठकों में जिले के विकास विभाग के अधिकारियों ने कितनी बार और किस-किस ब्लाक में हिस्सा लिया है ? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि जिले के अधिकारीगण क्षेत्र समितियों की बैठकों की उपेक्षा करते हैं ? यदि हां, तो अधिकारियों के बैठकों में हाजिर रहने के प्रश्न पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वांछित विवरण संलग्न है ।

अधिकारियों द्वारा क्षेत्र समिति की बैठकों में आवश्यक रूप से भाग लेने के सम्बन्ध में शासकीय आदेश संख्या-1707/बी/33-2-177 जी0/84 दिनांक 14 फरवरी, 1986 द्वारा आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 159 पर)

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 14 फरवरी, 1986 के आदेश द्वारा आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। यह आदेश एक महीने तीन दिन पहले के हैं । इसके पहले भी क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस तरह के कोई आदेश थे कि क्षेत्र समिति की बैठकों में जिला स्तर के अधिकारीगण हिस्सा लेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 25 के अन्तर्गत अधिकारियों को आदेश थे कि वे क्षेत्र समितियों की बैठकों में भाग लें । इसमें भी दो कैटागरीज हैं, एक तो यह क्षेत्र समितियां उन अधिकारियों को बैठक की निश्चित तिथि की सूचना देंगे, तो अधिकारीगण उसमें भाग लेंगे और दूसरी कैटागरी मान्यवर, यह है कि विकास खंड स्तर के अधिकारी स्वयं ही उस बैठकों में भाग लेंगे । किन्तु यह आदेश पहले थे, फिर दूसरे आदेश हमने 14 फरवरी, 84 को दिये कि जिला स्तर के जो भी इससे सम्बन्धित अधिकारी हैं; वह और जो दूसरे अन्य नये पद सृजित हुए हों, उनको भी उसमें समायोजित किया गया और साथ ही खण्ड विकास अधिकारियों को ऐसी बैठकों में सम्मिलित होना अनिवार्य

किया गया चाहे वह विषय उनसे संबंधित हो या न हो, वे अनिवार्य रूप से ऐसे समितियों में भाग लेंगे । इस तरह के आदेश शासन से दिए गये हैं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

इस तरह के आदेश क्षेत्र समिति ऐक्ट के अनुसार पहले भी थे परन्तु क्या मा0 मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस ऐक्ट के अनुसार पिछले साल असोहा, सुमेरपुर और पुरवा आदि विकास खण्डों के विकास अधिकारियों ने क्षेत्र समितियों की बैठकों में एक बार भी भाग लिया है? यदि नहीं, तो क्यों और उनके विरुद्ध आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मा0 सदस्य के प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में जो संलग्नक दिया गया है, उसमें इस प्रकार की पूरी डिटेल बतायी गयी है । मार्च, 1985 से अक्टूबर, 85 के दौरान जिला विकास खण्डों के किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया, यह सारी सूचना इसमें दी हुयी है । बीघापुर व सिकन्दरपुर करन क्षेत्र समिति के सहायक अभियन्ता जो नहर खण्ड से सम्बन्धित हैं, उन्होंने ऐसी बैठकों में 2 बार हिस्सा लिया । इसी प्रकार से सिकन्दरपुर सिरौसी और सिकन्दरपुर करन के मुख्य चिकित्साधिकारी ने 3 बार बैठकों में भाग लिया। इसी तरह से इसमें पूरी डिटेल दी है उसके अलावा आप किसी भी विकास खण्ड अधिकारी की शिकायत जिनमें किसी भी क्षेत्र समिति में बुलाया गया हो और वह उपस्थित न हुए हों भेज दीजिए, हम जांच करवा लेंगे।

श्री शारदा प्रताप–

मा0 मंत्री जी के इस उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि परगनाधिकारी क्या क्षेत्र समिति के सदस्य होते हैं या नहीं और दूसरी बात माननीय वर, यह कि जिस क्षेत्र समिति से संबंधित उनके सहायक अभियंता, तहसील स्तर के अधिकारीगण व परगनाधिकारी यदि इनकी मीटिंगों में नहीं आते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही किए जाने के लिए कोई शासनादेश जारी करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई शिकायत हो तो लिखकर दे दीजिए, वह दिखवा लेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

यदि किसी क्षेत्र समिति द्वारा विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों को बराबर बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध करने पर भी, वह अधिकारीगण भाग न लें, तो क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के प्राविधान आपने बना रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बहुत साधारण प्रश्न है, इसे सभी जानते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्षेत्र समिति की जो बैठकें होती हैं, उसमें बीस सूत्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए भी विचार किया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर किसी अपरिहार्य कारण से जिला स्तरीय अधिकारी अथवा उनका कोई प्रतिनिधि वहां पर न पहुंच सके, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि यदि जिला स्तरीय अधिकारी न पहुंचे, तो उनका प्रतिनिधि बैठक में अवश्य पहुंचे, जिससे मामलों की

अद्यतन जानकारी जिला स्तरीय अधिकारी को मिल सके ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इस पर विचार करके व्यवस्था कर दी जायगी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो संलग्नक लगाया गया है, उसमें तीन विकास खण्डों के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी उन विकास खण्डों में नहीं पहुंच सके । तो क्या माननीय मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी, जिनको सूचना भी भेजी गयी और वे नहीं पहुंच सके, उनके खिलाफ कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसकी शिकायत अगर दे देंगे कि किस अधिकारी को बुलाया गया था और वह नहीं गये, उनके न जाने का क्या कारण था, इसकी मान्यवर, जांच-पड़ताल करा लेंगे?

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, शासन की यह नीति रही है कि प्रभारी मंत्री प्रति माह जिले की बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की बैठकों में भाग लेकर अध्यक्षता करते थे । लेकिन जब से नई सरकार वीर बहादुर सिंह जी की बनी है, तब से ऐसा नहीं किया जा रहा है । तो ऐसा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार पूर्व की भांति बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की बैठकों में प्रभारी मंत्रियों को भाग लेने के लिए भेजने की व्यवस्था करेंगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, अगर प्रभारी मंत्री, जो बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के अध्यक्ष होते हैं, अगर वह अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो उपाध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में बीस सूत्रीय कार्यक्रमों की बैठकों में अध्यक्षता करके कार्यवाही कर सकते हैं ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, नई सरकार बनने के बाद कोई भी मंत्री उस बैठक में जा ही नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । माननीय मंत्री जी ने जवाब दे दिया ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, अभी दो दिन पहले 14 मार्च को माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया था, हिलौली विकास खण्ड की बैठक में, मैं मौजूद था, परन्तु माननीय मंत्री जी के इस आदेश के बावजूद भी वहां पर कोई जिला स्तरीय अधिकारी नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, उन्होंने तो कह दिया ।

राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की पदोन्नति/स्थायीकरण की नीति

***2–डाक्टर दिनेश जौहरी (अनुपस्थित)–**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालओं के शिक्षणेतर कर्मचारियों की पदोन्नति/स्थायीकरण करने की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की प्रोन्नति एवं स्थायीकरण अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सामान्य नियमों तथा शासनादेशों के अनुसार किया जाता है । इनके लिये अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*3–डाक्टर शिवानन्द नौटियाल–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

[सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 1986 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पटेल इण्टर कालेज तहापुर, फर्रुखाबाद जनपद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सामूहिक नकल के सम्बन्ध में शिकायत तथा जांच

*1–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पटेल इंटर कालेज, तहापुर, जिला फर्रुखाबाद में हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा सन् 1958 में खुले रूप से पैसा लेकर नकल कराये जाने तथा सन् 1985 में कक्षा 9 में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थियों से लगभग एक लाख रुपये की रिश्वत के सम्बन्ध में उक्त विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा अप्रैल, 1985 तथा जुलाई, 1985 में जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद को शिकायत की गयी थी एवं उस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उक्त धनराशि अवैध रूप से वसूलने वाले व खुली नकल कराने वाले प्रिंसिपल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

फर्रुखाबाद जनपद में वर्ष 1985 की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सामूहिक नकल के संबंध में कतिपय केन्द्रों, जिनमें तहापुर केन्द्र भी सम्मिलित था, की एक सामूहिक शिकायत के आधार पर केन्द्र की उत्तर पुस्तकों का मार्जन विषय विशेषज्ञों द्वारा कराया गया । मार्जन के फलस्वरूप उक्त केन्द्र के 30 परीक्षार्थियों द्वारा सामूहिक नकल की शंका के आधार पर उनका परीक्षाफल सूची डब्लू बी के अंतर्गत रोक दिया गया था । इन प्रकरणों पर अनुचित साधन निस्तारण समिति के निर्णय के फलस्वरूप 23 परीक्षार्थियों का परीक्षाफल निरस्त हो गया है । प्रधानाचार्य द्वारा रिश्वत लेकर नकल कराये जाने की शिकायत निराधार पाई गई । सम्बन्धित विद्यालय में 1985 में कक्षा 9 में प्रवेश हेतु धन वसूलने के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

ग्राम सभा पीपलसाना में खड़न्जे उखड़वाने तथा बबूल के पेड़ों को काटे जाने के सम्बन्ध में जांच

*2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (अनुपस्थित)–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सभा पीपलसाना में 100 पेड़ बबूल व शीशम और ब्लाक द्वारा लगाये गये खड़ंजे को उखाड़ने के सम्बन्ध में ब्लाक प्रमुख भगतपुर ने सी0 डी0 ओ0 मुरादाबाद को एक दरख्वास्त दी और सी0 डी0 ओ0 ने पी0 डी0 (प्रोजेक्ट डायरेक्टर) मुरादाबाद द्वारा जांच करायी? यदि हां, तो ग्राम सभा के पेड़ काटने व खड़ंजा उखाड़ने के सम्बन्ध में प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

प्रमुख, क्षेत्र समिति, भगतपुर टांडा ने गांव सभा पीपलसाना में पूर्व में **निर्मित खड़न्जे उखड़वाने एवं खड़न्जे के** दोनों ओर स्थित लगभग 100 बबूल के पेड़ों को काटे जाने के सम्बन्ध में एक

पत्र मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद को दिनांक 12-6-85 को दिया था।

जी हां।

परगनाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रधान को निलम्बित कर दिया गया है।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के नये परिमण्डलों में वर्ग 3 व 4 के पदों पर कतिपय नियुक्तियां तथा आरक्षण कोटा

*3–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में कुछ समय पूर्व 21 नये परिमण्डलों में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के लिये आशुलिपिक, वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक, ड्राफ्टमैन, ट्रेसर, चपरासी आदि के पद सृजित हुए थे? क्या ये नियुक्तियां सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से की गयीं? क्या उक्त पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के आधार पर लोगों को नियुक्ति दी गयी? क्या आरक्षण प्रतिशत पूर्ण किया गया? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त अनियमित नियुक्तियों की जांच कराकर सुसंगत नियमावली के अन्तर्गत नियुक्तियां कराने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

वर्ग-3 व वर्ग-4 के पदों को क्षेत्रीय स्तर पर विभाजित कर दिया था जिन पर नियुक्तियां सेवायोजन/चयन समिति, प्रोन्नति तथा स्थानान्तरण के द्वारा की गयी हैं।

अनगत पदों पर आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां की गयीं।

आरक्षण का प्रतिशत पूर्ण नहीं है।

उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण प्रतिउपलब्ध न होने के कारण आरक्षण प्रतिशत पूर्ण नहीं किया जा सका जिसको प्रतिपूर्ति हेतु आवश्यक पद रिक्त रक्खे गये हैं।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इतनी भीषण बेरोजगारी के बाद भी आरक्षित अभ्यर्थी माननीय मंत्री जी के विभाग को नहीं मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आरक्षित स्थान माननीय मंत्री जी के विभाग में हैं, क्या उनकी पूर्ति करने के लिए शासन स्तर से कोई प्रभावी कार्यवाही करके इन आरक्षित पदों को शीघ्र भरने की कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह चपरासी का जो पद है, इसमें 44 आरक्षित पद थे, वह पूर्ण कर दिये गये हैं, कनिष्ठ लिपिक के 21 पद थे, उसमें से केवल एक पद पर नियुक्ति होनी है। वरिष्ठ लिपिक के 21 पदों में से 20 भर दिये गये हैं, केवल एक पद को भरना है।

यह भी मान्यवर, वरिष्ठ लिपिक का पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। पदोन्नति द्वारा अभी कोई उपलब्ध नहीं हुआ। वरिष्ठ सहायक में आरक्षित पदों की संख्या 5 है और 5 में से 4 पद अभी अवशेष हैं। चूंकि यह प्रमोशन की पोस्ट है और प्रमोशन में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए हैं इसलिए यह पोस्ट खाली है, जैसे ही प्रमोशन से अभ्यर्थी उपलब्ध हो जायेंगे नियुक्तियां कर दी जायेंगी। मान्यवर, यह कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं है।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, शासनादेश संख्या 10153/38-1-904(299)82 द्वारा वर्ष 1984 में 21 नये प्रखंड, 3 नये परिमंडल ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में खोले गये थे जिनमें कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ सहायक/कार्यालय अधीक्षक/आशुलिपिक के बहुत से पद रिक्त हैं। क्या उन पर सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह जो नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें कुछ सीधी भर्ती की थीं और कुछ प्रमोशन की थीं। जो सीधी भर्ती से होने वाली नियुक्तियां हैं उनमें सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाये गये हैं। मान्यवर, यह कनिष्ठ लिपिक के 21 पद हैं उनमें एक खाली है और वरिष्ठ लिपिक के 22 पद हैं जिनमें से 21 पदों पर नियुक्तियां हो गई हैं, एक पद खाली है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

मान्यवर, इन नियुक्तियों में धांधली हो रही है और अच्छे व्यक्तियों तथा व्यक्ति विशेष के कहने से नियुक्ति हुई। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

यह कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गुलाब सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं और कितने अनुसूचित जनजाति के हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी।

किसान विद्यालय इण्टर कालेज, कल्याणपुर, फैजाबाद को हाईस्कूल विज्ञान वर्ग की मान्यता पत्र निर्गत करने में विलम्ब

*4–श्री मित्रसेन (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा भेजे गये पत्र दिनांक 30 मई, 85 के सन्दर्भ में किसान विद्यालय इण्टर कालेज, कल्याणपुर, फैजाबाद को हाई स्कूल विज्ञान वर्ग की मान्यता शासन द्वारा कब स्वीकृत की गई और अभी तक लम्बित रखने के लिए कौन लोग दोषी हैं? उनके विरुद्ध अब तक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? अब विद्यालय की मान्यता सम्बन्धी पत्र कब तक निर्गत कर दिया जायेगा?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां, संस्था को हाईस्कूल वैज्ञानिक अतिरिक्त वर्ग की मान्यता शासन द्वारा 27-10-83 को स्वीकृत हुई थी। संस्था के प्राभूत सम्बन्धी प्रमाण पत्र ग्राह्य रूप में प्रबन्धक के पत्र दिनांक 7-8-85 द्वारा प्राप्त हुए जिसके आधार पर मान्यता के आदेश दिनांक 23-8-85 को निर्गत कर दिये गये हैं। संस्था द्वारा प्राभूत के नियमानुसार ग्राह्य रूप में प्रमाण-पत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण ही परिषद् द्वारा मान्यता-पत्र निर्गत करने में उक्त विलम्ब हुआ है।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर सोसायटी, जनपद शाहजहांपुर का पंजीकरण

*5–श्री सत्यपाल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर सोसायटी, जनपद शाहजहांपुर का पंजीकरण दिनांक 7-2-1981 को 2 वर्ष की अवधि के लिए हुआ था जो अवधि दिनांक 6-2-1983 को समाप्त हो गयी है तथा दिनांक 6-2-1983 से अब तक इस सोसायटी के रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट का नवीनीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्या शासन इस सोसायटी के द्वारा किये गये कार्यों को अमान्य तथा शून्य घोषित करने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

प्रकरण न्यायाधीन (सब जुडिस) होने के कारण सोसाइटी द्वारा किये गये कार्यों को अमान्य तथा शून्य घोषित नहीं किया जा सकता।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में नियुक्त संकलनकर्ता तथा अनुसूचित जाति का कोटा

*6–कुंवर रेवती रमण सिंह (अनुपस्थित)–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत 29-10-85 को कुल कितने संकलनकर्ता (कम्पाइलर) नियुक्त हैं तथा उनमें अनुसूचित जाति की आरक्षण कोटे के अन्तर्गत क्या स्थिति है?

डाक्टर संजय सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में 29-10-85 को कुल 22 संकलनकर्ता (कम्पाइलर) नियुक्त हैं, जिनमें से 2 संकलनकर्ता अनुसूचित जाति के हैं।

*7–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[8वें सोमवार के लिये स्थगित]

गाजियाबाद में सिटी बस सर्विस शुरू करने पर विचार

*8–श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद में सिटी बस सर्विस शुरू करने पर विचार किया जा रहा है? गाजियाबाद का दिल्ली के नजदीक होने के कारण काफी तेजी से विकास हो रहा है तथा जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिये काफी मुसीबत का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों–

डाक्टर संजय सिंह–

जी नहीं।

गाजियाबाद में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त करके निजी बस स्वामियों की 50 बसें नगर की सीमा में चलती हैं। इस प्रकार नगर में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आवागमन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है।

परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति को देखते हुए गाजियाबाद नगर में परिवहन निगम द्वारा सिटी बस चलाना सम्भव नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कब तक नगर बस सेवा गाजियाबाद में उपलब्ध करा सकेंगे?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, फिलहाल में वहा पर जो 50 परमिट आर0 टी0 ए0 द्वारा दिये गये थे उन्होंने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया है। उसको वेकेंट कराने के लिये विभाग प्रयास में है। जैसे ही वेकेट होगा उसको ले लिया जायेगा।

बस्ती जिले में जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मान्यता का औचित्य

*9–श्री धनराज यादव–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मौर का शिक्षा सत्र 85-86 में स्थायी मान्यता दे दी गयी है? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मौर गांव जिसकी आबादी 585 है, में एक विद्यालय जिसका नाम श्री सत्य नारायण पूर्व माध्यमिक विद्यालय, तिपरा मौर है जो जुलाई, 79 से संचालित है और स्थायी मान्यता प्राप्त है और दोनों विद्यालयों की बीच की दूरी में केवल 45 मीटर का अन्तर है? यदि हां, तो नियमत: जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय की मान्यता का क्या औचित्य है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, यह दो महीने पहले प्रश्न हुआ है और एक महीने बीस दिन हुए जब यह प्रश्न शासन को भेजा गया है और सूचना एकत्र की जा रही है। एक विद्यालय की स्थिति और डी0 एस0 ए0 आफिस से सूचना मंगानी थी। क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सूचना कब तक दे देंगे? मेरी निश्चित जानकारी है कि जांच हो गई है जो नियम विरुद्ध कार्यवाही अधिकारियों ने किया है, उसकी पकड़ में वह है इसलिये उसको टालना चाहते हैं। क्या इसका निस्तारण करके मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जो आपकी आज्ञा होगी वह कर देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने मात्र इतना जानना चाहा है कि एक गांव में एक स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहा था और दूसरे विद्यालय को मान्यता दे दी गयी है, सिर्फ इतना जानना चाहा है। मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सूचना एकत्रित कर रहे हैं। इसकी सूचना निदेशक स्तर पर और जिले स्तर पर होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किस बात की सूचना एकत्रित की जा रही है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जो प्रश्न किया गया है उसी सिलसिले में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

तुलसीपुर एवं गैसड़ी विधान सभा क्षेत्रों के थारू जाति के प्रतिनिधिगण की ओर से भेजा गया कथित पत्र

*10–श्री हरिश्चन्द्र, [हरीश जी (अनुपस्थित)]–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोण्डा जिले के तुलसीपुर एवं गैंसड़ी विधान सभा क्षेत्रों के थारू जाति के प्रतिनिधिगण की ओर से दिनांक 14-8-85 को भेजा हुआ कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आंवला, जनपद बरेली में चाचा नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों में असंतोष

*11–श्री श्याम बिहारी सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आंवला, जनपद बरेली के चाचा नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों में असंतोष व्याप्त है एवं उक्त विद्यालय में एक वर्ष में प्रधानाचार्य को चार बार बदला गया है तथा विद्यालय की प्रबन्ध समिति ने अध्यापकों को परेशान करने के लिये पहाड़ी क्षेत्र जैसे पिथौरागढ़ में मुकदमा चला रखे हैं? क्या इस सबकी जांच कराकर विद्यालय की प्रबन्ध समिति के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

विद्यालय में एकल संचालन द्वारा वेतन भुगतान नियमित कर देने से अब अध्यापकों में असंतोष नहीं है।

जी हां ।

एक अध्यापक श्री दीनानाथ के विरुद्ध श्री राम रक्षपाल शर्मा जो विद्यालय के अध्यक्ष हैं, ने न्यायालय पिथौरागढ़ में मानहानि का मुकदमा चला रखा है । प्रबन्धतंत्र द्वारा उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालयों में 7 मुकदमें विभाग एवं अध्यापकों के विरुद्ध चलाये जा रहे हैं । प्रकरण न्यायाधीन (सब जुडिस) होने के कारण कार्यवाही सम्भव नहीं है।

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने का पारिश्रमिक दर

*12–श्री राम नाथ मुंशी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने का पारिश्रमिक दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या वर्ष 1986 की परीक्षा से वह निर्णय लागू कर दिया जायेगा?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां। विचाराधीन था।

शासन ने जो निर्णय लिया है वह वर्ष 1986 की परीक्षा से लागू कर दिया जाएगा।

श्री राम नाथ मुंशी–

उत्तर के दूसरे खण्ड के बारे में मंत्री जी स्पष्ट करने का कष्ट करें कि शासन ने क्या निर्णय लिया है, पारिश्रमिक कितने से कितना बढ़ाया है और राजाज्ञा कब जारी भेजी गई ?

डाक्टर संजय सिंह–

माननीय सदस्य ने पारिश्रमिक बढ़ाने की इच्छा जाहिर की थी। सहायक परीक्षक हाई स्कूल का एक रुपया, इण्टरमीडिएट एक रुपया 25 पैसा, उपप्रधान परीक्षक का 60 रुपया प्रति परीक्षा और हाई स्कूल 70 रुपया है। इसको 86 से लागू कर दिया जायेगा।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर पुस्तिकाओं के जांचने का कितना रुपया अध्यापकों का पिछले वर्षों का बकाया है?

डाक्टर संजय सिंह–

इस प्रश्न में इसका समावेश नहीं था, इसकी सूचना माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो कापी जांचने का पारिश्रमिक देते हैं, यह न देकर इसको अध्यापकों की ड्यूटी का अंग मानने का विचार करेंगे?

श्री अध्यक्ष–

इससे यह प्रश्न नहीं उठता है।

डाक्टर संजय सिंह–

मेरा अनुरोध है किरनपाल सिंह से कि वह आपस में विचार कर लें, फिर बतायें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं यह जानना चाहता हूं कि कापियों की जो जांच होती है, एक जगह बैठा कर निश्चित मात्रा में कापियां, दे दी जाती है कि इतनी कापी जांचना है। क्या मंत्री जी इस बात की आजादी देंगे कि पारिश्रमिक के साथ-साथ अध्यापक अधिक समय देकर कापियों का मूल्यांकन कर सकें?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, इसमें मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, यह जो एक जगह बुलाकर कापी जांचने की व्यवस्था की गयी है, उसके पहले जो व्यवस्था थी, उसका दुरुपयोग हो रहा था, उसी के कारण यह व्यवस्था की गयी।

*13–श्री विजय सिंह राणा–

[दिनांक 10-2-86 को अता0 प्र0 सं0 94 द्वारा उत्तरित]

*14–श्री पूरन सिंह माहरा–

[दिनांक 3-3-86 को ता0 प्र0 सं0 20 द्वारा उत्तरित]

जनपद फतेहपुर के प्राथमिक शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतन वृद्धि के बकाये का भुगतान

*15–श्री अचल सिंह (अनुपस्थित)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के प्राथमिक शिक्षकों का वर्ष 79 के पुनरीक्षित वेतन वृद्धि के बकाये का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक शिक्षकों के प्राविडेंट फण्ड का लेखा-जोखा सही ढंग से नहीं रखा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

इस जनपद के नगर क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षकों का वर्ष 1979 के पुनरीक्षित वेतन बकाये का भुगतान किया जा चुका है। परिषद् के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक शिक्षकों के 1979 के पुनरीक्षित वेतन के अवशेष का भुगतान धन उपलब्ध न होने के कारण अभी तक नहीं हो सका है।

इस जनपद में सभी अध्यापकों का प्राविडेन्ट फन्ड का लेखा जोखा सही ढंग से रखा जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

*16–श्री बलराम यादव–

[दिनांक 17-2-86 को अता0 प्र0 सं0 163 द्वारा उत्तरित]

सरदार बल्लभभाई पटेल इण्टर कालेज भदाव हलधर, जनपद बलिया में पिछड़ी जाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का वितरण

*17–श्री इकबाल अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरदार बल्लभभाई पटेल इण्टर कालेज भदाव हलधरपुर, जनपद बलिया में पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति

पिछले पांच वर्षों में से नहीं बांटी गयी है? यदि नहीं बांटी गयी है, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

छात्रवृत्ति वितरित कर दी गई है। प्रश्न नहीं उठता ।

श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में कितनी-कितनी रकमें छात्रवृत्ति के रूप में दी गयीं और कितने लड़कों को दी गयीं ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, 1981-82 में 540 स्वीकृत हुईं और बंट गयीं, 1982-83 में कोई छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं हुई, 1983-84 में 1888/- रुपये स्वीकृत हुई जिसमें से 1580/- रुपये बंटी और 1984-85 में 1380/- रुपये स्वीकृत हुई और 1104 रुपये बंटी।

श्री इकबाल अहमद–

मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी है कि एक पैसा भी लड़कों को नहीं दिया गया। क्या मा0 मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, जरूर जांच की जायगी ।

भूमिगत जल के सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से अधिकतम उपयोग हेतु निर्धारित नीति

*18–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार भूमिगत जल के सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से अधिकतम उपयोग हेतु केन्द्र की भांति नीति घोषित करेगी? यदि हां, तो कब तक एवं उसका क्या प्रारूप होगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित होने पर उसको दृष्टिगत रखते हुए भूमिगत जल के सुनियोजित एवं वैज्ञानिक ढंग से अधिकतम उपयोग हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नीति निर्धारित किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा, अतः उसके प्रारूप के सम्बन्ध में सम्प्रति कुछ कहा जाना सम्भव नहीं है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह –

मान्यवर, मा0 मंत्री जी उत्तर के सन्दर्भ में, मा0 मंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्रीय जल नीति जब निर्धारित की जायगी, उसके बाद प्रदेश की जल नीति निर्धारित करने पर विचार करेंगे। इस संदर्भ में मैं यह जानकारी चाहूंगा कि जब तक राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित नहीं होती, तब तक वर्तमान में जल सम्पदा के दोहन हेतु क्या नीति अपनाई जा रही है तथा उसके आधार पर केन्द्र द्वारा प्रस्तावित जल नीति के सम्बन्ध में प्रदेश की ओर से क्या नीति प्रस्तावित है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

मान्यवर, केन्द्र स्तर पर एक राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की स्थापना की गई है, जिसके अध्यक्ष मा0 प्रधानमंत्री जी हैं और इसकी पहली बैठक 30 अक्टूबर, 1985 को हुई थी । इस बैठक में निर्णय लिया गया कि एक उप समिति गठित कर दी जाय । उस निर्णय के अनुसार उप समिति का गठन हो गया । उप समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार हैं और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह इसके सदस्य हैं । इस उप समिति की दो बैठकें हो

चुकी है । एक बैठक 9 जनवरी, 1986 को और दूसरी 5 फरवरी, 1985 को हो चुकी है । मुख्य प्रश्न इस उप समिति के सामने ये है:—(1) राष्ट्रीय जल नीति बनाने की आवश्यकता, (2) जल की उपलब्धता, उपयोग, मांग उपयुक्तता आदि सम्बन्धी सूचनाओं को एकत्रित करके रखने का सिस्टम बनाना, (3) जल की उपलब्धता और उपयोग में समन्वय सम्बन्धी अध्ययन, (4) जल के उपयोग की पालिसी बनाना, (5) जल नियन्त्रण का साधन, (6) जल की उपयुक्तता का अनुश्रवण, (7) जल संसाधन के नियोजन का साधन, (8) जल संसाधन के उपयोग से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में नीति निर्धारण और वाटर लागिंग, ड्रेनेज, प्रदूषण, इन्टीग्रेटेड एप्रोच आदि पर विचार, (9) सिंचाई की नीति, (10) बांधों की सुरक्षा संबंधी नीति, (11) जल के उपयोग में मितव्ययिता और उसके पुनः उपयोग के सम्बन्ध में नीति निर्धारण, (12) बाढ़ एवं बाढ़ नियंत्रण के संबंध में दृष्टिकोण, (13) सूखे पर नियंत्रण, (14) जल की उपलब्धि, बाढ़ सिंचाई आदि के सम्बन्ध में नवीनतम तकनीक का विस्तार, उक्त इन सब कामों के लिए प्रशिक्षण, जल उपयोग तथा नियन्त्रण सम्बन्धी यदि कोई विधेयक बनता है, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी इन सब तमाम बातों पर यह जो उप समिति विचार कर रही है, विचारोपरान्त जो नीति निर्धारण भारत सरकार करेगी, उसी के अनुसार प्रदेश सरकार भी सुनियोजित और वैज्ञानिक ढंग से पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, विचार करेगी।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह —

मान्यवर, भारत सरकार नीति निर्धारित करेगी, यह तो बाद की बात है । मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदेश के तमाम विकास खण्डों में जल स्तर गिर रहा है, हजारों नलकूप असफल हो रहे हैं । माननीय सांसदों को 5-5 नलकूप बांटे जा रहे हैं । जो नलकूप लगे हैं, वह असफल होते जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष —

आप प्रश्न करें ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह —

वर्तमान में क्या नीति है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

मान्यवर, वर्तमान में भी हमारा जो भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन है, वह प्रदेश के 50 जो मैदानी क्षेत्र हैं, पठारी क्षेत्र हैं, उसमें फोटोजियालाजिकल एवं रिमोट सेन्सिंग के माध्यम से भू-भौतिकी भू-रसायनिक यांत्रिकी एवं नाभिकीय के उपयोग से भूगर्भ जल की उपलब्धता का आंकलन यह विभाग करता है तथा भू जल स्तर का मापन करता है, भू स्तरों की उपस्थिति एवं विस्तार को बांध पानी के नमूनों का गुणात्मक अध्ययन अन्वेषणात्मक छिद्रण, प्लास्ट बूथों के निर्माण हेतु सुगम स्थलों का चयन, लघु सिंचाई साधनों के मध्य खींचने वाली न्यूनतम दूरी का निर्धारण, यह काम वर्तमान में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रदेश में किया जा रहा है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, प्रदेश में स्थिति यह है कि बराबर जल का स्तर नीचे चला जा रहा है, नलकूप खराब होते जा रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी इस बिन्दु को, जो केन्द्रीय जल संसाधन परिषद् है, उसको संदर्भित करके उत्तर प्रदेश में गिरते जल स्तर को बचाने के लिये, नलकूपों पर व्यय बचाने के लिये कार्य करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय —

मान्यवर, यह सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री

उस गठित उप समिति के सदस्य हैं, उन्होंने यहां की जो समस्यायें हैं प्रदेश की, उसको भी वहां रखा है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हम बुन्देलखंड के लोग इस भूमिगत जल स्तर के गिरने से बहुत प्रभावित हैं । मान्यवर, वहां स्थिति यह है कि अभी से पानी की कमी हो गई है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन है, वह भी इस काम को कर रहा है, रिमोट सेंसिंग वाले भी वही काम कर रहे हैं । जल निगम वाले एक अलग इकाई सुगठित करने जा रहे हैं । मान्यवर, प्रदेश के विभिन्न विभागों के माध्यम से इस कार्य को कराया जा रहा है । लेकिन, उस काम का जो सही उपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष –

आप प्रश्न करें ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह –

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि नलकूपों का छिद्रण, नलकूपों का परीक्षण-भू-वैज्ञानिकों से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही यह काम करेंगे । माननीय सांसदों को 5-5 नलकूपों को दिये जाने की घोषणा की जा रही है एक तरफ, दूसरी तरफ जल स्तर के गिरने से नलकूप असफल हो रहे हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि भू-वैज्ञानिकों से बिना प्रमाण पत्र लिए किसी प्रकार से भू-जल के उपयोग का प्रयास नहीं करेगा, ताकि जल स्तर घटने न पाये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय –

मान्यवर, मैंने बताया कि इस सम्बन्ध में भू जल सर्वेक्षण संगठन काम कर रहा है। अगर कहीं कोई खामी है, या कहीं इसके सुधार की आवश्यकता है तो मैं मान्यवर, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के सुझाव का स्वागत करूंगा। जो वह सुझाव देंगे, शासन उस पर विचार करेगा।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, हमारे मित्र श्री मानवेन्द्र सिंह जी ने बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बारे में कहा । मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष अप्रैल के महीने में बांदा में 12 सौ में सौ सौ कुंओं का पानी सूख गया और यह संकट बढ़ता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि दो तीन वर्ष से आपके विभाग के माध्यम से वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। इस लिये इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी अपने विभाग के उच्चाधिकारियों को वहां भेजकर युद्धस्तर पर बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सर्वेक्षण कराने की कृपा करेंगे। और जब तक यह कार्यवाही पूरी न हो पाये तब तक अग्रिम कार्यवाही पर रोक लगायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, यह संघ पठारी क्षेत्र में ही काम कर रहा है। अगर किसी विशेष क्षेत्र में काम नहीं हो रहा हो तो माननीय सदस्य मुझे लिखकर दे दें, हम उसका भी सर्वेक्षण करवा लेंगे ।

श्री किशोरी लाल सकलानी –

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जहां कहीं भी जल स्तर के कारण नलकूप बन्द हो रहे हैं क्या उन नलकूपों को री-बोरिंग कराकर पुनः चलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्यामसूरत उपाध्याय–

मान्यवर, सिंचाई विभाग इस काम को कर रहा है।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि भू जल सर्वेक्षण संघ द्वारा प्रदेश में छिद्रण कार्य होता है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि जल निगम तथा अन्य

विभाग के जल छिद्रण का कार्य कुछ प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा प्रदेश में हो रहा है। क्या ऐसे प्राइवेट एजेन्सियां जिनके पास अप्रशिक्षित बोरिंग करने वाले हैं और बोरिंग कर भी रहे हैं क्या उन पर आप रोक लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संघ में प्राइवेट लोगों से बोरिंग नहीं करवाया जाता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि भू-जल सर्वेक्षण या उसे अधिकतम उपयोग के सम्बन्ध में राज्य सरकार के, जिसके मंत्रि परिषद् के प्रमुख माननीय वीर बहादुर सिंह जी हैं क्या उनसे और केन्द्र सरकार से इस संबन्ध में कोई नीतिगत विषय पर विचार विमर्श हुआ है? यदि हां, तो इस तरह का विचार-विमर्श केन्द्र सरकार से भविष्य में होने की सम्भावनाएं हैं?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्रीमन्, उस समिति में क्या विचार विमर्श हुआ है उसकी जानकारी मुझे नहीं हुई है लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो भी आवश्यकता होगी, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी उसको वहां पर रक्खेंगे।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा छिद्रण नहीं करवाया जा रहा है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि केन्द्रीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण के अवकाश प्राप्त अभियन्ता और वैज्ञानिक ने अपनी प्राइवेट एजेन्सियां स्थापित कर रक्खी हैं। और उनके द्वारा बोरिंग हो रहा है। क्या राष्ट्रीय जल परिषद संघ इस प्रकार के बोरिंग करवाने पर प्रतिबन्ध लगवायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

कहीं इस तरह की शिकायत है तो हम उसे अवश्य दिखवायेंगे।

*19–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[9वें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय इण्टर कालेज बरेली के भवन का निर्माण की योजना

*20–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज बरेली का भवन बहुत ही जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है एवं कोई कमरा किसी भी वक्त गिर सकता है तथा कभी भी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो पुनः भवन के निर्माण की कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

पुनः भवन के निर्माण की कोई योजना नहीं है। विशेष मरम्मत कार्य की योजना के अन्तर्गत जिन कमरों की मरम्मत करना सम्भव नहीं है, उनको गिराने तथा शेष की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुनः निर्माण के लिए कोई योजना नहीं है और जो खराब हो गए हैं उनको गिरवा दिया गया है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वह इन खण्डहरों को खण्डहर ही रहने देंगे या फिर उनके पुनर्निर्माण की कोई योजना बनवायेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खण्डहर बनाने की कोई योजना नहीं है। इस समय जितने भवन उपलब्ध हैं उनमें सुचारु रूप से क्लासेज

चल रही है और जिन कमरों की मरम्मत हो सकती है उनकी मरम्मत चल रही है . . .

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने कमरे गिरा दिए गए और मरम्मत के लिए कितना धन दिया है ?

डाक्टर संजय सिंह–

5 कमरे उस स्कूल में खतरनाक थे, जिनको गिरा दिया गया है, 9 कमरों की मरम्मत चल रही है । वर्ष 82-83 में 5 लाख रुपया सैक्शन है पूरे स्कूल को बनाने के लिए । चूंकि 82-83 में संसाधन पूरे नहीं थे, कार्य नहीं हो सका । बाद में जब बनाना पड़ा तो पी0 डब्लू0 डी0 से जो पैसा बना 14 लाख रु0 बताया जाता है । इस समय कितनी धनराशि मरम्मत के लिए दी गई है, पता नहीं है, किन्तु यह सही है कि मरम्मत का कार्य चल रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

श्री राजेन्द्र प्रसाद जेनरेटिंग सेट मैकेनिक की पदोन्नति

1–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग जनपद हरदोई में कार्यरत जेनरेटिंग सेट मैकेनिक श्री राजेन्द्र प्रसाद की पदोन्नति अनुसूचित जाति के आरक्षण कोटे के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (मै0) के पद पर होनी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त पदोन्नति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री राजेन्द्र प्रसाद जनरेटिंग सेट मैकेनिक अवर अभियन्ता (मै0) के पद पर पदोन्नति हेतु सम्प्रति पात्रता क्षेत्र में नहीं आते ।

2–श्री काशी सिंह ऐरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा डिपो की माडलवार आवंटित बसों की संख्या

3–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा में विगत 3 वर्षों में डिपो वार क्रमशः किन-किन वर्षों के माडल की यात्री बसें आवंटित की गईं ? पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार पुरानी बसों को मैदानी क्षेत्रों में लाकर वहां नवीनतम माडलों के बसों को आवंटित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

जनपद पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा डिपो को विगत तीन वर्षों में माडलवार आवंटित बसों की संख्या निम्नवत् थी:–

माडल	डिपो	
	पिथौरागढ़	अल्मोड़ा
1983	8	3
1984	2	2
1985	16	6
कुल संख्या	26	11

पर्वतीय क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ बसों का ही प्रयोग किया जाता है। छोटे व्हील-बेस की होने के कारण मैदानी क्षेत्र के लिए आर्थिक दृष्टि से उनका संचालन उपयुक्त नहीं है ।

राजा राम मोहन राय पुस्तकालय ट्रस्ट से अनुदान प्राप्त करने वाले राजकीय पुस्तकालय

4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय ट्रस्ट

से अनुदान प्राप्त करने वाले कौन-कौन से राजकीय पुस्तकालय हैं ? इनमें से किन-किन पुस्तकालयों में उ0 प्र0 विधान मंडल व संसद की कार्यवाहियों की पिछली पूरी खंड संकलित है ?

डाक्टर संजय सिंह–

प्रदेश के किसी भी राजकीय पुस्तकालय को राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन से अनुदान प्राप्त नहीं होता ।

5–6–श्री राम आसरे वर्मा–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

सी0 एस0 नेहरू कालेज, हरदोई के इतिहास विभाग के प्रवक्ता श्री राजेन्द्र बिहारी पाण्डेय की न्यूनतम योग्यता तथा अवैधानिक नियुक्ति की जांच

7–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर से संबद्ध सी0 एस0 नेहरू कालेज, हरदोई के इतिहास विभाग के प्रवक्ता श्री राजेन्द्र बिहारी पाण्डेय इतिहास विषय में एम0 ए0 नहीं है अपितु वे प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषय में एम0 ए0 हैं अतः कानपुर विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार श्री पाण्डेय के पास इतिहास विषय में प्रवक्ता हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता नियमानुकूल नहीं है? क्या शिक्षा मंत्री इस अवैधानिक नियुक्ति की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करके सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर संजय सिंह–

श्री राजेन्द्र बिहारी पाण्डेय प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विषय में एम0 ए0 हैं । निदेशालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार श्री पाण्डेय एम0ए0 पी0 एच0 डी0 हैं । इनकी नियुक्ति विधिवत् गठित चयन समिति के माध्यम से हुई है तथा कानपुर विश्वविद्यालय ने इनकी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति का अनुमोदन पत्रांक के0 यू0/20894–96/ संख्या दिनांक 16 फरवरी, 1971 द्वारा दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के कार्यवाहक प्राचार्य श्री ए0 के0 श्रीवास्तव द्वारा लिया गया आफिसियेटिंग एलाउन्स तथा राष्ट्रीय सेवा योजना भत्ता

8–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई में वर्ष 83-84 में श्री ए0 के0 श्रीवास्तव कार्यवाहक प्राचार्य ने आफिसियेटिंग एलाउन्स तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम आफिसर का भत्ता लिया है? यदि हां, तो इनके द्वारा एलाउन्सेज एक साथ लिए जाने का क्या औचित्य है जब कि शिविर का आवंटन जुलाई, 82 से मार्च, 84 के बीच नहीं किया गया ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर का आयोजन दिनांक 21 जून, 1982 से 25 जुलाई, 1982 तक किया गया था।

आर0 टी0 ओ0 कार्यालय इलाहाबाद के वरिष्ठ लिपिक श्री सभाजीत पाण्डेय का स्थानान्तरण

9–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 टी0 ओ0 कार्यालय, इलाहाबाद के वरिष्ठ लिपिक (श्री सभाजीत पाण्डेय) का स्थानान्तरण जून/जुलाई, 85 में किस आदेश से किया गया है ? श्री पाण्डेय द्वारा कानपुर में अभी तक कार्यभार ग्रहण न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की कृपा

करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

आर0 टी0 ओ0 कार्यालय, इलाहाबाद के वरिष्ठ लिपिक श्री सभाजीत पाण्डेय का स्थानान्तरण कार्यालयादेश संख्या–2701 ई/85–5 तृतीय-कम्प/का0 जो/83, दिनांक 21-5-85 द्वारा किया गया है।

श्री सभाजीत पाण्डेय ने कानपुर में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 हरीराम आर्य इण्टर कालेज, मायापुर-हरिद्वार, जिला सहारनपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध कालेज फण्ड से गबन की शिकायतें

10–श्री अमीर आलम खां–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि देवी प्रसाद मेहता, प्रधानाचार्य, डा0 हरीराम आर्य इण्टर कालेज, मायापुर-हरिद्वार, जिला सहारनपुर ने कालेज फंड से काफी गबन किया हुआ है जिसका आडिट हो चुका है लेकिन उप शिक्षा निदेशक महोदय प्रथम मण्डल मेरठ मामले को दबाये बैठे हैं? सरकार इस प्रधानाचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

श्री देवी प्रसाद मेहता, प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर विद्यालय के अभिलेखों का विशेष आडिट कराया गया। मामले में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी के अन्तर्गत कार्यवाही शिक्षा निदेशालय के विचाराधीन है।

11–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

12–बुनियाद हुसैन अन्सारी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद बस्ती के सेमरियावां बाजार में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने पर विचार

13–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत सेमरियावां बाजार में राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय कब तक स्थापित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

14–श्री अफसर यू0 अहमद–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

15–श्री अफसर यू0 अहमद–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

16–श्री विजय सिंह राणा–

[दि0 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 40 द्वारा उत्तरित]

17–श्री विजय सिंह राणा–

[दि0 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 40 द्वारा उत्तरित]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों के रख रखाव हेतु धन का आवंटन

18–श्री विजय सिंह राणा–

वर्ष 1985 के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 164 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा बनाये गये मार्गों की

मरम्मत और रख-रखाव के लिए शासन द्वारा विचाराधीन प्रकरण स्वीकार किया गया है? यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायेगा? और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा निर्मित सड़कों के रख-रखाव हेतु धन आवंटन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

इस वर्ष बाढ़ से हुई क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 126 लाख रुपये का आवंटन विभाग को किया गया है। पंचायती राज बजट से 5 करोड़ की धनराशि सड़कों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए आवंटित की गयी है जिससे ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का अनुरक्षण, सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति में है। इसके अतिरिक्त भी 5 करोड़ रुपये बाढ़ग्रस्त जिलों को आवंटित किये गये हैं जिससे क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा की जा सकती है।

19–श्री विजय सिंह राणा–

[दि0 3-3-86 को अता0 प्र0 सं0 43 द्वारा उत्तरित]

सूरतगंज, जनपद बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल के भवन निर्माण की कथित योजना

20–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सिकोहना, वि0 खं0 सूरतगंज, जनपद बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल जो 25 वर्ष से पेड़ के नीचे लग रहा है, के भवन बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सम्प्रति इस विद्यालय के भवन निर्माण की कोई योजना नहीं है।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

श्री श्याम पाल सिंह, वर्क सुपरवाईजर्स आदि का कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रोन्नति करने हेतु प्रार्थना पत्र

21–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ श्री श्याम पाल सिंह आदि वर्क-जार्च सुपरवाईजर्स ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, शाहजहांपुर का आवेदन-पत्र ग्राम विकास मंत्री को 22-11-85 को इन सुपरवाईजर्स आदि का कनिष्ठ लिपिक के पदों पर प्रोन्नति हेतु दिया था, जो मंत्री जी के यहां से 25-11-85 को मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ को भेज दिया गया था? यदि हां, तो इन सुपरवाईजर्स की प्रोन्नति के सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो कब तक इनकी प्रोन्नति करा दी जायेगी?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। श्री श्यामपाल सिंह, वर्क सुपरवाइजर्स आदि का कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमित करने हेतु प्रार्थना-पत्र मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

इन वर्कचार्ज सुपरवाइजर्स की कनिष्ठ लिपिकों के पद पर प्रोन्नति का कोई प्राविधान सरकारी नियमों में नहीं है।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के डिपो प्रबन्धक, गोण्डा के कार्यालय से गायब उपस्थिति पंजिका

22–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 प0 निगम, गोण्डा के डिपो प्रबन्धक कार्यालय की माह

फरवरी, 84 की उपस्थिति पंजिका इस समय परिवहन निगम के किस कार्यालय में है? क्या यह उपस्थिति पंजिका गायब कर दी गयी है? यदि हां, तो जिस अधिकारी एवं लिपिक के संरक्षण में थी उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के डिपो प्रबन्धक, गोण्डा के कार्यालय की माह फरवरी, 1984 की उपस्थिति पंजिका **इस समय निगम के किसी कार्यालय में** उपलब्ध नहीं है।

जी हां।

उपस्थिति पंजिका तत्कालीन सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, श्री प्रभात शास्त्री के संरक्षण में थी। उपस्थिति पंजिका गायब होने के सम्बन्ध में छानबीन की जा रही है। छानबीन के फलस्वरूप दोषी पाये जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

23–श्री सुखपाल पाण्डे–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

इलाहाबाद नगर में प्राथमिक पाठशालायें व उनके भवन

24–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में कितनी सरकारी बालक-बालिकाओं की प्राथमिक पाठशालायें कहां-कहां चल रही हैं और उनमें से कौन-कौन सी सरकारी भवनों में तथा कौन-कौन सी गैर सरकारी भवनों में हैं तथा कितने भवनों की हालत खराब है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

25–श्री राज किशोर सिंह–

[8वें सोमवार के लिये स्थगित]

26–श्री सत्यपाल सिंह–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, बरेली के विरुद्ध शासन को शिकायती पत्र

27–श्री सत्यपाल सिंह तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या ग्राम प्रधान संघ, नबाबगंज (बरेली) ने एक शिकायती पत्र माह जुलाई, 85 में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, बरेली के विरुद्ध शासन को प्रेषित किया था? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्र में प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उन शिकायतों की जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा कराई गई तथा उस जांच में अब तक क्या प्रगति हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। उक्त शिकायती पत्र में मुख्यत: अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के विरुद्ध कर निर्धारण में अनियमितताएं करने, जिला परिषद् के सामान की नीलामी व हैंड्डी चमड़ा के ठेके की नीलामी में जिला परिषद् को वित्तीय हानि पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। इन शिकायतों की जांच परगनाधिकारी द्वारा करायी गयी। जांचोपरान्त सभी आरोप निराधार पाये गये।

28–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

आजमगढ़ जनपद के विकास खण्ड फतेहपुर, मेडाव व घोसी व दोहरी घाट में भवन विहीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय

29–श्री विष्णु दत्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के वि0 खं0 फतेहपुर, मेडाव व घोसी व दोहरी घाट में कितने राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन हैं और कितने क्षतिग्रस्त हैं तथा कब तक भवन निर्माण व क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत का कार्य सम्पन्न हो जायेगा?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ का चयन वेतनमान एवं पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों पर विचार

30–श्री विष्णु दत्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ (सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के) का चयन वेतनमान, अवकाश, नकदीकरण, पारिवारिक पेंशन का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन राजाज्ञायें निर्गत करने के संबन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

डाक्टर संजय सिंह–

चयन वेतनमान एवं पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों पर विचार किया जा रहा है। अवकाश नकदीकरण का प्रकरण स्वीकार नहीं किया गया है ।

चयन वेतनमान एवं पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों पर विचार किया जा रहा है।

एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची

31–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1985 में प्रदेश में ग्राम सभाओं में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्राम सभा सदस्यों का जीवन स्तर ऊंचा करने की क्या एकीकृत ग्राम विकास योजना (आई0 आर0 डी0) के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची का चयन हुआ और लाभार्थियों की सूची क्या शासन को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो इन लाभार्थियों को अनुदान और ऋण अब तक उपलब्ध न कराए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

वर्ष 1985-86 में एकीकृत योजना के अन्तर्गत नए और पुराने लाभार्थियों की सूची विकास खण्ड स्तर पर बनाए जाने के आदेश दिए गए हैं । यह सूची विकास-खण्ड जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय में रखी जाती है, शासन स्तर पर नहीं । चयनित लाभार्थियों को उनके ऋण प्रार्थनापत्रों के अनुसार ऋण तथा अनुदान दिया जाता है । शासन/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा लाभार्थियों को कोई ऋण/अनुदान सीधे नहीं दिया जाता है ।

वर्ष 85-86 में सूचीबद्ध परिवारों में से हर विकास खण्ड में लगभग 570 परिवारों को लाभ पहुंचाने के निदेश दिए गए हैं । सूची के सभी परिवारों को एक ही वर्ष में लाभान्वित करना सम्भव नहीं है ।

परियोजना निदेशक, देवरिया के आदेश से पटनी पुल बरई पट्टी बंधे पर खडंजा करने हेतु दी गई कथित धनराशि

32–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना विकास खंड के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से एक लाख रुपया परियोजना निदेशक देवरिया के आदेश से देवरिया

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को सम्बन्धित वि0 खं0 के गंडक के किनारे पटनी पुल बरई पट्टी बंधे पर खड़ंजा करने हेतु दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह कार्य पूरा हो गया ? यदि नहीं, तो कार्य न कराये जाने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जितेन्द्र नाथ त्रिपाठी को आरक्षित समूह अध्यापक के रूप में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्थान पत्र

33–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र नाथ त्रिपाठी, पुत्र विभूति नाथ त्रिपाठी को आरक्षित समूह अध्यापक के रूप में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्थापन-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया द्वारा पत्र संख्या 6123/23/85-86 दि0 17-9-85 निर्गत किया था ? यदि हां, तो जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने किन कारणों से प्रस्थापना पत्र को दि0 25-11-85 को निरस्त कर दिया ?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां ।

रिक्त पद सीधी भर्ती का न होने के कारण । किन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रकरण की पुनः नियमानुसार जांच की जा रही है ।

34–श्री यदुनाथ सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

35–श्री सुखपाल पाण्डे–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद मिर्जापुर में कुल कार्यरत सहायक विकास अधिकारी तथा हरिजनों की संख्या

36–श्री मूल चन्द्र–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कुल कितने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) हैं उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ? 1 जून, 84 से 85 तक कितने ग्राम पंचायत अधिकारियों की पदोन्नति जिले में हुई उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद मिर्जापुर में कुल 19 सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) कार्यरत हैं जिनमें हरिजनों की संख्या 3 है।

1 जून 84 से 85 तक जिले में कुल 3 ग्राम पंचायत अधिकारियों की पदोन्नति हुई जिनमें हरिजन की संख्या–एक है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति के उद्देश्य तथा उप निदेशक, बेसिक मंडल को कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिये गये आदेश

37–श्री हर्ष वर्धन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में प्रबंध तंत्र को हटा कर प्राधिकृत नियन्त्रक किस उद्देश्य से नियुक्त किया गया था ? क्या प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा वहां के 13 कर्मचारियों को हटाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर संजय सिंह–

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ में व्याप्त निम्नांकित अनियमित-

ताओं का निराकरण कराने के उद्देश्य से प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति की गई थी:-

(1) विद्यालय की प्रशासन योजना शिक्षा अधिनियम के अनुसार अनुमोदित न होना ।

(2) प्रधानाध्यापक/अध्यापकों का चयन/नियुक्ति शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार न करना ।

(3) प्रबन्धक द्वारा विभागीय आदेशों का पालन न करना एवं मनमाने ढंग से कार्य करना ।

(4) विद्यालय हाई स्कूल तक मान्यता प्राप्त है किन्तु नियमानुसार शिक्षा विभाग द्वारा पद सृजन न कराया जाना ।

(5) विद्यालय के संगीत अध्यापक को जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश के बावजूद भी कार्यभार ग्रहण न कराया जाना । जी हां । इसका कारण मुख्य रूप से प्रबन्धाधिकरण के साथ इन कर्मचारियों की सांठ-गांठ, वर्तमान व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करना व नवीन सत्र में खोली गई उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर न करना है । इनमें प्रधानाध्यापक एवं स्टोर कीपर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताएं पाई गई ।

उक्त 13 कर्मचारियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका भी योजित की गई जो मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

38—श्री हर्ष वर्धन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 16-9-85 को शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा उप निदेशक, षष्टम मंडल, लखनऊ को प्रगति आश्रम के 13 कर्मचारियों के संबंध में कोई आदेश दिया था ? यदि हां, तो उसका पालन क्यों नहीं हुआ ?

डा0 संजय सिंह—

जी हां ।

उप शिक्षा निदेशक, षष्ठम मंडल, लखनऊ के पत्र दिनांक 16-9-85 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

उक्त 13 कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्चन्यायालय में सितम्बर, 1985 में याचिका भी योजित की गई है जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन है । माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संस्था के प्राधिकृत नियंत्रक को लिखा जा चुका है ।

39—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की पूर्ति

40—श्रीमती राम नंदिनी वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक फर्रुखाबाद के कार्यालय में वरिष्ठ सहायक के तीनों पदों को राजाज्ञा में निहित निदेशों को दृष्टिकोण में रखते हुए पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता।

परीक्षा केन्द्रों से जिला संकलन केन्द्रों तक उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाने वालों के यात्रा बिलों का भुगतान

41—श्रीमती राम नंदिनी वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि उ0 प्र0 शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा संचालित हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की परीक्षा केन्द्र से जिला संकलन केन्द्र तक, उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाने वालों का यात्रा भत्ता सन् 1981 से लेकर अब तक का भुगतान विभाग द्वारा कब तक किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

परीक्षा केन्द्रों से जिला संकलन केन्द्रों तक उत्तर पुस्तिकाओं को ले जाने वालों के यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से किया जाता है। जिला विद्यालय निरीक्षकों को भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित कर दी जाती है। जहां से अतिरिक्त धनराशि की मांग आती है, उन्हें आवश्यक धनराशि पुनः आवंटित कर दी जाती है। वर्ष 1981 से कितने यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, इसकी सूचना समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्राप्त करनी पड़ेगी जिसमें अत्यधिक समय लगने की सम्भावना है।

42–श्रीमती राम नंदिनी वर्मा–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

ज0 उ0 मा0 विद्यालय, महुआरी, पथरदेवा, जनपद देवरिया में प्रबन्धकीय चुनाव कराये जाने हेतु दिये गये आदेश

43–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज0 उ0 मा0 विद्यालय महुआरी पथरदेवा, जनपद देवरिया के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर के पास प्रबन्धकीय विवाद के सम्बन्ध में आख्या मांगने पर वर्ष 1985 में तत्सम्बन्धी प्रबन्धकीय चुनाव न कराये जाने के संदर्भ में आख्या भेजी थी? क्या अक्टूबर, 1985 में चुनाव कराने के आदेश दिये जाने के पश्चात चुनाव न कराये जाने सम्बन्धी आदेश भी निर्गत किया था? यदि हां, तो पुनः किन परिस्थितियों में दि0 26-10-85 को प्रबन्धकीय चुनाव कराये जाने हेतु निर्देश दिये? यदि हां, तो ऐसे निर्देश देने के कारण क्या थे?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रबन्धक के अभिलेखों को देखने पर यह पाये जाने पर कि विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद विद्यमान नहीं है तथा प्रबन्ध समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो चुनाव का आदेश दिया गया।

44–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

45–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

श्री दामोदर दास गंगवार, प्रधान ग्राम सभा राजनपुर, जनपद शाहजहांपुर द्वारा पुलिया तथा रोलिंग कराये जाने की मांग सम्बन्धी आवेदन पत्र

46–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि0 11-11-85 के आस-पास श्री दामोदर दास गंगवार, प्रधान ग्राम सभा राजनपुर, ब्लाक तिलहर, जनपद शाहजहांपुर ने जिलाधिकारी महोदय, शाहजहांपुर, सचिव, संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास, अतिरिक्त जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को आवेदन पत्र बरीखास रोड से मुकता प्रसाद

के मकान तक श्रमदान द्वारा डाली गई मिट्टी पर पुलिया तथा रोलिंग ग्राम सभा द्वारा कराये जाने की मांग आवेदन पत्र द्वारा की है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

दिनांक 25-1-86 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण जनपद शाहजहांपुर, की गवर्निंग बाडी की बैठक में प्रश्नगत प्रस्ताव रखा गया, परन्तु कोई नया कार्य न लिये जाने के कारण प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया गया ।

47–डाक्टर दिनेश जौहरी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

स्व0 श्री जयदेव सिंह, कन्डक्टर, बरेली की पत्नी को नियुक्ति दिलाने की मांग

48–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि श्री जयदेव सिंह, कन्डक्टर, उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम, बरेली डिपो पर कार्यरत थे और उनकी हृदय गति रुक जाने से दि0 6-11-83 को मृत्यु हो गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार ने स्व0 श्री जयदेव सिंह की पत्नी को उनके स्थान पर नियमानुसार नियुक्ति दिला दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर संजय सिंह–

जी हां। श्री जयदेव सिंह, कन्डक्टर, बरेली डिपो की बीमारी के कारण दिनांक 6-11-83 को मृत्यु हो गयी थी। निगम में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी पदों पर स्वीकृति से अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, अतः पद उपलब्ध न होने के कारण स्वर्गीय श्री जयदेव सिंह की पत्नी को अभी नियुक्ति नहीं प्रदान की जा सकी है।

49–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

लखनऊ स्थित वर्कशाप की नीलामी तथा सामान का स्थानान्तरण

50–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 निगम का लखीमपुर स्थित वर्कशाप क्यों तोड़ दिया गया तथा तोड़ते समय जो सामान वर्कशाप का था, वह कहां गया ? यदि नीलाम किया गया तो कितने रुपये का किस व्यक्ति को ? प्राप्त धन कहां तथा कब जमा किया गया ? क्या सामान किसी दूसरी वर्कशाप को ट्रांसफर किया गया तो कब तथा किस वर्कशाप को ? क्या वर्कशाप के स्टोर रजिस्टर में अंकित है ?

डाक्टर संजय सिंह–

दिनांक 7-1-85 को निगम का लखीमपुर स्थित वर्कशाप बंद कर दिया गया, क्यों कि वहां बसों का सुचारु रूप से रख-रखाव सुनिश्चित नहीं किया जा सका, तथा लखीमपुर की बसों को सीतापुर स्थित कार्यशाला से सम्बद्ध कर दिया गया, जहां रख-रखाव की पर्याप्त सुविधा है ।

लखीमपुर कार्यशाला का सामान जनवरी, 1985 में सीतापुर-कार्यशाला को स्थानान्तरित किया गया, तथा वहां के स्टाक रजिस्टर में दर्ज किया गया ।

लखीमपुर-कार्यशाला का कोई भी सामान नीलाम नहीं किया गया, अतएव नीलामी के धन को जमा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

51–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

[दिनांक 10-2-86 को अता0 प्र0 सं0 22 द्वारा उत्तरित]

सहजनवां गोरखपुर जिले में राजकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार

52–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहजनवां गोरखपुर जिले में राजकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक विद्यालय खोला जायेगा ?

डा0 संजय सिंह–

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

54–श्री निहाला सिंह–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

55–श्री सुखपाल पाण्डे–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

56–श्री सुखपाल पाण्डे–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

विकास खण्ड बक्शी का तालाब और चिनहट में भवन विहीन सीनियर बेसिक स्कूल और प्राइमरी विद्यालय

57–श्री भगवती सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड बक्शी का तालाब और चिनहट में कितने ऐसे प्राइमरी पाठशाला और सीनियर बेसिक स्कूल हैं जिनके अपने भवन नहीं हैं? वर्ष 1984-85 में कितने स्कूलों के भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया था, उसमें से कितने भवन बन गये हैं और कितने नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

विकास खण्ड बक्शी का तालाब में 37 प्राइमरी तथा 9 सीनियर बेसिक स्कूल तथा विकास खण्ड चिनहट में 23 प्राइमरी विद्यालय भवनहीन हैं ।

वर्ष 1984-85 में उक्त विकास खण्डों के भवनहीन विद्यालयों के लिए कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

58–59–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

60–डा0 दिनेश जौहरी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

61–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

62–श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री शारदा नन्द अंचल–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद आगरा एवं फिरोजाबाद क्षेत्र में सेवारत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

63–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा एवं फिरोजाबाद क्षेत्र में कितने प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र सेवारत हैं और उनमें कितने प्रौढ़ शिक्षा अर्जन कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में से 60 प्रतिशत कागज पर चल रहे हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जनपद आगरा के विकास खण्ड टूण्डला एवम् एतमादपुर में 300 महिला प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र वर्ष 1985-86 में खोले गये हैं। इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर 7977 महिला प्रतिभागी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा अर्जित कर रही हैं । फिरोजाबाद क्षेत्र में कोई भी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र संचालित नहीं है।

जी नहीं।

गण्डक समादेश क्षेत्र, देवरिया जनपद के अन्तर्गत निर्माण कार्य में घोटाले की शिकायत

64–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गण्डक समादेश क्षेत्र के देवरिया जनपद के अन्तर्गत निर्माण कार्य में घोटाले की शिकायत भूतपूर्व विधायक श्री पुरुषोत्तम कौशिक गत 5 वर्षों से कह रहे हैं ? यदि हां, तो शिकायत क्या है उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

भूतपूर्व विधायक श्री पुरुषोत्तम कौशिक से प्राप्त शिकायतों के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही की गई।

स्थिति संलग्नक में दी गयी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 160 पर)

65–श्री राम लक्षन–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

जनपद बाराबंकी की जिला परिषद् में सड़क निर्माण में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन

66–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की जिला परिषद् में सड़क निर्माण में लगे हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो वेतन की राशि क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त कर्मचारियों कि संख्या क्या है और कितने कर्मचारी एक वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद बाराबंकी की जिला परिषद् में सड़क निर्माण में कोई भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत नही है। जिला परिषद् की सड़को के अनुरक्षण के लिए तीन अस्थाई गैंग कार्य कर रहे हैं । उन्हें न्यूनतम मज़दूरी रु0 16.65 पै0 प्रतिदिन के रेट से दी जा रही है। तीनों गैंग में 3 मेट तथा 24 बेलदार अर्थात कुल 27 गैंगमैन हैं। इनमें से 23 गैंगमैन एक वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ।

जनपद बाराबंकी की क्षतिग्रस्त एवं चयनित मार्गों की मरम्मत

67–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? क्या मुख्य मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त जनपद के विकास खण्ड देवां और बंकी में मरम्मत हेतु किन मार्गों को चयनित किया गया है और किन-किन मार्गों पर मरम्मत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत हेतु 13 लाख रुपये स्वीकृत किये गये है । विकास खण्ड बंकी में मोहमा रामबनकुटी मार्ग, गदियामाती मार्ग देवा विकास खण्ड में जुमावासी जरुआ बाग व भिटौली-दीप हार मार्गों को चयनित किया गया है जिन पर कार्य कराया जा रहा है।

जनपद बाराबंकी में निगोहा देवरा रोड पर खड़न्जा लगाने हेतु टेन्डर

68–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निन्दूरा में निगोहा देवरा रोड पर खड़न्जा लगाने हेतु मार्च 85 में विभाग द्वारा टेण्डर आमंत्रित किये गये थे ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर अब तक खड़न्जा न लगाये जाने का कारण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड निन्दूरा में निगोहा-इबेरा रोड के दूसरे किलोमीटर में सोलिंग कार्य हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित किये गये थे। दरें ऊंची होने के कारण निविदा स्वीकृत नहीं हो सकी । पुनः ईंटों की आपूर्ति हेतु निविदायें प्राप्त की गयी हैं ।

69–श्री काशी सिंह ऐरी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

जिला वाराणसी में प्राइमरी स्कूल बरवां में प्राथमिकता के आधार पर इमारत का निर्माण

70–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्कूल बरवां, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के पास कोई इमारत नहीं है ? क्या यह सही है कि स्कूल की कक्षायें मैदान में लगती हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रा0 स्कूल की इमारत प्राथमिकता के आधार पर सरकार बनाने की आज्ञा देगी और धन भी उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां ।

जी नहीं ।

पाठशाला के भवन निर्माण हेतु भूस्थल के साथ धन तथा नजरी नक्शा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

71–श्री राम सजीवन–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र मुख्यालय से यातायात अधीक्षकों का स्थानान्तरण

72–श्री शारदा प्रताप–

क्या परिवहन मंत्री जी को जानकारी है कि परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र मुख्यालय पर कितने यातायात अधीक्षक कितने वर्षों से सम्बद्ध हैं ? क्या इनकी पदोन्नति के बाद स्थानान्तरण का नियम इन पर लागू है ? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया है और स्थानान्तरण कब तक करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

परिवहन निगम के लखनऊ परिक्षेत्र मुख्यालय पर 5 यातायात अधीक्षक, मुख्यालय चेकिंग दल में नीचे दी गयी तिथियों से तैनात हैं:–

नाम	तैनाती की तिथि
1–श्री एम0 ए0 किदवई	1-9-81
2–श्री एस0 ए0 किरमानी	1-4-82
3–श्री बी0 एस0 दीक्षित	1-10-83
4–श्री एस0 ई0 अली	3-10-83
5–श्री एस0 एन अग्निहोत्री	9-4-85

ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रोन्नति के बाद कार्मिक का स्थानान्तरण किया ही जाय ।

उपरोक्त कार्मिकों का कार्य अच्छा होने के कारण इन्हें मुख्यालय में तैनात किया गया है ।

निगम नीति के अनुसार यातायात/स्टेशन अधीक्षक संवर्ग के कार्मिकों का स्थानान्तरण सामान्य तौर पर एक ही क्षेत्र में 6 वर्ष से अधिक समय होने पर किया जाता है । चूंकि उपरोक्त कार्मिकों में से किसी

को भी मुख्यालय पर यातायात अधीक्षक के पद पर तैनात हुये 6 वर्ष नहीं हुये हैं, इसलिए फिलहाल इनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया गया ।

परिवहन निगम में मैनेजमेंट ट्रेनी की नियुक्ति से क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं निम्नस्तर के कर्मचारियों पर प्रभाव

73–श्री शारदा प्रताप–

क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सीधी भर्ती द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी पदनाम से 150 पदों पर भर्ती की गयी और उन्हें सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक के पदों पर नियुक्त करने का प्राविधान बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्तमान कार्यरत सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं निम्न कर्मचारियों की पदोन्नति पर क्या इनका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ? यदि हां, तो मंत्री जी उक्त को निरस्त करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रस्तावित पुनर्गठन को कार्यान्वित किये जाने के सम्बन्ध में 142 मैनेजमेन्ट ट्रेनीज का चयन किया गया था, जिसमें केवल 115 अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया है । इन अधिकारियों की नियुक्ति सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक स्तर के नये पदों पर की जायेगी । अतः वर्तमान में कार्यरत सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं निम्न स्तर के कर्मचारियों की पदोन्नति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

परिवहन निगम में अप्राविधिक परिचालक आदि कर्मचारियों की नियुक्ति

74–श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य परिवहन निगम में अप्राविधिक परिचालक आदि कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से कम है ? यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या शासन नई भरती करने पर विचार कर रहा है ?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं । अप्राविधिक परिचालक आदि कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है । स्वीकृति से अधिक कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए नई भरती करने का कोई प्रस्ताव इस समय निगम के विचाराधीन नहीं है ।

75–श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री हृदय नारायन दीक्षित–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

सहायक जिला पंचायत अधिकारी (तकनीकी) की चयनित सूची के अनुसार पदों पर भरती व नियुक्ति

76–श्री राम सजीवन–

क्या सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी) के पदों पर भर्ती हेतु प्रदेश के सभी सेवायोजना कार्यालयों से उम्मीदवारों के नाम मंगाकर निदेशक पंचायत राज लखनऊ के कार्यालय में 30-4-84 को साक्षात्कार किया गया था ? यदि हां, तो क्या चयनित सूची बनी थी ? यदि हां, तो चयनित सूची के अनुसार उक्त पदों पर भर्ती अथवा नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

उक्त पद के लोक सेवा आयोग की परिधि में प्रस्तावित होने के कारण चयनित सूची के अनुसार नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौला (मासी) में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री शेवन सिंह धुधत्थाला की पदोन्नति की कार्यवाही

77–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौला (मासी) में कार्यरत स0 अ0 श्री शेवन सिंह धुधत्थाला 1968 से सी0 टी0 वेतनक्रम पर तथा 31 मार्च, 1979 को जे0 टी0 सी0 वेतनक्रम पर नियुक्ति दी गयी है जबकि विद्यालय के प्रान्तीकरण होने की सभी अर्हतायें रखने पर भी 1972 से हाईस्कूल में लगातार पढ़ाने पर नये वेतनमान वरिष्ठता व पदोन्नति न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इस संबंध में पूर्व तिथि से ही बरिष्ठता तथा वेतनक्रम व पदोन्नति देने के लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शंकर लाल आदि परिचालक गोला डिपो जिला खीरी लखीमपुर की चयनित पदों पर पदोन्नति

78–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शंकर लाल आदि परिचालक गोला डिपो जिला खीरी लखीमपुर जिनका चयन सन् 1965 में जूनियर बुकिंग क्लर्क के पदों के लिए हुआ था उनसे आज तक परिचालक की हैसियत से सेवाएं क्यों ली जा रही है ? क्या इस संदर्भ में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 3-1-86 को परिवहन मंत्री व संयुक्त प्रबंध निदेशक परिवहन निगम लखनऊ को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उन्हें उनके चयनित पदों पर पदोन्नति देते हुए कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

श्री शंकर लाल परिचालक सन् 1965 में जूनियर बुकिंग क्लर्क के पद की बनाई गई प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी थे । इस प्रतीक्षा सूची में श्री शंकर लाल का नाम क्रमांक 85 पर था । उक्त सूची से क्रमांक 48 तक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गयी थी और शेष कार्मिकों को रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गयी । चयन सूची की वैधता सन् 1966 में नियमानुसार एक वर्ष पूर्ण होने पर समाप्त हो गयी । श्री शंकर लाल जिनका नाम चयन सूची में काफी नीचे था, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर परिचालक के पद पर वर्ष 1966 में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी गयी थी । इस कारण उनसे परिचालक की सेवाएं ली जा रही है ।

प्रश्नकर्ता के दो पत्र दिनांक 2-1-86 व 29-12-85/2-1-86 जो क्रमशः संयुक्त प्रबन्ध निदेशक व परिवहन मंत्री को संबोधित है, प्राप्त हुए है । चयनित सूची की वैधता समाप्त होने के कारण इन्हें जूनियर बुकिंग लिपिक पद पर नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है ।

राजकीय इन्टर कालेज मानिला, अल्मोड़ा में अंग्रेजी विषय में हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्राओं का प्रवेश

79–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में राजकीय इन्टर कालेज मानिला में अंग्रेजी विषय में हाईस्कूल उत्तीर्ण कितने छात्रों/छात्राओं ने 11वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय चाहने हेतु प्रवेश पत्र भरे थे ? इनमें से कितने छात्रों/छात्राओं को प्रवेश दिया तथा जिन छात्र/छात्राओं को

प्रवेश नहीं दिया गया इसके क्या कारण है ?

डा0 संजय सिंह–

राजकीय इण्टर कालेज मानिला में अंग्रेजी विषय में हाई स्कूल उत्तीर्ण 22 छात्रों ने 11वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय चाहने हेतु प्रवेश पत्र भरे थे । इनमें से 17 छात्रों को प्रवेश दिया गया, शेष 5 छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर अंग्रेजी विषय नहीं दिया गया ।

लखनऊ आर्ट कालेज के कतिपय रिक्त पदों पर नियुक्त

80–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आर्ट कालेज में किन-किन विभागों में अध्यापक/इंस्ट्रक्टर/माडलर के पद रिक्त हैं, इन पदों के खाली रहने की अवधि क्या है ? इन रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ? इस संबंध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

सूचना संलग्न है ।

विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है । यह कालेज लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा पोषित घटक महाविद्यालय है और इसमें नियुक्तियां करने का उत्तरदायित्व विश्व-विद्यालय का ही है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 162 पर)

हल्द्वानी से ताकुला तक अनियमित बस सेवा को नियमित करने हेतु कार्यवाही

81–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी से जनपद अल्मोड़ा में ताकुला तक उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन सेवा निर्धारित है ? यदि हां, तो दिनांक 1-1-86 से पूर्व के तीन माहों में यह बस सेवा कितने दिनों अनियमित रही ? इसे अनियमित करने के लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ? सरकार ने इसे नियमित रखने हेतु क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

हल्द्वानी से अल्मोड़ा जनपद में ताकुला के लिए हल्द्वानी डिपो द्वारा ''हल्द्वानी-अल्मोड़ा-ताकुला-बागेश्वर'' सेवा तथा अल्मोड़ा डिपो द्वारा ''बरेली-हल्द्वानी-अल्मोड़ा-ताकुला-बागेश्वर'' सेवा संचालित की जा रही है। दिनांक 1-1-86 से पूर्व के तीन माहों में हल्द्वानी डिपो की उक्त हल्द्वानी- बागेश्वर सेवा माह अक्टूबर'85 में 22 दिन, नवम्बर'85 में 23 दिन तक दिसम्बर'85 में 21 दिन अनियमित रही। अल्मोड़ा डिपो की उक्त बरेली-हल्द्वानी-बागेश्वर सेवा माह अक्टूबर'85 में 22 दिन, नवम्बर, 85 में 10 दिन तथा दिसम्बर, 85 में 2 दिन अनियमित रहीं। ये सेवाएं चालक-परिचालकों की कमी, बर्फ के आफरोड होने एवं मार्ग अवरुद्ध होने के कारण अनियमित रहीं है । इस अनियमित संचालन के लिए कोई अधिकारी /कर्मचारी दोषी नहीं है ।

उपर्युक्त सेवाओं को नियमित बनाये रखने हेतु हल्द्वानी एवं अल्मोड़ा डिपों में अतिरिक्त चालक एवं परिचालक उपलब्ध करा दिये गये हैं और आफरोड बसों की स्थिति में भी पर्याप्त सुधार किया गया है।

नैनीताल व पौड़ी के मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्रों के रिक्त पदों को भरना

82–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पर्वतीय क्षेत्रों में नैनीताल व पौड़ी के मंडलीय मनो-

विज्ञान केन्द्रों की स्थापना वर्ष 1979 में की गयी थी ? यदि हां, तो इन केन्द्रों में दिनांक 1-1-86 को कौन-कौन से पद कितने समय से रिक्त थे ? इन रिक्त पदों को अब तक न भरे जाने का क्या कारण है ? सरकार इन पदों को कब तक भरेगी ?

डा0 संजय सिंह–

जी हां ।

1-1-86 को निम्नलिखित पद पदसृजन की तिथि से ही स्क्त थे :–

नैनीताल

1–सहायक मनोवैज्ञानिक	1 पद

पौड़ी गढ़वाल

1–मण्डलीय मनोवैज्ञानिक	1 पद
2–वोकेशनल गाइडेन्स काउन्सेलर	1 पद
3–सहायक मनोवैज्ञानिक	1 पद

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध न हो पाने के कारण ।

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होते ही नियुक्तियां की जायेंगी ।

पर्वतीय क्षेत्र के जे0 टी0 सी0 अध्यापकों के वेतनमान का पुनरीक्षण

83–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप रु0 200–300 तथा रु0 210 330 के जे0टी0सी0 अध्यापकों के वतेनमान का संशोधन अन्य कर्मचारियों की भांति जुलाई 1979 से अभी तक पुनरीक्षित न किये जाने का क्या कारण है? तथा इसे कब तक पुनरीक्षित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

रु0 210-330 का वेतनमान पुनरीक्षित किया जा चुका है, परन्तु रु0 200-330 के वेतनमान के पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है ।

निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है।

84–श्री काशी सिंह ऐरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णयानुसार तदर्थ भर्ती एवं प्रोन्नति की कार्यवाही

85–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि सरकार द्वारा घोषित विकेन्द्रीकरण राजाज्ञा 25 नवम्बर, 1980 पर माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने 29 अगस्त, 1985 को दिये गये निर्णय को अब तक लागू न करने का क्या कारण है ? इस निर्णय को कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

माननीय उच्च न्यायालय के दो अन्तरिम आदेशों दिनांक 29-8-1985 के स्पष्ट न होने के कारण उन्हें लागू करने में विधिक कठिनाई थी ।

माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 5 मार्च, 1986 को पूर्वपारित अन्तरिम आदेशों दिनांक 29-8-85 को संशोधित कर दिया है । तदनुसार शासन द्वारा तदर्थ सीधी भर्ती तथा तदर्थ प्रोन्नतियों की कार्यवाही पुनः तुरन्त सम्पन्न करने के निर्देश दिनांक 7 मार्च, 1986 को निर्गत कर दिये गये हैं ।

86–श्री काशी सिंह ऐरी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद आजमगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कथित गड़बड़ियों की जांच

87–श्री रमाकान्त यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत माह मई में फूलपुर राजवाटा

शारदा सहायक खण्ड 32 जनपद आजमगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 18 लाख 63 हजार रुपये से नहर की पटरी को चौड़ा करना खड़ंजा लगाने के कार्यों में गड़बड़ी की जांच आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

सिंचाई विभाग द्वारा मामले में जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया है। जिसे एक माह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

88–89–श्री राम गोविन्द चौधरी–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

90–श्री राम सजीवन–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

देवरिया जनपद के कतिपय विकास खंडों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता

91–श्रीमती शशी शर्मा–

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में फाजिलनगर, तमकुहीराज एवं दुदही विकास खण्डों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कितने परिवारों को कितनी धनराशि की सहायता वर्ष 85-86 में अब तक दी जा चुकी है? क्या यह राशि प्रदेश के अन्य जनपदों में दी जाने वाली राशि से कम है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

देवरिया जनपद के फाजिलनगर, तमकुहीराज एवं दुदही विकास खण्डों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले क्रमशः 322, 590 एवं 549 परिवारों को 2.28 लाख रु0, 6.14 लाख रु0 एवं 4.19 लाख रु0 का अनुदान वर्ष 1985-86 में अभी तक दिया जा चुका है।

वर्ष 85-86 में इस योजना के अन्तर्गत हर जनपद को लगभग 8 लाख रु0 प्रति विकास खण्ड की दर से, विकास खण्डों की संख्या के आधार पर धनराशि आवंटित की गयी है।

देवरिया जिला परिषद् के अन्तर्गत फाजिलनगर समउर मार्ग को पक्का करना

92–श्रीमती शशि शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला परिषद् के अन्तर्गत फाजिलनगर समउर मार्ग जो कि कंकड़ सतह है, को पक्का कराने की वर्ष 85-86 में स्वीकृत है? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग कब तक पक्का हो जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

मार्ग निर्माण संबंधी निर्णय जनपद स्तर पर लिया जाता है।

देवरिया जनपद के पटहेरवा से बसडीला होते हुए जिला परिषद् मार्ग का पक्का करने का प्रस्ताव

93–श्रीमती शशि शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पटहेरवा से भठहो कनक पिपरा परवीहवा उर्फ करंजहा, बसडीला होते हुए जिला परिषद् मार्ग को पक्का करने का प्रस्ताव वर्ष 85-86 में है? यदि नहीं, तो उक्त मार्ग कब तक पक्का करा दिया जायेगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं।

मार्ग निर्माण संबंधी निर्णय जनपद स्तर पर लिया जाता है।

जनपद देवरिया में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कुबेर स्थान से समऊर का पुनः निर्माण

94–श्रीमती शशी शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में कुबेर स्थान से समऊर मार्ग पर ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा कितने कि0 मी0 निर्माण के लिए कितनी धनराशि अब तक व्यय की गयी ? यह मार्ग जो अब जनता के उपयोग के योग्य नहीं है इसका पुनः निर्माण कब आरम्भ होगा?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद देवरिया में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा कुबेर स्थान से समऊर मार्ग तक 21,15 कि0 मी0 सड़क का निर्माण कराया गया है। उक्त मार्ग के निर्माण पर कुल 30.585 लाख रुपये व्यय हुये।

2–ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु चयन धन की उपलब्धता के अनुसार जिला स्तर पर ही किया जाता है।

95–श्रीमती शशि शर्मा–

[8वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 154 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जनपद के कतिपय विकास खंडों की गांव सभाओं को आवंटित धन का उपयोग

96–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में समस्त विकास क्षेत्रों को वर्ष 1984-85 में प्रत्येक विकास खण्डों को गांव सभाओं की उन्नति के लिए तीन-तीन लाख रुपये का आवंटन किया गया ? यदि हां, तो विकास क्षेत्र सुहावल मसौधा, विकास क्षेत्र पूरा में ब्लाक द्वारा किन-किन गांव सभाओं को इसमें धन आवंटित किया गया? क्या उक्त आवंटित धन का उपयोग हो गया? यदि हां, तो किन-किन कामों में? यदि नहीं, तो उपयोग न करने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी इस धन की शीघ्र उपयोग कराने हेतु कोई निर्देश देंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

फैजाबाद जनपद के ड्योढ़ो आकार के विकास खण्ड को साढ़े चार लाख रुपये तथा शेष सामान्य विकास खण्डों को तीन-तीन लाख रुपये आवंटित किये गये। विकास खण्ड सोहावल, मसौधा तथा पूरा बाजार में क्रमशः 25, 47 तथा 30 गांव सभाओं को धनराशि उपलब्ध करायी गयी । (विवरण संलग्न है)

उल्लिखित विकास खण्डों की गांव सभाओं को आवंटित धनराशि से क्रमशः 8, 20 तथा 5 गांव सभाओं में धनराशि का उपयोग कर कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं। (विवरण संलग्न है) शेष गांव सभाओं में कार्य 31-3-86 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 163 पर ।)

श्री बालकृष्ण अग्रवाल, ओवरसियर, मिर्जापुर के वेतन का निर्धारण

97–श्री मैनेजर सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को पंचायती राज अनुभाग-2 के अ0शा0प0 सं0 5829/33-2-8 लो0म0/85, दिनांक 17-12-85 के संदर्भ में ज्ञात है कि श्री बालकृष्ण अग्रवाल की नियुक्ति वर्ष 1951 से 1955 तक जिला परिषद्, बांदा में उनके वेतनक्रम 75–150 में सब ओवरसियर पद के अनुभव के आधार

पर 1955 में जिला परिषद्, मिर्जापुर में वेतनमान 120–240 में हुई थी तथा उसके बाद के अनुवर्ती वर्षों में उनकी अयोग्यता की कोई बात सामने नहीं आयी? यदि हां, तो नियुक्ति के समय विचार न करके उसके 5 वर्ष बाद उन्हें अयोग्य मानकर किस आडिट आपत्ति के कारण 19 मई, 1960 के शासनादेश द्वारा उनका वेतनमान कम करना पड़ा ? क्या माननीय मंत्री जी उक्त शासनादेश को निरस्त कर श्री अग्रवाल को 120–240 का वेतनमान नियुक्ति की तिथि से पुनः दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

श्री बालकृष्ण अग्रवाल ने सब ओवर-सियर के पद पर जिला परिषद् बांदा में वेतनक्रम रुपया 75–150 में वर्ष 1951 से जुलाई, 1955 तक कार्य किया। वर्ष 1955 में ही श्री अग्रवाल की जिला परिषद् मिर्जापुर में ओवर-सियर के पद पर रुपया 120–240 में नयी नियुक्ति की गयी थी। यह पद केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग का नहीं है अतः एव जिला परिषद्, बांदा में की गयी सेवाओं के अनुभव का लाभ दूसरी जिला परिषद्, मिर्जापुर में नहीं दिया जा सकता। चूंकि श्री अग्रवाल अर्ह अधि-दर्शक नहीं थे अतएव परीक्षक स्थानीय निधि लेखा द्वारा इन्हें अर्ह ओवरसियर का वेतनमान देने के संबंध में आपत्ति उठाये जाने पर शासन द्वारा उन्हें तक-नीकी योग्यता से मुक्त कर दिया गया किन्तु अनर्ह अधिदर्शक का वेतनमान रु0 75–150 ही स्वीकृत किया गया। श्री अग्रवाल को नियुक्ति की तिथि से वेतनमान रुपया 120–240 देने का कोई औचित्य नहीं है।

एल0 टी0 ग्रेड के कलाध्यापक श्री शिव कुमार का कथित स्थानान्तरण

98–श्री मित्रसेन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1984-85 के सत्र में एल0टी0 ग्रेड के कलाध्यापक श्री शिव कुमार का स्थानान्तरण दीक्षा विद्यालय, दिलीपपुर, प्रतापगढ़ से राजकीय इंटर कालेज, फैजाबाद के लिए किया गया था तथा 20 दिन बाद उनका स्थानान्तरण पुनः प्रतापगढ़ दीक्षा विद्यालय के लिये कर दिया गया ? क्या यह भी सही है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने हेतु श्री जयराम वर्मा भू0पू0 मन्त्री एवं विधायक प्रश्नकर्ता के अनुरोध तथा शिक्षा मंत्री और शिक्षा निदेशक के स्पष्ट आदेश के बावजूद भी संदर्भित मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो इसके लिए कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सत्र 1984-85 में श्री शिव कुमार का स्थानान्तरण नहीं किया गया था । प्रश्न नहीं उठता।

99–श्रीमती शशि वर्मा–

[8वें मंगलवार में अता0प्र0स0 155 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

100–श्रीमती शशि शर्मा–

[विभिन्न विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

मेरठ मंडल के बड़ौत-सहारनपुर मार्ग पर परिवहन निगम की संचालित बसें

101–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ मंडल के बड़ौत-सहारनपुर मार्ग पर कुल कितनी रोडवेज की बसें चल रही

हैं और उनमें से कुल कितनी टूटी हुई हैं और कितनी अच्छी हालत में हैं ? क्या सरकार खराब बसों के बदले अच्छी बसें उक्त मार्ग पर भेजने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

मेरठ मंडल के बड़ौत-सहारनपुर मार्ग पर परिवहन निगम की कुल 40 बसें संचालित हो रही हैं। इनमें से कोई बस टूटी नहीं है। इन बसों की तकनीकी स्थिति अच्छी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

खरखौदा (मेरठ) से दिल्ली तक नई रोड-वेज बसें चलाने का प्रस्ताव

102–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 86-87 में खरखौदा (मेरठ) से मोदी नगर होते हुए दिल्ली के लिए नई रोड-वेज की बसें चलाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो बसें कब से चलायी जायेंगी?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

103–श्री राजेन्द्र शर्मा–

[8 वें मंगलवार में अता0प्र0स0 157 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

104–श्री राम सजीवन–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

105–श्री राम सजीवन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

106–श्री गौरी शंकर भइया–

[8 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 156 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

श्री आरिफ लोहानी संस्थागत छात्र राजकीय जुबली इंटर कालेज, लखनऊ को देय छात्रवृत्ति

107–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1984 में संस्थागत छात्र राजकीय जुबली इंटर कालेज, लखनऊ श्री आरिफ लोहानी जिसका रोल नं0 253817 था, हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने के बाद भी उसे छात्रवृत्ति से वंचित किया गया है? यदि हां, तो छात्र श्री आरिफ लोहानी जिसने समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की तथा कुल प्राप्तांक 414/600 था से कम प्राप्तांक वाले छात्रों को छात्रवृत्ति किस आधार पर यू0 पी0 बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गयी है? इसे कब तक दे दिया जायेगा?

डा0 संजय सिंह–

श्री आरिफ लोहानी को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद से नवम्बर, 1985 में प्राप्त वर्ष 1984 की सत्यापित श्रेष्ठता सूची के आधार पर शिक्षा निदेशालय द्वारा अगस्त, 1984 से जून, 1986 तक रु0 40/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति के स्वीकृति के आदेश 7 मार्च, 1986 को जारी कर दिये गये हैं।

श्री राजेश्वर पान्डेय, इंजीनियर जिला परिषद्, बाराबंकी के भ्रष्टाचारों की विजीलेंस द्वारा जांच

108–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, बाराबंकी ने अपने पत्र संख्या 246-एस0टी0 जिला परिषद्, बाराबंकी दिनांक 31-7-85 द्वारा विशेष सचिव पंचायती राज विभाग अनु0-2 को जिला परिषद् बारा-

बंकी के इंजीनियर श्री राजेश्वर पाण्डेय के भ्रष्टाचारों की जांच विजीलेंस द्वारा कराने की संस्तुति की है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है? उक्त पत्र में भ्रष्टाचार के मुख्य बिंदु क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां। इस संबंध में निर्णय शासन के विचाराधीन है।

भ्रष्टाचार के मुख्य बिन्दुओं में ईंटों की आपूर्ति में की गयी अनियमितता, बिना स्वीकृति के काम कराना, फर्जी भुगतान का प्रयास करना आदि सम्मिलित है।

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री चन्द्रभान राय के स्थानान्तरण को निरस्त करने हेतु तत्कालीन शिक्षा मंत्री द्वारा किये गये आदेश

109–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री चन्द्रभान राय के स्थानान्तरण को निरस्त करने हेतु तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने दिनांक 4-9-85 को आदेश दिया था? क्या यह भी सही है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री ने भी दिनांक 4-1-85 को बेसिक शिक्षा निदेशक को राज्य मंत्री जी के पूर्वोक्त आदेश को पालन करने का निर्देश दिया था? यदि हां, तो अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अब तक उक्त आदेश का पालन न किये जाने के कारण क्या है? क्या अनुपालन न करने वाले अधिकारी को शासन दंडित करेगी?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां।

जी हां।

तत्कालीन राज्य मंत्री, शिक्षा के दिनांक 4-9-85 के आदेश के बाद इसी संबंध में पारित उनके अंतिम आदेश दिनांक 16-9-85 के अनुसार ही कार्यवाही की गई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद के प्रा0 पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति

110–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बांदा जनपद के प्रा0 पाठशालाओं एवं जू0हा0 स्कूलों की संख्या को देखते हुये अध्यापकों की कमी है? यदि हां, तो निकट भविष्य में यह कमी कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां।

बांदा की प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण लम्बित है। जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद देवरिया के ज0उ0मा0 विद्यालय महुआरी पथरदेवा के प्रबंध समिति के तथा प्रबंधक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव

111–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज0उ0मा0 विद्यालय महुआरी पथरदेवा जनपद देवरिया के प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक के विरुद्ध दिनांक 22-6-85 को अविश्वास प्रस्ताव पारित

हुआ था? यदि हां, तो क्या इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद देवरिया को थी ? क्या इस संबंध में उनके स्तर से जांच की गई? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में पुरानी प्रबंध समिति को अब तक उनके स्तर से मान्यता दी जा रही है?

डा0 संजय सिंह–

जी हां।

जी हा।

जी हा।

प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव फर्जी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसे अस्वीकार किया गया और प्रबंध समिति का विधिवत् चुनाव कराया गया।

112–श्री जंग बहादुर सिंह–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

113–श्री जंग बहादुर सिंह–

[8 वें सोमवार के लिए स्थगित]

114–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद इलाहाबाद, में शिक्षा सलाहकार समिति की संस्तुति पर खोले गये जूनियर तथा प्राइमरी स्कूलों व उनके भवन

115–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की संस्तुति पर वर्ष 82-83, 83-84 तथा 84-85 में कौन-कौन से जूनियर तथा प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं इनमें से सभी के लिए स्वीकृत किस-किस विद्यालय के भवन बन गए हैं तथा किनकिन विद्यालयों के भवन नहीं निर्मित हो सके हैं? निर्मित न करा सकने वाले कौन-कौन से निर्माण विभाग हैं? इन अनिर्मित विद्यालयों का निर्माण कब तक हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय विकास खण्डों में भवन रहित जूनियर व प्राइमरी विद्यालय व अध्यापकों की नियुक्ति

116–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद इलाहाबाद के वि0 खं0 कौड़िहार, शंकरगढ़, जसरा, कौंधियारा एवं चाका में कौन-कौन से जूनियर एवं प्राइमरी विद्यालय भवन रहित हैं तथा कौन-कौन से विद्यालयों में मात्र 1 अध्यापक हैं? क्या सरकार 1 अध्यापकीय विद्यालयों में दो-दो अध्यापक नियुक्त करेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, भू0 पू0 विधायक से अभद्र व्यवहार करने से सम्बन्धित पत्र की जांच

117–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गिरीश चन्द्र तिवारी, भू0 पू0 विधायक के साथ अभद्र व्यवहार करने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र, 1-11-85 प्राप्त हुआ और जिसका उत्तर आपने दिनांक 11-11-85 को दिया था, के सम्बन्ध में कोई जांच या कार्यवाही आज तक की गई? यदि हां, तो क्या शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया गया? यदि नहीं, तो इस असाधारण विलम्ब का क्या कारण है ?

डा0 संजय सिंह–

जी हां ।

शिकायतकर्ता से सम्पर्क किया गया था ।

118–श्री रमाकान्त मिश्र–

[दि0 24-2-86 के ता0 प्र0 सं0 20 द्वारा उत्तरित]

जनपद मिर्जापुर के कतिपय स्कूलों में हाई स्कूल व इण्टर के रोके गये परीक्षाफल

119–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय इण्टर कालेज, शेरपुर, जनता जनार्दन इण्टर कालेज भुरपुडा, सरदार पटेल इण्टर कालेज कोलना जनपद मिर्जापुर में कितने हाई स्कूल व इण्टर के वर्ष 84-85 में (संस्थागत व व्यक्तिगत) परीक्षार्थियों के परीक्षाफल रोके गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विचार करते समय व्यापक पैमाने पर धांधली हुई और अनुक्रमांक 904257 का परीक्षाफल प्रथम श्रेणी का छात्र होने के बावजूद भी राष्ट्रीय इण्टर कालेज शेरपुर में क्यों और कैसे रोका गया ? क्या सरकार उ0प्र0माध्यमिक परिषद् द्वारा सभी रोके गये परीक्षार्थियों को 85-86 की परीक्षा में शामिल होने का प्राविधान करेगी ?

डा0 संजय सिंह–

हां। रोके गये परीक्षाफलों की स्थित निम्नवत् है:–

विद्यालय का नाम	वर्ष	हाई स्कूल		इण्टर	
		संस्था-गत	व्यक्ति-गत	संस्था-गत	व्यक्ति गत
1–राष्ट्रीय इण्टर कालेज, शेरपुर, मिर्जापुर ।	1985	64	x	x	x
2–जनता जनार्दन इण्टर कालेज, भुरपुड़ा	1985	109	x	15	x
3–सरदार पटेल इण्टर कालेज, कोलना, मिर्जापुर।	1985	117	x	6	x
	योग	290	x	21	x

राष्ट्रीय इण्टर कालेज शेरपुर, मिर्जापुर के हाई स्कूल परीक्षा 1985 के अनुक्रमांक 904257 का परीक्षाफल अनुचित साधन प्रयोग करने के संदेह में रोका गया था। सम्यक् विचारोपरान्त उक्त अनुक्रमांक का परीक्षाफल निरस्त करने का निर्णय अनुचित साधन निस्तारण समिति द्वारा लिया गया। रोके गये जिन परीक्षार्थियों ने 1986 की परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अपने आवेदन पत्र अग्रसारित करा लिये है, उन्हें अनुबन्ध पत्र देकर परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

स्व0 रामानुज सिंह, भू0 पू0 लिपिक बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर की समस्त देयों का भुगतान एवं उनके पुत्र की नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही

120–श्री अम्बिका सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भू0 पू0 परिषदीय लिपिक स्व0 रामानुज सिंह, बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर की समस्त मदों तथा वेतन जीवन बीमा आदि के भुगतान तथा शासकीय निर्देशों के अनुकूल उनके पुत्र श्री अजय कुमार सिंह को परिषदीय कार्यालय में नियुक्त हेतु शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक, सचिव, उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद से आदेश निर्गत किये गये हैं? यदि हां, तो इन आदेशों का पालन कब तक किया जायेगा?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां।

जीवन बीमा की अवशेष धनराशि के भुगतान हेतु चेक निर्गत कर दिया गया है अवशेष वेतन के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है स्व0 अध्यापक के पुत्र श्री अजय कुमार सिंह को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार रिक्तपद उपलब्ध न होने के कारण अभी तक नियुक्त नही किया जा सका है।

निश्चित समयावधि बताना सम्भव नही है।

गोरखपुर से फैजाबाद का बस किराया

121–श्री कृष्ण कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर से फैजाबाद का बस किराया खिड़की से टिकट खरीदने पर 16-60 तथा बस कन्डक्टर से टिकट लेने पर 16-75 रु0 यही फैजाबाद से गोरखपुर के टिकटों की खरीद की भी स्थिति है तथा चारबाग लखनऊ से फैजाबाद का टिकट खिड़की से खरीदने पर टिकट का मूल्य 15·25 देना पड़ता है और कन्डक्टर से टिकट लेने पर 15·50 देना पड़ता है ?यदि हां, तो ऐसा अंतर क्यों है? क्या ऐसा ही अन्तर पूरे प्रदेश में बसों का टिकट खरीदने पर है? क्या यह पैसा सरकार के खजाने में जाता है? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं।

गोरखपुर से फैजाबाद तथा फैजाबाद से गोरखपुर का समस्त करों सहित कुल किराया प्रति यात्री रु0 16·55 पैसे है। खिड़की से टिकट लेने पर अथवा बस में परिचालक से टिकट लेने पर किराये में कोई अन्तर नहीं है। चारबाग लखनऊ से फैजाबाद का समस्त करों सहित कुल किराया प्रति यात्री रु0 15·05 पैसे है। खिड़की से टिकट लेने पर अथवा परिचालक से टिकट लेने पर किराये में कोई अन्तर नहीं है।

जी नहीं। यात्रियों द्वारा टिकट खिड़की से खरीदने अथवा परिचालक से बस में टिकट लेने पर किराये की धनराशि में कहीं कोई अन्तर नहीं है। यात्रियों से प्राप्त निर्धारित किराये की धनराशि को निगम कोष में जमा किया जाता है।

श्रीमती विद्यावती पाठक, सहायक अध्यापिका जू0 हा0 स्कूल नगरपालिका सांडी हरदोई के वेतनमान का शुद्धिकरण

122–श्री कनक सिंह –

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती विद्यावती पाठक, सहायक अध्यापिका, जू0 हा0 स्कूल न0 पा0 सांडी हरदोई की नियुक्ति सहायक अध्यापिका जू0 हा0 स्कूल के पद पर की गयी थी ?

यदि हां, तो क्या इनको स0 अ0 जू0 हा0 स्कूल के पद के वेतनमान न देकर प्रा0 स्कूल की स0 अ0 के पद का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन वेतन विसंगति को दूर कराने के आदेश देकर उक्त वेतन का शुद्धिकरण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री –

जी नहीं ।

तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका द्वारा इनकी नियुक्ति प्राइमरी पाठशाला में की गई थी, फ़लस्वरूप प्राइमरी पाठशाला का वेतन मान दिया जा रहा था । दिनांक 22-7-72 से इन्हें कन्या जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर पदस्थित करने के बाद से इन्हें कन्या जूनियर हाई स्कूल की सहायक अध्यापिका का वेतनमान दिया जा रहा है ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के बस्ती तथा गोरखपुर के बस बेड़े की संख्या में कमी का कारण

123–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रा0 स0 प0 निगम के बस्ती तथा गोरखपुर डिपो के बस बेड़े की संख्या क्रमशः कितनी है और एक वर्ष पूर्व कितनी थी ? बस बेड़े की संख्या में कमी होने का क्या कारण है ?

डा0 संजय सिंह –

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस्ती तथा गोरखपुर डिपो के बस बेड़े की संख्या क्रमशः 90 तथा 118 है । एक वर्ष पूर्व इन बस बेड़ों की संख्या क्रमशः 111 तथा 133 थी । बस बेड़े की संख्या में कमी का मुख्य कारण निष्प्रयोज्य बसों, जो बस बेड़े की गिनती में शामिल थीं, को नियमानुसार निस्तारित किया जाना है ।

प्रदेश विश्वविद्यालयों में कुलपति तथा रजिस्ट्रार के पदों पर हरिजन एवं पिछड़े जाति का प्रतिनिधित्व

124–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा श्री रघुवर दयाल वर्मा –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश विश्वविद्यालयों में कुलपति तथा रजिस्ट्रार के पदों पर वर्ष 85 में कितने प्रतिशत हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोग थे और इनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह –

वर्ष 1985 में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग का कोई कुलपति तथा कुलसचिव (रजिस्ट्रार) नियुक्त नहीं था । कुलपति के पदों पर कोई आरक्षण नहीं है । कुलसचिव के पदों पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण है, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नहीं है ।

कुलसचिवों के पद सीधी भर्ती तथा उपकुलसचिवों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते है । सीधी भर्ती द्वारा कुलसचिवों के पद भरे जाने के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन कराया गया जिसमें अनुसूचित जाति के लिए पद आरक्षित था परन्तु अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित पद अग्रनीत किया गया । कुलसचिवों के पदों पर तदर्थ पदोन्नति उप कुल सचिवों में से की गई थी परन्तु अनुसूचित जाति का कोई उप कुल सचिव उपलब्ध ही नहीं था ।

ए0 एम0 सी0 सेन्टर, सदर लखनऊ तक परिवहन निगम की चालित बसें

125–श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ए0 एम0 सी0 सेंटर, सदर, लखनऊ तक उन चार कौन से बच्चों को लेने के लिए परिवहन निगम की प्रातः व सायंकाल एक 13 नं0 व दूसरी 16 नं0 की बस लगाई गई है ? वह अधिकारी कौन है तथा उनके नाम क्या हैं ?

डा0 संजय सिंह –

ए0 एम0 सी0 सेन्टर, सदर लखनऊ तक 13 नम्बर रूट की एक बस प्रातः व सायकाल सेन्ट्रल स्कूल तथा विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों को जिनमें से बहुत से विद्यार्थियों को मासिक पास जारी है, आवागमन की सुविधा हेतु स्पेशल ट्रिप के रूप में चलायी गई है । 16 नम्बर रूट की कोई बस ए0 एम0 सी0 सेन्टर के लिए नहीं लगाई गई है । किस स्थान (स्टापेज) से चढ़ने वाले चार बच्चों के विषय में जानकारी चाही गई है यह प्रश्न से स्पष्ट नहीं है। अतः अधिकारी का नाम तथा पद नाम बताना सम्भव नहीं है।

126–श्री सुखपाल पाण्डे –

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ प्राइमरी स्कूलों में दूरदर्शन सेट्स

127–श्री हर्ष वर्धन –

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ प्राइमरी स्कूलों में लगाये जाने वाले दूरदर्शन सेट्स किन कम्पनियों के हैं तथा इन्हें किन-किन दरों से खरीदा गया है और किन जिलों में कितने दूरदर्शन सेट्स स्कूलों में लगाये गये हैं ?

श्री संकटा प्रसाद शास्त्री–

इनसेट-1-बी योजनान्तर्गत शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम के तहत गोरखपुर बस्ती तथा आजमगढ़ के चुने हुए ग्रामीण अंचलों के प्राइमरी स्कूलों में लगाये जाने वाले दूरदर्शन सेट्स केल्ट्रान तथा ई0 सी0 कम्पनियों के हैं जिनका क्रयादेश एवं भुगतान सीधे भारत सरकार द्वारा किया गया है । अतः दरों की जानकारी प्रदेश सरकार को नहीं है । इस परियोजनान्तर्गत गोरखपुर में 457 बस्ती में 233 तथा आजमगढ़ में 210 कुल 900 टेलीविजन सेट्स लगाये जाने हैं, जिनमें से अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर गोरखपुर में 379 बस्ती में 189 तथा आजमगढ़ में 65 कुल 633 दूरदर्शन सेट्स स्कूलों में लगाये जा चुके हैं ।

जनपद मथुरा के कतिपय मार्गों पर बसों के परमिट

128–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 85 में मथुरा, सोंख गोवर्धन, छाता वाया लालपुर मार्ग पर बसों के टैम्परेरी परमिट दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने, परमिटों के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये थे? क्या इस मार्ग पर परमिट देने के लिए कोई कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति निकाली गयी थी? यदि हां, तो किस अखबार में? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

मथुरा-सोंख-गोवर्धन छाता वाया लालमार्ग पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण आगरा ने अपने निर्णय दिनांक 8-8-85 द्वारा 8 अस्थायी परमिट स्वीकृत किया था।

उक्त आवेदन संभागीय परिवहन प्राधिकरण की विज्ञप्ति दिनांक 27-12-83 तथा 5-7-85 द्वारा सूचना पट पर लगा

कर आमंत्रित किये गये थे तत्पश्चात् कुल 45 आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

प्रश्नगत मार्ग पर उक्त 8 रिक्तियों को स्थाई परमिटों द्वारा भरने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रण हेतु सरकारी गजट दिनांक 25-2-84 में प्रकाशित कराया जा चुका है।

जनपद बांदा में हुई शिक्षा सलाहकार समिति के प्रस्तावों की अवहेलना के विरुद्ध कार्यवाही

129—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 85, से नवम्बर, 85 के बीच बांदा जनपद में जिला शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा के कार्यालय में माननीय विधायक श्री जमुना प्रसाद बोस की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी थी? यदि हां, तो उपरोक्त समिति में प्रस्तावों का विवरण क्या है? इन प्रस्तावों की अवहेलना में कौन अधिकारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

डा0 संजय सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में कार्यरत वैद्य श्री माता प्रसाद मिश्र के पुत्र श्री ओंकार नाथ की जिला परिषद् में नियुक्ति

130—श्री मयंकर सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में जिला परिषद् में कार्यरत वैद्य श्री माता प्रसाद मिश्र जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल जून, 83 में हो गयी थी, के बालिग पुत्र ओंकार नाथ को नियमत: जिला परिषद् में कर्मचारी न रखे जाने का कारण क्या है जबकि मध्य में दो तीन लोगों की नियुक्ति की गयी है? यदि इन्हें परिषद् में रखा जायेगा तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद् के कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके परिवार के किसी एक सदस्य को जिला परिषद् की सेवा में लिए जाने की सुविधा शासनादेश संख्या: यू0 ओ0 113डी/33-2-32 बी(1)/84 दिनांक 5-7-84 द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से ही अनुमन्य है। श्री माता प्रसाद वैद्य की मृत्यु शासनादेश की तिथि से पूर्व दिनांक 29-6-83 को हुई थी।

अत: उनके पुत्र को उक्त सुविधा नहीं दी गयी। प्रश्न में जिन लोगों की नियुक्ति किये जाने का उल्लेख है उनकी नियुक्तियां वर्ष 1986 में की गयी है। मृतक श्री माता प्रसाद मिश्र के बालिग पुत्र श्री ओंकार नाथ को वर्तमान शासनादेश के अनुसार जिला परिषद् की सेवा में रखा जाना सम्भव नहीं है।

131—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

बांदा जनपद के महुवा क्षेत्र समिति द्वारा पास प्रस्तावों पर निर्माण कार्य

132—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के ब्लाक महुवा के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के कितने निर्माण कार्यों के प्रस्ताव क्षेत्र समिति महुवा द्वारा पास किये गये है और इस क्षेत्र समिति द्वारा पास प्रस्तावों पर कब तक निर्माण कार्य पूरे करा दिये जायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

बांदा जनपद के ब्लाक महुवा के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र नरैनी के निर्माण कार्यों के 26 प्रस्ताव, क्षेत्र समिति महुवा द्वारा पास किये गये हैं ।

उक्त प्रस्तावों पर निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा दिये जायेंगे ।

जनपद बांदा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा खम्हौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माणकार्य

133–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंडल (आर0 ई0 एस0) बांदा द्वारा नरैनी तह0 की अनुथुवा खम्हौरा मार्ग का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो उस मार्ग की लम्बाई क्या है और इसमें कितना धन खर्च हुआ तथा अभी तक पूरा न होने के क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

जनपद बांदा में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड बांदा के अन्तर्गत नरैनी तहसील में खम्हौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया गया है। इस मार्ग की लम्बाई 3 किलो मीटर है तथा इस मार्ग पर 2,42,103 रुपये व्यय हुये हैं । निर्माण सामग्री में अनियमितता की जांच के कारण अवशेष मार्ग पर कार्य रुका हुआ है ।

बांदा जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अवर अभियन्ता श्री इन्द्र देव सिंह का निलम्बन

134–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आर0 ई0 एस0) बांदा के अवर अभियंता श्री आई0 डी0 सिंह जनवरी, 85 से दिसम्बर, 85 के बीच सीमेन्ट के भ्रष्टाचार के मामले में रंगे हाथों पकड़े गये थे? यदि हां, तो उपरोक्त अवर अभियंता कितने घंटे जेल में रहे ? शासन के नियमों के अनुसार उन्हें निलम्बित न करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है तथा उपरोक्त अवर अभियंता के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां ।

श्री इन्द्रदेव सिंह, अवर अभियंता, 48 घण्टे से अधिक जेल में रहे। श्री इन्द्रदेव सिंह को निलम्बित किया जा चुका है तथा इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

परिवहन निगम में खेल संवर्ग (शिशिक्षुओं) के कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक

135–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवहन निगम पर्वतीय क्षेत्र में 30-6-85 को क्षेत्रवार अप्रेन्टिसों (शिशिक्षुओं) की नियुक्ति की गयी है तथा उनमें से कितने खिलाड़ी हैं उन खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं? परिवहन निगम में खेल संवर्ग (शिशिक्षुओं) के कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगी रोक कब तक हटायी जायेगी तथा क्या रोक हटाने पर अप्रेन्टिसों (शिशिक्षुओं) को नियुक्ति दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में 30-6-85 को नैनीताल क्षेत्र में 34 प्राविधिक एवं

29 अप्राविधिक, टनकपुर क्षेत्र में 37 प्राविधिक एवं 18 अप्राविधिक तथा देहरादून क्षेत्र में केवल 12 प्राविधिक शिशुक्ष नियुक्त थे । इनमें से टनकपुर क्षेत्र एवं नैनीताल क्षेत्र में कोई खिलाड़ी शिशुक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया गया । केवल देहरादून क्षेत्र में एक खिलाड़ी शिशुक्ष पद पर नियुक्त किया गया ।

खिलाड़ियों को शिशुक्ष पद पर नियुक्त किये जाने हेतु कोई कोटा आरक्षित नहीं है । परिवहन निगम में स्वीकृति से अधिक कर्मचारी कार्यरत होने के कारण नियमित नियुक्तियों पर निदेशक मण्डल द्वारा रोक लगायी गयी है, जो अभी भी जारी है । अतएव शिशुक्षुओं को नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अंतर्गत घाघरा बांध हेतु आवंटित धनराशि

136–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का एक करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि घाघरा नदी के बनने वाले बांध को दे दी गयी है ? यदि हां, तो वह धनराशि किसकी अनुमति से दी गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी नहीं ।

घाघरा नदी के किनारे सूरजपुर बांध तथा गनेशपुर सुरक्षा बांध के लिए माह फरवरी, 1986 तक केवल 17.557 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

सूरजपुर बांध तथा गनेशपुर सुरक्षा बांध की अनुमानित लागत क्रमशः 20.08 लाख तथा 7.10 लाख है जो जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी से अनुमोदित है ।

137–श्री हरिशंकर तिवारी–

[दिनांक 24-2-86 को ता0 प्र0 सं0 3 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के समान सुविधा

138–श्री काजी कलीमुररहमान–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के समान अवकाश नियम समान होते हुये भी अर्जित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय कारणों से ऐसा करना सम्भव नहीं हुआ ।

139–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[7वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद देवरिया के अवकाश प्राप्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त राय को उनके बकाया देयों का भुगतान

140–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तमकुही राज विकास खण्ड के अवकाश प्राप्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त राय को सन् 1985 के वेतन का भुगतान अब

तक नहीं किया गया है और उनके जमानत की धनराशि भी उन्हें अब तक वापस नहीं की गई है ? यदि हां, तो उनके बकाया वेतन का भुगतान और जमानत धनराशि कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद देवरिया के विकास खण्ड तमकुही राज के अवकाश प्राप्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रमाकान्त राय को माह जुलाई 1975 के वेतन का भुगतान अब तक नहीं हो सका है परन्तु उनके जमानत की धनराशि दिनांक 6-11-85 को बन्धनमुक्त कर दी गई है ।

उक्त माह के वेतन भुगतान का बिल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के यहां पूर्व समीक्षा में है । महालेखाकार से पूर्व समीक्षा के उपरान्त बिल प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायगा ।

सी0एस0एन0 कालेज हरदोई में कतिपय अनियमितताओं के संबंध में जांच समिति का गठन

141–श्री दीप नारायण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के अभिलेखों, कोषों तथा अन्य सामग्रियों के समुचित रख-रखाव के लिए उनमें विगत वर्षों में हुई अनियमितताओं को दूर करने के उद्देश्य से भू0 पू0 प्राचार्य डा0 घनश्याम तिवारी की संस्तुति पर तत्कालीन जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष डा0 परमानन्द मिश्र दिसम्बर, 1984 में कालेज की सभी सामग्रियां तथा अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु श्री सुशील कुमार कोषाधिकारी हरदोई के संयोजकत्व में एक जांच समिति गठित की थी ? क्या उक्त समिति ने भौतिक सत्यापन कर अपनी आख्या प्रस्तुत की ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

जी हां ।

जी नहीं। जांच चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी0 एस0 एन0 कालेज हरदोई को सुरक्षित विन्यास निधि

142–श्री दीप नारायण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई की कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के समय परिनियम 13.06 के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई 2.5 लाख रु0 की विन्यास निधि तथा प्रति विषय 20 हजार रु0 की दर से स्नातकोत्तर स्तर की सम्बद्धता हेतु पांच विषय के लिए रुपये 1 लाख की विन्यास निधि इस प्रकार कुल 3.5 लाख रु0 की विन्यास निधि सुरक्षित है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सम्बद्धन की प्रमुख शर्त होने के कारण क्या कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा इस पर कोई आपत्ति/ कार्यवाही गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

यह कालेज 1965 में स्थापित हुआ था और आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था । उस समय के नियमों में विन्यास निधि एक लाख रुपये नियत थी और एक लाख पन्द्रह हजार रुपये की रजिस्टर्ड डीड मौजूद है । स्नातकोत्तर स्तर के पांच विषयों हेतु

कानपुर विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियमावली के अनुसार 15,000 रुपये प्रति विषय की दर से 75,000 रु0 विश्वविद्यालय में जमा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सी0 एस0 एन0 कालेज हरदोई की विशेष आडिट की अनुपालन आख्या

143–श्री दीप नारायण–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 एस0 एन0 कालेज, हरदोई के वर्ष 1976-77 में हुए विशेष आडिट की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

जी नहीं ।

कालेज के प्राचार्य द्वारा 17 फरवरी 1983 के पत्र द्वारा शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश को सूचित किया गया था कि पोस्ट मास्टर जनरल, रेंज लखनऊ से लेजर की प्रमाणित प्रति मांगी गई है जो प्राप्त नहीं हुई है। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा अनेक स्मरण पत्र कालेज को भेजे जा चुके है किन्तु अनुपालन आख्या कालेज द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है । अनुपालन आख्या प्राप्त करने हेतु निदेशालय के वरिष्ठ लेखाधिकारी को भेजा गया है ।

श्री समुद्रपाल, अवर अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सीतापुर की सहायक अभियन्ता के पद पर नियुक्ति का आधार

144–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में समुद्र प्रसाद पाल प्रभारी सहायक अभियन्ता किस आधार पर बनाए गए हैं जबकि प्रखण्ड में 4 रेगुलर सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं ? क्या शासन पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद सीतापुर में आवंटित 4 सहायक अभियन्ताओं में से जुलाई, 83 में एक सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण के फलस्वरूप अधिकारियों की कमी एवं कार्यभार की अधिकता के कारण जनवरी, 85 में उक्त पद के विरुद्ध श्री समुद्रपाल, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, सीतापुर को अपने मूल पद के साथ-साथ सहायक अभियन्ता के क्षेत्रांतर्गत कार्य देखने हेतु उन्हें प्राधिकृत किया गया था जिसके लिए कोई उच्च वेतनमान/दोहरा कार्य-भत्ता नहीं दिया जा रहा है ।

145–श्री राम नरेश–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

मैनपुरी जनपद के प्राथमिक शिक्षकों के अवशेषों का भुगतान

146–श्री राम नरेश–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के कितने विकास खंडों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों का एरियर (अवशेष धन) प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा बार-बार आग्रह किए जाने पर भी जुलाई सन् 79 से नवम्बर, सन् 82 तक का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान न किए जाने का कारण क्या है? क्या सरकार शीघ्र ही भुगतान कराने की व्यवस्था करायेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

8 विकास खण्डों में भुगतान नहीं किया गया है ।

धन उपलब्ध न होने के कारण ।

यह धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

श्रीमती सत्यवती गुप्त, अनुपस्थित सहायक अध्यापिका कन्या प्राइमरी पाठशाला एटा के वेतन का भुगतान

147–श्री राज किशोर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र गंज डुंडवारा, जनपद एटा में कन्या प्राइमरी पाठशाला एटा रोड में नियुक्त सहायक अध्यापिका श्रीमती सत्यवती गुप्त, पाठशाला में एक लम्बे अरसे से अनुपस्थित चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका वेतन भुगतान क्यों और कैसे हो रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्रीमती कमला देवी सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी की विद्यालय में कार्यभार ग्रहण संबंधी रिपोर्ट भेजने में विलम्ब

148–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

द्वितीय सत्र 1985 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 54 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्यालय में उपस्थित होने संबंधी सूचना प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्रीय निरीक्षिका से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर कार्यालय में जमा करने की जिम्मेदारी क्या संबंधित अध्यापिका की होती है ? यदि नहीं, तो कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट कितने दिनों बाद प्राप्त हुई एवं उसकी जिम्मेदारी किस अधिकारी/कर्मचारी की है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी नहीं ।

अध्यापिका द्वारा कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट सीधे विद्यालय उप निरीक्षक कार्यालय बाराबंकी भेजी गई । उसे उक्त रिपोर्ट संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक के माध्यम से भेजना चाहिए था । अध्यापिका की गलती के कारण औपचारिकताएं पूर्ण करने में विलम्ब हुआ । इसके लिए अध्यापिका स्वयं जिम्मेदार है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी में संस्कृत अध्यापकों की नियुक्ति हेतु ली गई परीक्षा में अनुसूचित जाति के परीक्षार्थी

149–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

द्वितीय सत्र 85 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन कुल 13 नियुक्तियों हेतु कोई लिखित प्रतियोगितात्मक परीक्षा (रिटेन काम्पेटेटिव इक्जामिनेशन) ली गई थी ? क्या दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था तथा इस परीक्षा में अनुसूचित जाति के कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा समिति में क्या एक अनुसूचित जाति का सदस्य भी नामित किया गया था ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

150–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जूनियर बेसिक विद्यालय सफेदाबाद, बाराबंकी के प्रधानाध्यापिका द्वारा वेतन वितरण के उपरान्त वेतनावली जमा न करना

151–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

प्रथम सत्र 1983 के 8वें सोमवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 संख्या–3 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित विद्यालय के अध्यापिकाओं का वेतन वितरण कर वेतनावली एक सप्ताह के अन्दर जमा करा दी थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी नहीं ।

अध्यापिका के हितों को ध्यान में रखते हुए ।

152–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

153–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

154–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में संस्कृत अभिलेखागार खोलने की योजना

155–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा में अत्यधिक पुरातन सामग्री अभी भी अस्त-व्यस्त प्रान्तीय सरकारी व असरकारी पुस्तकालयों में पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने इसी सन्दर्भ में इसी वर्ष 84-85 संस्कृत विद्वानों को सम्मानित करने वाली सभा में घोषणा की थी कि प्रदेश सरकार एक संस्कृत अभिलेखागार (आरकाइब) खोलेगी ? यदि हां, तो प्राचीन संस्कृत व साहित्य को बचाने के लिए कब तक यह कार्य प्रारम्भ होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

यह बात सरकारी पुस्तकालयों के बारे में नहीं कही जा सकती है । जहां तक असरकारी पुस्तकालयों का प्रश्न है, उनके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है ।

तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि यदि आवश्यक हुआ तो संस्कृत की पुरातन पाण्डुलिपियों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार एक अभिलेखागार (आरकाइब) भी खोल सकती है ।

इस प्रकरण तथा कतिपय अन्य प्रकरणों पर विचार हेतु शासनादेश दिनांक 30 अक्टूबर, 1985 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है । समिति की प्रथम बैठक दिनांक 6 दिसम्बर, 1985 को हुई थी । बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि संस्कृत की पुरानी पाण्डुलिपियों के रख-रखाव, उनकी माइक्रोफिल्मिंग आदि की व्यवस्था हेतु सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय वाराणसी के कुलपति तथा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी (जो बैठक में उपस्थित थे) योजना का एक प्रारूप समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत करेंगे ।

बलिया जनपद के जू0 हा0 स्कूल, सीयर को हाईस्कूल बनाने की योजना

156–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के तहसील रसड़ा में जू0 हा0 स्कूल सीयर को राजकीय हाईस्कूल के रूप में परिवर्तित करने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त विद्यालय कब तक हाईस्कूल के रूप में कार्य करने लगेगा?

डा0 संजय सिंह–

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

157–श्री शारदा नन्द अंचल–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

158–श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

बस्ती के जू0 हा0 स्कूलों में संस्कृत तथा उर्दू के अध्यापकों के रिक्त पद

159–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के जू0 हा0 स्कूलों में संस्कृत तथा उर्दू के अध्या-

पकों के कितने पद रिक्त हैं और इन दोनों विषयों के कितने प्रशिक्षित अध्यापक बेकार हैं?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

बस्ती जिले के जूनियर हाई स्कूल संस्कृत अध्यापक का कोई पद इस समय रिक्त नहीं है। उर्दू अध्यापक के 41 पद रिक्त हैं।

संस्कृत के 26 प्रशिक्षित अध्यापक बेकार हैं, किन्तु उर्दू का कोई प्रशिक्षित अध्यापक बेकार नहीं है।

160–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[8वें सोमवार के लिए स्थगित]

किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी, फैजाबाद में कतिपय अनियमितताओं की जांच

161–श्री भोपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र कुमार आजाद संयोजक युवा लोकदल, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद का शिक्षा मंत्री को सम्बोधित शिकायती-पत्र दि0 23-1-85 किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद में की गम्भीर अनियमितताओं एवं घपलेबाजी के संबंध में विधायक श्री बेनी प्रसाद वर्मा व श्री अवधेश प्रसाद के पत्र के साथ प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त पत्र में अंकित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराकर सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर चुकी है? यदि हां, तो कृत कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है?

डा0 संजय सिंह–

संदर्भित पत्र प्राप्त होने की सूचना नहीं है। अतः प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी भोजपुर, फैजाबाद के संचालन समिति के नवीनीकरण हेतु शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

162–श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा प्रसार समिति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद के प्रबन्धक के चुनाव में प्रजातंत्रीय व्यवस्था के प्रतिकूल मध्यक्ष द्वारा चुनाव सम्पन्न कराने के विरोध में विद्यालय के सदस्य श्री कमल किशोर आजाद का शिकायती-पत्र दिनांक 13-8-84 रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उस संदर्भ में कार्यालय से निर्गत किये गये पत्र दि0 31-8-84 के तारतम्य में पत्रोल्लिखित शिकायतों की जांच शिकायतकर्ता से साक्ष्य व बयान लेने के बाद उक्त संस्था का नवीनीकरण किया गया? यदि किया गया, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों? किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद के संचालन में समिति का नवीनीकरण न होने की दिशा में समिति का औचित्य समाप्त होने पर भी उसी समिति द्वारा अब भी कार्य करने का औचित्य है?

डा0 संजय सिंह–

जी हां।

जी नहीं, नवीनीकरण अभी नहीं हुआ है।

शिक्षा प्रसार समिति पकड़ी भोजपुर के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण की कार्यवाही रजिस्ट्रार फार्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, उ0 प्र0, लखनऊ के विचाराधीन है।

163–श्री शारदा नन्द अंचल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बांदा में स्वीकृत पदों पर कार्यरत अध्यापिकायें

164–श्री राम सजीवन–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, बांदा में स्नातक वेतनक्रम में कितने स्थायी व अस्थायी पद और किन-किन विषयों के लिए स्वीकृत हैं और स्वीकृत विषयों में कौन-कौन सी अध्यापिकायें कब से कार्यरत अध्यापिकायें उन्हीं विषयों के लिए चयनित हैं? क्या अधिक ठहराव और अनर्ह अध्यापिकाओं से अन्य विषयों को पढ़ाने का काम लिया जाता है? यदि हां, तो छात्राओं की पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए कौन से नियुक्त अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? क्या यह सही है कि अंग्रेजी विषय हेतु स्वीकृत पद पर कोई चयनित अध्यापिका कार्य नहीं कर रही है? यदि हां, तो लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 से चयनित और अंग्रेजी विषय के लिए अर्ह अध्यापिका श्रीमती शशिकला को अल्प समय से स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सभी 11 पद स्थायी हैं। इनमें से तीन पद–विज्ञान, गणित, जीवविज्ञान तथा पी0 टी0 (शारीरिक प्रशिक्षण) के लिये तथा शेष 8 पद सामान्य के हैं। स्वीकृत विषयों की शिक्षा हेतु कार्यरत अध्यापिकाओं का विवरण निम्नवत् है :–

1. गृह विज्ञान–श्रीमती प्रेम किशोरी श्रीवास्तव–जनवरी, 1960 से ।

2. अर्थशास्त्र और भूगोल–कु0 मकबूल आयशा नकहत–दिसम्बर, 1976 से ।

3. अंग्रेजी–श्रीमती मंजू रानी सिंह–जुलाई, 1981 से।

4. कला–कु0 उसूषा खातून–अप्रैल, 1985 से ।

5. संस्कृत–श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव–अगस्त, 1984 से।

6. संगीत–कु0 गिरीश निगम–दिसम्बर, 1976 से।

7. उर्दू–कु0 फहमीदा खातून–फारुखी–जुलाई, 1985 से ।

8. इतिहास–श्रीमती लीला शर्मा–जुलाई, 1985 से।

9. पी0 टी0 (शारीरिक प्रशिक्षण)–कु0 नूरी अजीम रिजवी–सितम्बर, 1985 से।

10. गणित विज्ञान–श्रीमती माधुरी श्रीवास्तव–जनवरी, 1978 से ।

11. जीव विज्ञान–

श्रीमती सरोज नाथ वर्ष 1978 से 1982 तक कार्यरत थीं । श्रीमती सरोज नाथ का बांदा से राज0 बा0 इण्टर कालेज, फूलपुर (इलाहाबाद) को स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् रिक्त पद पर श्रीमती सुशील दुबे, जिनका स्थानान्तरण मौदहा (हमीरपुर) हो गया था, को विशेष परिस्थिति में जीव विज्ञान विषय की अध्यापिका का प्रबन्ध होने तक निदेशालय की आज्ञा संख्या–नि0-2/390/23-29(1)/84-85 दिनांक 29-8-84 द्वारा रोक दिया गया है।

जीव विज्ञान के लिये लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त न होने एवं सी0 टी0 वेतनक्रम में कार्यरत अर्ह अध्यापिकाओं को एल0 टी0 वेतनक्रम में तदर्थ प्रोन्नति पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण प्रधानाचार्य, रा0 बा0 इं0 कालेज, बांदा द्वारा आन्तरिक व्यवस्था के अन्तर्गत श्रीमती कुसुम स्वामी, सी0 टी0 वेतनक्रम जो जीव विज्ञान विषय में स्नातक है, से फिलहाल जीव विज्ञान विषय के शिक्षण का कार्य लिया जा रहा है।

अध्यापिकायें या तो उस विषय के लिये चयनित हैं अथवा उस विषय की योग्यता रखती हैं। स्नातक वेतनक्रम में पदों का सृजन, कुछ प्राविधिक विषयों को छोड़कर विषय वार नहीं किया जाता।

जी नहीं। अध्यापिकाओं से वही विषय पढ़वाया जाता है जिसके लिये वे चयनित हैं अथवा उस विषय की अर्हता रखती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

अंग्रेजी विषय के लिए अलग से कोई पद स्वीकृत नहीं है। सामान्य विषय के लिए स्वीकृत पदों में यह भी शामिल है। इस विषय को पढ़ाने का कार्य श्रीमती मंजू रानी सिंह से लिया जा रहा है। श्रीमती मंजू रानी सिंह अंग्रेजी शिक्षा के अध्यापन की अर्हता रखती है तथा अंग्रेजी विषय से एम0 ए0 भी है।

विद्यालय में व्यायाम शिक्षिका का एक पद स्वीकृत है किन्तु इस पद पर श्रीमती शशिकला कार्यरत रही। अतः व्यायाम शिक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीमती शशिकला का स्थानान्तरण करके इस विषय की अध्यापिका कु0 नूरी अजीम रिजवी को पदस्थित किया गया है।

गोरखपुर मंडल के कतिपय विद्यालयों में सी0 टी0 ग्रेड, एल0 टी0 ग्रेड प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्यों के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्तियां

165-167—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर मण्डल के उच्चतर माध्यमिक व इण्टरमीडिएट कालेजों तथा राजकीय विद्यालयों में आरक्षण के आधार पर सी0 टी0 ग्रेड, एल0 टी0 ग्रेड प्रवक्ता तथा प्रधानाचार्यों के पदों पर अनुसूचित जाति की नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गोरखपुर मण्डल के उपरोक्त विद्यालयों में उपरोक्त पदों की रिक्तियां हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि गोरखपुर मण्डल के उपरोक्त विद्यालयों में उपरोक्त पदों पर आरक्षण के आधार पर सी0 टी0 ग्रेड, एल0 टी0 ग्रेड प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों के पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति तत्काल करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है। निदेशक से प्राप्त सूचना अस्पष्ट है। स्पष्ट सूचना प्राप्त की जा रही है, जिसमें कुछ समय लगेगा।

फजले रहमानिया हाई स्कूल पचपेड़वा, गोण्डा के भवन के हस्तान्तरण के संदर्भ में जांच आख्या

168–श्री विजय सिंह राणा–

द्वितीय सत्र 85 के 5वें सोम के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अता0 प्र0 सं0 98 व 99 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फजले रहमानियां हाई स्कूल, **पचपेड़वा, जनपद गोण्डा की नियमावली** के सम्बन्ध में उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट क्या है? और हाई स्कूल के भवन के हस्तान्तरण के सन्दर्भ में की गई जांच की आख्या क्या है? क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद की रिपोर्ट के अनुसार प्रबन्धक, फजले रहमानियां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपेड़वा, गोण्डा ने विद्यालय को अल्पसंख्यक घोषित करने के सम्बन्ध में जो नियमावली प्रस्तुत की है उस नाम से न तो कोई संस्था पचपेड़वा, गोण्डा में मान्यता प्राप्त है और न तो ऐसी किसी संस्था का अस्तित्व ही है।

सम्बन्धित जांच आख्या की प्रतिलिपि संलग्न † है।

प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री दीनानाथ सिंह, सजायाफ्ता सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, हरिहरपुर, बलिया का निलम्बन

169–श्री मयंकर सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री दीनानाथ सिंह, सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, हरिहरपुर, ब्लाक दुबहड़, परगना व जिला बलिया मु0 अ0 सं0 41/80 धारा 382 आई0 पी0 सी0 थाना बांसडीहरोड, बलिया के तृतीय अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट, बलिया द्वारा 6 माह के सश्रम कारावास व रु0 200 के आर्थिक दण्ड की सजा दी गयी है? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को निलम्बित अथवा सेवामुक्त न किये जाने के क्या कारण है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

जी हां।

इस विषय में परीक्षण कराया जा रहा है।

जनपद फतेहपुर के ग्राम शिवराजपुर में लगने वाले मेले का लेखा जोखा

170–श्री अचल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के ग्राम शिवराजपुर में लगने वाले मेले की आय और व्यय 1980 से 1985 तक क्या है? इसका लेखा जोखा कौन रखता है और आय की धनराशि किसके पास है तथा इसका प्रबन्ध कौन करता है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

ग्राम शिवराजपुर, जनपद फतेहपुर में लगने वाले 15 दिवसीय कार्तिक मेले की वर्ष 1980 से 1985 तक की आय

†छापी नहीं गयी।

एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार है :–

वर्ष	आय	व्यय	शेष
1980	6943·80	6514·65	(+) 429·15
1981	7114·20	6654·05	(+) 460·15
1982	9041·50	9051·00	(–) 9·50
1983	8116·40	8116·40	--
1984	7089·15	7089·15	--
1985	10193·00	10193·00	--
योग :	48498·05	47618·25	(+) 879·80

ग्राम समाज भूमि कुल 7 किता रकबा 13-18-6 पर लगने वाले मेले का लेखा जोखा भूमि प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष होने के नाते ग्राम प्रधान रखते हैं तथा मेले का प्रबन्ध भी वही करते हैं और उससे होने वाली आय की धनराशि भी ग्राम प्रधान के पास ही रहती है।

इसके अतिरिक्त इस मेले में कुछ भूमि निजी व्यक्तियों की भी प्रयुक्त होती है जिस पर लगने वाले मेले का प्रबन्ध संबंधित व्यक्ति ही करते हैं तथा उनकी भूमि पर लगने वाले मेले से होने वाली आय का प्रयोग भी वही व्यक्ति करते हैं।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में श्री बादशाह गुप्त की अवैधानिक तदर्थ नियुक्ति के अनुमोदन की जांच

171–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर ने आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में श्री बादशाह गुप्त की अवैधानिक तदर्थ नियुक्ति को स्नातक वेतनक्रम (जीव विज्ञान) में बिना पद के दिनांक 27-3-85 को अनुमोदन दिया है और नवम्बर, 1984 से 30 जून, 1985 तक का वेतन भुगतान किया है जब कि माह नवम्बर, 1984 से माह मार्च, 1985 तक वेतन बिल पर वेतन काटा जाता रहा है?

डा0 संजय सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

172–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या स्नातक वेतनक्रम (जीव विज्ञान) का इस नियुक्ति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने माह अगस्त, 1985 में पुनः अनुमोदन दिया है तथा जुलाई, 1985 से वेतन भुगतान किया है जब कि शासन ने तदर्थ नियुक्तियों पर रोक लगा रखी है? यदि हां, तो क्या शासन इस अवैधानिक नियुक्ति के अनुमोदन की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 संजय सिंह–

क्षेत्रीय अधिकारियों से जो सूचना प्राप्त हुई है, वह अस्पष्ट थी। शिक्षा निदेशक से स्पष्ट सूचना मांगी गयी है,

जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के जू0 हा0 स्कूलों के अध्यापकों को न्यूनतम वेतन का निर्धारण

173–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माडल स्कूलों हेतु राजाज्ञा संख्या 363-X-65 दिनांक 28-2-65 के अनुसार राजकीय जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों एवं जे0 टी0 सी0 का वेतनमान क्या निर्धारित किया गया था तथा राजाज्ञा सं0–ख-1/532/65-15, दिनांक 30-11-68 के द्वारा क्या सारे प्रदेश के माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापक और जे0 टी0 सी0 सहायक अध्यापकों से निम्न वेतनमान दिया गया? पिथौरागढ़ के माडल जू0 हा0 स्कूल में कार्यरत अध्यापकों को न्यूनतम वेतन देने का क्या कारण है?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मांगों पर कार्यवाही

174–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्या के सम्बन्ध में उन्होंने प्रश्नकर्ता के 14 मई, 1985 के पत्र द्वारा प्रेषित कर्मचारियों की मांगों पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अशासकीय तथा शासकीय विद्यालयों में अध्यापकों, कर्मचारियों के नवीन पदों का सृजन व पद भरे जाने हेतु कार्यवाही

175–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ से वर्ष 1984-85 में क्रमशः अशासकीय तथा शासकीय विद्यालयों में अध्यापकों, कर्मचारियों के क्रमशः कितने नवीन पद सृजन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ के माध्यम से शिक्षा निदेशक, उ0 प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित किये गये? पदों का सृजन व पद भरे जाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में इतिहास प्रवक्ता की अवैध नियुक्ति पर उच्च न्यायालय के निर्णय पर कार्यवाही

176–177–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर में इतिहास प्रवक्ता की नियुक्ति हेतु दिनांक 21-2-82 को राजकीय इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में चयन समिति की बैठक हुई थी जबकि शासन ने रेडियोग्राम दिनांक 7-4-81 द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी फिर भी इस विद्यालय में इतिहास प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की गयी तथा इस पर नियुक्त व्यक्ति को वेतन भुगतान किया गया है?

177–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या यह सही है कि इसी विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इतिहास प्रवक्ता की अवैध नियुक्ति को निरस्त किये जाने हेतु दिनांक 17-8-85 को एक प्रार्थना-पत्र शासन तथा विभाग को प्रेषित किया है जिसके साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 26-4-83 की फोटो स्टेट प्रति भी संलग्न थी? यदि हां, तो शासन ने इस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है। क्षेत्रीय अधिकारियों से जो सूचना प्राप्त हुई थी वह अस्पष्ट थी। शिक्षा निदेशक से स्पष्ट सूचना मांगी गयी है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

आर0 बी0 एम0 इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में आरक्षित पदों पर चयन समिति द्वारा नियुक्त व अवैधानिक स्थानान्तरण की जांच

178–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि आर0 वी0 एम0 इण्टर कालेज, तिलहर, जनपद शाहजहांपुर में सी0 टी0 वेतनक्रम के तीन पदों के चयन हेतु दिनांक 26-7-81 को राजकीय इण्टर कालेज, शाहजहांपुर में चयन समिति की बैठक हुई थी तथा तीन पदों में से दो पद अनुसूचित जाति तथा एक पद पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित था? क्या यह सत्य है कि पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करवा दिया गया किन्तु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को प्रबन्धक ने कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया है जिस कारण सी0टी0 वेतनक्रम के दो पद समाप्त हो गये ? क्या यह भी सत्य है कि श्री तोताराम का सी0 टी0 वेतनक्रम में मंगलसेन इण्टर कालेज, शाहजहांपुर से इस विद्यालय में वर्ष 1984 में स्थानान्तरण कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या शासन इस अवैधानिक स्थानान्तरण की जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 संजय सिंह–

प्रश्न में बाद में कुछ संशोधन किया गया था जिसके आधार पर सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव के असोहा विकास खंड में भैंसों की खरीद हेतु ऋण

179–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड में भैंसों की खरीद हेतु ऋण नहीं दिया जा रहा है? ऐसा आदेश किन नियमों के अधीन किया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जनपद उन्नाव के असोहा विकास खंड में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत भैंसों के क्रय हेतु वर्ष 1983-84 में 14 परिवारों को, वर्ष 1984-85 में 4 परिवारों को, वर्ष 1985-86 में 3 परिवारों को सहकारी बैंक असोहा द्वारा ऋण दिया गया।

अतः भैंसों की खरीद हेतु ऋण न दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम नरेश–

मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में ही प्रश्न कर रहा हूं कि शासन से किस प्रकार के उत्तर दिये जाते हैं । मैंने प्रश्न किया था कि मैनपुरी जनपद में कितने विकास खण्डों में प्राथमिक अध्यापकों का बकाया वेतन भुगतान कर दिया गया है और कितने बाकी हैं ? तो मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि आठ ब्लाकों का बाकी है । फिर मैंने पूछा था कि उनको वेतन उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण थे ? तो मंत्री जी ने उत्तर दिया कि धन की उपलब्धता न होने के कारण से ।

श्री अध्यक्ष–

आप इतना कीजिये कि इसे आप लिख करके भेज दीजिये । मैं इसका उत्तर दिलवा दूंगा ।

श्री राम नरेश–

मान्यवर, सरकार दिवालिया हो गई है, इसीलिए ऐसा कर रही है ।

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

ब्लाक धनौरा, मुरादाबाद में कालागढ़ बांध के फीडर चैनल में सीपेज के कारण फसलों की क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें 6 को स्वीकार किया गया है । श्री कौशिक रमाशंकर, श्री शिव नारायण मिश्र, श्री पारस नाथ यादव, श्री माता प्रसाद पान्डेय, श्री बदन सिंह और श्री धनराज यादव की सूचनाओं को स्वीकार किया गया है ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, राम गंगा नदी पर बनाये गए कालागढ़ से एक फीडर चैनल द्वारा गंगा में पानी सप्लाई किया जाता है । धनौरा ब्लाक में स्थित कई ग्रामों की फसल का इस फीडर चैनल से होने वाली सीपेज के कारण बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है । बुरी तरह से प्रभावित होने वाले ग्रामों में गादी खेड़ा देहरा कादर बक्श; मोहम्मदपुर लोहर्रा, मलकपुर, बेरखेडा आदि गांव हैं । धनौरा–चांदपुर रोड के नहर क्रासिंग से बेरखेड़ा गांव तक जब तक नहर (फीडर चैनल) में लाईनिंग नहीं की जाती सीपेज की समस्या का निस्तारण हो पाना प्रायः असम्भव है । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर, सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थान पर फीडर चैनल में लाइनिंग किए जाने की मांग करता हूं ।

टाउन एरिया कोइरीपुर, चांदा, सुलतानपुर के निकट पीली नदी पर पुल निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिव नारायण मिश्र–

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा क्षेत्र चांदा जनपद सुलतानपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया कोइरिपुर के समीप से पीली नदी बहती है । आजादी के बाद से आज तक इस पीली नदी पर आम जनता के आने जाने के लिए निरन्तर जनता की मांग पर पुल का निर्माण नहीं कराया गया । टाउन एरिया के लोग आम जनता की परेशानी को देख करके चन्दा एकत्रित कर पीली नदी पर खम्भों का निर्माण कराए हैं इस पर छत डालने के लिए शासन ने एक लाख 85 हजार रुपया अधिशासी अभियन्ता प्रतापगढ़ को सन् 1984 में दिया था । टेन्डर आदि हो जाने के

पश्चात् भी पुल पर स्लेप आज तक नहीं डाली गई । मान्यवर, यदि इस पुल का निर्माण हो जाता है तो आम जनता को राहत के साथ-साथ यह रेलवे स्टेशन हो-कर प्रतापगढ़ की सीमा को जोड़ेगा जिससे व्यापारिक दृष्टिकोण से टाउन एरिया का महत्व बढ़ जायेगा । वर्षा के समय में टाउन एरिया के बच्चे पानी भराव के कारण 4 महीने विद्यालय नहीं जा पाते हैं । मान्यवर, के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जनहित में इस पुल का निर्माण यथाशीघ्र कराने की कृपा करें ।

(श्री पारस नाथ यादव का नाम पुकारे जाने पर तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, रुचि है ।

राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड इटवा, बस्ती को आवंटित धनराशि के दुरुपयोग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपकी अनुमति से सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं बस्ती जनपद के अन्तर्गत विकास खण्ड इटवा में वित्तीय वर्ष 84–85 व 85-86 में राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत लग-भग 5 लाख रुपया आवंटित किया गया था । इस पर जिसमें क्षेत्रीय समिति द्वारा मुल्ला से पिपरी बुजुर्ग, डबरा से बेलहसा, फड़सरी से मधुबेनिया व कई अन्य सम्पर्क मार्ग व ओटखास के पास दो पुलियों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित था, परन्तु उक्त सम्पर्क मार्ग पर कोई काम नहीं कराया गया और पुलिया बनी व टूट गई। फिर भी संपूर्ण धनराशि खर्च दिखा दिया गया है इस पर वहां के प्रधानों ने जिला विकास अधिकारी के यहां प्रदर्शन किया व क्षेत्र समिति ने उक्त सम्पर्क मार्गों की जांच हेतु आवेदन किया फिर भी आज तक जांच नहीं हुई । अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर तत्काल जांच कराए ।

लखनऊ नगर के राजा बाजार क्षेत्र में नालियों के टूटने एवं सफाई व्यवस्था ठीक न होने से बीमारियां फैलने की आशंका के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री बदन सिंह–

महोदय, लखनऊ नगर के क्षेत्र राजा बाजार एवं सुभाष मार्ग के बीच चार विद्या-लय हनुमान प्रसाद गर्ल्स इण्टर कालेज, लक्ष्मी नारायण भगवती विद्या मंदिर, राजा हरिश्चन्द्र बाल शिक्षा निकेतन तथा सिटी मान्टेसरी स्कूल चल रहे हैं । विद्यालयों की ओर जाने वाले रास्तों में सीवर चोक है, नालियां टूट कर नाले का रूप ले चुकी है । नालियों में घुटनों तक कीचड़ जमा है । जिसमें अक्सर बच्चे गिरकर चोट खाते रहते हैं । सफाई भी नियमित रूप से नहीं होती है और न कूड़ा उठाया जाता है । नगर महापालिका के अधिकारियों से सम्पर्क किए जाने पर भी कोई सुधार नहीं हो पा रहा है । गर्मी का मौसम आ गया है । अगर समय रहते सफाई आदि की व्यवस्था न कराई गई तो गंदगी के कारण भयानक बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो सकता है । अतः इस सार्वजनिक जीवन से संबंधित तथ्य सदन के संज्ञान में लाते हुए मांग करता हूं कि शासन इसको तुरन्त व्यव-स्था कराए ।

उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के तहत चल रही रंगाई छपाई मिल खली-लाबाद, बस्ती में नियमित विद्युत आपूर्ति न होने से मजदूरों में भुखमरी के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री धनराज यादव–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम के खलीलाबाद में स्थित रंगाई-छपाई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिल में दिनांक 10-3-86 से बिजली कट जाने से कार्य पूर्णतया ठप हो गया है। जिससे मिल में लगभग 200 कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी एवं मजदूर मजबूरन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मिल के बन्द होने से प्रतिदिन पचासों हजार रुपये की क्षति हो रही है। इस मिल से उत्पादित माल अमेरिका आदि विकसित देशों में निर्यात किया जाता है बिजली विभाग द्वारा पैदा की गई इस दुर्व्यवस्था से इस मिल के साथ-साथ खलीलाबाद औद्योगिक क्षेत्र के अन्य कारखानों के व्यवस्थापक एवं कर्मचारी भयभीत एवं आतंकित हैं।

यह उत्पादन वर्ष है और इसमें प्रतिदिन श्रम एवं उत्पादन शक्ति का ह्रास होना अति चिन्तनीय है। अतएव सुनिश्चित और अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से अनुरोध करता हूं कि मिल को सुव्यवस्थित चलवाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं एक माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी की है जो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में है, दूसरी माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की हरिजन छात्रों को दी जाने वाली स्कालरशिप के बारे में है, तीसरी सूचना श्री शारदा प्रताप की थानाध्यक्ष काकोरी जिला लखनऊ के दुर्व्यवहार के बारे में है, चौथी सूचना श्री हृदय नारायन दीक्षित की नियम 56 की सूचनाओं के बारे में है, पांचवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी जी और रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की निदेशक नगर सीमारोपण लखनऊ की 48 घंटे तक धरना देने के संबंध में है और छठी सूचना मनोहर लाल जी की कानपुर के सूती मिल कर्मचारियों के बारे में है।

इसमें कोई सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है लिहाजा मैंने सभी 6 सूचनाओं को अस्वीकार किया।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) विधेयक, 1986 जो विधान सभा द्वारा 13 मार्च, 1986 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 14 मार्च, 1986 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधक) विधेयक, 1986

सचिव, विधान सभा–

मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1986 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 25 फरवरी, 1986 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 6 मार्च, 1986 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 13 मार्च, 1986 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1986 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति (1985-86) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति (1985-86) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–7 श्री दीप चन्द्र सोनकर..

(श्री दीप चन्द्र सोनकर अनुपस्थित थे)

जनपद एटा के पटियाली थानान्तर्गत मूढ़ा गांव में डकैतों द्वारा हरिजन परिवार की सामूहिक हत्या करने के सम्बन्ध में तथा पुलिस चौकी इन्चार्ज परेड , कानपुर द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 10(1) व (2)...माननीय मुख्य मंत्री

(संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा मद संख्या 10(2) पढ़ना शुरू करने पर)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मंत्री जी कौन सा वक्तव्य पढ़ रहे हैं ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मद संख्या 10(2) पढ़ रहा हूं....

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, कैसे हमें न्याय मिलेगा ? आपने 10(1) के लिए कहा और मंत्री जी (2) पढ़ रहे हैं । इस तरह से कैसे चलेगा....

श्री अध्यक्ष–

आपका इशारा ही काफी है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं 10(1) ही पढ़ता हूं। मुझे खेद है मैं (2) समझा और इसलिए उसे पढ़ना शुरू कर दिया ।

(श्री हुकुम सिंह द्वारा मद संख्या 10(1) पढ़ने पर)

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(श्री हुकुम सिंह द्वारा मद संख्या 10 (2) का वक्तव्य पढ़ना शुरू करने पर)

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे भी पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री हुकुम सिंह–

[प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री लाला राम पुत्र श्री प्यारेलाल, निवासी ग्राम मूढ़ा, थाना पटियाली, जनपद एटा, जो सहावर ब्लाक में प्राइमरी पाठशाला में अध्यापक है, ने दिनांक 4-3-86 को थाना पटियाली पर लिखित सूचना दी कि वादी के पांच भाइयों में से दो भाई–गयादीन व जमादार, ग्राम मूढ़ा में घर पर रहते थे। वादी व उसके दो अन्य भाई गांव से बाहर रहते हैं । दिनांक 4-3-86 को वादी के गांव के निवासी श्री चिरौंजी लाल ने उसे सहावर ब्लाक स्थित स्कूल में सूचना दी कि पिछली रात उसके भाई गयादीन, गयादीन की पत्नी तथा लड़की की किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार कर हत्या

†छापा नहीं गया।

नोट–[*] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर दी है । घर आने पर वादी ने अपने छोटे भाई गयादीन, उसकी पत्नी ज्ञान देवी तथा पुत्री गंगाश्री को मरा हुआ पाया तथा गयादीन की लाइसेंसी बन्दूक घर में पास ही पड़ी हुई मिली । गांव वालों ने पूछने पर बताया कि वादी का दूसरा भाई जमादार, जो गांव में रहता था, घर पर नहीं है । इस सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 33/86, धारा 302 भा0 द0 वि0, नाम-पता अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध कायम हुआ । घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे । बाद को जिला मजिस्ट्रेट, एटा ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया ।

अभियोग की विवेचना के मध्य यह विदित हुआ कि मृतक गयादीन व उसका छोटा भाई जमादार, दोनों ही शराबी व ऐय्याश प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा मृतक गयादीन के पास 12 बोर इकनाली बन्दूक का लाइसेन्स भी था । मृतक के छोटे भाई जमादार ने गयादीन की पत्नी के साथ घटना के कुछ माह पूर्व छेड़छाड़ की थी । मृतक गयादीन अपनी पत्नी के साथ की गई छेड़-छाड़ का बदला अपने छोटे भाई की पत्नी से लेना चाहता था । इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच काफी तनाव था । दिनांक 3/4-3-86 की रात्रि मृतक के छोटे भाई जमादार ने अपने सहयोगी केदार व एक अन्य व्यक्ति के सहयोग से अपने भाई गयादीन की सोते समय गोली मार कर हत्या कर दी । फायर की आवाज पर गयादीन की पत्नी श्रीमती ज्ञानदेवी व उसकी एकमात्र संतान कुमारी गंगाश्री जब गया दीन को बचाने के लिए दौड़ी, तो उन्होंने इन दोनों की भी गोली मार कर हत्या कर दी । इसके पश्चात् सभी अभियुक्त वहां से चले गए । अभियुक्त जमादार की पत्नी श्रीमती शारदा देवी का भी इस हत्या की घटना के षडयंत्र में शरीक होना विदित हुआ । अतः दिनांक 5-3-86 को धारा 302/120बी, भा0द0वि0 के अन्तर्गत श्रीमती शारदा देवी को बन्दी बना कर जेल भेजा गया । अभियुक्त जमादार ने दिनांक 7-3-86 को न्यायालय में आत्म-समर्पण किया, जिसे बाद में जेल भेजा गया । अभियुक्त केदार की गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा न्यायालय से अभियुक्त केदार की कुर्की वारन्ट जारी किए जाने का भी अनुरोध किया गया है । घटना से संबंधित चौथे अज्ञात अभियुक्त का भी नाम-पता ज्ञात करने के प्रयास जारी हैं ।

जांच से यह सही नहीं पाया गया कि उक्त घटना में चार व्यक्ति मारे गए । इस घटना में गयादीन की बहन की मृत्यु नहीं हुई । इस घटना में केवल उक्त तीन व्यक्ति ही मारे गए । इस घटना में जेवर, बर्तन, कपड़े तथा अन्य किसी सम्पत्ति की लूटपाट नहीं हुई । यह घटना पारिवारिक विवाद को लेकर मृतक के सगे भाई जमादार द्वारा किया जाना विदित हुआ और इस घटना का कोई भी संबंध डकैती की घटना से प्रतीत नहीं हुआ ।

इसके अतिरिक्त थाना पटियाली क्षेत्र में उपरोक्त घटना के अलावा वर्ष 1986 में कोई हत्या अथवा डकैती की घटना घटित नहीं हुई। यह भी सही नहीं पाया गया कि यह गांव डकैती की गतिविधियों का केन्द्र है और पुलिस ने इसमें पहले कोई कार्य-वाही नहीं की । ग्राम प्रधान द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा अथवा अन्य किसी पुलिस अधिकारी को आस-पास के क्षेत्र में गुण्डों के आतंक आदि से संबंधित किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी थी । इस घटना से आस-पास के हरिजन वर्ग के

व्यक्तियों में कोई असंतोष एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त नहीं है और न ही कोई भी व्यक्ति गांव छोड़ कर गया है ।]

श्री हुकुम सिंह--

[प्राप्त सूचनानुसार कानपुर में दिनांक 26 फरवरी, 1986 को लगभग 2 बजे दिन को विभिन्न विरोधी पार्टी के अनेक व्यक्ति फूलबाग चौराहे पर स्वयं की गिरफ्तारी देने हेतु एकत्रित हुए थे । भीड़ में से भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती प्रेमलता कटियार तथा राजू नामक एक अन्य युवक पुलिस विभाग की मोटर कार पर भाषण देने के लिए चढ़ गये । ड्यूटी पर उपस्थित उप निरीक्षक श्री विन्ध्याचल सिंह ने उनसे कार से उतरने के लिए आग्रह किया । इसी बीच राजू नामक युवक कार से फिसलकर नीचे गिर गया और उसे मामूली खरोंच माथे पर आई । उक्त युवक को कार से फिसल कर गिरते हुए देखकर कई व्यक्तियों ने पथराव शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप क्षेत्राधिकारी प्रथम 'नगर' घायल हो गये । उग्र भीड़ ने उक्त उप निरीक्षक को भी मारने का प्रयास किया । इस पर यातायात को जाम कर दिया । इस ने बिगड़ती हुई स्थिति को संभालने का भरसक प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप किसी प्रकार की अन्य अप्रिय दुर्घटना नहीं होने पायी । उक्त मौके पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज नहीं किया गया । राजू को अस्पताल से प्राथमिक चिकित्सा के बाद मुक्त कर दिया गया । दिनांक 26 फरवरी, 1986 को पथराव की घटना के सम्बन्ध में उक्त उप निरीक्षक ने थाना फीलखाना में धारा 147/353/337 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया जो विवेचनाधीन है । इसके प्रत्युत्तर में लोकदल के कार्यकर्ता ने भी उक्त उपनिरीक्षक के विरुद्ध धारा 307/308 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया और दिनांक 26 फरवरी, 1986 को उक्त उपनिरीक्षक श्री विन्ध्याचल सिंह को निलम्बित कर दिया गया । किन्तु मामले की प्रारम्भिक जांच के पश्चात् पंजीकृत अभियोग को धारा 323 भा0द0 वि0 में परिवर्तित किया गया तथा उपनिरीक्षक को दिनांक 28 फरवरी, 1986 को बहाल कर दिया गया । जांच में उपनिरीक्षक द्वारा अपने कुत्ते को जनता पर दौड़ाने व उससे उन्हें कटवाने का आरोप भी निराधार पाया गया ।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 4 मार्च, 1986 को लगभग 7 बजे शाम को डी0 ए0 वी0 महाविद्यालय के लगभग 25 छात्र नवीन मार्केट में आये और वहां पर दुकानदारों से चन्दे की मांग की । सर्वश्री गिरधारी लाल बूदर्स की दुकान के मालिक के जोर से चिल्लाने पर उक्त उप निरीक्षक श्री सिंह मौके पर छात्रों को हटाने के लिए पहुंचे । छात्रों ने उत्तेजित होकर परेड क्रासिंग के यातायात को जाम कर दिया । इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी प्रथम 'नगर' व सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और एकत्रित छात्रों से रास्ता जाम हटाने का आग्रह किया, किन्तु छात्र नहीं माने । तब छात्रों को भगाया गया जिसके फलस्वरूप छात्रों ने जोश में आकर पथराव शुरू कर दिया जिससे अनेक दुकानों के साइनबोर्ड आदि क्षतिग्रस्त हो गये । इस घटना के सम्बन्ध में नवीन मार्केट के

नोट:-[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

6 दुकानदारों ने पांच छात्रों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया । इस सम्बन्ध में उप निरीक्षक श्री विन्ध्याचल सिंह ने एक मुकदमा धारा 147/427 भा0 द0 वि0 के अंतर्गत छात्र नेताओं के विरुद्ध थाना कोतवाली में दिनांक 4 मार्च, 1986 को पंजीकृत, कराया, जो विवेचनाधीन है ।

छात्रों पर उपनिरीक्षक श्री सिंह द्वारा कुत्ते दौड़ने व लाठी चार्ज करने के आरोप निराधार पाये गये । ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि कोई भी छात्र उक्त घटना में घायल हुआ और न ही इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा कायम हुआ है । जनपद कानपुर के छात्रों और नागरिकों में उक्त घटना को लेकर कोई रोष परिलक्षित नहीं हुआ है ।]

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह जो वक्तव्य माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने पढ़ा उससे ज्यादा झूठा और गुमराह करने वाला और कोई वक्तव्य नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूं । सवाल तो बाद में पूछूंगा लेकिन जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है, यह बहुत अफसोस की बात है । कानपुर के अन्दर जितना आतंक उस दरोगा ने फैला रखा है लेकिन मान्यवर, इस वक्तव्य को आप देखें, इससे साफ जाहिर होगा कि जैसे वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है । मैं सवाल पूछना चाहता हूं.....

गृह राज्य मंत्री के अनुपस्थित होने पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा खेद प्रकाश तथा वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण बाद में लिये जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री, स्पष्टीकरण आप कहें तो बाद में ले लिये जायं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जैसा आपका आदेश हो, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सहूलियत के ऊपर है ।

श्री हुकुम सिंह–

ठीक है मान्यवर, जैसा आपका आदेश हो, बाद में ले लेंगे ।

श्री राम सरन–

मान्यवर, जब मंत्री लोग अपने समय में यहां पर नहीं आते हैं तो आप आदेश दें कि ऐसे मंत्री को मार्शल द्वारा घसीट कर लायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं । यह स्थिति नहीं आनी चाहिए । मैं क्षमा याचना करता हूं । आगे से ऐसी स्थिति नहीं आयेगी ।

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए ।

कार्य-स्थागन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अंतर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इनमें पहली, दूसरी और तीसरी सूचनायें श्री राम सरन, श्री बदन सिंह तथा श्री सरदार सिंह की, श्री देव कुमार यादव की तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव तथा श्री यदुनाथ सिंह की पश्चिमी जिलों में हाई कोर्ट की बेंच स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है । चौथी सूचना श्री अवधेश प्रसाद तथा श्री

माता प्रसाद पाण्डे की उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज में आलू के रख-रखाव की दर तय न होने के सम्बन्ध में है ।

पांचवी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की प्रदेश में निजी मांटेसरी स्कूलों के अध्यापकों का शोषण की है ।

छठी सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री विजय सिंह राणा की आगरा महानगर में विकलांगों को सुविधा न दिये जाने के सम्बन्ध में है ।

सातवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की प्रदेश में फर्जी सहकारी समितियों के बारे में है ।

आठवीं सूचना श्री अकबर हुसैन बावर की रत्ना शुगर मिल जौनपुर पर किसानों का बकाया के संबंध में है ।

नवीं सूचना श्री कल्यान सिंह, श्री सूर्य प्रताप शाही, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री किशन लाल एवं किशन लाल दिलेर की प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं पर आने-जाने पर रोक के संबंध में है ।

दसवीं सूचना श्री शारदा प्रताप की लखनऊ में श्रीमती सुशीला को दहेज के कारण मार डालने के संबंध में है ।

ग्यारहवीं सूचना श्री अर्जुन सिंह यादव तथा श्री चन्द्र सेन सिंह की सरकार के प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार के संबंध में है ।

बारहवीं सूचना श्री किरन पाल सिंह की मेरठ में 27 होम गार्ड के जवानों का गायब होने के संबंध में है ।

तेरहवीं सूचना श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा की यू0 पी0 स्टेट स्पिनिंग मिल, बांदा के मजदूरों पर लाठी चार्ज के संबंध में है ।

चौदहवीं सूचना प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों में असंतोष के कारण काम-काज ठप्प होने के संबंध में है ।

*श्री राम सरन–

मान्यवर, कल पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र हमारा बंद रहा, पूरे तरीके से बंद रहा । कुछ स्थानों पर तो चाय और पान तक जैसी कोई चीज नहीं उपलब्ध हो सकी । वह बंद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्ड पीठ को लेकर हुआ, कहीं पर मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में तो कुछ घंटों तक रेलों का चलना भी बंद रहा । इस तरह से वहां रोज जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि खण्ड पीठ की स्थापना का मामला बहुत जोर पकड़ता जा रहा है और किसी वक्त भी विष्फोटक स्थिति हो सकती है । यहां कल ऐसा वातावरण था कि बसें भी नहीं चली, दुकानें नहीं खुली, कोई भी यातायात के साधन उपलब्ध नहीं थे मेरे सामने भी यह समस्या आई मुझे अस्पताल के कुछ मरीजों को देखने जाना था । समस्या इतनी ही नहीं है बल्कि सरकार का इसमें आर्थिक लाभ भी है, सरकार ने तसलीम किया है कि 50 लाख रु0 रोज खजाने में नुकसान हो रहा है ।

वहां की जेलें ओवरलोड हो गयी हैं, रहने के लिए जगह नहीं रह गयी है, कैदी सड़ रहे हैं, मुकदमें सब पेंडिंग हो गये हैं, अदालतों के फाटकों पर वकीलों ने ताले डाल दिये हैं, जनता और वकील परेशान हैं, इस तरह से सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र से आगरा तक में भयानक स्थिति

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हो गयी है । मैं सरकार से चाहूंगा आपके माध्यम से कि आज इस सारी घटना को लेकर चर्चा करायें, पूरे दिन यह चर्चा चले। इस खण्ड पीठ के सम्बन्ध में सरकार स्पष्ट घोषणा करें, अगर वह नहीं खोलना चाहती हैं तो वह भी स्पष्ट कर दें । वहां आज टेंशन का वातावरण है । मैं चाहूंगा कि इस पर पूरे दिन चर्चा कराने की व्यवस्था करें ।

श्री अध्यक्ष –

(श्री बदन सिंह के खड़े होने पर) एक दल से एक व्यक्ति बोलेगा । (व्यवधान) आपके नेता विरोधी दल खड़े हैं । आप बैठें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह जो बंद हुआ है उसमें पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कल 16 ता0 को बंद रहा । उन सारी चीजों को माननीय राम सरन जी ने कह दिया है । सवाल यह है कि इसमें थोड़ी सरकार की भी साजिश है, मैं इसे सरकार की नालायकी भी मानता हूं, हाई कोर्ट की खण्ड पीठ खोलना या न खोलना अलग बात है । लेकिन पूर्व और पश्चिम की बात कर दिया । अब सवाल इस बात का है कि आपको खोलना है कि नहीं साफ-साफ बता दें ।

मान्यवर, दूसरी बात पश्चिम में आपस में लड़ाने की कोशिश की गयी है कि कहां पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो चूंकि इसका जनता में वहां कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन साजिश सरकार की है कि पश्चिम के लोग आपस में लड़े इसलिये कहा है कि कोई कहता है कि बेंच मेरठ में बने, कोई कहता है कि आगरा में बने और कोई कहता है कि अलीगढ़ में बने । यह संसद सदस्यों की जो आपने कमेटी बनाई है, उसको मैं एक साजिश मानता हूं क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिये आप साफ बतायें कि हाई कोर्ट की बेंच खोलना है या नहीं। इसलिए मान्यवर, धीरे-धीरे पूरे सूबे में नफरत पैदा होती जायेगी, इसलिए सबसे पहले घोषणा करें कि बेंच खोलना है कि नहीं, यदि नही बनाना है तो इस सवाल को लेकर पूरे दिन की चर्चा आप करवा दें।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को लेकर 3 मार्च, 1986 को अल्पसूचित प्रश्न किया गया, 11 मार्च को कार्य स्थगन का प्रस्ताव आया और तीसरी बार यह प्रश्न आपके सम्मुख उठाया जा रहा है। मान्यवर, सम्मानित नेता विरोधी दल ने कहा "नालायकी" है, "साजिश" है, मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि हाई कोर्ट बेंच का मामला कहां से तय होना है, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में यह मामला होता तो केन्द्र सरकार को हमको इसको न संदर्भित करना पड़ता। इसलिये इस मामले को हमने केन्द्र सरकार को संदर्भित किया और उन्होंने इसकी गंभीरता को देखते हुए आयोग बिठाया, उसकी रिपोर्ट आयी और जिस पर विचार चल रहा है। और इससे रचनात्मक बात क्या हो सकती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसद बैठ कर इस संबंध में तय कर लें, तो क्या यह लड़ाई कराने की बात है। यह तो मैं बताना चाहता हूं कि तय करने की बात है। और मैं तो चाहता हूं कि आप सुझाव दें कि कहां बेंच खोली जाये ताकि उसके लिये हम केन्द्र सरकार को सूचित कर सकें और कह सकें कि नेता विरोधी दल की यह राय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आयी है। आपकी राय का सम्मान करते हुए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सांसदों की राय का सम्मान करते हुए हम केन्द्र सरकार को बता सकें।

मान्यवर, जहां तक बंद की बात कही गयी है कि बंद हुआ, तो यह कार्यक्रम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों द्वारा कई वर्ष से चलाया जा रहा है। यह सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों की मांग बहुत वर्षों से उठती आ रही है लेकिन श्री राम सरन को जानकारी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकीलों ने प्रदर्शन दिल्ली में किया और इसलिये सरकार ने जनता की मांग को देखते हुए आयोग का गठन किया और उसकी रिपोर्ट आ गयी है जो विचाराधीन है। केन्द्र सरकार इस पर विचार करके फैसला देने वाली है। इसलिये मैं श्रीमन्, आपसे अनुरोध करता हूं कि इस पर चर्चा कराने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(श्री कल्यान सिंह के खड़े होने पर)

श्री अजीत सिंह सेठी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 56 के अन्तर्गत एक प्रश्न आया जिस पर ग्राह्यता के संबंध में श्री राम सरन जी बोले, नेता विरोधी दल बोले जिसका उत्तर भी मिल गया। इसलिए आप इस पर पहले निर्णय कर दें कि इसको समाप्त किया जाए।

श्री कल्यान सिंह–

मान्यवर, उच्च न्यायालय की एक बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाए, यह मांग बहुत दिनों से चली आ रही है और यह मामला मात्र वकीलों का मामला नहीं है, जनता की सुख-सुविधाओं का भी मामला है। जसवन्त सिंह आयोग ने अपना निर्णय दे दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित की जाए। अभी सरकार की ओर से कहा गया कि हमने स्थान तय करने का मामला संसद सदस्यों पर छोड़ दिया है और नेता सदन कहते हैं कि हमने इसे नेता विरोधी दल पर छोड़ दिया है। इस मामले को सांसदों और माननीय विधायकों पर छोड़ना मामले को लटकाना है। इस विषय पर भौगोलिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से निर्णय लेने में सरकार को कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। यह सांसदों पर या हम लोगों पर छोड़ना मामले को साफ तौर से लटकाना है। हम यह आप पर छोड़ते हैं, जो सेन्ट्रल प्लेस हो, टेकनिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से उचित स्थान हो, वहां पर आप बेंच खोल दें।

*श्री देव कुमार यादव–

यह बात सही है कि यह प्रकरण सदन में कई बार आया है, लेकिन जो नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, 12, 13 व 14 तारीखों को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बन्द रहा और माननीय न्यायधीशों तक को हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों के साथ-साथ जनता ने भी बन्द रखा है। यह स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से और गम्भीर रूप से फैल रही है। इसलिए इसको ज्यादा दिन तक टालना न्याय व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना है और इससे लाखों रुपये के बिक्रीकर के राजस्व की सरकार को क्षति होगी। आज वहां वादकारी जनता में बहुत असन्तोष व्याप्त है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस मामले पर चर्चा अवश्य करायें और सर-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार अपने दायित्व का निर्वाह करे और स्पष्ट बताए कि वह खोलना चाहती है या नहीं । पूर्वांचल इलाहाबाद के वकील इसका विरोध कर रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वकील और जनता इसका समर्थन कर रही है । इसलिए आप इस पर चर्चा करा दें ।

(अगली सूचना लेने पर)

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल –

मान्यवर, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए मुझे भी आप सुन लें ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

पूरे प्रदेश में आलू की फसल सरकार की गलत नीतियों के कारण झुलसा रोग से बच नहीं सकी है और सारी फसल बुरी तरह से झुलसा रोग से चौपट हो गई है । इस रोग से बचाव के लिए सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जो दवा जीरम पाउडर खरीदा गया था, वह बहुत ही घटिया और अप्रभावकारी था । उसके चलते आलू का उत्पादन बहुत कम हो गया और घटिया जीरम को लेने का कारण यह रहा कि उसकी खरीद में अधिकारियों ने करोड़ों रुपये का कमीशन लिया। आज सूबे के सारे किसान तबाह हैं, बर्बाद हो गये हैं । वह अपने आलू को खोद रहे हैं और रो रहे हैं ।

दूसरी तरफ आलू के भण्डारण का समय आ गया है । एक मार्च से 30 मार्च तक भण्डारण होता है, लेकिन सरकार ने अभी तक भण्डारण, का कोई रेट नहीं निश्चित किया है । इसलिए आज किसान कोल्ड स्टोरेज मालिकों के हाथों शोषण का शिकार हो रहा है । मिल मालिक किसान से, भण्डारण के लिए मनमाने दाम वसूल रहा है और सरकार के पास कोई शीतगृह नहीं है । इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जीरम पाउडर की खरीददारी में जो इतना बड़ा घपला हुआ है, उसकी जांच केन्द्र से कराई जाये और जो भण्डारण का रेट नहीं निश्चित किया गया है, वह रेट निश्चित कराया जाए । यह एक अहम मसला है, इसमें पूरे प्रदेश के किसानों के भाग्य का सवाल है । इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर आज मैं इस मामले पर चर्चा की मांग करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, इस प्रदेश में करीब 20 हजार गांट्सेरी टाइप निजी स्कूल जो चल रहे हैं उनमें जो लोग नौकरी करते हैं उनकी संख्या करीब 2 लाख है । इसमें रिक्शा पुलर्स से लेकर हेड मास्टर तक काम करते हैं । इनका बुरी तरह से शोषण होता है । इसकी जानकारी माननीय सदन को होगी, वहां पर कार्य करने वाले अध्यापक और अध्यापिकाओं को 60,70,100 रुपये तक वेतन मिलता है । सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया था और सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत इन स्कूलों को लिया था । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका पालन कहीं नहीं हो रहा है । इस अधिनियम के अन्तर्गत साढ़े 3 सौ रुपये से लेकर साढ़े 6 सौ रुपये पगार देने की व्यवस्था है । लेकिन प्रबंधकों और श्रम विभाग की साजिश का परिणाम है कि इतनी कम तनख्वाह देने पर भी किसी प्रबंधक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । गंभीर बात यह है कि सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम घोषित तो कर दिया लेकिन अधिसूचना में बड़ी विसंगतियां हैं । उन्होंने कहा है कि अगर कोई स्कूल में 6 घंटे काम करता है तो उसको अंशकालिक समझा जायेगा । तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक काम करने वाले अंशकालिक समझे जायेंगे और वह इस अधिसूचना की परिधि से निकाल दिये गये हैं तो इस तरह से सरकार, श्रम विभाग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और प्रबंधकों की साजिश से बड़े पैमाने पर इन कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इसका नतीजा यह है कि कार्यरत कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। वेतन ही कम नहीं दिया जाता है बल्कि वहां पर पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे फीस ज्यादा ली जाती है । शिक्षा विभाग और श्रम विभाग की साजिश इसमें है । शिक्षा विभाग का कहना है कि 15 रुपये फीस ली जायेगी लेकिन 40 से 50 रुपये तक फीस ली जा रही है और अध्यापकों को 60 रुपये से 80 रुपये तक वेतन दिया जा रहा है । तो मैं आपसे मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री हुकुम सिंह –

मान्यवर, इसके पहले भी माननीय गुप्त जी इस सूचना को कार्य स्थगन के रूप में उठा चुके हैं और यह अस्वीकार कर दी गयी थी । मान्यवर, 21 तारीख को शिक्षा विभाग का बजट है गुप्ता जी चाहें तो उस दिन रख सकते हैं। अभी श्रम विभाग का बजट आया था लेकिन एक शब्द भी गुप्ता जी ने नहीं कहा । जहां तक फीस का प्रश्न है, यह स्वायत्तशासी संस्थायें हैं । क्या फीस रखें, किस प्रकार नियंत्रण रखें इसके बारे में आप सुझाव दें उस पर विचार कर लिया जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने सुझाव दिया है । न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू है । सरकार इनका चालान क्यों नहीं कर रही है । सुझाव देने की क्या जरूरत है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह स्कूल माननीय गुप्ता जी की विचारधारा के लोगों के हैं । स्कूल आपके ही हैं । आप बता दें कि कितना वेतन दिया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पूरा वेतन दिया जा रहा है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 1982 को विकलांग वर्ष के रूप में मनाया था। इसमें हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत राजेन्द्र सिंह चौहान नाम के विकलांग को एक टेलीफोन केन्द्र और एक अन्य स्टाल रखने की आज्ञा दी थी । आगरा में रावत-पाड़ा तिराहे के पास टेलीफोन केन्द्र तथा अन्य एक स्टाल स्थापित करने के लिये नगर पुलिस अधीक्षक आगरा तथा नगर महापालिका के प्रशासक से अनापत्ति प्राप्त करके ही यह स्टाल और टेलीफोन केन्द्र उस विकलांग को स्थापित करने की आज्ञा पर उसने वहां पर स्थापित किया था । लेकिन इस भूखंड के स्वामियों ने आगरा नगर की पुलिस से मिलकर इस विकलांग के टेलीफोन केन्द्र और स्टाल को हटवा देने तथा तोड़ने की साजिश की तो वह अदालत में गया था और मुंसिफ साहब ने 6-1-1986 को एक स्थायी आज्ञा प्रदान की थी कि इसको न हटाया जाय । पुलिस व नगरमहापालिका के प्रशासक तथा भूखण्ड के स्वामियों को वर्जित कर दिया कि स्टाल वगैरह को न हटाया जाय लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आगरा नगर के पुलिस प्रशासन के समक्ष यहां का प्रशासन तथा उ0 प्र0 सरकार दोनों विकलांग बन गये हैं । नगर पालिका और कार्य-

पालिका भी दोनों विकलांग हो गये हैं। ऐसी परिस्थितियों में जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कई बार घोषणायें की हैं कि ऐसे मामलों में जहां भी कमी पायी जायेगी, सख्त कदम उठाये जायेंगे। इसलिये मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें ताकि उत्तर प्रदेश में विकलांगों के प्रति जो दयनीय स्थित विश्व विकलांग दिवस पर पुलिस द्वारा व अन्य लोगों द्वारा पैदा हो गयी है वह बंद हो सके।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने तो सारी जुडीशियरी के ऊपर आरोप लगा दिया कि नगर पालिकाएं और कार्य-पालिकाएं विकलांग हो चुकी हैं। जबकि न्याय पालिकाओं से संबंधित बातें इस सदन में इन्हें नहीं उठानी चाहिये इसे कारवाई से निकलवा दीजिये। हालांकि जो सुझाव माननीय वर्मा जी ने दिये हैं वह स्वयं विकलांग हैं। अगर किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के किसी भी नियम या सदन की अवहेलना हुई है मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपके साफ रास्ता है कि आप अपनी अवमानना के लिये कंटेम्प्ट के लिये भी जा सकते हैं और जहां तक पुलिस ने कोई ज्यादती की है तो उसको हम दिखवा लेंगे और इसमें अवहेलना या अवमानना का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नहीं है।

***श्री अशोक बाजपेयी–**

मान्यवर, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास और सहकारी समितियां यह दोनों संस्थान ऐसे हैं जो मात्र आज कागजों पर ही जीवित हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास और सहकारी समितियां जनता की सुविधा के लिये गठित की गयी थीं परन्तु इन दोनों विभागों की उदासीनता के कारण प्रदेश में उत्पादन का काम नहीं हो पा रहा है उस पर से विडम्बना यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख से ऊपर सहकारी समितियों का प्राविधान किया गया है जब कि उत्तर प्रदेश की चालीस सहकारी समितियां जो पहले से हैं उनकी ही स्थिति बहुत ही दयनीय है। यह समझ में नहीं आता कि एक लाख सहकारी समितियों को आगे कैसे संचालित कर सकेंगे? मान्यवर, हमारे यहां के कारीगरों, दस्तकारों और अन्य इसी प्रकार के काम करने वालों के लिये जो [illegible] दिये जाने की बात कही गयी थी और अनुदान दिये जाने की बात कही गयी थी, यह दोनों विभाग इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल हैं और मान्यवर, सरकारी बैंकों से जो ऋण मिलना चाहिये वह भी इन विभागों की उदासीनता के कारण जनता को यह सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं। तो यह आगे की सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्य जो विचाराधीन है उसको कैसे कर सकेंगे और सहकारी समितियों द्वारा जो 9 प्रतिशत का लाभांश मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सीको संस्था जो 75 में गठित हुयी है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, इस संस्था का इन विभागों की देख-रेख का कार्य था परन्तु आज 11 साल हो गये हैं, इनकी उपलब्धि अभी तक कुछ सामने नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयी है, जिससे और भी विकास कार्य ठप हो गये हैं। इस प्रकार से मान्यवर, 72 औद्योगिक विकास की उपलब्धियों को देखते हुए जो बहुत ही दयनीय है, पर चर्चा की मांग करता हूं आज सदन की कार्यवाही रोक कर कृपया इस पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ऐसा लगता है कि मा0 सदस्य खासकर सहकारी समितियों से चाहिए था वह नहीं हो रहा है, इसमें नाराज हैं, यह सही है कि सहकारी समितियों में जिस गति से काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, इसमें कुछ अड़चनें हैं, इस पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने यहां यह घोषणाएं की हैं कि इनकी जो कठिनाइयां हैं, वह दूर की जायेंगी और यह सूचना जो आपने दी है, यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव के परिधि के अंतर्गत नहीं आती हैं और सरकार को जो सुझाव दिए गये हैं सहकारी समितियों के आन्दोलनों को चलाने के, सरकार उसे चलायेगी।

श्री अध्यक्ष–

सूचना संख्या 1 से 3 तक मैंने वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। सूचना संख्या 4, 5, 6 और 7 के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सूचना संख्या 8 जो है, उसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द किया जा चुका है। बाकी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) तथा अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 38,80,5,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(इस समय 1 बजे उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,31,18,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(शोर व्यवधान)

जनपद एटा के पटियाली थानान्तर्गत मूड़ा गांव में डकैतों द्वारा हरिजन परिवार की सामूहिक हत्या किये जाने के संबंध में तथा पुलिस चौकी इंचार्ज परेड कानपुर द्वारा छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दिये गये वक्तव्य पर स्पष्टीकरण का अवसर न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मद संख्या 10 का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

इसको बाद में लिया जायगा। आपको बाद में स्पष्टीकरण का मौका मिलेगा।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आप सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी खड़ी हैं, अब इस वक्त व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मद संख्या 10 नहीं लिया गया।

(घोर व्यवधान)

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह किस नियम के अंतर्गत सदन चल रहा है?

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सदन नियम से ही चल रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है, वह माननीय मनोहर लाल जी की समझ में नहीं आया है। मान्यवर, माननीया मंत्री जी को बैठाल दें और माननीय मनोहर लाल को बता दें।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी निर्णय दे चुके हैं। वह यह कह गये हैं कि माननीया मंत्री जी के बाद स्पष्टीकरण का मौका मिलेगा।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, यह जो एजेंडा है,

[x x x]

(व्यवधान के मध्य श्री मनोहर लाल ने एजेंडा और वक्तव्य फाड़कर सदन के फ्लोर पर फेंक दिया।)

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब एक निर्णय हो चुका है तो अध्यक्ष जी के निर्णय को मैं कैसे उलट दूं?

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि मनोहर लाल जी ने एजेंडा फेंक कर और वक्तव्य को फाड़कर विशेषाधिकार की अवहेलना की है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर मैं बाद में व्यवस्था दूंगा।

श्री मनोहर लाल–

अध्यक्ष जी ने कोई व्यवस्था नहीं दी थी। उन्होंने नियम 56 ले लिया था। मद संख्या 10 जिसमें कि वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया है उसमें स्पष्टीकरण करने की व्यवस्था दी परन्तु चूंकि मंत्री जी मौजूद नहीं थे इसलिए उन्होंने इसको बाद में लेने के लिये कहा। अब आप इस पर स्पष्टीकरण करने की व्यवस्था दें।

श्री किरन पाल सिंह–

मंत्री जी मौजूद नहीं थे इसलिए उन्होंने कहा था कि इसको बाद में ले लेंगे। यह नहीं था कि बजट के बाद लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

मनोहर लाल जी आप बैठ जायें। मैं भी वहीं बैठा था हाउस में। अध्यक्ष जी मंत्री जी का भाषण शुरू करा गये थे। उन्होंने कहा था कि इसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण ले लें।

श्री मनोहर लाल–

चूंकि माननीय मंत्री जी मौजूद नहीं थे इसलिए स्पष्टीकरण नहीं हुआ। अब भी स्पष्टीकरण की बात ज्यों की त्यों है। मंत्री जी के भाषण के बाद आप स्पष्टीकरण ले लीजिये।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आपने स्वयं सुना और देखा। यह कोई बहस नहीं है कि नियमानुसार वक्तव्य आना चाहिए लेकिन मंत्री जी नहीं थे इसलिए विशेष परिस्थिति में माननीय संसदीय कार्य मंत्री को खड़ा कर दिया गया लेकिन संसदीय कार्य मंत्री अक्षम हो रहे थे इसलिए माननीय नगर विकास मंत्री को बुला लिया गया तो क्या आप आज सदन उठने तक किसी समय स्पष्टीकरण का अवसर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका अधिकार बिल्कुल रहेगा। अभी अध्यक्ष जी इस पीठ से स्वयं यह कह गये कि आपको अधिकार है, आप स्पष्टीकरण ले लें। मंत्री जी का भाषण समाप्त हो जाय आपका स्पष्टीकरण ले लिया जायेगा। अध्यक्ष जी ने मंत्री जी को बुलवा लिया था।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, अब दूसरे दिन प्रायरिटी पर यह दोनों वक्तव्य ले लिये जायं। आप परसों 19 तारीख को इसको ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, हमने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी उस संबंध में क्या निर्णय हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

मनोहर लाल जी का जो इस तरह का कार्य है, एजेंडा फेंकना, वक्तव्य फाड़ना वह अनुचित है।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

हाउस में यह बात सही है पूरे मंत्रि-मंडल की, चाहे कोई भी किसी भी विभाग का मंत्री हो, सामूहिक जिम्मेदारी है, कोई भी किसी वक्तव्य को दे सकता है। उसमें कोई रोक-टोक नहीं है। नेता विरोधी दल ने दूसरे दिन के लिये कहा और आप मान लिये। लेकिन वक्तव्य फाड़ना बुरी बात है, हाउस के लिये यह शोभा नहीं देता है। इस तरह की बात करके अव्यवस्था पैदा करना शोभनीय नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जो नेता सदन ने कहा, इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं लेकिन नेता सदन मौके पर नहीं थे, वह मौके पर होते तो इस बात को न कहते। यह वक्तव्य फाड़ने की नौबत क्यों आयी ? आपके मंत्रि परिषद में ऐसे सदस्य हैं, कि वक्तव्य सदन में आ गया और वह स्वयं सदन में हाजिर नहीं होते, अध्यक्ष को डाटना पड़ता है, जब मंत्री सदन में मौजूद नहीं होते है, तो इसके सिवा और कौन रास्ता है ? आपके मंत्रिपरिषद के लोग हाजिर नहीं होते, उनके लिये आपको क्या कहना है ? मैं कहता हूं कि किरन पाल सिंह उसको उठा लेंगे, मेरे लोगों ने गलती किया, लेकिन आपके जो लोग सदन में नहीं आये, उसके लिये क्या कहते है ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

इसके पहले हमारे संसदीय राज्यमंत्री ने खेद प्रकट किया था। उसके बाद नेता विरोधी दल को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-2-आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) तथा अनुदान संख्या 3 आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) (क्रमागत)

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

श्रीमन्, प्रदेश में तेजी से जनसंख्या में बृद्धि होने के कारण ज्यादातार लोग गांवों से शहरों की तरफ दौड़ रहे हैं, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या में तेजी से बृद्धि हो रही है । नगरों में जनसंख्या के दबाव के कारण आवासीय समस्या हो जाती है और ज्यादातर लोग नगरों में कहीं भी अपने आवासीय भवन का निर्माण कर लेते हैं जिससे नगरों में सुनियोजित ढंग से विकास में रुकावट पैदा होती है । इसके साथ-साथ यातायात और प्रदूषण में बृद्धि होती है । इस कारण यह आवश्यक है कि शहरों में सुनियोजित ढंग से विकास शुरू हो, उसके लिए शासन ने अधिनियम बनाये हैं । मान्यवर, पहला अधिनियम है, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम । जिसके अन्तर्गत प्रदेश के 19 प्राधिकरणों का गठन हो रहा है । दूसरा विनियमित क्षेत्र अधिनियम जिसके अन्तर्गत 48 नगर आते हैं, दो विकास प्राधिरण बनाये गये हैं । एक तो अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण तथा शक्तीनगर गंगोत्री विशेष विकास प्राधिकरण । मान्यवर, प्रदेश में सुनियोजित ढंग से विकास के लिये आवास एवं विकास का गठन हुआ है, जिसमें 114 नगर लिये गये हैं । मान्यवर, नगरों में आवासीय समस्या का समाधान करना है, साथ ही साथ उसमें एक योजना बद्ध ढंग से सुनियोजित ढंग से आवास बनाने हैं और भूमि अर्जन भी करना है और भूमि विकास करना है । परिषद् ने शुरू से अब तक कुल 74,522 सम्पत्तियां आवंटित की है और मान्यवर, उस पर कब्जा भी दिला दिया गया है । सातवीं पंचवर्षीय योजना में मान्यवर दो लाख सम्पत्तियां आवंटित करने का लक्ष्य है, प्रस्ताव है, मान्यवर, और मान्यवर, गृह निर्माण के लिये विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिये 1985-86 में ऋण की नयी व्यवस्था की गयी है, जिसमें 80 हजार रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जायगा, जिस पर सवा तेरह प्रतिशत ब्याज की धनराशि होगी। इस योजना के अन्तर्गत मान्यवर, 1985-86 में 5 करोड़ ऋण देने का प्रस्ताव किया गया है । मान्यवर, इस योजना में मुख्य रूप से कर्मचारियों और निर्बल वर्ग के लोगों के लिये यह योजना बनायी गयी है । दुर्बल वर्ग के लोगों के लिये साइट सर्विसेज की व्यवस्था की गयी है, जिसमें ढाई हजार ऋण दिये जाएंगे और 1985 में मान्यवर, सेमी-फिनिश्ड मकानों की व्यवस्था है जो कि आगरा, मेरठ, लखनऊ और देहरादून में शुरू की गयी है । मान्यवर, इसमें आवंटियों को भवनों का ढांचा और भूमि दी जायगी, जिससे कि वे अपने संसाधनों से अपनी रुचि के हिसाब से वह अपने भवन बनवा सकें । मान्यवर, आवास एवं नगर विकास विभाग बीस सूत्री कार्यक्रम में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिये बहुत से काम कर रहा है । इसके अन्तर्गत 1984-85 में 25,224 भवन निर्मित किये गये और इस वित्तीय वर्ष में 1985-86 में दुर्बल वर्ग के लोगों के हेतु साइट एण्ड सर्विसेज प्लान के अंतर्गत तीन प्रोग्राम शुरू किये गये हैं, जिसमें कि पानी और नल और उनको

फ्लश लैट्रिन की सुविधा दी गयी है। चूंकि मान्यवर, इसमें ज्यादातर दुर्बल वर्ग के लोग प्रभावित होते हैं, इसलिये उनको 75 प्रतिशत भारत सरकार ने निर्माण अधिक बनाने का विचार किया है और गलिन बस्ती, पर्यावरण सुधार के लिये राज्य सरकार ने 100 लाख रुपये की धनराशि दी है और 1985-86 में मान्यवर, इसमें डेढ़ लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है और अब तक, फरवरी, 86 तक 1,69,603 लोग लाभान्वित हुए हैं। मान्यवर, प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए..

श्री सुखपाली पाण्डे–

मान्यवर, ऐसे-ऐसे मंत्री बना दिये गये हैं कि उनके अधिकारी उनकी बात सुन कर हंसते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं।

श्रीमती पद्मा सेठ–

छोटे नगरों की एक योजना है जो 23 नगरों में चल रही है। मान्यवर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई आबादी को देखकर सुनियोजित ढंग से विकास के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। इस योजना में प्रदेश के तीन जनपद आते हैं, गाजियाबाद, मेरठ और बुलन्दशहर। इस योजना में 2 शहरों मेरठ और हापुड़ में काम तेजी से शुरू हो चुका है। इसके बाद मान्यवर, उत्तर प्रदेश विकास के लिये 1986-87 में 7 नगरों को लिया गया है। मेरठ, बुलन्दशहर, हापुड़, खुर्जा, मुरादनगर, मोदीनगर एवं गुलावटी के विकास के लिये प्रस्तावना है।

मान्यवर, विश्व बैंक की सहायता से प्रदेश में 12 चयनित नगरों में उत्तर प्रदेश नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति योजना चलायी जा रही है। इसके अन्तर्गत लो-कास्ट हाउसिंग, मलिन बस्ती उन्मूलन, एरिया डेवलपमेंट-ट्राफिक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, सालिड वैस मैनेजमेंट, ड्रेनेज लो-कास्ट सेनीटेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सेनीटेशन सड़कों को बगान, मार्ग प्रकाश तथा सीवर का अनुश्रवण, जल पूर्ति तथा जल निस्तारण के कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। मान्यवर, कानपुर में एक विकास योजना इसी के अन्तर्गत चली है। जिसमें जनवरी, 1986 तक 7636 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। साइट एण्ड सर्विसेज योजना में 14,458 भूखंड विकसित हुए हैं। मान्यवर, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये शासन कटिबद्ध है। मार्च, 1985 तक 556 नगरीय क्षेत्र में तथा 40070 गांवों को पेयजल तथा 54 नगरों में आंशिक रूप से जल निकासी के काम की सुविधा दी गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय जल सम्पूर्ति एवं स्वास्थ्य दशक के अन्तर्गत मान्यवर, 1981 से 1990 तक यह कार्य अपनाया गया है। इस कार्यक्रम में मान्यवर, दशक के अन्त तक सारे प्रदेश की जनता को पेयजल की सुविधा दिलाये जाने की आशा है। ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत जनसंख्या को स्वच्छ शौचालय की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है और नगरों में 80 प्रतिशत संख्या में जल निकासी तथा स्वच्छ शौचालय की सुविधा का निर्णय लिया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम में प्रदेश में समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल की सुविधा देने के लिये बहुत तेजी से काम चल रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिये यह विशेष रूप से कार्यक्रम बनाया गया

है। इसमें प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है । माननीय, मैं यह बताना चाहती हूं कि छठे प्लान में 202.89 करोड़ रु0 व्यय करके 9949 ग्रामों को पेयजल योजना में लाभान्वित किया गया । इसमें 7454 गांव समस्याग्रस्त हैं । 1985-86 में 2462 समस्याग्रस्त गांवों में एवं 359 समस्याग्रस्त गांवों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है।

माननीय, इसमें ग्रामीण पेयजल योजना में केन्द्र से सहायता प्राप्त होती है। उसमें त्वरित ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजना में छठे प्लान में 20,065 ग्रामों को लाभ पहुंचाया गया है जिसमें से माननीय, 19689 समस्याग्रस्त गांव हैं।

माननीय, गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिये केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के निर्देशन में इस वित्तीय वर्ष में काम शुरू किया गया है और इसके अन्तर्गत सात नगर उत्तर प्रदेश के शामिल किये गये हैं । ऋषिकेश, हरिद्वार, फरुर्खाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा वाराणसी। इन नगरों की फिजिबिलटी रिपोर्ट भी आ चुकी है। जिसकी अनुमानित लागत रु0 144 करोड़ है। भारत सरकार से ऋषिकेष से 51.66 लाख, हरिद्वार के लिए 39.54 लाख, वाराणसी के लिये 9.41 लाख, इलाहाबाद के लिये 159.90 लाख तथा कानपुर के लिये 86.7 लाख रुपये के लागत की योजनाओं की स्वीकृति मिल चुकी है। माननीय, हरिद्वार में भीम गोडा, कांगड़ी मंदिर, नाईसोटा, नागा की हवेली, कुशा घाट, लतिताराव मायापुर तथा देवपुरा नालों और ऋषिकेश में सरस्वती नाला, पी0 डब्लू0 डी0 इंसपेक्शन हाउस ड्रेन एवं मुनी की रेती की छोटी नाली तथा एक बड़ी नाली को टेप करके सुधार कार्य किया जा चुका है।

माननीय, नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम प्रदेश के बारह नगरों में लागू है । 31 जनवरी, 1986 तक लगभग 94.10 लाख वर्ग मीटर भूमि शासन को उपलब्ध हो गयी है जिसके आवंटन की कार्यवाही चल रही है । स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिये शासन द्वारा पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में तीन नये टाउन एरिया का गठन किया गया है। शक्ति फार्म बाजार टाउन एरिया नैनीताल। हरगांव टाउन एरिया सीतापुर, महराजगंज टाउन एरिया गोरखपुर । इसके साथ ही कुछ टाउन एरियाओं एवं नोटीफाइड एरियाओं को श्रेणी चार की नगर पालिका में वर्गोन्नति किया गया है। नवाबगंज टाउन एरिया बरेली, हलदौर टाउन एरिया बिजनौर, शिकारपुर टाउन एरिया बुलन्दशहर, किच्छा टाउन एरिया नैनीताल, गदरपुर टाउन एरिया नैनीताल, टांडा टाउन एरिया रामपुर, मोहम्मदाबाद नोटीफाइड एरिया कमेटी गाजीपुर, जमिनिया टाउन एरिया कमेटी गाजीपुर; महमूदाबाद टाउन एरिया, सीतापुर, रुदौली नोटीफाइड एरिया कमेटी बाराबंकी, गंगा घाट टाउन एरिया उन्नाव, अतरौली नगर पालिका अलीगढ़ एवं देवबन्द सहारनपुर को जो तृतीय श्रेणी की नगर पालिकायें थी को द्वितीय श्रेणी में, नगर पालिका पौड़ी गढ़वाल जो चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका थी को द्वितीय श्रेणी की नगर पालिका तथा नगर पालिका बिजनौर जो तृतीय श्रेणी की नगर पालिका थी को प्रथम श्रेणी की नगर पालिकाओं में वर्गोन्नति किया गया है ।

माननीय, यह देखते हुए कि जनसंख्या बढती जा रही है और इसके साथ ही साथ

उसकी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं इस लिये उन जरूरतों को पूरा करने के लिये इस बजट को पारित होना आवश्यक है। माननीय सदन से अनुरोध करूंगी कि इस पारित करने का कष्ट करें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति का आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-3 आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, आज स्वायत्तशासी संस्थाओं की हालत बहुत ही खराब है और अगर आर्थिक आधार पर उसे देखा जाये तो जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, **लगभग दिवालिया हो गयी हैं। केवल** अपने यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के अलावा वे कोई भी विकास का **कार्य करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा** इन सारी स्वायत्तशासी संस्थाओं की राजनीतिक स्थिति को अगर देखा जाय तो यह लगातार सरकार की रखैल बनकर रह गयी हैं, जिनका कोई भी स्वामी नहीं है। आज सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है कि ये सारी संस्थायें गैर जनतांत्रिक होती चली जा रही हैं। आजादी से पहले इस देश में अगर सबसे पहले किसी संस्था को आजादी दी गयी है तो वह स्वायत्तशासी संस्थाओं को दी गयी है। सबसे पहले जिस संस्था को आजादी मिली, उसी से स्वायत्त शासन का लोप हो गया है। इसके साथ ही साथ कार्यपालिका ने इस पर अपना पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। जो जनतांत्रिक स्वरूप और प्रक्रिया इन स्वायत्तशासी संस्थाओं की रही है, उस पर कार्यपालिका ने अंकुश लगा दिया है। भारत के संविधान में शक्ति के विभाजन का सिद्धान्त है, उसमें कार्यपालिका का अलग कार्य है और विधायिका का अलग कार्य है, स्वायत्तशासी संस्थायें अलग हैं, लेकिन स्वायत्तशासी संस्थायें जो कार्य करती हैं, उन पर कार्यपालिका ने अंकुश लगा दिया है, इनका चुनाव नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूं कि संविधान की जरूरत है। जिस तरह से केन्द्र में और राज्य में लोक सभा और विधान सभाओं के चुनाव होते हैं, उसी तरह से स्वायत्तशासी संस्थाओं में नगरमहापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया और नोटीफाईड एरिया के चुनाव भी होने चाहिए। हमारी मांग है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के जरिये लोक सभा और विधान सभा के चुनाव कराये जाते हैं, उसी **तरह से अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के** चुनाव भी होने चाहिए ।

इस समय शहरों की हालत बहुत खराब है। शहर बदसूरत होते चले जा रहे हैं। उनकी शक्ल और शरीर बिगड़ गये हैं। नागरिक सुविधायें जैसे पानी, बिजली, सड़क, यातायात और सीवर व्यवस्था, ये सारे के सारे जो इन्तजाम हैं, नगर महापालिकाओं के जरिये शहर के अन्दर होते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं में एक ऐसी स्थिति आ गयी है कि कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

भी इन्तजाम सुगमतापूर्वक नहीं हो पा रहा है। हालत यह है कि जो आबादी का दबाव शहरों पर पड़ रहा है, उससे शहरों की हालत विस्फोटक स्थिति पर पहुंच गयी है। शहरी क्षमता बाहरी लोगों के दबाव को सहन करने में सक्षम नहीं है। इसमें मैं समझता हूं कि आजादी के बाद से लेकर आज तक गांवों का विकास नहीं किया गया है, उसको स्वावलम्बी नहीं बनाया गया है, कस्बों को स्वावलम्बी नहीं बनाया गया है, जिसके कारण गांव और कस्बों की आबादी शहर में आ रही है। देश की 24 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है और पूरे देश के रकबे का 1.3 प्रतिशत शहरी क्षेत्रफल है। आबादी ज्यादा है और रकबा कम है। गांव की आबादी और कस्बों की आबादी शहरों की ओर बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि यह एक गम्भीर बात है। गांव का विकास नहीं किया गया और कस्बों का विकास नहीं किया गया तथा शहर बाहरी आबादी को खपाने की हालत में नहीं हैं। इससे शहर के रीति-रिवाज, परम्परायें, खासियत, खुसूसियत, सब समाप्त होती जा रही है। आपसी सम्बन्धों का अजीब तनाव होता जा रहा है, तीन पीढ़ी से, दो पीढ़ी से जो नागरिक रह रहा है, वह बेदखल होता जा रहा है और बाहरी आबादी के लोग वहां आकर जगह खोजकर वहां के नागरिक बनते जा रहे हैं। हालत यह हो गयी है कि आज शहर अजनबी नागरिकों से भरते चले जा रहे हैं। इसमें सबसे जबरदस्त अभाव इस बात का है कि इसमें स्थानीय शहरीकरण की प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी है। मैं समझता हूं कि इस बात की सबसे बड़ी भूल की गयी है। प्रत्येक शहर पर ग्रामीण आबादी का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। उदाहरणार्थ, बनारस में मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर तथा बलिया जितने भी पूर्वांचल के जिले हैं वहां के लोग नागरीय सुविधा प्राप्त करने के लिये बनारस पर आबादी का दबाव डालते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करके स्थानीय शहरीकरण की प्रक्रिया को अपनाया जाय जिससे कि जो दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह जनपदों के लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं और वहां आबादी का दबाव डाल रहे हैं, उसको रोकने के लिये स्थानीय शहरीकरण का होना बहुत ही आवश्यक है। बनारस में भीड़ को आने से रोकने के लिये जरूरी है कि जौनपुर और गाजीपुर, बलिया और मिर्जापुर को विकसित किया जाय तो यह आबादी का दबाव जौनपुर तक सीमित हो जायेगा, मिर्जापुर का आबादी का दबाव मिर्जापुर तक ही सीमित हो जायेगा। ये शहर विकसित नहीं किये गये हैं, नागरिकों की सुविधा के लिये जरूरी है कि इनको विकसित किया जाय। जो जहां का उत्पादककर्त्ता है उसे वहीं स्थानीय बाजार में अपने उत्पादन को क्रय करने की सुविधा भी होनी चाहिए। इस तरह से उत्पादक अपनी उत्पादकता का उपभोग भी कर सकेगा और उसे किसी दूसरे शहर में जाना नहीं पड़ेगा। यदि यह नहीं किया गया तो इसी तरह से 10-10, 15-15 शहरों की भीड़ एक ही शहर में जमा होती चली जायेगी।

1965 में आवास-विकास परिषद अधिनियम इसीलिये बनाया गया था जिसका उद्देश्य साफ था। उस समय श्री चतुर्भुज शर्मा जो कि स्वायत्त शासन मंत्री थे उन्होंने इस अधिनियम के उद्देश्य में साफ बताया था कि "ग्रामीण क्षेत्रों से नागर क्षेत्रों में लोगों के प्रवास करने, विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य के बढ़ते हुए प्रभाव के फलस्वरूप तथा अन्य कई

कारणों से इस राज्य के नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है । किन्तु नगरों की तेजी से बढ़ती हुई इस जनसंख्या के अनुरूप नये मकानों का निर्माण तथा उनका सुनियोजित विकास नहीं हुआ है। इस दिशा में जो प्रयास राज्य सरकारें, नगर **महापालिकाओं, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्टों, विकास** परिषद तथा अन्य छोटी स्थानीय निकायों ने किये हैं उनमें प्रभावपूर्ण समन्वय तथा नियंत्रण न होने से वांछित सफलता नहीं मिली है ।'' इसलिये गांवों को और कस्बों को स्वालम्बी नहीं बनाया जा सका है और इसीलिये आवास-विकास परिषद अधिनियम का गठन किया गया था । क्योंकि यहां की आबादी केवल शहरों तक ही केन्द्रित हो गयी है और कस्बों तथा गांवों को विकसित नहीं किया जा सका । इससे ही शहरों की हालत खराब हो गयी।

हमारे प्रदेश की सरकार ने इस संबंध में दो-तीन कदम उठाये और इसी सन्दर्भ में 1969 में नगर महापालिका अधिनियम बना, 1965 में आवास-विकास परिषद अधिनियम बनाया गया, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अधिनियम पारित किया गया । इसके अलावा केन्द्र की सरकार ने 1976 में शहरी सीलिंग अधिनियम बनाया कि नागरिकों की कुछ भूमि जो कि कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो गयी थी और वे सट्टेबाजी कर रहे थे, मुनाफाखोरी कर रहे थे, जमीन का ईक्वैल डिस्ट्रीब्युशन नहीं हो रहा था, भवन बनाये जा रहे थे, उनको विनियमित करने की प्रक्रिया नहीं शुरू की गयी थी । 1976 में शहरी सीलिंग अधिनियम के द्वारा, जब यह लागू किया गया राज्य सरकारों की सहमति से तो सट्टेबाजी, मुनाफाखोरी को रोकने की भावना से, भवन निर्माण कराये जाने की भावना से यह सब विनियमित किया गया, इसका यह उद्देश्य बहुत अच्छा रहा । **सीलिंग अधिनियम अपने में खराब** है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे-छोटे किसानों की जमीन लेकर और बड़े-बड़े **पैसे वालों को फायदा** पहुंचाने का काम इस के द्वारा किया है और कोई इस्तेमाल नहीं किया है । मैं उत्तर प्रदेश सरकार के सीलिंग विभाग के जो मंत्री हैं, उनका ध्यान सीलिंग अधिनियम की धारा 2(ओ) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । आप देखें , किसी नगर बस्ती की सीमा के भीतर स्थित भूमि जो महा योजना में इस रूप में निर्दिष्ट है, या, ऐसी दशा में जहां कोई महायोजना नहीं है या जहां महायोजना में किसी भूमि को नगर भूमि के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया गया है वहां किसी नगर बस्ती की सीमा के भीतर की कोई भूमि जो किसी नगर पालिका (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर क्षेत्र समिति, शहर और नगर समिति लघु नगर समिति, छावनी बोर्ड या पंचायत की स्थानीय सीमा के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र में स्थित है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसी भूमि नहीं है तो मुख्यत: कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाती है । जो 17 फरवरी, 1976 तक कृषि के रूप में प्रयोग की जाती है, वह शहरी सीलिंग से मुक्त की जायेगी । जो राजस्व अभिलेखों में खेती के वर्ग में दर्ज है, उसको शहरी सीलिंग से मुक्त किया जायेगा। मान्यवर, जो स्पष्टीकरण (ख) है उसमें साफ लिखा है कि अगर वह भूमि कृषि भूमि है, लेकिन महायोजना में कृषि के अलावा अन्य प्रयोग दर्ज है, तो वह भूमि ली जा सकती है। जो स्पष्टीकरण (ख) है, उसमें साफ तौर से लिखा है भू. वर्ग का विनिर्दिष्ट प्रयोग होना चाहिये । अगर स्पेसीफाइड लैंड यूज नहीं होगा, तब तक कृषि भूमि को महायोजना के अन्तर्गत नहीं लिया जा सकता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो मास्टर

प्लान बनाने की प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश नगर विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत की जा रही है। इसको नकल के रूप में लिया गया है। इसको दिल्ली नगर विकास अधिनियम 1957 से लिया गया है। 1957 में मास्टर प्लान की जो प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी, दिल्ली विकास अधिनियम में, उसकी धारा 7 से 11 तक जो प्राविधान दिये गये हैं वही ठीक ठीक प्राविधान यहां पर धारा 6 से 12 में किये गये हैं। एक-एक शब्द है, एक-एक वाक्य है। वही प्रक्रिया है। और मान्यवर, दिसम्बर में 1957 में नगर योजना में जो मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया है वह ब्रिटेन से ली गयी है। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सन् 1945 में ब्रिटेन में मास्टर प्लान बनाने की जो प्रक्रिया अपनायी गयी वही प्रक्रिया 1957 में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में 1973 में अपनायी गयी। पूरी की पूरी नकल की गयी है। और नकल करने में भी इनको 50-50 साल लग गये। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन बनाम किशनदास ए0 आई0 आर0 1980 पृष्ठ 380 में यह निर्णय दिया गया है कि जोनल प्लान नहीं बनाया जायेगा तब तक लैंड यूज स्पेसिफाइड नहीं हो सकता है और उसका वर्ग विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। मान्यवर, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन मुकदमा हार गयी और कहा कि जोनल प्लान तैयार किया जाना चाहिये। आप उत्तर प्रदेश सरकार बनाम भगवत वगैरह, ए0एल0जे0 1983 पृष्ठ 314 उसमें भी यही निर्णय दिया गया है कि जब तक भू वर्ग का अंतिम वर्गीकरण न हो जाये, उसका आखिरी डिवीजन न हो जाये तब तक लैंड यूज स्पेसिफाइड नहीं माना जायेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और हाई कोर्ट का भी फैसला हो गया। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां पर उत्तर प्रदेश नगर योजना लागू है, आज मास्टर प्लान बनाने के बाद जोनल प्लान नहीं बनाया गया है। जब तक जोनल प्लान नहीं बनाया जाता है तब तक भू वर्ग निश्चित नहीं किया जा सकता है और यह सरकार आज प्रदेश में हजारों किसानों को नोटिस दे रही है, यह नोटिस गैर कानूनी है। छोटे-छोटे किसानों को नोटिस नहीं देना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर स्पष्टीकरण (सी) के अन्तर्गत कृषि भूमि को लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो यह गैर कानूनी होगी और न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी और छोटे किसानों के पेट में लात मारना है। शहरी सीलिंग के बारे में साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर, स्पष्टीकरण 'घ' इसमें लिखा ही नहीं होता है, इसलिए जितनी भी किसानों की जमीन है, 17 फरवरी, 76 तक जहां खेती होती है और राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज है वहां की जमीन लेना गैर कानूनी काम करना है। यह जो पुस्तिका दी गयी है 85-86 के बारे में। इसमें 85-86 को आप देखें और 86-87 को आप देखें। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 1985-86 में 30 लाख वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहीत की जायेगी और मार्च, 85 तक 65 लाख 72 हजार वर्ग मीटर भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है और 86 लाख वर्ग मीटर अधिग्रहीत करने की बात है। 1985-86 तक आप और तमाम जगह अधिग्रहीत करायेंगे। एक

जनवरी, 1986 तक 94 लाख एकड़ भूमि अधिग्रहीत करायी जायेगी आपने 85-86 में जो बजट का प्राविधान किया है उसमें 95.96 लाख रुपये है। जब 1985-86 का बजट पेश किया गया था उसमें 157 लाख का प्राविधान किया गया था केवल दफ्तर चलाने के लिए, मात्र कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये। मान्यवर, अगर 5 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से किसानों की जमीन का दाम तय कर दिया जाय तो आपने जो यहां 94 लाख वर्गमीटर जमीन लेने की बात कही है, उसका मुआवजा करीब-करीब 8–10 करोड़ रुपया हो जायेगा। आपने किसानों को पैसा देना कागज पर कहा और जमीन अधिग्रहीत कर ली, आपके 94 लाख से ज्यादा यह हुआ 1985-86 तक तो आपने कैसे अधिग्रहीत कर लिया किसानों की जमीन को। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं धारा 20 के बारे में। धारा 20 में किसानों की जमीन को खेती के लिए छोड़ने का प्राविधान है। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश के बड़े-बड़े पैसे वालों ने धारा 20 के अन्दर जमीन लेकर अपनी इन्डस्ट्री लगायी, अपनी फैक्ट्री लगायी, अपने कारखाने लगाये और कारखाना लगाकर करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाने का काम किया गया है। खेत जमीन किसानों के लिये जायेंगे कि खेती न कर सके और खेती के नाम पर उसे छूट दी जायेगी और एक ओर उद्योगपति उस जमीन पर कारखाना लगाते हैं और यू0 पी0 एफ0 फाइनेन्स करती है, आपका वित्त विभाग उसको पैसा देता है। मान्यवर, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं और मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि प्रदेश में पूंजीपतियों ने शहरी सीलिंग का उल्लंघन किया है, शहरी सीलिंग का पालन नहीं किया गया है जोकि उद्योग के सर्वथा विपरीत है। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, मैं बनारस का उदाहरण देता हूं आप जांच करवा लीजिये। एक करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का भ्रष्टाचार साबित न हो जाय तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं। अगर सरकार जांच नहीं कराती है तो मैं समझूंगा कि यह सरकार खुद भ्रष्टाचार कर रही है। अगर मंत्री जी मेरी बात का बुरा न मानें और कहें तो मैं नाम बता दूं उस भ्रष्टाचार में सरकार का भी हाथ है।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आपस में बात न करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप कहते हैं कि 10(5) में नोटिस दी है, 408 की कार्यवाही की है जिलाधिकारी ने और जमीन लेंगे तीन करोड़ वर्ग मीटर। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं। आप 1986-87 का बजट देखिये। इसमें लिखा हुआ है, धारा 23 के अन्तर्गत जो जमीन मिली है उसको आपने कहां आवंटित किया है। उस पर उद्योग लगाने के लिये कोई तैयार नहीं है, सरकारी विभाग ने नहीं लिया है, कहां-कहां आपने वह जमीन बांटी है इसका कोई हिसाब नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आप इसकी जांच करा लीजिये, दो-चार-पांच करोड़ रुपये का घपला न सामने आ जाय तो मैं फिर अपनी बात दुबारा कहने की स्थिति में नहीं रह जाऊंगा। अन्यथा मेरा आरोप है कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है।

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहूंगा कि मास्टर प्लान जो बनाया गया है उसके बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो मास्टर प्लान बनाया गया वह मास्टर प्लान नहीं है, शहरी का है और सर्वेन्ट्स प्लान है। नौकरों से भी ज्यादा बद्दतर यह मास्टर प्लान है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक जोनल प्लान नहीं बनाया जायेगा तब तक मास्टर प्लान का कोई महत्व नहीं होगा। यह उसी तरह से होगा कि आपने कोट बनाने के लिये कपड़ा तो खरीद लिया लेकिन उसका नाप लेने के लिये कोई काम नहीं किया है कि उसकी बाहें कैसी होंगी, कालर कैसा होगा, जेब कैसे होगी और हाथ कैसे होंगे। इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि जब तक जोनल प्लान नहीं होगा तब तक आपका मास्टर प्लान रुका रहेगा। इसके अलावा यदि इस मास्टर प्लान का प्रदेश सरकार की पंच वर्षीय योजनाओं से उसकी महायोजना से सम्बन्ध नहीं रहेगा, वित्तीय योजनाओं से और उसकी सालाना योजनाओं का महा-योजना से सम्बन्ध नहीं रह जायेगा तो यह मास्टर प्लान उसी तरह से होगा कि परीक्षा लेने की घोषणा तो आपने कर दी लेकिन उसका टाइम-टेबुल नहीं बनाया। इससे कोई फायदा नहीं है। यह रेजीडेन्शियल बेस्ड है, यह आवासीय क्षेत्र है। पांच, दस, पन्द्रह साल हो गये उद्योग विभाग ने एक पैसा नहीं दिया, व्यवसाय करने के लिये एक पैसा नहीं दिया, दुकान के लिये भी एक पैसा नहीं दिया। तो खाली उस महायोजना को तैयार करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिये जब तक आपकी पंच वर्षीय योजना से और सालाना वित्तीय योजना से इस महायोजना का सम्बन्ध नहीं होगा तब तक इस मास्टर प्लान का कोई औचित्य नहीं होगा।

एक बात और कहना चाहूंगा कि इस समय जो मास्टर प्लान की हालत है उसमें शहरों में मकान बनाने के सम्बन्ध में एक बात का ध्यान रखा जाय। हालांकि केन्द्रीय सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट आयी है। योजना आयोग ने माना है कि सन् 91 से सन् 2001 तक देश के अन्दर मकानों की कमी और शहर, इनके बीच में 72 लाख आवासों का फासला रहेगा। मकान आज जिस तरह से बन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यह न केवल यहां पर आर्थिक स्तर पर विकृति पैदा कर रहे हैं बल्कि यहां पर जो इकाई परिवार हैं उनको भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, यह बात हमारे वास्तुकला में सबने कही है कि मकान बनाते समय सूर्य के प्रकाश का निर्धारण करेंगे, हवा किस दिशा से बहती है, इसको देखा जायेगा, जल का निराकरण कहां से होगा, यह देखा जायेगा। लेकिन हमारे यहां जो मकान बनाये जाते हैं वे दियासलाई की डिब्बी की तरह बनाये जाते हैं। जहां रोशनी हवा की कोई व्यवस्था नहीं होती। यहां पर 8 महीने गर्मी पड़ती है, तीन-तीन मंजिले मकान बना दिये गये हैं जहां पर कोई नहीं रह सकता है। बहु मंजिले मकान बनाकर मानवीय सम्बन्धों को शून्य में परिवर्तित कर दिया गया है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि ऊपर की स्टोरी पर रहने वालों का निचली स्टोरी पर रहने वालों से कोई सम्बन्ध नहीं रख पाते। वे 6-6 महीने तक आपस में बात नहीं कर सकते। इस तरह

से आज संयुक्त परिवार टूटता जा रहा है। इस प्रकार हमारे प्रदेश में वास्तुकला और स्थापत्य कला नष्ट होती जा रही है, उसका गला घोंटा जा रहा है। मैं चाहूंगा कि विदेशी और अमरीकी कला के आधार पर यहां जो मकान बनाने की नीति चल पड़ी है उसको तुरन्त रोका जाय । वर्ना इस तरह के मकान बनाने से शहरों की खासियत खत्म हो जायेगी, शहर लखनऊ की खासियत और तहजीब तथा बनारस की खासियत बने रहने दें । इसी तरह से तमाम जिलों की आगरा, मेरठ आदि सभी जिलों की खासियत बनी रहे, इन शहरों की संस्कृति बनी रहे, मरने न पाये, यहां की वास्तु-कला और स्थापत्य कला की वरना मृत्यु हो जायेगी अगर इस तरह से मकानों का निर्माण किया गया।

इसके अलावा पानी के बारे में प्रदेश सरकार की जो पेय जल आपूर्ति है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 से 1990 तक अंतर्राष्ट्रीय पेय जल आपूर्ति दशक मनाने का फैसला लिया है जिस पर भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किये हैं। इसके अलावा छठी पंचवर्षीय योजना में करीब 83 प्रतिशत लोगों को शहरों में पेय जल आपूर्ति का दावा किया है । इसके साथ-साथ दिल्ली में एक सेंट्रल पब्लिक हैल्थ एण्ड इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आर्गनाइजेशंस है जिसने इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया है उसके मुताबिक शहरों में पेयजल की उपभोग की दर 70 से लेकर 4 सौ लीटर प्रति व्यक्ति है जिसके लिये 98 करोड़ 70 लाख घनलीटर पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता है । और 1991 तक 247 करोड़ 50 लाख घनलीटर की आवश्यकता होगी और 2001 तक 371 करोड़ 20 लाख घनमीटर पानी की आवश्यकता होगी मेरी समझ में नहीं आता है कि इस आवश्यकता की आपूर्ति कैसे की जायेगी।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं कि पेयजल आपूर्ति के संबंध में जो जल संस्थान ने प्राविधान किया है उसके सम्बन्ध में अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारा मुल्क गर्म है यहां पानी का इस्तेमाल पश्चिमी मुल्कों की अपेक्षा जहां 6 महीने बर्फ पड़ती है, और दो या तीन महीने सूर्य के दर्शन होते हैं वहां की तुलना में हमारे यहां पानी कहीं ज्यादा खर्च होता है । उन देशों की तुलना में । यहां जमीन आसमान का फर्क है । हमारे यहां यह जीवन की आवश्यक वस्तु है लेकिन पश्चिमी देशों में पानी का इस्तेमाल यदाकदा होता है वहां व्यापारिक वस्तु मानी जा सकती है लेकिन हमारे यहां जल संस्थान और जल निगम और यह सरकार पानी से व्यापार करने का काम कर रही है। हमारे यहां तो चलन है गर्मियों में लोग प्याऊ लगाते हैं, एक पुण्य का काम पानी पिलाना समझते हैं लेकिन यह सरकार पानी को बेचने का काम कर रही है, उसके दाम लगाने का काम कर रही है तो इससे ज्यादा और शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। मुझे याद आता है जब भारत को आजादी मिल रही थी ब्रिटेन के हाउस आफ कामंस में लार्ड इटली इंडियन इंडिपेन्डेन्स बिल पेश कर रहे थे उस समय वहां चर्चिल विरोध पक्ष में बोल रहे थे और उन्होंने कहा था कि इससे उन लोगों को आजादी दी जा रही है जो आजादी के बाद पानी और हवा पर टैक्स लगायेंगे । तो आजादी के बाद हमारी सरकार ने पानी को व्यापार की वस्तु बना

लिया है । जो पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता था उसे बेचा जा रहा है यह किसी व्यापारिक सरकार का ही काम हो सकता है किसी समाजवादी और लोकतांत्रिक सरकार का काम नहीं हो सकता है। इसलिये पानी का व्यापार करना बन्द कर दीजिये। वर्ल्ड बैंक से हुडको द्वारा पैसा लेने के बाद अपने लोगों को चूसने का काम हो रहा है ।

इसी सन्दर्भ में जहां पेयजल की बात है माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान बनारस में जल प्रदूषण के बारे में कहना चाहता हूं वहां पर आपकी सरकार ने जल प्रदूषण के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है गंगा जल प्रदूषण को रोकने के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा नहीं किया है तो 260 करोड़ रु0 रखा है उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का कहीं स्थान नहीं है, आप पर भरोसा नहीं किया है।

बनारस में पेयजल आपूर्ति का परीक्षण कराया गया, स्वास्थ्य मंत्री जी मौजूद हैं, कहना चाहूंगा कि वहां की 13 जगहों का परीक्षण कराया गया, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, द्वारा जो स्वास्थ्य निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत कार्य करती है, यह जल परीक्षण 3-9-85 को किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार की प्रयोगशाला है, रिपोर्ट में आया है कि 11 जगहों पर जो पानी पिलाया जाता है उसमें पाखाना मिला है । तो बनारस में पाखाना मिला पानी आज सरकार पिला रही है । इसी तरह से उत्तर प्रदेश के और शहरों जैसे कानपुर, मथुरा में भी पाखाना मिला पानी जनता को पिलाया जा रहा है । तो स्वच्छ जल आप जनता को क्या दे पायेंगे । कहा गया कि यूनिस्को की मदद से हम जनता को 1981 से 1990 तक साफ जल देंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां पानी में पाखाना मिलाकर पानी पिलाया जाता हो और वहां किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही न हो, क्योंकि बनारस जहां गंगा का जल पीने के लिए लोग तड़पते हैं, वहां पाखाना मिलाकर पानी पिलाया जा रहा हो, तो इससे शर्म की कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है ।

मान्यवर, जल संस्थान के संबंध में कहना चाहता हूं कि उसने आज तक पानी का दाम तक नहीं तय किया है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जल संस्थान बिना लाभ के दाम तय करे । मेरी जानकारी के अनुसार 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पानी का दाम नहीं होना चाहिए । लेकिन आप कितना लेते हैं मुझे नहीं मालूम है । टैक्स बढ़ाने का काम जल निगम केवल करता है ।

मान्यवर, सीवर बनाने का काम जल निगम कर रहा है । लेकिन डच, हालैंड और बेल्जियम न हों तो जल निगम नहीं चल सकता है । मान्यवर, आपकी सीवर व्यवस्था हर शहर में इस समय फेल हो गयी है । आप ध्यान से देखें तो नीलघाटी, मोहन जोदड़ों और हड़प्पा की सभ्यता जो है उसमें भी इन सभी ने अपनी सीवर व्यवस्था को विकसित किया था और उसके चलते सभ्य व्यवस्था का निर्माण हुआ था। लेकिन आप पता नहीं कि कैसे नगरों की व्यवस्था कर रहे हैं कि जिसमें सीवर की कोई ठोस व्यवस्था और नीति नहीं बनाई है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार सीवर व्यवस्था के संबंध में कोई ठोस नीति और प्रबन्ध की व्यवस्था करें अन्यथा शहर नहीं आज नरक होते जा रहे हैं।

मान्यवर, अब मैं भवन कर के संबंध में कहना चाहता हूं कि इस समय नगर महापालिकाओं का सारा काम कंटौती करके, पहले तो पेयजल की आपूर्ति जल संस्थान

ने ले लिया, सीवर का काम जल निगम ने ले लिया और अब एक काम बचा है बिजली लगाने, सड़क बनाने का काम पी0 डब्लू0 डी0 ने ले लिया और पूरे प्रदेश में इस समय नगर पालिकायें दिवालिया हो गयी है इसलिए, केवल टैक्स वसूली की ही यह इकाई बनकर रह गयी है ।

सरकार से मेरा एक सुझाव है कि जिसके पास एक मकान है उससे भवन कर नहीं लेना चाहिए । जो कई-कई मकान बनवा कर, मुनाफा कमा रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं उनसे टैक्स लें तो मुझे कोई आपत्ति नही है । मुझे अफसोस है कि अधि-नियम बना हुआ है और 1959 से कई साल बीत गये किन्तु भवन कर के संबंध में अधिनियम की धारा 219 के अन्तर्गत लिखित प्रक्रिया को अभी तक नहीं अपनाया गया है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस अधिनियम में संशोधन करे । चूंकि चुनी हुई नगरपालिकायें, नगर प्रमुख में कोई मतभेद हो जाये तो अंतिम फैसला शासन करेगा । मैं चाहूंगा कि यह जन-तंत्र में सबसे बड़ा विरोधी प्राविधान है, इसलिए इसको जनतांत्रिक किया जाये और नगर पालिका अधिनियम 1959 पर पुन-र्विचार किया जाये । भवन-कर के बारे में साफ तौर पर यह मेरी राय है । नगरों में यहां एक बहुत बड़ा सवाल है रिक्शेवालों का, जो नगर में रिक्शा चलाने के लिए नगरपालिका, टाउन एरिया अथवा नगर महापालिका से लाइसेंस पाते हैं । आज जितने भी शहर हैं, उनमें अगर कोई सबसे सस्ती सवारी है, तो वह रिक्शे हैं और उनको चलाने वाला रिक्शेवाला आज आधा आदमी और आधा जानवर हो गया है । वह किस तरह बड़ी मशक्कत से सवारी को खींचकर ले जाता है उसका एहसास रिक्शे वाले जिन्दगी में झांक कर देखने वाले व्यक्ति को ही हो सकता है। इस तरह कड़ी मेहनत करके, अपने फेफड़े गलाकर, अपनी आधी जिन्दगी बर्बाद करके रिक्शेवाला सवारियों को ढ़ोता फिरे, फिर भी उनको अपनी मेहनत का पूरा मेहनताना न मिले, यह हमारे लिए कितने शर्म की बात है । सरकार की ओर से उस आदमी को लाइसेंस मिलना चाहिए, जो रिक्शा चलाने का काम करना चाहे । जो तीन-तीन सौ और चार-चार सौ रिक्शे लेकर मालिक बने हुए हैं, उनको कतई लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। जब माननीय नारायण दत्त जी यहां प्रदेश में मुख्य मंत्री हुए थे और उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि प्रदेश में रिक्शे का लाइसेंस उसको दिया जाएगा जो उसका मालिक होगा और जो रिक्शा चला रहा है, उसको मालिक बनाया जाएगा । लेकिन उस पर आजतक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आज उसका शोषण किया जा रहा है, उसका शरीर और दिमाग गल रहा है । उसके बारे में सरकार की, नगरपालिका की कोई नीति नहीं है। सरकार इस बात का एलान करे कि जो रिक्शा चला रहा है, वही रिक्शे का मालिक होगा, दूसरा कोई नहीं होगा । मैं अपनी बात को अब विराम देते हुए चाहूंगा कि प्रदेश के नगरों के विकास के लिए किसानों का शोषण न हो, उनकी जमीन जाया न जाए, शहर विकृत न हो सकें, शहरों की वास्तविकता बरकरार रहे, इन सारी बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए । अन्त में मैं सारे बोलने वाले सदस्यों से चाहूंगा कि वह हमें सुझाव देकर, नगर विकास को नगरीय विकास की श्रेणी से विभूषित करते हुए अपनी बात यहां रखें।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननवर, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए, माननीय नगर विकास मंत्री

जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, आप मुझे इजाजत दें एक शेर पढ़ने के लिए–

ऐ अनवारे सहर हम भी मोहताजे तज्जली हैं।
हमने भी बफाओं की हर रस्म निभाई है।

(इस समय 2 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए)

श्रीमन्, आज आजादी के 38 साल बाद भी आगरा जैसा पर्यटक शहर, जहां प्रति वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, जहां की पिछले 20 साल में आबादी तिगुनी हो गई है, पीने के पानी के लिए तरस रहा है। आज आलम यह है कि जाड़ों के मौसम में भी नागरिक डेढ़-दो गज जमीन खोदकर पानी पाइप से लेते हैं और गरमी में तो स्थिति बदतर हो जाती है मा0 मंत्री जी पिछले दिनों आगरा गई थीं, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां की इस समस्या को देखा-समझा और मुख्य मंत्री जी ने भी विगत दिवस इस सदन के अन्दर पर्यावरण पर हुई चर्चा के समय इसका अनुभव किया था और कहा था कि आगरा में पानी की समस्या है और उसके निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया था । मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं । विगत 38 साल से लगातार वहां के नागरिक ऐसे ही आश्वासनों पर जिन्दा है । उस नगर के लिए अगर पानी का कोई स्थायी इलाज है तो वह चम्बल से पानी लेकर ही किया जा सकता है । इसके अलावा अन्य कोई स्थायी इलाज नहीं है । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके लिये इस वर्ष की कुछ न कुछ धन की व्यवस्था कर दें। केवल एक ही वर्ष में समस्त धन की व्यवस्था की बात नहीं करता। इसके लिये 2-3 सालों में फेजेड प्रोग्राम के तहत धन की व्यवस्था करें ताकि आगरा के लोगों को भरोसा हो सके कि आगे आने वाले समय में उनके लिये पानी की स्थायी व्यवस्था हो जायगी। दिल्ली से आगरा तक यमुना नदी का पानी अत्यन्त गंदा है। यह दूषित पानी पीने से पीलिया, एपेटाइटीज, कोलाइटीज आदि बीमारियां लोगों को हो रही है। जगह-जगह पर लोग इन बीमारियों से त्रस्त है। एक और मानवीय समस्या की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आगरा शहर में जो भीषण गंदगी का साम्राज्य है उसकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आबादी बढ़ गयी है लेकिन उसके अनुपात में सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाये गये हैं। आज से 20-30 साल पहले जो सफाई कर्मचारियों की संख्या थी आज भी वही चली आ रही है। केवल 2 हजार स्थायी सफाई कर्मचारी और एक हजार दैनिक वेतन (मस्टर रोल) के सफाई कर्मचारी वहां पर काम कर रहे हैं जो सफाई कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपका जो हेल्थ मैनुअल है उसके हिसाब से इतनी आबादी के लिये साढ़े 6 हजार सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है। नालों की सफाई के नाम पर मस्टर रोल पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं तो जाली मस्टर रोल बनाकर, फर्जी मस्टर रोल दिखाकर सफाई कर्मचारियों के नाम पर लाखों रुपये हर वर्ष अधिकारियों की जेब में चले जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जो आज 6500 सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता है उनकी भर्ती के लिये तत्काल व्यवस्था की जाय। तथा दैनिक वेतन कर्मचारियों को स्थायी किया जाय। सफाई कर्मचारियों को न तो जाड़े में वर्दी मिलती है न उनके पास डलिया है, न झाड़ू है और न ठेला

है तो शहर की सफाई कैसे हो सकती है। आज आगरे का सारा सीवर सिस्टम चोक हो गया है। नालियां उफन रही हैं, सीवर उफन रहे हैं। मेन होल के ऊपर गंदगी बहकर निकल रही है जिससे लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। जल संस्थान को सीवर की व्यवस्था दी गयी है लेकिन न तो उनमें एक्सपरटाइज हैं और न उनके अधिकारी, इंजीनयर सीवर लाइन को ठीक करने में दिलचस्पी रखते हैं। नतीजा होता है कि सीवर व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि ताज महल जहां पर स्थित है उस सारे क्षेत्र ताज गंज में सीवर नहीं है। वहां पर बहुत से विदेशी आते हैं, गंदगी को देखकर वह जो छवि लेकर जाते हैं उससे न केवल प्रदेश की छवि बल्कि पूरे देश की छवि धूमिल होती है। जैसा कि शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा आज महा-पालिकायें दिवालिया बन चुकी हैं। आज 20-25 तारीख तक उनके कर्मचारियों को वेतन मिलता है। उनके पास पैसा नहीं है, जिससे समय पर न कर्मचारियों को वेतन मिल पाता है न कोई विकास कार्य हो पाता है कभी वह स्टेट बैंक और कभी वह विकास प्राधिकरण से कर्ज लेती हैं। इसके अलावा जो टोल टैक्स है, चुंगी की आय होती है उसका 80 प्रतिशत हिस्सा चपरासी से लेकर ऊपर के अधिकारियों में सुनि-योजित ढंग से बंट जाता है। मैंने पिछले वर्ष भी कहा था कि आगरे में 2 लाख रुपये रोजाना की आमदनी चुंगी से होनी चाहिये। आपने चुंगी की दरें बढ़ा दी है जिससे गरीब आदमी पिस रहा है। पिछले 3-4 सालों से आगरे में चुंगी की आम-दनी सिर्फ 40 हजार रुपये रोजाना हो रही है जबकि 2 लाख होनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, मैंने पिछले सत्र में इसी सदन में मांग की थी कि आगरा महानगर पालिका में कोई वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अधि-कारी को भेजा जाय जिसको ज्ञान हो अनु-भव हो और जिसमें काम करने का माद्दा हो। पी0 सी0 एस0 अधिकारियों को नगरपालिकाओं में भेजने से नगरपालिकायें चौपट हो गयी हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं शासन को उन्होंने हमारी मांग पर गौर किया। और एक वरिष्ठ आई0 ए0 एस0 अधिकारी को आगरा भेजा। उनके आने से 2-3 महीनों के अंदर टोल टैक्स की आमदनी बढ़ी है और यह बढ़कर 1 लाख 20 हजार तक पहुंच गयी है। मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में यह आमदनी और भी बढ़ेगी। श्रीमन् अब मैं आगरा की प्रकाश व्यवस्था के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर सड़कों व गलियों में प्रकाश विद्युत व्यवस्था ठीक न होने के कारण दुर्घटना हो रही हैं। अंधेरे के कारण चोरियां हो रही हैं। किसी गली में चले जाइये विद्युत व्य-वस्था नहीं के बराबर मिलेगी। लाखों रुपयों के सोडियम वेपर लैम्प तथा मर-करी लैम्प खरीदे जाते हैं हर वर्ष। लेकिन पता नहीं कहां चले जाते हैं। आज लगते हैं कल उतर जाते हैं और बाजार में बिक जाते हैं। यह जो सोडियम वेपर लैम्प और मरकरी लैम्प हैं यह धनी मानी व्यक्तियों की चीजें हैं। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप केवल वहा पर 100 वाट के बल्बों की व्यवस्था सड़कों व गलियों में करा दें तो आगरे के निवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। सोडियम वेपर लैम्प और मरकरी की जरूरत नहीं है।

श्रीमन्, आगरा विकास प्राधिकरण के संबंध में भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने जो पुस्तक दी है,

उसमें लिखा हुआ है कि नगरों का सुनियोजित विकास करने के लिए विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है, मेरा मान्यवर, साफ आरोप है कि जब से यह प्राधिकरण बनाए गए हैं, तभी से इस योजना के नाम पर नगरों को मलिन बस्ती बना दिया है । और जितनी आपने कालोनियां आवास विकास परिषद् व विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई हैं, उन सबमें पार्कों के बनाए जाने के प्राविधान भी किए गए थे, परन्तु ज्यादातर कालोनियां ऐसी हैं कि जहां पर पार्क के लिए स्थान छोड़े गए थे, वहां पर भी मकान बनवा दिए, 3 कालोनीज ऐसी हैं, जहां पर ग्रीन आई लैण्ड्स थे पार्क बनने थे, वहां पर भी मकान बनाकर खड़े करवा दिए । और जैसा कि मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि गरीब किसानों से उनकी जमीनें लेकर बड़े-बड़े कालोनाईजर्स को दे दी और इस कालोनाइजर्स द्वारा वहां पर अनाथराइज्ड कोठियों के निर्माण हुए हैं जो बिना किसी नक्शे के बनाई गई हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में आज आश्वासन लेना चाहूंगा कि जो जमीनें गरीब किसानों की बड़े-बड़े लोगों को दे दी गई हैं शासन द्वारा विकास प्राधिकरण के माध्यम से, उनको शीघ्र ही वापस लेने संबंधी आदेश देंगे। श्रीमन्, साथ ही मैं आगरा विकास प्राधिकरण की बातें भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि वहां पर न तो इस समय मुख्य अभियन्ता हैं और इनसे नीचे के स्टाफ में जैसे सहायक अभियन्ता वहां 16 होने चाहिए, तो केवल 10 ही से काम चलाया जा रहा है और जूनियर इंजीनियर 39 होने चाहिए तो 29 ही से काम चलाया जा रहा है । एक भी आर्कीटैक्ट प्लानर व अ0स0 टाउन प्लानर व सहायक आर्कीटैक्ट नहीं है । तो आपका जब पूरा स्टाफ ही नहीं होगा तो काम सुनिश्चित रूप से किस प्रकार से चल सकेगा । मैं मान्यवर, संसदीय परम्पराओं का ही निर्वहन करने का बहुत आदी हूं। श्रीमन्, एक सहायक अभियन्ता हैं, सदन में नाम नहीं लूंगा वहां पर 18 साल से कार्यरत है । आगरे में ही उन्होंने 10 लाख रु0 की लागत की एक कोठी बनवा रखी है, परन्तु रहते हैं विकास प्राधिकरण के किराए के फ्लैट में । इनके विरुद्ध कई मामले चल रहे हैं, विजिलेंस जांच चल रही है । लेकिन कोई कार्यवाही इनके विरुद्ध अभी तक नहीं हो पा रही है, केवल एक बार साल डेढ़ साल के लिए कानपुर गए थे, फिर आगरा आ गए तो श्रीमन्, यदि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति जब तक कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जायेगी तो यह भ्रष्टाचार और सर चढ़ेगा, इसलिए इनके विषय में विचार अवश्य किया जाए।

मान्यवर, जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार ने नेशनल अर्बन डेवलपमेन्ट पालिसी को निर्धारित करने के लिए एक कमीशन का गठन किया है, जिससे कि शहरों का सुनियोजित ढंग से विकास किया जाए, उसी प्रकार यदि उत्तर प्रदेश सरकार भी उ0 प्र0 अर्बन डेवलपमेन्ट पालिसी बनाने हेतु एक कमीशन का गठन करे, जिससे प्रदेश में शहरों का सुनियोजित ढंग से विकास हो सके । मैं श्रीमन्, यह सुझाव देना चाहूंगा कि विकास प्राधिकरण द्वारा पालीवाल पार्क, सुभाष पार्क और शाहजहां पार्क जो उपेक्षित पड़े हुए हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं इन पार्कों को देखकर आगरे की छवि और धूमिल होती है, इसलिए श्रीमन्, इन पार्कों के सौन्दर्यीकरण और महात्मा गांधी सड़क के चौराहों के सौन्दर्यीकरण के लिए भी उचित मात्रा में प्राथमिकता के आधार पर धन की व्यवस्था की जाए । मान्यवर, हमारे यहां नगर पालिकाओं के द्वारा संचालित जो चिकित्सालय हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय

है, 5 डाक्टरों में से आज केवल 2 डाक्टर्स ही काम कर रहे हैं, जब इस सम्बन्ध में पिछले साल यहां प्रश्न उठाया गया था तो मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि हम आयोग के चयन के बाद ही उपलब्ध करा सकेंगे, जबकि हमारे यहां मान्यवर, कुछ डाक्टर्स ऐसे भी हैं जो डेलीवेजेज पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे डाक्टरों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए आप आदेश जारी करें जब तक कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन से डाक्टर नहीं मिल जाते हैं। शासन ने लखनऊ व कानपुर को बहुत धन एलाट कर दिया, लेकिन आगरा के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कृपया आगरा को भी समुचित धन देने की व्यवस्था करने का कष्ट करें। इन शब्दों के साथ आपके बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूं।

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा अभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया और मैं डाक्टर कौशल साहब का भी आभारी हूं कि उन्होंने माननीय शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का ही समर्थन पूरा-पूरा अपने भाषण में किया। यह बात और है कि शुरू-शुरू में उन्होंने कहा कि मैं इस पक्ष से बोल रहा हूं। और यह जो पुस्तिका बजट के सम्बन्ध में दी गयी है इसको पढ़ रहा था, तो इसमें उन्नाव जिले की जो टाउन एरियाज हैं, उनके संबंध में मैं कुछ जानकारी कर रहा था, उसमें केवल दो टाउन एरिया का जिक्र किया गया है। उन्नाव जिले की सबसे बड़ी और प्रदेश की 4 बड़ी तहसीलों में से एक तहसील केन्द्र पुरवा टाउन एरिया का जिक्र इस पुस्तिका में नहीं किया गया है। उसकी आबादी 15 हजार है। ऐसे विशाल उप नगर वाले नगर क्षेत्र समिति की चर्चा इस पुस्तिका में नहीं है। यह बड़ा खेद है। वहां पर अधिकारियों की तरफ से चुंगी वसूली की व्यवस्था की गई है, बैरियर्स लगे हैं। वहां पर जो बैरियर्स पार करते हैं, अगर लोग लाश भी लेकर जाते हैं, तो उनसे चुंगी वसूल की जाती है। गरीब लोग अपने खेत से चारा काट कर लाते हैं, तो उनसे भी चुंगी वसूल होती है। कोई विकास कार्य नहीं होता है। मौरावां भी इसी प्रकार से एक बड़ी टाउन एरिया है। चुंगी के नाम पर वहां पर लोगों की मूछें नोच ली गई। बिजली विभाग का टाउन एरिया मौरावां पर 70 हजार रु0 बकाया है और लगभग 75 हजार रु0 पुरवा टाउन एरिया पर बकाया है। बिजली विभाग ने अभी 1 माह पहले मौरावां टाउन एरिया का कनेक्शन काट दिया था, जिलाधिकारी के दबाव पर बिजली विभाग ने पुनः अस्थाई कनेक्शन दे रखा है। इसके अलावा इस बजट पुस्तिका में तमाम योजनाएं दी गई हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। जल निगम की तमाम योजनाओं का इस पुस्तिका में जिक्र किया गया है। जल निगम ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्ड पम्प भी लगाता है। पुरवा तहसील के गांव मबई में एक हैंड पम्प लगा था, लगने के तीन महीने बाद बन्द हो गया। इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी व अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जल निगम पर शासन का करोड़ों रुपया खर्च होता है। जो हैंड पम्प जल निगम द्वारा 10 हजार रु0 में लगाया जाता है, वह बाजार में 6-7 हजार रु0 में मिल जाता है। इस वक्तव्य के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल निगम के बड़े-बड़े

अधिकारी व इंजीनियर्स इस हैण्ड पम्प की खरीद के घपले में लाखों रु0 का फायदा उठाते हैं। मेरा विनम्र आरोप है कि इसमें राजनैतिक नेतृत्व की भी साझेदारी है । पुरवा तहसील में एक सेमरी गांव है । वहां पर हैण्ड पम्प लगाने इंजीनियर्स गए, उन्होंने वह हैण्ड पम्प गांव के बाहर घूरे पर लगा दिया । जब मैंने यहां पर शिकायत की, तो जांच के लिए अधिशासी अभियन्ता गये । अधिशासी अभियन्ता ने जब स्वयं उस हैण्ड पम्प का पानी पीकर देखा, तो स्वयं थूक दिया, उन्होंने कह दिया कि कड़ुआ है, लेकिन गांव वाले पी सकते हैं । इन बातों को ध्यान में रखकर जिन विद्वान सदस्यों ने बजट प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वह चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों, वह कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करें ।

जब जल निगम के अधिशासी अभियन्ता उस पानी को एक सेकेंड भी मुह में नहीं रख सके तो उस पानी को गांव के लोग कैसे पी सकेंगे? इस प्रकार जल निगम और अन्य योजनाओं को जो करोड़ों रुपये दिये होगा वह सब बेकार हो जायेगा मेरा आरोप है कि यह सारा रुपया बड़े-बड़े अधिकारी और अभियन्ता कागज में हेरा-फेरी करके हजम कर जायेंगे। यह नगर पालिकाओं और नगर विकास के किसी काम में मिलने वाला नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि सभी माननीय सदस्य माननीय शतरुद्र प्रकाश द्वारा पारित कटौती के प्रस्ताव को पारित करवायें ।

श्री प्रदीप माथुर—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और विपक्ष द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मथुरा-वृन्दावन की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मथुरा-वृन्दावन भगवान कृष्ण की पावन भूमि है वहां पर फ्लोटिंग पापुलेशन में लाखों तीर्थ यात्री आते हैं परन्तु यदि आप वहां विचरण करें तो ऐसा प्रतीत होगा कि आप नरक में विचरण कर रहे हैं । इसके पीछे कारण है वहां की नगरपालिका, वहां के अक्षम अधिकारी और वहां पर पैसे का न हो मान्यवर, वहां पर गन्दगी की हालत यह है कि हम उसका विवरण ही यहां पर नहीं कर सकते हैं । वहां पर शौचालयों की स्थिति ऐसी है कि वहां पर कोई शौच के लिए जाना नहीं चाहता । महिलाओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है, वह नहीं जा पाती है। आप वहां पर शौचालयों के लिए तुरन्त ग्रान्ट देने की कृपा करें । यही हालत पेय जल की है वहां पर खारा पानी निकलता है । वहां पर 17 नाले हैं जो कि यमुना नदी में जाकर गिरते हैं । वहां पर साड़ी उद्योग है जिसका रंगीन पानी यमुना में छोड़ा जाता है । वहां पर गोकुल में गोकुल बेराज बनाया जाय और सब नालों को टैप कर दिया जाय जिससे यमुना नदी साफ हो सके । मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा जो कार्य कराया जाता है उसमें भारी कमीशन लिया जाता है, भारी घपला है । वहां पर गरीबों को हम मकान कैसे देंगे, सब रेता ही रेता है? वहां पर जो मकान बन रहे हैं उसकी उनकी स्थिति यह है कि जब माननीय मंत्री जी का दौरा हुआ था और उन्होंने ठोकर लगाई थी तो प्लास्टर गिर गया था । मंत्री जी ने स्वयं देखा और मैंने भी कई बार इस बारे में शिकायत की परन्तु उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई । यह बड़े ही खेद की

बात है । वहां पर मास्टर प्लान का कोई उपयोग नहीं होता । नक्शा पास नहीं होता जो व्यक्ति 5 हजार या 10 हजार रु0 देगा उसका नक्शा पास हो जायेगा । मास्टर प्लान के लिए कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं है । मान्यवर, यदि इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी तो वहां भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा । मान्यवर, यदि आप प्रकाश व्यवस्था को देखें तो रोज वहां पर लूट मार होती रहती है । यह बहुत ही खेद का विषय है, यदि हमें कोई लूट ले तो कोई बात नहीं परन्तु जो भगवान कृष्ण के दर्शनों के लिए तीर्थयात्री आते हैं, लुटेरे उन्हें लूट लेते हैं तब वह हमारे पास आते हैं और उस समय हम लोग मुंह दिखाने काबिल नहीं रहते । आप वहां पर प्रकाश व्यवस्था के लिए पैसे का तुरन्त प्रबन्ध करें और अधिकारियों को निर्देश दें कि वे इस कार्य को अच्छी तरह से देखें। वृन्दावन में 300 ट्यूब लाइट्स लगाई गई थीं परन्तु इस समय एक भी ट्यूब लाइट नहीं जल रही है । मेरे बार-बार कहने के बावजूद उसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो या तो उसमें भारी कमीशन लिया गया या फिर जन प्रतिनिधि की उपेक्षा हो रही है । इसी तरह से सड़कों के बनाने में भी भारी कमीशन खाया जा रहा है । सड़कें बनाई जाती हैं, उखड़ जाती हैं, जनता हमसे कहती रहती है। मान्यवर, इसके अलावा मोहल्लों की हालत भी बहुत खराब है। मैंने माननीय मंत्री जी को वहां का दौरा कराया था । वहां पर जगह-जगह नालियां टूट गई हैं, खड़ंजे टूट गये हैं । वहां पर एक हजार मकान ऐसे हैं जो कि बुरी तरह चटक गये हैं और किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है । मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर विशेष ध्यान देकर समुचित धन का प्रबन्ध कराने की कृपा करें । मथुरा-वृन्दावन को तीर्थस्थली मानते हुये विशेष अनुदान की व्यवस्था करायें । वहां पर पेयजल की व्यवस्था जल्दी से जल्दी करायें । इन शब्दों के साथ मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूं ।

*डा0 दिनेश जौहरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । आगरा के बारे में डाक्टर कौशल से आप सुन चुके हैं, बरेली का और सुन लें । मान्यवर, डाक्टर जाकिर हुसैन, जब राष्ट्रपति थे तो बरेली आये थे, नगरपालिका की तरफ से उनका अभिनन्दन किया गया था । उस समय उन्होंने कहा था नगरपालिका के तीन काम हैं– बिजली, पानी और सफाई । अगर नगरपालिका बिजली नहीं दे सकती, पीने का पानी नहीं दिला सकती, नगर की सफाई नहीं करा सकती है तो इन नगरपालिकाओं को चलाने का कोई औचित्य नहीं है, इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाना चाहिए। आज मैं फिर उसी बात को याद दिलाता हूं, कई बार मंत्री जी के पास गया । वही तीन समस्यायें बरेली की हैं, वही ढांक के तीन पात । रोज वही समस्यायें लेकर मैं अधिकारियों के पास जाता हूं। 80 प्रतिशत खम्भे ऐसे हैं जिनके बल्ब नहीं जलते हैं । जो पुस्तिका दी गई है, उसके अनुसार एक सौ वर्ग मील का शहर का क्षेत्र है, पिछले साल 3 हजार 4

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सौ, 5 सौ बल्ब दिये गये। आधे तो वहां पहुंचे नहीं, जो पहुंचे उसमें से आधे जलते नहीं हैं। सोडियम और मरकरी लाइट से जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। जब तक गलियों में छोटे-छोटे बल्ब नहीं जलेंगे। प्रकाश की व्यवस्था नहीं हो रही है। नालियों की यह हालत है कि बरेली में गन्दगी का साम्राज्य है। मैं निवेदन करूंगा कि सिविल लाइन जो सबसे अच्छा क्षेत्र है, मंत्री जी वहां किसी बरामदे में बैठ जायं, मच्छरों का आपके ऊपर ऐसा आक्रमण होगा कि आप आधे घंटे नहीं बैठ सकती हैं, न खाना खा सकती है न किसी से बात कर सकती है। मैं माननीय मंत्री जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि केवल बरेली में ही नहीं पूरे प्रदेश में मच्छरों का इतना प्रकोप हो रहा है कि मलेरिया और मस्तिष्क ज्वर फिर आने वाला है और अगले बजट में बहुत बड़ी तोहमत आप पर लगने वाली है। पानी की व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर 44 नल लगे हैं। 4 जल स्तम्भ बने हैं। महापालिका बने 4-5 साल हो गये, 100 वर्गमील के शहर में 44 नल क्या माने रखता है? जल कर और गृह कर के बारे में बताना चाहूंगा कि महापालिका के कर्मचारी गैंग बनाकर मुहल्लों में चलते हैं कि इतना धन नहीं दोगे तो इतना ज्यादा कर लगा दिया जायेगा। नागरिक कहते हैं कि हमारा मकान तो इतना छोटा है, इतना कर क्यों लगा रहे हो तो सीधे कहते हैं कि ऊपर तक देना पड़ता है। एक समस्या रिक्शा चालकों की है, जाड़ा, गर्मी और बरसात में उनको खुले में खड़ा होना पड़ता है। आधा इंसान और आधा जानवर की जिन्दगी रिक्शे वालों की होती है, उनके खड़े होने का कोई स्थान बनवा दें। 8-10 स्टैण्ड बनवा दें, जहां वह खड़े हो सकें। नगरपालिका की तारीफ के साथ-साथ मैं बरेली विकास प्राधिकरण के बारे में बताना चाहता हूं। यह तो डकैतों का गिरोह है, नीचे से लेकर ऊपर तक सचिव के ड्राइवर तक इसमें शामिल है, यह किसी को बख्शते नहीं हैं। विकास प्राधिकरण के द्वारा टिबरीनाथ कम्पलैक्स बनाया गया। नक्शे के अनुसार मकान नहीं बने और उनका आकार छोटा कर दिया गया तथा दाम 4 गुना कर दिया गया। विकास प्राधिकरण यदि छोटे लोग एक ईंट भी ज्यादा लगवा लें तो 2 हजार से 10 हजार तक जुर्माना करता है। विकास कार्य तो सारा रुक गया है। जो पुरानी कहावत है कि ये विकास प्राधिकरण नहीं, विनाश प्राधिकरण है। ये नागरिकों का शोषण कर रहे हैं और आम आदमी का शोषण कर रहे हैं और उनका रहना दूभर कर दिया है। मैं कहना चाहूंगा कि यह फाइन जो लगा दिया है मिनिमम दो हजार रुपये का, इसको खत्म कर दिया जाय। छोटे-छोटे निर्माण होते हैं, उन पर दो हजार फाइन कर दिया है। मंत्री जी से निवेदन है कि इसको समाप्त कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्रीमती उमा त्रिपाठी–

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत बजट नगर विकास के लिये मैं इसका समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं। किसी भी शहर में झुग्गी झोपड़ी अपना अलग

स्थान और महत्व रखती है। नगर विकास कार्यक्रम में इसके अन्तर्गत झुग्गी झोपड़ी के विकास के लिये मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना चलायी जा रही है। मान्यवर, इसमें 56 नगरों को लिया गया है। इसके अन्तर्गत जो योजना चल रही है, इसमें बस्तियों में नल, पानी और खडंजा, पानी की लाइन, बिजली की लाइन, स्नानागार और सुलभ शौचालय, इन सबकी व्यवस्था इसमें की जाती है, जिससे मलिन बस्तियों में रहने वालों को ये सुविधायें उपलब्ध हो सकें। मान्यवर, 1981-82 की जनगणना के आधार पर 40 लाख व्यक्तियों को झुग्गी झोपड़ी की श्रेणी में लिया गया है, जिन को यह सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसमें 6.70 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त 1985 और 1986 में इस योजना में 1.50 (एक लाख 50 हजार) लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। फरवरी तक इसमें 1,69,603 लोग लाभान्वित किये जा चुके हैं। चूंकि वर्ष अभी बाकी है, इसलिये इसमें और अधिक लोग लाभान्वित करायें जायेंगे, जो बाद में पता चलेगा। मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत जो नगर लिये जाते हैं, उनमें स्थानीय निकायों का काम करने के लिये 200 रुपया प्रति व्यक्ति धन दिया जाता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिये 1986-87 के लिये 300 लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से हरदोई जनपद की ओर मा0 मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। वर्ष 1984 में 6 लाख रुपये मार्ग प्रकाश के लिये मांग की गयी थी, जो अभी तक दी नहीं गई है। मान्यवर, मार्ग व्यवस्था में बाधा न पड़े, इसलिये मंत्री जी से अनुरोध है कि यह धन तत्काल दिलाने की व्यवस्था करें। दूसरे मान्यवर, हरदोई में कोई स्टेडियम नहीं है, जहां बच्चे खेल कूद सकें। इसलिये एक इन्डोर स्टेडियम की व्यवस्था के लिये मा0 मंत्री जी से अनुरोध है। हरदोई में ड्रेनेज और सड़कों की व्यवस्था को ठीक करने के लिये मंत्री जी से अनुरोध है कि वे अधिक धन वहां के लिये दें, ताकि इसकी व्यवस्था की जा सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से चाहती हूं कि हरदोई जनपद में जो भी सार्वजनिक स्थल बने हुए हैं, उनके रखरखाव के लिये अधिक धन की आवश्यकता होती है, उसकी भी व्यवस्था करावें। इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत नगर विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, उस कटौती के प्रस्ताव के समर्थन के कारण हैं। मान्यवर, 1978 से स्वायत्तशासी संस्थाएं मृत प्राय पड़ी हुई हैं। नगर निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं जिसके कारण आज प्रशासनिक अधिकारी इन नगर निकायों के प्रशासकों के पदों पर बैठे हुए हैं, इसके कारण न जनता की सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है और न नगर विकास सम्बन्धी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य भली प्रकार सम्पन्न हो रहे हैं। मान्यवर, जितना अनुदान जितने वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाते हैं, उनका खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। मान्यवर, जब यह चुनी हुई संस्थाएं थीं, तो वह चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जबाबदेह थे और यह उनका उत्तरदायित्व रहता था कि जनता की समस्याओं का निराकरण करें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर निकायों के भंग होने के बाद पिछले 9 वर्षों से इन नगर निकायों के प्रशासकों ने जो धन का व्यय किया है, आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई और न कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक आयोग का गठन करें जो यह देखे कि पिछले 9 वर्षों में प्रशासकों ने पैसे का कितना दुरुपयोग किया है और उसका मूल्यांकन करे तथा जो भी दोषी पाये गये अधिकारियों के लिये वह संस्तुति करे, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो। मान्यवर, अल्पकालिक व्यवस्था अधिनियम, 1977 के तहत इन प्रशासकों को नियुक्त किया गया, उसके बाद से आज से नगर निकायों के प्रशासकों ने कितना दुरुपयोग किया है, इसकी जांच कराना जरूरी है। मान्यवर, यह कहा जाता है कि नगर निकायों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आये दिन वहां के कर्मचारी हड़ताल और अनशन करते रहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शांति बनाये रखें।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, इस परिपेक्ष्य में मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे महावीर प्रसाद श्रीवास्तव आयोग की रिपोर्ट हो या वेतन आयोग की रिपोर्ट हो–इन दोनों आयोगों की रिपोर्टों में नगरपालिकाओं को स्वावलम्बी बनाने, वित्तीय संसाधन जुटाने सम्बन्धी भी संस्तुतियां की गयी हैं और, उन सिफारिशों को सैद्धांन्तिक रूप से सरकार ने भी स्वीकार किया है। लेकिन, आज तक वह संस्तुतियां लागू नहीं की जा सकीं। मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मान्यवर, शासकीय विभागों को चुंगी से छूट है। शासकीय विभाग चाहे पी0 डब्लू0 डी0 हो या आर0 ई0 एस0 हो–यह अपने सारे निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराते हैं। यह ठेकेदार अपना माल ले आते हैं और उनको यह छूट का लाभ मिल जाता है वह कहते हैं कि सरकारी विभाग के लिये जा रहे हैं। मान्यवर, मेरा यह मत है कि इस छूट को समाप्त किया जाय और सामान्य की भांति इसे वसूला जाय और इस वसूले गये पैसे को नगर निकायों द्वारा विकास सम्बन्धी कार्यों में लगाया जाय और इस सम्बन्ध में वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं, उसे लागू किया जाय।

मान्यवर, कराधान समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाय। मान्यवर, उसमें प्राविधान है कि नगर निकायों की आर्थिक स्थिति को कैसे सुधारा जाय। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि मनोरंजन कर को नगरपालिका का कर पूर्ण रूप से माना जाय। इस संबंध में महावीर कमेटी और वेतन आयोग दोनों ने अपनी संस्तुति की है। मैं

यह कहना चाहता हूं कि सरकार उसको वसूले और अन्य विभागों की भांति इससे 2 प्रतिशत वसूली चार्ज काट लें। मान्यवर, इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि निबन्धन शुल्क पर 2 प्रतिशत विकास शुल्क के रूप में लिया जाता है जोकि विकास प्राधिकरण में चला जाता है । मान्यवर, जबकि नगर के रख रखाव एवं स्वच्छता कार्य नगरपालिका का है । मैं यह कहना चाहता हूं कि निबन्धन शुल्क पर 2 प्रतिशत जो विकास शुल्क लिया जाता है, वह आय नगरपालिका को मिलनी चाहिये । मान्यवर, म्यूनिसपल फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना के सम्बन्ध में वेतन आयोग और महावीर कमेटी ने भी बात कही है। मान्यवर, उसकी स्थापना से आर्थिक संसाधन जुटेंगे और जनता को लाभ होगा । मान्यवर, आज प्राविडेंट फण्ड की धनराशि जो पोस्ट आफिस में पड़ी है, उस पर 5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है । और जब उसी से ऋण लिया जाता है तो 18 प्रतिशत ब्याज लेते हैं। मान्यवर, इसकी स्थापना से नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। मान्यवर, राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार जिस आधार पर आयोजनाओं के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है, उसी आधार पर स्थानीय निकायों को अनुदान दिलाया जाय । इस संबंध में वेतन आयोग ने भी अपनी संस्तुति की है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे मण्डी परिषद् नगरों में है, मण्डियों का रख रखाव, वहां सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था यह सब नगरपालिकाओं के अन्तर्गत है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मण्डी परिषद् का 50 फीसदी पैसा नगर क्षेत्र में लगाया जाय, यह नगरपालिकाओं को दिया जाना चाहिये । मान्यवर, राजकीय परिसरों की सफाई के लिये नगरपालिका का दायित्व होता है। जब भी कोई मंत्री कहीं आता है, सारे कर्मचारी वहां सफाई के लिये जुटाये जाते हैं। जनता की सुविधाओं से नगरपालिकाओं का ध्यान विचलित न होने पाये इसके लिये यह आवश्यक है कि राजकीय परिसरों की सफाई आदि की व्यवस्था का कार्य संबंधित विभाग द्वारा किया जाना चाहिये। मान्यवर, नगर विकास की अन्य समस्याओं में जल भराव की समस्या भी है। पी0 डब्लू0 डी0 विभाग वाले सड़क बनाते हैं, तो सड़क बनाने के साथ साथ जल निकासी का काम उनके जिम्मे किया जाय या कोई समुचित व्यवस्था की जाय कि जल की निकासी कैसे होगी। छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में पीने के पानी की गम्भीर समस्या है इसलिए मैं शासन से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पेय जल की समुचित व्यवस्था पर ध्यान दिया जाय। सेवा सुधार के बारे में वेतन आयोग ने भी सिफारिशें की हैं, इसलिए उन सिफारिशों को लागू किया जाय । महापालिकाओं को 'ए' श्रेणी में, नगरपालिकाओं को 'बी' श्रेणी में और टाउन एरियाज/नोटिफाइड एरियाज को 'सी' श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया जाय। 1981 की जनगणना को आधार मानकर नगरपालिकाओं को वर्गीकृत कर उसी अनुरूप में ही उनको सुविधा उपलब्ध करायी जाय।

मान्यवर, यहां पर निदेशालय की स्थापना की गयी है। यह निदेशालय सफेद हाथी बनता जा रहा है। न तो इसमें कोई सोच है और न ही इसका कोई दर्शन है और न ही इसकी कोई विकास योजना है इसीलिए मैं चाहूंगा कि निदेशालय में नागरिक सेवाओं के लिए शोध कार्य होना चाहिए और विकास की योजनाएं बननी चाहिए। स्थानीय निकायों के

वित्तीय संसाधन और नागरिक सेवाएं बढ़ सकें इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जो अनावश्यक रूप से व्यय किया जाता है उसे रोका जाय । निदेशालय की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय निरीक्षणालय की स्थापना की जाय। वेतन आयोग ने भी इसकी संस्तुति की है। निदेशालय के सभी पद जिस प्रकार अन्य विभाग के अधिकारियों को मिले हैं उसी प्रकार केन्द्रीयित सेवारत योग्य अधिकारियों को मिलना चाहिए । 8(8) पर वेतन आयोग ने संस्तुति भी की है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस बात के लिए सरकार पर दबाव डालें कि वह वेतन आयोग और महावीर कमेटी की रिपोर्ट को लागू करें।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित–

माननीय, मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । मैं कानपुर शहर के सबसे घने क्षेत्र से चुनकर आया हूं।मुझे सबसे बड़ी शिकायत प्रदेश सरकार से है। कानपुर 30 लाख की आबादी वाला शहर है। यहां पर 4 इन्जीनियरिंग कालेज हैं, 12 सुरक्षा प्रतिष्ठान हैं, आई0आई0टी0 यहां पर है और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यहां पर है लेकिन प्रदेश सरकार कानपुर के लिए बजट में जो धन आवंटित करती है वह नगण्य है। इस शहर में 2200 किलो मीटर सड़कें हैं और उसमें साढ़े तीन सौ किलोमीटर सड़कें कच्ची हैं। प्रतिवर्ष बजट में जो धन आवंटित किया जाता है वह केवल 1/4 सड़कों को ही स्पर्श कर पाता है शेष 3/4 सड़कों की न कोई मरम्मत हो पाती है और न ही नवीनीकरण हो पाता है । प्रदेश सरकार को ज्ञातव्य होगा कि कानपुर शहर से प्रदेश सरकार को लगभग 100 करोड़ रु0 टैक्स के रूप में सीधे प्राप्त होता है जोकि नगरपालिकाओं को नहीं जाता है इसके एवज में बजट में जो धन नगर महापालिका हेतु आवंटित किया जाता है वह मुश्किल से ढाई करोड़ रु0 के करीब होता है इसलिए मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विभीषिका को देखते हुए कानपुर के लिए समुचित धन का आवंटन करने का कष्ट करें।

माननीय, पेय जल के बारे में माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । पिछले वर्ष भी मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से कहा और इस आदरणीय सदन में भी प्रार्थना की थी कि जल संस्थान कानपुर को सीवर के काम से मुक्त कर दिया जाय । अन्यथा वह पेय जल एवं सीवर के कार्य में किसी के प्रति भली प्रकार वह निर्वहन नहीं कर पायेगा। अतः यह आवश्यक है कि सीवरेज का काम जल संस्थान से ले लिया जाय और उसके पास केवल जल आपूर्ति का काम ही रहने दिया जाय जिससे कि जल आपूर्ति का कार्य कुशलता पूर्वक कर सके ।

माननीय, नगर महापालिकाओं में सिस्टम वर्षों पहले चालू किया गया था। खेद है कि जितने भी जोनल अधिकारी होते हैं वह नगर महापालिका हेड क्वार्टर पर बैठते हैं। नगर महापालिका कार्यालय से कुछ क्षेत्रों की दूरी 12 किलो मीटर है इस लिए यह आवश्यक है कि जितने भी जोनल अधिकारी हैं वह अपने-अपने जोन में बैठें जिससे कार्य निपटा सकें उन्हें निर्णय लेने का भी अधिकार दिया जाय।

माननीय, सबसे बड़ी बात है समन्वय की। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत से नागरिक अपनी समस्या लेकर सुदूर मोहल्ला से नगर महापालिका नहीं जा पाते हैं । खेद है कि कानपुर में टी0 बी0 के मरीजों की संसार में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। इसके साथ ही एक चीज

और जुड़ गयी है कुष्ट रोगियों की यह रोग वहां पर बड़ी तेजी से हो रहा है। इसलिए कानपुर की इस विभीषिक को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां की नगरपालिकाओं को यदि समुचित धन नहीं दिया जायेगा तो यह विभिषिका वहां पर बढ़ती जायेगी। उनको दूर किया जा सके । मेरा पुन: आग्रह है मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से कि इसमें विशेष ध्यान दें और कानपुर के लिये अलग से मानीटरिंग सेल बनायें और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया पर प्रेशर डालें कि अलग से धन आवंटित किया जाय ।

श्री गोपाल दास यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं ।

आज कटौती के प्रस्ताव में जो यहां पर सुझाव आये हैं, ईमानदारी के साथ अगर नगर का विकास करना है, जो प्रदूषित पानी आप पी रहे हैं, उसकी सफाई करानी है, तो जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, उसको ईमानदारी से लागू करें । मैं कहना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद में नगरमहापालिका में पूर्व पद्धति चली आ रही है। पं0 जवाहर लाल नेहरू जैसे लोग भी नगरमहापालिका के चुनाव में लड़ा करते थे और चेयरमैन मनोनीत हुआ करते थे। यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है । जो गन्दगी का साम्राज्य है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी कितनी है। सरकार ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, वह नहीं चाहती है कि जनता के नुमाइन्दे वहां पर पहुंचें। ब्यूरोक्रेट्स चालाक हैं, वे चाहते हैं कि चुनाव न हों। सबसे प्रमुख कारण है कि जनता के नुमाइन्दे अगर वहां पर नहीं जायेंगे, जनता का सहयोग नहीं होगा तो कार्य सुचारु रूप से नहीं होगा ।

माननीय मंत्री जी एक महिला हैं। महिला होने के नाते वे जानती हैं कि घर की सफाई कैसे होती है। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक महिला को नगर की सफाई के लिये जिम्मेदारी दी है, लेकिन माननीय मंत्री जी सारी सच्चाई को जानते हुए भी कि ब्यूरोक्रेट्स लाभ उठा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रही हैं। इलाहाबाद में एक स्थान है भभक्करपुर, जहां पर धर्मवीर जी रहा करते थे, सभी जानते हैं कि वहां अमरूद के बाग थे, लेकिन नगर विकास के नाम पर आवास विकास के नाम पर, जो इलाहाबाद की संस्कृति थी, इन अधिकारियों ने उसको नष्ट कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि जो इलाहाबाद की संस्कृति है, मर्यादा है, उसकी रक्षा की जाय । दूसरी बात कहना चाहता हूं कि जो आज यहां जल निगम है और जल संस्थान है, ये दो ऐसे विभाग हैं, जल संस्थान पानी की आपूर्ति करने के लिये सक्षम था लेकिन जब से जल निगम बन गया है, यह सफेद हाथी की तरह काम कर रहा है । मैं कहना चाहता हूं कि जल निगम शहर में जो काम करता है, वह अगर जल संस्थान को दे दिया जाय तो शहरों में पानी की आपूर्ति की समस्या हल हो सकती है । करोड़ों रुपया वहा दिया जाता है, लेकिन कार्य कुछ नहीं होता है। अगर जल संस्थान को पूरी जिम्मेदारी दे दी जाय तो यह पानी सप्लाई करने में सक्षम होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने की अनुमति मांगने पर व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

जो जल संस्थान द्वारा पानी की आपूर्ति होती है, उसमें क्लोरिन और ब्लीचिंग पाउडर की मिलावट नहीं की जाती है। हमारे यहां जो खाद्य पदार्थ हैं, अगर आप उसकी सैम्पलिंग करायें तो दाल में रंग मिलेगा, जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, दूध लीजिये तो उसमें भी मिलावट है। एक तरफ नगर महापालिका गन्दगी फैला रही है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक खाद्य पदार्थ हैं। मेरी मांग है कि इन सब पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जाय। इसी के साथ ही कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

यादव जी, कृपया अब आप क्षमा करें।

श्रीमती विमला सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं....।

श्री अधिष्ठाता–

मेरी एक प्रार्थना है कि जो माननीय सदस्य या सदस्यायें बहुत कम बोलते हैं उनको बोलने के लिये मौका दिया जाये इसलिये आप लोग शान्त हो कर सुनिये।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है. मेरा निवेदन है कि समय कम है और बोलने वालों की संख्या अधिक है इसलिये आप समय देते समय केवल दो-दो मिनट का ही समय लोगों को बोलने के लिये दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य ने एक बिन्दु की ओर अभी मेरा ध्यान आकृष्ट किया, मैं उससे सहमत हूं।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, कोई व्यवस्था देने से पहले मेरी एक बात सुन लें। आपसे अनुरोध है कि नगर विकास का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और इस पर पहले दो तीन दिनों तक बहस हुआ करती थी, अब इसके लिये एक दिन भी नहीं दिया है तो बोलने वालों की रुचि को देखते हुए इसका आधा घण्टा का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

वह तो हो ही जायेगा। अभी कृपा करके आप लोग केवल 5 मिनट के समय में ही अपनी बात को रखें और कोशिश करें कि अपने आप समय को न बढ़ने दें, मुझे टोकने का मौका न दें।

श्रीमती विमला सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है उसका अवलोकन करते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं और यह कह सकती हूं कि नगर विकास के लिये यह बड़ा ही उपयोगी बजट उन्होंने प्रस्तुत किया है। नगर विकास की प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति इस बजट के द्वारा की जा सकती है।

मान्यवर, समय कम है इसलिये मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर संक्षेप में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी जो कि मोदीनगर की octroi यानी कि चुंगी के बारे में है। मोदी नगर के पास ही गाजियाबाद है परन्तु यदि आप दोनों जगहों के चुंगी के दरों को देखें तो आपको पता चलेगा कि दोनों की तुलना में चुंगी के दर में कितना अधिक अन्तर है। संक्षेप में उदाहरण के रूप में मैं दो-चार चीजों के बारे में बतलाना चाहती हूं और उनके आंकड़े देना चाहती हूं। गाजियाबाद में कच्चे सूत का चुंगी दर 10 पैसा है जबकि यह मोदीनगर में 1 रु0 के हिसाब से लिया जाता है। बिजली के सामान का गाजियाबाद में 10

पैसा और मोदीनगर में 2.50 है। इसी प्रकार से पक्की ईंट का गाजियाबाद में प्रति हजार 4 पैसा और मोदीनगर में 2.00 रु0 है । कपास का गाजियाबाद में 10 पैसा और मोदीनगर में 30 पैसा है । स्टेशनरी का गाजियाबाद में 4 पैसा और मोदीनगर में 1.50 है । इसी तरह से अन्य आइटम्स में भी चुंगी की दरों में बहुत ज्यादा अन्तर है । मैं बार-बार शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करती रही हूं लेकिन कुछ उद्योगपतियों की चीजों के लिये तो हल निकला है परन्तु आम जनता के उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं पर अब भी बहुत बड़े अन्तर के रूप में यह वहां पर विद्यमान है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि यहां एक मुख्य सड़क पर डिवाइडर की बहुत बड़ी समस्या है, कई मौतें उसके कारण से हो गयी हैं । उस पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, डिवाईडर भी टूटा पड़ा रहता है । इसलिये उसको ठीक कराया जाय तथा यहां बिजली की व्यवस्था सुलभ करायी जाय ।

यहां पर पेयजल का भी बहुत संकट है । टंकी बनाने का प्रस्ताव शासन की ओर से आया था लेकिन वह टंकी आज तक नहीं बन पायी है, कृपया उसे भी अविलम्ब बनवाने की व्यवस्था की जाय। इसी तरह से मजदूरों की बस्तियों में बिजली और पीने के पानी का प्रबन्ध नहीं है । पिलखुवा में हैण्डलूम और पावरलूम के सूत पर चुंगी अधिक पड़ने के कारण वह बहुत महंगा पड़ जाता है इसलिये इस पर बिक्री-कर को भी कम किया जाय ।

आज नगर महापालिका की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, उसी तरह से शहरों की गन्दगी भी बढ़ती चली जा रही है और सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है । इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । जहां आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ रही है उसी तरह से सफाई कर्मचारी बढ़ने के बजाय कम होते चले जा रहे हैं । पहले नालियों की सफाई के लिये भिश्ती जरूरी रखे जाते थे जबकि आज उनकी कहीं जरूरत नहीं समझी जा रही है और शहरों की नालियां गंदी पड़ी रहती है जिसको साफ कराने की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है। सफाई कर्मचारियों की संख्या में विशेष रूप से भिश्ती तथा सफाई कर्मचारी बढ़ाये जायं । यह मेरा सुझाव है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे श्री शतरुद्र प्रकाश द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये मौका दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं और मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट का विरोध करता हूं । कटौती के प्रस्ताव में कहा गया है कि बजट की धनराशि को घटा कर एक रुपया कर दिया जाय लेकिन मैं तो कहता हूं कि इनको एक रुपया या एक पैसा भी न दिया जाय ।

जो विभाग 20-20 सालों से लोकतन्त्र की हत्या करते हुए स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं करा है । नगर पालिकायें महापालिकायें और टाउन एरिया जो कि जन प्रतिनिधियों से विहीन पड़ी हुई

है, गत वर्ष भी उनके चुनाव को बढ़ा दिया गया और इस वर्ष भी 31 दिसम्बर 86 तक इसको बढ़ा दिया गया है। वहां पर नौकरशाही हावी है । घोर भ्रष्टाचार के कारण सारी नगरपालिकायें घाटे में चल रही हैं । तथा कर्जों, सरकारी अनुदानों तथा सहायता पर ही जीवित हैं।

मान्यवर, मैं आगरा की ओर से कुछ बातें कहना चाहूंगा लेकिन जो कुछ भी कहूंगा यहां बैठे सभी माननीय सदस्यों को लगेगा कि जैसे मैं उनके क्षेत्र की ही बात कह रहा हूं ।आगरा में नगर महापालिका विकास प्राधिकरण तथा जल संस्थान है । इनके द्वारा जो दुर्दशा अब तक नगर व जनता की होती है उसे देखकर वहां लोग नगरमहापालिका को नरक महापालिका विकास प्राधिकरण को विनाश प्राधिकरण तथा जल संस्थान को जहर संस्थान कहते हैं । यह नाम उनके कामों की वजह से वहां जाना जाता है और पड़ा है।

मान्यवर, मैं आगरा जल संस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि वह अपने को संभाल नहीं पा रहा है । 3 करोड़ रुपया बिजली का उस पर बकाया है और वह अदा नहीं कर पा रहा है । और वह प्रतिदिन घाटे में जा रहा है । पता नहीं उसकी आय कहां जाती है । आगरा में जल संस्थान द्वारा बराबर गन्दा पानी पीने को मिलता है । पिछले साल अप्रैल में, मई में और अगस्त में, और नवम्बर में और इस साल जनवरी और फरवरी में लोगों को गंदगी से मुक्त पानी पीने को मिला । आपका क्लोरिन और एलम कहां गया? प्रतिदिन 4-5 टन एलम की खपत वहां पर होती है और उसका खर्च भी ढाई लाख रुपया महीना आता है लेकिन कभी-कभी एक-एक महीने में इससे 16 गुना एलम वहां खर्च हुआ और फिर भी पानी गंदा मिला । इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए । मान्यवर, आगरा में पानी की किल्लत का एक कारण यह भी है कि आगरा में 10 ओवर हैण्ड टैंक है उनमें से 3 ही चालू हैं और 7 बन्द हैं। जो चालू हैं उनके नाम हैं— कमला नगर, आलमगंज और बुन्दू कटरा, बाकी 7 ओवर हेड टैंक अनेक वर्षों से खराब पड़े हैं । करोड़ों रुपया इन पर खर्च हुआ । जनता का पैसा जल-निगम ने उन्हें बनवाया । परन्तु यह डिफेक्टिव बनें इनमें दरारें हैं पानी रिसता है इसलिए सातों टैंक बन्द पड़े हैं और आगरे में पानी की कमी का कारण एक यह भी है । मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी वहां पर गयी थीं और इस समस्या की गम्भीरता को समझा और 2000 हैण्ड पम्प लगाने की घोषणा की। लेकिन दुःख है अभी तक भी हैण्ड पम्प नहीं लगा है और धन का कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मार्च समाप्त हो रहा है और गर्मी आ रही है । अप्रैल तथा मई में पीने के पानी की समस्या वहां बढ़ती जायेगी आदमी एक-एक बूंद के लिए वहां तरसते हैं । अतएव प्राथमिकता देकर अविलम्ब वहां हैण्ड पम्प लगवाये जायें। मान्यवर, आगरा में पुराने मीटर लगा दिये गये हैं जो वर्षों से खराब पड़े हैं कई-कई वर्षों के इस भ्रष्टाचार के अनाप सनाप बिल लोगों को एक साथ भेजे जाते हैं उसकी कोई सही व्यवस्था होनी चाहिए । इससे जनता को बड़ी परेशानी है । मान्यवर, आगरा नगर महापालिका की सफाई और सड़कों की दुर्दशा के बारे में यहां कई बार कहा जा चुका है। परन्तु उसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है । जहां तक नगर महापालिका की आय-

व्यापक का सवाल है उसका मुख्य साधन टौल यानी चुंगी है । चुंगी में लाखों रुपये का घपला होता है । 2 लाख रुपये प्रतिदिन के ठेके पर उसको लेने लिए वहां लोग तैयार है लेकिन उसकी आमदनी 40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, दिखायी जा रही है एक डेढ़ लाख रुपये रोज जो आगरा के विकास और खूबसूरती पर लग सकते है वह भ्रष्टाचार के हलक में समा रहे है जरूरत है इसको रोकने को परन्तु उल्टे मार्च 86 से चुंगी की दरें तीन से दस गुना तक बढ़ा दी गयी है । जिससे जनता में व्यापक असन्तोष है । मान्यवर, वहां पर स्ट्रीट लाइट की दोहरी व्यवस्था है । नगर महापालिका बल्ब देती है और उनको लगाने का काम बिजली विभाग करता है । इस चक्कर में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है और सड़क अंधेरी पड़ी रहती है इसे अन्य स्थानों की तरह किसी एक विभाग को सोचकर उसकी जिम्मेदारी निश्चित की जानी चाहिए । मान्यवर, जो आगरा में प्रशासक गये है वह बड़े परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति है। दृढ़ता से कार्य करने की क्षमता रखते है । परन्तु जो नीचे अधिकारी है जो भ्रष्ट है वह उनको काम करने नहीं देंगे। मुश्किलें पैदा करेंगे । तो मेरा निवेदन है कि आप कई वर्षों से वहां जमे हुए मगर मच्छ की तरह मुंह फाड़े बैठे हुये उन भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटायें । अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो जरूर काम होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री बलजीत सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो नये विधायक है, उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता है और जिनको आप पहचानते है उन्हीं को बोलने का अवसर मिलता है । आप कृपया हम लोगों पर भी ध्यान दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय सदस्य की बात को सुना। उन्होंने मुझे भी आरोपित किया, लेकिन मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, झुंझलाहट में ऐसी बात निकल जाती है । हमारे लिये हर व्यक्ति समान है । मेरे पास मुख्य सचेतकों की सूची है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है । मैं स्वयं इस बात का प्रयास करता हूं कि नये विधायकों को अधिक से अधिक अवसर मिले, लेकिन मेरे प्रयास में गलती हो सकती है । मैं आपकी ओर भी ध्यान दूंगा ।

श्री हीरा सिंह विष्ट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं अपने जनपद देहरादून की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे शासन की मंशा अच्छी है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण शासन की योजनायें विखंडित हो रही है । मान्यवर, जमींदारी विनाश के बाद देहरादून शहर में 752 एकड़ जमीन नगरपालिका की और 255 एकड़ जमीन नजूल की थी, जिसको अधिकारियों ने गैर कानूनी ढंग से गैंगेस्टर से मिलकर विक्रय कर दिया है और शासन से अनुमति भी नहीं ली है । उसकी रजिस्ट्री हो गयी है और दाखिल खारिज भी हो रहे है । मान्यवर, मेरे शहर में आज भी सफाई कर्मचारी 1960 की जनगणना के आधार पर है जब कि आज दुगनी जनसंख्या देहरादून की हो गयी है । सफाई कर्मचारियों की वृद्धि कीजिए । नगर पालिका के रख रखाव हेतु अधिक धन आंवटित किया जाय । मान्यवर, नजूल की जमीन में जो दुकानें और आवा-

सीय भवन है, उनमें जो अध्यासित है उन्हीं को किरायेदार बनाया जाय तथा बिचौलियों को समाप्त किया जाय। इसके लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाय।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, कुछ लोगों ने नगर पालिका और नजूल की सम्पत्ति को गैर कानूनी रूप से अधिकारियों से मिलकर, बिना शासन की अनुमति से जबरदस्ती कब्जा करके विक्रय कर दिया है जिससे शासन को करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। इस सम्पत्ति की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायी जाय। मान्यवर, गूलर घाटी पेयजल योजना तत्काल बनाने के लिए जो सहमति दी गयी है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और प्रबन्ध निदेशक को धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जल निगम और जल संस्थान के आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए व एकीकरण के लिए एक कमेटी बनायी जाय। स्वीकृत आठ ट्यूबवैल में से चार का भी निर्माण कार्य पूरा न होना–चिन्ता का विषय है। मान्यवर, मसूरी विकास प्राधिकरण को बने एक वर्ष होने जा रहा है लेकिन वह जनहित में कोई भी प्रगति नहीं कर पाई है वहां पर अभी तक टाउन प्लानर भी नहीं है जब कि मंत्री जी ने उस पर निर्देश दिया है। इसलिए लोगों के 4 वर्ष से लम्बित नक्शे पास नहीं किये गये हैं और अब अस्वीकृत करना शुरू कर दिया है, जिससे जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है। यह बड़ा भारी भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने जो देहरादून में मास्टर प्लान लागू किया है वह बहुत दोषपूर्ण है तथा उसका जोनल प्लान भी नहीं बनाया गया है। भारत सरकार के दून-वैली बोर्ड ने इसको दोषपूर्ण बताते हुए इसके दुबारा रिव्यू के आदेश कर दिये हैं जिससे उपजाऊ कृषि भूमि और पर्यावरण के प्रकरण से इसको व्यवस्थित किया जा सके। मसूरी देहरा प्राधिकरण के अधिकारी कर्मचारियों के जिन्होंने सरकारी ऋण लेकर मकान बनाये हैं उनके नक्शे पास नहीं कर रहे हैं लेकिन किसी भी आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 का नक्शा लम्बित नहीं है वह बिना किसी नियम के पास कर दिया जाता है।

श्री अध्यिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, नगर पेयजल के बढ़ते हुए संकट को देखते हुए अधिक धन आवंटन सूखा ग्रस्त नगर को किया जाय। जल संस्थान में इसके पहले जनरल मैनेजर पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाय। मान्यवर, आवास विकास परिषद में निम्नस्तर के मकान बन रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। निम्न आय वर्ग के लोगों से एक मुश्त धनराशि लेना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं है इससे दूसरे लोग इनके नाम पर पैसा जमाकर मकान ले रहे हैं। यह मकान इतने निम्न स्तर के हैं कि इनमें केवल एक कमरा बनाया गया है और वह भी टपक रहा है। इनके सामने नालियां और सड़कें भी नहीं हैं। जिन लोगों की जमीन ली गयी है उनको 10-10 वर्षों के बाद भी मुआवजा नहीं दिया गया है। देहरादून में जाखन के लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। मान्यवर, एम0डी0 जलनिगम पहाड़ों के प्रति विशेष रुचि लेकर योजना को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का

अवसर दिया तथा बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री भगवान दीन कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, नाम है पद्मा सेठ, तो नाम तो बहुत अच्छा है हिम्मत पड़ती नहीं है कि कुछ कह दूं।

श्री अधिष्ठाता–

अगर हिम्मत नहीं हो रही है तो क्या कह रहे हो ?

श्री भगवान दीन कुशवाहा –

कानपुर महानगर, जो ए क्लास सिटी है उसमें शहर भर में जितने मैन-होल हैं, उनमें ढक्कन नहीं हैं । हजारों महिलायें उनमें गिरकर मर गई हैं । माननीय मंत्री जी एक महिला है । कहीं ऐसा न हो कि कभी वे कानपुर जांय और वह भी उसमें गिरकर मर जाय । उनके रहते व्यवस्था नहीं हो पा रही है । मैन-होल में ढक्कन नहीं लगा पा रही है । वहां पर उनमें महिलाएं और बच्चे गिरकर मर जाते हैं। इसकी व्यवस्था मंत्री जी नहीं कर पा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय हुकुम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप नई महिलाओं को मंत्री बनायें । यह जो बख्शी जी और पद्मा सेठ हैं, इनको बर्खास्त कर दें। क्या फायदा है? [x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता –

कृपया बैठ जांय, माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । .....

(व्यवधान) । शांत रहें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी –

मान्यवर, माननीय सदस्य ने माननीय पद्मा सेठ और बख्शी जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाय । ..(व्यवधान) हटाना है तो मैदान में हटाओ, यहां पर क्यों कह रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता –

उन्होंने जो कहा, उसे देख लिया जायेगा । यदि वह असंसदीय होगा तो निकाल दिया जायेगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा –

मान्यवर, मैं कभी असंसदीय शब्द नहीं बोलता ।

श्री अधिष्ठाता –

लेकिन जब किसी कटौती के प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो विभागीय नीति की आलोचना करते समय या सुझाव देते समय कोई माननीय सदस्य यह कह सकता है कि किसी मंत्री को हटा दिया जाय । अब उसको मानना या न मानना तो इनका अधिकार है।

. . . (व्यवधान)

(श्री प्रमोद कुमार के व्यवस्था के प्रश्न को लेकर खड़े होने पर)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

मान्यवर, व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था न फैलायी जाय । समय कम है और विषय गम्भीर है ....

श्री अधिष्ठाता.–

आपकी बात तिवारी जी समझ गये हैं, बैठ गये हैं । कृपया शांत रहें ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, नेता सदन ने कानपुर सिटी को ए क्लास सिटी घोषित कर रखा है । वहां पर सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं । जगह-जगह गड्ढे बने हुये हैं, ट्रक पलट जाते हैं। वह थर्ड क्लास सिटी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

भी नहीं है और ए क्लास बना रखा है। सुविधा ए क्लास की नहीं देते हैं यदि वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई तो कानपुर की जनता आन्दोलन करेगी, नेता सदन का घिराव करेगी, सारे लोग आन्दोलन पर उतर आयेंगे।

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र भीमक गांव की तरफ दिलाना चाहता हूं। वहां सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। रूरा टाउन की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं...

श्री अधिष्ठाता—

अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

अधिकारियों के खिलाफ बिजीलेंस की जांच हुई थी। गम्भीर आरोप लगाये थे...(व्यवधान) एक गम्भीर मामला है।

(श्रीमती प्रेमवती तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, एक गंभीर मामला है (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

क्या गम्भीर मामला है। माननीया तिवारी जी बैठ जायं। [x x x]

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह का आक्षेप वांछनीय नहीं है (व्यवधान)।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें, मैंने श्रीमती प्रेमवती तिवारी को पुकारा है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य जो शहर कानपुर से नहीं कानपुर देहात से आते हैं वह शहर की नहीं देहात की सड़कों के बारे में कह रहे हैं और उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह शब्द अवश्य ही ऐसे हैं जिनको वह संसदीय समझ सकते हैं लेकिन हम संसदीय नहीं समझते इसलिए उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय। (व्यवधान)।

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मेरा आपसे पूरे भारतवर्ष की महिलाओं की ओर से अनुरोध है कि यह शब्द जो प्रयोग किये गये हैं इनको कार्यवाही से निकालने की कृपा करें और इस प्रकार का निर्देश दें कि महिलाओं का इस प्रकार क्रिटिसिजम न करें, कोई अपमान इस प्रकार न किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय समाज कल्याण मंत्री एवं माननीय गुफरान जाहिदी जब माननीय सदस्य बोल रहे थे उनके मुंह से जब बात निकली तो मेरी बात सुनी होती तो आपको व्यवस्था उठाने का मौका नहीं मिलता। जहां तक महिलाओं का सम्मान है उसकी पूरी तरह रक्षा की जायेगी, बहिनों के सम्मान की रक्षा की जायेगी। मैंने स्वतः ही कह दिया था कि इस तरह के आक्षेप अवांछनीय हैं।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया (व्यवधान) मैं तो आपकी आभारी हूं। (एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अब आप क्यों खड़े हो रहे हैं मैंने वह कार्यवाही से निकाल दिया है।

नोट:—[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

सबसे पहले मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करती हूं और बजट का समर्थन करती हूं कटौती का प्रस्ताव का इसलिये विरोध करती हूं कि सूप बोले तो बोले लेकिन छलनी क्यों बोले जिस पर 72 छेद। जब सन् 80 में मैं चुनाव लड़ने गयी थी और उनकी सरकार का विध्वंश हो गया था और इनके घटक टूट गये थे और चूं-चूं का मुरब्बा मिट गया था तो मैं नगर क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी उस समय मैं मलिन बस्ती, हरिजन बस्ती में गयी थी तो वहां सब लोगों ने एक आवाज में कहा हमें कुछ मत दो चूल्लू-भर पानी हमारे मुंह में किसी तरह आ जाय तो बड़ी अच्छी बात है। आप लोग नोट कर लें चाहे तो मेरे साथ चल सकते हैं मैं चार, पांच सौ लोगों से कहलवा सकती हूं। उस समय सबसे पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो हम लोगों से मिले हरिजन बस्ती में हमने पाइप लाइन बिछाई थी उसमें एक ढाई फुट ऊंचा नल लगाना था लेकिन ढाई साल में उसमें कोई काम नहीं हुआ। मान्यवर, जब वहां पहुंचे तो सब लोगों ने घेर लिया और कहा कि नल उठेगा तभी वोट देंगे। मैंने खड़े होकर सभा में कहा कि इतना पानी का नल किसने दिया था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह नल लगवाया था लेकिन बीच में पता नहीं कौन आ गया जनता पार्टी कि आगे जितना एक फीट नल लगना बाकी था वह नहीं लग सका।

[समय 3 बजकर 22 मिनट]

तो मैंने, हमारी सरकार, ने बाकी नल लगवाया और पानी की सुविधा उस बस्ती को दिया। आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं कि जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए विकास प्राधिकरण ने निर्वलों के, मध्याम आय वर्ग के लोगों के लिये और उच्च आय वर्ग के लिये तमाम आवासों का निर्माण कराया है।

श्री अधिष्ठाता–

आप सुझाव दें, समय एक मिनट है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत जो भी जमीन पड़ी है उसका पूरा उपयोग करके उसका लाभ जनता को दें।

मान्यवर, कुछ मलिन बस्तियां हैं 1977 में मलिन बस्तियों का पैसा बिजली में लगा दिया गया और उस समय जो खर्च हो गया उस पैसे से फिर से मलिन बस्तियों की ओर शासन ध्यान दे।

आपको धन्यवाद।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि आबादी का दबाव शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है जो प्रति वर्ष 4.9 प्रतिशत है और राष्ट्रीय स्तर पर नगरों में जो आबादी बढ़ रही है वह 3.85 प्रतिशत है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी बढ़ती आबादी में 75 प्रतिशत नगरों की आबादी सल्म में रहती है। महानगरों में इसका अनुपात 35 से लेकर 40 प्रतिशत तक की आबादी सल्म बस्तियों में रहती है जिनके सामने पेयजल का गम्भीर संकट रहता है और इसके साथ ही साथ वहां प्रदूषण की भी समस्या है जिसको ठीक करने में आवासीय सुविधा का उपलब्ध कराना एक कठिन

कार्य सरकारी नीतियों में प्रकाश के रूप में ज्योति देने का काम नीतियों में परिवर्तन कर श्री शतरुद्र प्रकाश ने सरकार को दी। मान्यवर, जो स्थिति प्रदेश में नगर पालिका, नगर महापालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया की है उसको देखते हुए हडको योजना और स्टेट प्लान के अन्तर्गत जो आवासीय भवनों का आवंटन कर रहे हैं वह जो बजट छठी पंचवर्षीय योजना में बना था एम0 आई0 जी0, एल0 आई0 जी0 के जो भवन फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर में बन रहे हैं और इनमें जो लक्ष्य की प्राप्ति किया है। इसको मंत्री जी बतायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक भवन की कीमत जो आपने रखी है वह गरीब मजदूरों को आंखों में धूल झोकने के समान है। एक भवन पर 198 रुपये प्रतिमाह गरीब आदमी से लोगे, किश्त के रूप में, जिसकी आय सलाना 3500 रुपये से कम होगी। आज कीमत पर जो भवन का आकलन होगा तो एक भवन की कीमत 7,500 रुपये विकास दर का, 15 हजार रु0 भवन निर्माण का, 25 प्रतिशत इक्स्ट्रा चार्जेज, इस प्रकार एक क्वार्टर एक गरीब आदमी को 32,000 रुपये में पड़ेगा और उसकी किश्त 250 रुपये महीने पड़ेगी, तो गरीब आदमी उसमें कैसे रह पायेगा, यह गरीबों को दुख देने वाला है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां फिरोजाबाद में आवास विकास परिषद् द्वारा ई0 डब्लू0 और एल0 आई0 जी के जो क्वार्टर बने हैं, वे छप्परनुमा बनवाये गये हैं। आप उसकी जांच करा लें, उसमें बहुत गड़बड़ी है। हमारे यहां गाड़ियों के बजाए भैंसा से मैला ढोया जाता है, इसलिए आप 10 टेम्पो ऐसे दे दें, जिससे ट्रांलीयुक्त टेम्पों से मैला ढोया जा सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय हो गया है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

वहां पर दो नाले बनाने प्रस्तावित हैं। एक, बाई पास रोड पर डाक बंगला से नगला बरी, हनुमानगढ़, नगला मिर्जा होते हुए टापा नाला में डाला जाए। और दूसरा चहवार गेट का नाला है, ब्रह्म का पानी अंडरग्राउन्ड ह्यूम पाईप के द्वारा दक्खिन तरफ श्मशान घाट के पास ढाल पर गिरे, जैसा कि शासन को स्वीकृत हेतु भेजा गया है। इस पर अनुमानित व्यय 15 लाख होगा। इसे स्वीकार किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

अब बिलकुल नहीं आप बैठ जाएं। बलजीत सिंह।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

कोटला गांव के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पेयजल की व्यवस्था है। वहां पर परगनाधिकारी ने शीतकालीन निरीक्षण के समय दौरा किया था... (व्यवधान के मध्य) उसमें पानी वितरण को पाइप स्टैन्ड पोस्ट नहीं मिले, घपला किया है। इसमें दण्ड दिया जाना आवश्यक है।

श्री अधिष्ठाता–

अब नहीं, आप बैठें।

श्री बलजीत सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आज नगर विकास के बजट पर बोलने के लिए इस सदन में पहली बार मौका दिया। माननीया मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी के और कटौती

प्रस्ताव के प्रस्तावक दोनों के विचार मैंने सुने, लेकिन किसी ने भी इसका समुचित समाधान अभी तक नहीं बताया सभी नगरों में नगरपालिकाओं में, टाउन एरियाओं में और नगर महापालिकाओं में आज गंदगी की घोर समस्या है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है कि उनका निर्मूलन कैसे हो सकता है। जब तक नगरपालिकाओं, टाउन एरिया और नगर महापालिकाओं के चुनाव नहीं होते हैं, इसका समुचित समाधान नहीं हो सकता है। पन्द्रह साल से इन स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं हुए हैं और वह चुने हुए प्रतिनिधियों के स्थान पर अफसरों के हाथों में आज पड़ी हुई है, बीच के जनता पार्टी के तीन साल में भी उनके चुनाव नहीं कराये जा सके। नगर की समस्याओं का समाधान चाहे गंदगी की समस्या हो या पेयजल की समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो, यह प्रशासक लोग उनका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बजट में जितना पैसा नगर विकास के लिए रखा गया है, उसका 10 परसेंट भी उसमें खर्च नहीं होता है, 90 परसेंट बजट अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में चला जाता है। हमारे अपोजीशन के सदस्यों ने और सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी बार-बार इस बात को कहा है। हर बजट में हरिजनों के लिए भारी सुविधा की बात कही जाती है, लेकिन मैं नगर विकास की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वह नगरों में और टाउन एरिया में जाकर देखें कि वहां पर आज हरिजनों की क्या दुर्दशा है। उनके लिए वहां पर न कोई रास्ता है, न प्रकाश के लिए कोई बल्ब है और न पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था है। मेरा गोवर्धन क्षेत्र एक ऐसा स्थान है, जिस पर एक बार इन्द्र का प्रकोप हुआ था, तो उस समय श्री श्रीकृष्ण जी भगवान ने अपने ग्वाल-बालों सहित गोवरधन पर्वत को उठा लिया था और उस नगर के वासियों की रक्षा की थी। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप सुझाव दीजिये, आप कथा कहकर तो समय निकाल रहे हैं, अब आप बैठिये।

श्री बलजीत सिंह–

वहां पर जो मानसी गंगा है, उसमें लाखों श्रद्धालु जन स्नान करते हैं, किन्तु आज उसमें इतना प्रदूषण हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप कृपा करके बैठें। आपका समय हो गया है। अब हमने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

श्री बलजीत सिंह–

अन्त में मैं अपने सुझावों के साथ माननवर, आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री मुहम्मद आजम खां–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश के जरिये जो कट मोशन रखा गया है उसकी ताईद इस बिना पर नहीं करता कि मैं अपोजीशन का मेंबर हूं बल्कि इस वजह से करता हूं कि जितने बुनियादी और उसूली मुद्दे आपने उठाये हैं उसका समर्थन सत्ता पक्ष के सारे सदस्यों ने किया है। यह जरूरी नहीं है कि हर माननीय सदस्य उसी घिसे-पिटे जुमले में कि मैं इसकी हिमायत करता हूं या

इसकी मुखालिफत करता हूं, यह न कह कर माननीय सदस्यों ने असल बात की चर्चा की है। मैं मशकूर हूं उन तमाम सत्ता पक्ष के साथियों का जिन्होंने पहली बार सचाई, नेकनीयती और ईमानदारी से अपने वजीर के जरिये पेश किये गये बजट की भरपूर मुखालिफत की है। मैं मिर्जा गालिब के दो शेर अर्ज करना चाहता हूं।

"तेरे वादे पे जिये हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता।"

श्री अधिष्ठाता–

आजम साहब शेर को छोड़ दीजिये। अब सुझाव पर आ जाइये।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मुझे दूसरा शेर याद आ जायगा तो रास्ते में चलते-चलते सुना दूंगा। मान्यवर, जो हालात हमारी नगरपालिकाओं की है वह किसी से छिपी नहीं है। मैं इस प्रदेश के एक छोटे से शहर रामपुर का रहने वाला हूं। उसकी जो हालत है वह सिर्फ चन्द अल्फाजों में कह देना चाहता हूं कि सन् 1947 से लेकर आज तक उस शहर का क्या हाल है। रामपुर के हर मैदान में, चाहे वह तरक्की की कोई बात हो, फैक्टरी लगाने की बात हो या मजदूरों के हित की कोई बात हो, जिंदगी के हर मोड़ पर रामपुर को नजरअंदाज किया गया है। इसी तरह इस विभाग ने भी रामपुर के साथ जो सौतेलेपन का बर्ताव किया है वह किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर, हमारे सब साथियों ने मुकम्मल लूट, बेईमानी और बदइंतजामी के बारे में कहा है। सूरते हाल यह है कि सड़क एक जगह से बनना शुरू होती है और 10 कदम आगे बनकर पीछे से उखड़ना शुरू हो जाती है। बार-बार शिकायत करते हैं लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं और कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अगर यह सरकार एक भी ठेकेदार अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ एक बार भी सख्त कार्यवाही कर दे तो हमारे दिल को सुकून आ जाय कि हमारी शिकायत पर कहीं अमल तो किया गया। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है कि जहां पर पानी खींचने की टंकी है वहीं पर गंदगी और गिल्ले का ढेर बना हुआ है। बार-बार कहने के बावजूद भी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। बेईमानी का यह उसूल पुराना है कि बेइमानी जड़ से शुरू होती है। जो बेइमानी जड़ से शुरू हुयी है उसने जड़ ही नहीं पकड़ ली है बल्कि पत्तों तक पहुंच गयी है। लिहाजा जब बेमानी नीचे से शुरू होगी तो पत्तों तक अवश्य जायेगी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार को इस बेमानी, चोरी और लूट जो ऊपर से चल रही है, उसको वक्त रहते नहीं दबायेंगी तो यह एक तनावर पेड़ की शक्ल को अख्तियार कर लेगा और अगर इन विभागों में ईमानदारी, सच्चाई और नेकनियती के बीज नहीं डालेंगी तो इसमें दिन दूने बढ़ावा आयेगा और हर तरफ से प्रदेश की जनता कराह उठेगी, परेशान हो जायेगी। और यही बातें और यह सुझाव चाहे इधर के बोलने वाले मा0 सदस्य हों या उस पक्ष के सभी ने इन्हीं बातों को दोहराया है कि कोई भी शोबा आप ले लें चाहे सड़कों का बनना आप ले लें, इनकी देख-रेख को ले लें, नालियों की सफाई हर चीज में आज बेमानी की जा रही है, रिश्वत खोरी खुले आम हो रही है, लेकिन अफसोस है कि इस पर अभी तक मंत्रानी जी ने कोई कारवाही नहीं की और यही नहीं

उधर के बैठने वालों को भी यही शिकायत है, यही परेशानी से दो-चार हैं लेकिन पार्टी का सवाल है इसलिए यह कहते हैं कि इस पक्ष से जो भी कहा जा रहा है वह फार दी सेक आफ अपोजीशन नहीं और सत्ता पक्ष के साथियों ने जिन्होंने भी इसमें अब तक हिस्सा लिया है, किसी ने यह नहीं कहा कि मा0 मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें कहीं पर भी ईमानदारी, सच्चाई और सूबे को भलाई की तरफ ले जाने की बात या यहां से करप्शन को अलग करने की बात को नहीं कहा। मा0 मंत्रानी जी किसी एक बात का भी आज जवाब नहीं दे रहीं हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसका हल उन्होंने क्या निकाला है। इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये बजट पर मैं इसकी मुखालफत करता हूं ताकि मंत्रानी जी इस विभाग के करप्शन को दूर करके एक सच्चाई के माहौल और ईमानदारी को पनपाने पर बजट पेश करने पर मजबूर हो सकें साथ ही मैं मा0 शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा प्रस्तुत किए गये कटमोशन का तहे दिल से समर्थन करता हूं।

श्रीमती रीना कुमारी–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जो आपने मुझे नगर विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। मान्यवर, आज इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ी हुयी हूं। आज मान्यवर, जनसंख्या देहातों से नगरों की ओर बहुत आती जा रही है और मान्यवर, बीसवीं सदी के अंत तक 25 से 30 प्रतिशत तक आबादी नगरों में रहने लगेगी। इसलिए मान्यवर, इस बारे में हम लोगों को अभी से तैयारियां करनी पड़ेगी उस स्थिति में नगरों का क्या हाल होगा जबकि आज ही आप देखें कि नगरों में बहुत ही बुरी हालत है, जैसे कि हमारे यहां आज ही मकानों की बहुत कमी है, सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, पानी की सुविधा, नालों और नालियों की सफाई की हालत बहुत बुरी है, यही कारण है कि हमारे यहां की जनता हाइजेनिक वातावरण में नहीं रह पा रही है। नगरों में ज्यादातर मकानों की कमी है और इस कमी को दूर करने के लिए मकानों का निर्माण आवास-विकास परिषद् नगर विकास प्राधिकरण द्वारा ही ज्यादातर हो रहे हैं, इनके अलावा प्राईवेट कालोनाईजर्स भी मकानों का निर्माण करवा रहे हैं, फिर भी मकानों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी को चार सुझाव देना चाहूंगी। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि यहां पर एक हाउस बैंक की स्थापना की जाए, ताकि यह बैंक बड़े पैमाने पर मकान बनाने वालों को मदद कर सके। दूसरा सुझाव मान्यवर, हमारा यह है कि यदि प्राईवेट पार्टीज या निजी क्षेत्र के लोग मकान बनाना चाहे तो उन्हें साझेदारी दी जाय। तीसरा सुझाव प्रदेश में आने वाले 10 वर्षों में कम से कम 25 ऐसे नगर बनाये जायं जिससे कम से कम एक लाख आबादी का समायोजन उसमें हो सके। मेरा आखिरी सुझाव यह है कि कम आय वाले लोगों के लिए 50-60 रु0 तक किराये के मकान उपलब्ध कराएं जाएं, ऐसा करने से मान्यवर, निर्बल वर्ग के लोगों को बड़ी सुविधा और राहत मिल सकेगी। इसी के साथ-साथ मान्यवर, एक मांग मा0 मंत्री जी से और करना चाहूंगी कि नगर निकायों के चुनाव जल्द से जल्द

कराएं जाएं और जब तक इन चुनावों को कराने में कोई अड़चन हो या किन्हीं कारणों से कोई देरी हो तब तक जो उस क्षेत्र के जन-प्रतिनिधि हैं, उनको यह काम सौंप दिया जाए क्योंकि मान्यवर, इन स्थानों पर जो हमारे अधिकारी वर्ग होते हैं, डी0एम0 हैं, एस0डी0एम0 हैं और एडीमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनके पास बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और एक कारण यह भी है कि जनता इन अधिकारियों से बहुत आसानी से भी नहीं पाती है (मेजों की थपथपाहट) और जो सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी चाहिए, वह नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। मैं इसी के साथ माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

श्री अकबर हुसैन बाबर –

श्रीमन्, इस पूरे सत्र में आज यह पहला मौका है जब हमारे विपक्ष के भाइयों ने और पक्ष के भाइयों ने भी, दोनों ने मंत्री जी के विभाग की खुले दिल से आलोचना की है, बस एक फर्क है, वह कहते हैं कि शासन की नियत तो ठीक है, लेकिन प्रशासन गड़बड़ है । गोया मंत्री जी न अहल हैं और अपने विभाग को सुधारने में असमर्थ हैं। पूरे सदन की भावना यह है कि यह विभाग असफल रहा है अपने कामों में । अब यह बात और है कि मंत्री जी अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दें या न दें । माननीय मुख्य मंत्री जी इस्तीफा उनसे मांगें या न मांगें । लेकिन एक बात जो दोनों तरफ से उठी है कि चुनाव नहीं हुए हैं। इसमें माननीया मंत्री जी की इच्छा यह है कि वह केवल मंत्री जी ही न रहें, बल्कि वह सारी नगरपालिकाओं की अध्यक्ष भी बनी रहें और यही कारण है कि इनके पूरे विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है । मेरे जिले में एक वाकया हुआ, किलोस्कर के एक जनरेटर की खरीद जल निगम द्वारा की गयी और नरेन्द्र देव विश्वविद्यालय ने भी उसी तरह का उसी दिन एक किलोस्कर जनरेटर खरीदा । दोनों एक ही दिन खरीदे गये । दोनों में 36 हजार रुपये का अन्तर है । अगर माननीया मंत्री जी की नियत बहुत साफ है और इस लेन-देन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब तक यह भ्रष्टाचार रुका क्यों नहीं ? सत्ता पक्ष के विरोधी पक्ष के लोगों ने आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, अयोध्या, कानपुर आदि का हर जगह का यह मामला उठाया कि वहां पर पानी में गंदगी है। सदन में यह भी मामला उठा कि मंत्री जी महिला हैं ।

मान्यवर, महिला अगर सीता हो, तो सम्मान है, लेकिन महिला अगर हिन्दा हो, जिसने मोहम्मद साहब के चचा का कलेजा खा लिया, मान्यवर, महिला अगर सूपर्णखा बन जाय और महिला अगर अयोध्या में मल-मूत्र मिला कर जल पिलाये, तो उस महिला के बारे में हमारे सत्ता पक्ष के चाहे माननीय सदस्य हों, चाहे विपक्ष के माननीय सदस्य हों, जो कुछ भी जिक्र करें, लेकिन हमारा इतिहास जो इनके बारे में लिखा जा रहा है, वही कहेगा । मान्यवर, जब तक चुनाव नहीं हो जायेंगे, इस नगरपालिका के, तब तक यह गंदगी नहीं जायगी । इन शब्दों के साथ माननीय शतरुद्र प्रकाश जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का मैं भरपूर समर्थन करता हूं ।

प्रस्तुत बजट पर चर्चा का समय और बढ़ाये जाने तथा लिखित सुझाव व भाषण कार्यवाही का अंग बनाये जाने की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता –

देखिए, मेरे पास जो निर्देश हैं, इस पर चर्चा 4 बजे तक होनी है । 4 बजे के बाद सूचना विभाग पर चर्चा होनी है । उसमें भी बहुत से माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहेंगे ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपने जो निर्देश दिया है, वह अपनी जगह पर सही है । जो आपका निर्देश है, उसका पालन किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता –

मैं समझता हूं इस पर अब चर्चा समाप्त होनी चाहिए ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा –

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, जो पर्चियां नाम वाली दी गई हैं, उन्हें क्रम से लेकर बुलवाना चाहिए था । लेकिन मान्यवर, आप जिसकी तरफ देख लेते हैं, उसी का नाम ले लेते हैं, और वह बोलने लगते हैं, चाहे उनका क्रम से नाम हो या न हो ।

श्री अधिष्ठाता –

मैंने अपनी समझ से, जो मेरी समझ थी, उसके हिसाब से निष्पक्षता के साथ मैंने सदन का संचालन किया।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, इस बजट के लिए कुछ और समय बढ़ा दें और जो सूचना विभाग का बजट है, उसको कल के लिए रख दिया जाय ।

मान्यवर, बजट सत्र प्रारम्भ होने से पहले कार्य मंत्रणा समिति में यह तय किया गया था कि 6 बजे के बाद हाउस नहीं चलेगा और शनिवार को भी हाउस नहीं चलेगा । मान्यवर, यह महत्वपूर्ण बजट है और नगरों के विकास से संबंधित बजट है, जहां पर आपने बहुत से नियमों का उल्लंघन किया है, नियमों में शिथिलता आप लाये हैं, तो इसमें भी शिथिलता लाने का मान्यवर, प्रयास करें । नगर विकास विभाग के बजट का समय और बढ़ा दिया जाय और इसके बाद सूचना विभाग का जो बजट है, उसे कल के लिए रख दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

यह पूरी व्यवस्था के लिए उन्होंने संकेत दिया है। यह नियम उल्लंघन नहीं निलम्बन किया होगा लेकिन मैं सब माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय देने जा रहा हूं और इससे पहले भी पूर्व दृष्टान्त भी रहे हैं। शहरी क्षेत्र के सभी माननीय सदस्य अपने सुझाव देना चाहते हैं इसलिए मैं व्यवस्था दे रहा हूं कि जो भी माननीय सदस्य लिखित रूप में कल तक माननीय मंत्री जी के पास अपने सुझाव भेज देंगे उनका वही महत्व होगा। आप सब लोग लिखकर दे दें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

कोई भी माननीय सदस्य जो व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे, मैं सम्मान के साथ उनकी बात सुनूंगा लेकिन यदि समय को बढ़ाने की बात कहेंगे तो मैं सम-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

झता हूं कि वह समय को बर्बाद करना होगा क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं और कार्य मंत्रणा समिति द्वारा जो समय का आवंटन होता है उसमें भी करीब-करीब पौन घंटे का समय बढ़ चुका है इसलिए आप सब लोग सदन का संचालन करने में सह-योग दें।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

आपने अभी व्यवस्था दी है कि जो सदस्य बोलना चाहते हैं वह अपने सुझाव लिखकर दे दें तो क्या वह लिखित रूप में कार्यवाही में आ जायेगा?

श्री अधिष्ठाता–

नहीं, वह लिखित कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा लेकिन उसका वही महत्व होगा, जो सदन का कार्यवाही का होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण बजट पर सभी माननीय सदस्यों के विचार सुनने का मौका मिला।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था का प्रश्न होता है एक कार्यवाही और दूसरी कार्यवाही के बीच में। अब मैंने शतरुद्र प्रकाश जी को बुला लिया और उन्होंने एक वाक्य बोला कि आपने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। अब आपका क्या व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने अभी एक व्यवस्था दी, इससे पूर्व भी अधिष्ठाता पीठ से ऐसे निर्णय दिये गये हैं कि सम्मानित सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं मंत्री जी को उसको कार्यवाही में भी लिखित रूप में माना जायेगा। मान्यवर, इसको कृपया कार्यवाही में जोड़ा जाय। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, शब्दों की सीमा कर दीजिये कि इतने शब्द होने चाहिये लिखित भाषण में।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अपनी व्यवस्था पर दृढ़ हूं कि उसका वही महत्व होगा लेकिन जो नई बात उठी कि इसे लिखित रूप में कार्यवाही में जोड़ दिया जाय, उस पर मैं अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं। आप लिखकर दे दें। इस पर व्यवस्था बाद में दे दी जायेगी।

1986-87 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास), अनुदान संख्या 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास)

(क्रमागत)

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण बजट पर सभी माननीय सदस्यों के विचारों को सुनने का मौका मिला है और जितने सम्मानित सदस्यों ने अपनी राय रखी है, सबको सुनने के बाद ऐसा लगा कि नगर विकास के मौजूदा कार्य कलापों से सब असन्तुष्ट हैं और नगरों के बारे में जो सवाल खड़े हुए हैं उनका जबाब दे पाने में असमर्थ हैं और किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद उनके अंदर इस बात का असन्तोष देखने को मिला, कि प्रदेश की जो सर्वोच्च संस्था है, जहां से समस्याओं के समाधान की उम्मीद करोड़ों लोग करते हैं, यहां मजबूरी और कसमसाहट देखने को मिली। इस सर्वोच्च संस्था में भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। बनारस में एक कवि धूमिल जी हुए हैं, वह ज्यादा नहीं जी पाये, उन्होंने कुछ लाइनें लिखी हैं। मैं उनको सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। "एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, तीसरा आदमी न रोटी खाता है और न रोटी बेलता है, वह रोटी से खेलता है, मेरा प्रश्न है तीसरा व्यक्ति कौन है, मेरे देश की संसद मौन है।" मुझे ऐसा लगता है कि सारी की सारी समस्याओं का साफ-साफ समाधान नहीं निकल पा रहा है। मैं चाहता हूं कि शहरों का स्वरूप, उनकी शक्ल को, उनके हालात को अच्छा बनाया जाय, कुछ नई चीज आये ताकि प्रदेश के साथ-साथ शहरों की भलाई हो सके। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि शहरों की अपनी खासियत है, वह खासियत खत्म न हो जाय वरना उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं रहेगा। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ जितने शहर हैं, मैं कहना चाहूंगा कि उनकी खासियत मरने न दी जाय। शामे अवध और सुबहों बनारस मशहूर है। मान्यवर, एक शायर हुए हैं नजीर साहब उन्होंने वाराणसी के बारे में कहा है "खाक भी जिसकी जमीन पारस है, शहर मशहूर वह बनारस है"। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन शहरों की खासियत को मरने न दिया जाय। वरना नगर विकास के नाम पर नगर विनाश का काम शुरू हो जायेगा। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उनमें से मंत्री जी को एक दो सुझाव तो मान लेना चाहिये। माननीय सदस्य बलजीत सिंह, जहां तक मैं उनका सही नाम ले रहा हूं, उन्होंने मांग की और अन्य माननीय सदस्यों ने भी उनके साथ-साथ मांग की कि नगर निकायों का चुनाव कराना चाहिये। मैं नहीं समझता कि कौन सी दिक्कत है, चुनाव करने में। डाक्टर कौशल ने जिस प्रकार से कटौती के प्रस्ताव के बाद बात कही है उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हालात का अल्फाजों के जरिये सही तस्वीर खींचने का काम किया है। और मान्यवर, इसके अलावा एक दो बात मकानों के बारे में कहना चाहूंगा। मा0 सदस्य कुन्दरका ने कहा कि प्रदेश के अन्दर गृह बैंकों की आवश्यकता है। इसके अलावा किराये पर मकान देने की व्यवस्था भी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद् के द्वारा होनी चाहिये। यहां पर पहले भी कहा जाता रहा है कि यहां पर हाउस बैंक बनने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह के सुझावों के कार्यान्वयन के लिये सरकार आगे बढ़े। मैं एक दो बातें और कहना चाहूंगा जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक यह कि दो-तीन महीने के बाद बरसात शुरू हो जायगी और उसके बाद शहरों की हालत खराब हो जायगी। पहले जब बरसात होती थी तो बचपन में पढ़ा था बिहारी की नायिका और कालीदास के मेघदूत की

याद आती थी, आज शहरों में बरसात को देखकर नर्क की याद आती है और महापालिका के अधिकारियों का बदसूरत चेहरा याद आता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि शहरों में एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जाने के लिये घंटों लग जाते हैं और जल भराव से 3-4 दिनों के लिये शहर नर्क में बदल जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि तीन माह का समय है, आप सारे सीवरों की सफाई करा लीजिये। अगर अभी नहीं करायेंगे तो बरसात में हालात बदल जायेंगे। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा कि जल भराव के समय पानी की निकासी के लिये पम्पों की व्यवस्था की जाती है। उसमें 5, 10, 15 हार्स पावर के पम्प लगाये जाते हैं जो नाकाफी होते हैं। इसलिये पानी निकालने का काम कई दिनों में भी पूरा नहीं हो पाता है। इसलिये 25 या 30 हार्स पावर के पम्पों की व्यवस्था की जाय, ताकि काम में गति आ सके। एक बात और कहना चाहूंगा कि शहर केवल सड़कों पर ही नहीं, गलियों में भी शहर हैं। उनका रहन-सहन, रीति-रिवाज आदि सब घरों से सीधे गलियों में निकलते हैं। वहीं उनके बचपन से जवानी याद आती है और वहीं साहित्य का सृजन होता है। जय शंकर प्रसाद, प्रेमचन्द और न जाने कितने एसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने सड़कों से प्रेरणा नहीं ली है, बल्कि बनारस की विशेष गलियों से प्रेरणा ली है। मैं कहना चाहूंगा कि सड़कों को पक्का करने, ठीक करने और चौड़ा करने का ही काम न करें, बल्कि गलियों की सफाई और मरम्मत आदि करने का काम भी किया जाय। तभी उन बहुसंख्यक इलाकों का यातायात हो सकता है। यह जो तावान का मामला है विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत, इस शुल्क के लिये बनारस में पिछले एक साल के अन्दर कानून बना, उसके पहले तावान जिस तरीके से लिया जाता था, उसके लिये कोई कानून नहीं बना था। आप उसके लिये नियम बना दीजिये। उसके लिये केवल अधिनियम में शुल्क की व्यवस्था है, ता केवल अधिनियम के भरोसे नहीं रहना चाहिये। उसके आधार पर जो पुराने शहर हैं जैसे लखनऊ, बनारस, आगरा, कानपुर आदि, जहा पर विकास कार्य करने की गुंजाइश है, वहां पर सन् 1976 के हिसाब से दर होनी चाहिये। आप वहां नयी दर निश्चित कीजिये। इसी प्रकार टैगोर टाउन है, इलाहाबाद में, उसके बारे में इससे पहले मोहन सिंह जी ने एक प्रश्न किया था, वहां पर साढ़े दस, ग्यारह लाख रुपये की एक योजना स्वीकृत की गयी थी, इस सारी धनराशि से वहां पर अब तक केवल एक नाली का निर्माण हो सका है। मैं चाहूंगा कि सरकार टैगोर टाउन, इलाहाबाद में पानी निकासी का काम जल्दी से कराएं। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूंगा आपके जरिये कि जमीन की कीमत बढ़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा जमीन की कीमत बढ़ाने का काम किया है विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद् और शहरी सीलिंग, इन तीनों के कारण ही शहरी जमीन की कीमत बढ़ गयी है। शहरी सीलिंग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल 5 रु0 वर्ग मीटर किसानों को दिया जाता है उनकी जमीन का। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि

बनारस शहर में जहां माननीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं उसके एक फर्लांग दूर पर ही जमीन 200 रु0 वर्ग मीटर के हिसाब से बिक रही है । मान्यवर, यह जानकर आपको ताज्जुब होगा । शहरी सीलिंग में जो उद्देश्य हैं, उसके साथ-साथ अतिक्रमण हो रहा है। मान्यवर, जहां तक नगर योजना की बात है, वहां के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिये । इन्टर-नेशन प्लानिंग के बारे में, जो बहुत बड़े विद्वान रहे हैं, गार्नर, उनका भी यही मत था कि वही प्लानिंग सफल हो सकती है जिसमें जन समुदाय की हिस्सेदारी हो । मान्यवर, मास इन्वालवमेंट नहीं होगा, लोगों की हिस्सेदारी नहीं होगी, भागीदारी नहीं होगी, तब तक कोई भी योजना बनाई जायेगी, सफल नहीं हो सकती है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मास्टर प्लान और जोनल प्लान को बनाते समय जो वहां के प्रतिष्ठित नागरिक हैं, जो वहां के बाशिंदे हैं, उन सारे लोगों की राय ली जाय तब ही नगर योजना बनायी जाय । कंट्री टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट जो है, वह आपको योजना बनाकर भेज देता है, जबकि उसको योजना बनाने का कानूनी अधिकार नहीं है । यह देखें कि उसके रख रखाव पर कितना खर्च हो रहा है उसका कितना मतलब है? मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट आर्किटेक्ट हैं, जो शहरों में निर्माण कार्य को देखते हैं, उनकी भी राय ली जाय । तब ही किसी भी शहर को सही-सही विकसित करने के लिये जो प्रक्रिया है, उसके नियोजन को सही-सही तस्वीर मिल सकती है । मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने, जिनको समयाभाव के कारण मौका नहीं मिल सका, कुछ बातें मुझसे कहीं । जौनपुर, मेरठ और मथुरा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इन नगरपालिकाओं की हालत बहुत खराब है । इसके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहूंगा लेकिन वहां की हालत को सुधारने के लिये सरकार को प्रयास करना चाहिये । जो अनियमितताएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश करें, जिनके चलते शहरों का विकास नहीं हो पा रहा है । सुनियोजित ढंग से शहरों के विकास की प्रक्रिया बन जाय, नहीं तो मान्यवर, आगे जो आबादी का बोझ आयेगा उससे शहरों की तस्वीर और विकृत होती जायेगी । जितने बड़े-बड़े जनपद हैं, उन जनपदों को विकसित करने के लिये प्रक्रिया शुरू की जाय तब ही शहरी आबादी का जो आप्रजन है, जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है, रुक सकेगा और शहर की शक्ल भी अच्छी हो जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए यह कहना चाहती हूं कि जो समस्यायें सदस्यों ने बतायी हैं, उनकी वजह यह है कि बढ़ती हुई आबादी और संसाधनों की कमी। मान्यवर, संसाधनों को बढ़ाने के लिये जो कर लगाये गये थे, वह इतनी बढ़ी हुई आबादी के लिये पूरे नहीं हैं कि उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। इसलिये पहली

अप्रैल, 1986 सं, जो कर हैं, उनकी बढ़ोत्तरी करने के लिये सरकार ने कहा है। मान्यवर, जब तक संसाधन नहीं बढ़ेंगे तब तक जो समस्यायें हैं—चाहे सफाई की हो, नालियों की हो या सीवर की हो या शौचालय की हो—उनको दूर करना असम्भव होगा। मान्यवर, यहां पर पेयजल की बात आयी। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहती हूं कि पिछले साल बनारस में 8 ट्यूबवेल बनाये गये थे और दो ट्यूबवेल इस गरमी के शुरू होने से पहले ही बना दिये जायेंगे जिससे थोड़ी समस्या हल हो जायेगी। इलाहाबाद में तीन ट्यूबवेल पहले से ही थे एक और ट्यूबवेल इस गरमी तक बना दिया जायेगा। लखनऊ में भी इस फाइनेंन्सियल ईयर में कई ट्यूबवेल बनाये जाने हैं जिससे पानी की कमी को पूरा किया जा सके। एक नया वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की सहायता से हरदोई रोड पर बनाने का निर्णय लिया गया है। आगरा में भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट बनाये जाने की व्यवस्था की जा रही है और कानपुर में भी वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक प्रोजेक्ट बनाया जाना है जिसमें 50 करोड़ वाटर सप्लाई आग्मेण्ट के लिये प्रस्ताव है। सीवरेज प्रोजेक्ट भी इसी के तहत आयेगा। मान्यवर, हैण्ड पम्प लगाये जा रहे हैं। गांवों में तीस जून तक यह हैण्ड पम्प बना कर ग्रामीण विकास विभाग को सौंप दिये जायेंगे। इसके अलावा आगरा की बात यहां पर उठायी गयी मैं बताना चाहती हूं कि मलिन बस्तियों के लिये 25 लाख रुपयों का अनुदान दिया जा रहा है। और वर्ल्ड बैंक ने एक वाटर टैंक की स्वीकृति वहां पर दे दी है जो बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए दी गयी है। सीवरेज सिस्टम भी इसमें आ जायेगा। इस को माडर्नाइज करने के लिये सड़कों पर लाइट, लो-कास्टिंग हाउस और ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी प्रस्ताव है। आगरा में दस सड़कों को पी0 डब्लू0 डी0 को दिया गया है। जिस में से दो सड़कों पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। आगरा में जहां तक पेयजल की समस्या है इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूं कि चम्बल से पानी ले जाने के लिये एक प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। जिसको बनने में समय लगेगा।

मान्यवर, यहां पर कृषि उपयोग भूमि का सवाल आया मैं बताना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी हो गये हैं कि कृषि योग्य भूमि जो मास्टर प्लान के अन्तर्गत सुरक्षित है वह धारा–10 में तब तक न ली जाये जब तक उस हेतु विकास योजना न बन जाये। जोनल प्लान के बनने का कार्य चल रहा है। लखनऊ में तीन जोनल प्लान बन चुके हैं और उन पर कार्य किया जा रहा है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात यहां पर कही गयी। जहां-जहां हम पकड़ पाते हैं और जो जांचोपरान्त दोषी पाये जाते हैं उनको हम दण्ड भी देते हैं अगर माननीय सदस्य के निगाहों में कोई भ्रष्टाचार आता है तो उसके सम्बन्ध में वह हमें बतायेंगे और उस पर हम जांचोपरान्त कार्यवाही करेंगे। कई लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी हमने की है। 6 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेण्डेण्ट इंजीनियर को हमने

रिटायर किया है, 6 एक्जीक्यूटिव आफिसर व 5 अन्य अधिकारियों को निलम्बित किया है तथा 46 अन्य लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। हमारा निश्चित मत है कि भ्रष्टाचार को हटाया जाय। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में जो हमें धन दिया गया है उसमें एरिया डेवलपमेण्ट, सड़क और लाइटिंग आदि चीजें आती हैं। लखनऊ के लिए 31 करोड़, गोरखपुर के लिये 8·50 करोड़, आगरा के लिये 31 करोड़, बनारस के लिये 24 करोड़, कानपुर के लिये 49 करोड़, इलाहाबाद के लिये 22 करोड़, बरेली के लिये 12·50 करोड़, मुरादाबाद के लिये 9 करोड़, अलीगढ़ के लिये 9 करोड़, शाहजहांपुर के लिये 9 करोड़ और गाजियाबाद के लिये 11 करोड़ दिये गये हैं। हम चाहते हैं कि हर चीज की समस्या का निदान हो। लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रत्येक समस्या के निदान के लिये धन की आवश्यकता होती है। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस बजट को पास करने की कृपा करें तथा अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय मंत्री जी ने एक निवेदन यहां पर किया कि भ्रष्टाचार की कोई बात अगर आयेगी तो वे देखेंगी। मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं बनारस के।

एक है प्रशान्त ग्लास मड़ौली में, इसने धारा-20 में शहरी सीलिंग में छूटी हुई जमीन, जो कि कृषि कार्य के लिये छोड़ी गयी थी, उस पर अपनी फैक्टरी खड़ी की है। शहरी सीलिंग में प्राविधान है कि भू-प्रयोग की प्रकृति बदलती है तो विवरणी छपाई जाती है। क्या इस आधार पर प्रशान्त ग्लास फैक्ट्री की जांच करायेंगी? दूसरा है टुल्लू मोटर्स, जो कि सारनाथ से गाजीपुर जाते समय पड़ता है, इसका 20 एकड़ का रकबा है, जो कि धारा-20 के अन्दर छोड़ा गया था। क्या इन दोनों मामलों में जांच कराने की कृपा करेंगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जरूर देख लिया जायेगा। एक सूचना और देना चाहती हूं कि बनारस की गलियों के लिये 35 लाख रु0 की एक योजना बनी है, जिसमें से 9 लाख रु0 दिये जा चुके हैं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध करने के लिये जितनी भी संस्थायें हैं, उसमें चुनाव तो हुए नहीं हैं, जनतांत्रिक पद्धति समाप्त कर दी गयी है, अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, तो इलाहाबाद नगर महापालिका और विकास प्राधिकरण में 8 अधिकारी ऐसे हैं जिनके खिलाफ 2 साल से विजिलेन्स इन्क्वायरी चल रही है, नगर महापालिका घाटे में है। क्या उन अधिकारियों को निलम्बित करके या हटाकर दूसरे अधिकारी नियुक्त करने का कष्ट करेंगी? और दूसरा इन तमाम संस्थाओं में काम ज्यादा होने के नाम पर नियुक्तियां की जा रही हैं, तो क्या वह फर्जी की जा रही है? इस सम्बन्ध में शासन को लिखकर भी दिया है, क्या कार्यवाही करेंगी?

श्री अधिष्ठाता–

बाकी लोग भी प्रश्न पूछ लें, माननीया मंत्री जी एक साथ उत्तर दे देंगी।

श्री सरदार सिंह–

मथुरा जनपद में खारे पानी की समस्या है पेयजल की। इसमें जो आपने प्रगति रिपोर्ट दी है, इसमें भी लिखा है कि वहां पर खारे पानी की समस्या है, वहां पर प्राथमिकता के आधार पर पेयजल उपलब्ध करायेंगे। गर्मियां आ रही हैं। क्या बतायेंगी कि मथुरा में पेयजल की योजना के सम्बन्ध में क्या करने जा रही हैं?

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

चन्दवार गेट पर पानी भरा रहता है, उसको निकालने के लिये नगरपालिका ने प्रस्ताव भेजा है कि ट्यूम-पाइप डालकर इसको निकाला जाय, क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? और धन स्वीकार कर निर्माण करावें। कटौती का समर्थन करता हूं।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बन रहा है, दिल्ली के 100 कि0मी0 के आसपास में, मंत्री जी ने कहा कि हापुड़ और मेरठ में जो कार्य प्रारम्भ करेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो मेरठ, गाजियाबाद, हापुर और सिकन्दराबाद को लेने की बात कही थी, क्या उसमें से गाजियाबाद और सिकन्दराबाद को काट दिया गया है? दूसरी बात, आपने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम पर मेरठ, हापुड़, मुरादनगर, मोदीनगर और बुलन्दशहर को सम्मलित किया गया है, गाजियाबाद, सिकन्दराबाद, दनकौन और न्योडा यह सब दिल्ली के नजदीकी क्षेत्र हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप केवल अपना प्रश्न करिये।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मेरा प्रश्न यह है कि जो नेशनल कैपिटल रीजन के अन्तर्गत इन शहरों को केन्द्र सरकार ने शामिल किया है, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको काट दिया है?

श्री बदन सिंह–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आगरा में जल संस्थान के द्वारा जो लाखों पुराने मीटर खरीदे गये हैं उनको नये मीटरों की जगह पर बेचा जा रहा है, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगी और दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगी?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी, इसके बारे में अगर आपको कोई सफाई देनी हो तो बतला दें।

श्रीमती पद्मा संठ–

मान्यवर, इन्हें दिखवा लेंगे और इन सब पर विचार कर लेंगे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीया मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि आगरा में पीने के पानी का संकट है और इसके लिये वे चम्बल नदी से पानी लाने की व्यवस्था करा रही हैं। लेकिन आगरा की गलियों के लिये क्या मंत्री जी कोई धन की व्यवस्था करायेंगी?

श्री बाबू राम यादव–

मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

टाउन एरिया करहल, जिला मैनपुरी में सफाई कर्मचारी जो हैं उनको वर्षों से नियमित तनखाह नहीं मिलती है और इसकी वजह से करहल टाउन एरिया में कभी सफाई नहीं होती है और जिस दिन तनखाह मिलने वाली होती केवल उसी दिन वहां सफाई का काम होता है ?

*श्री हनुमान प्रसाद कुरील–

अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कानपुर के लिये उन्होंने 49 करोड़ रुपयों की घोषणा की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कानपुर (देहात) के विकास के लिये मंत्री जी कितने रुपये लगा रही हैं ?

(इस समय 4 बजकर 18 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–2–आवास तथा नगर विकास विभाग (आवास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 38,80,53,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 3–आवास तथा नगर विकास विभाग (नगर विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 1,31,18,11,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या–88–सूचना विभाग

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0 88–सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धन राशि की पूर्ति के लिए 4,33,05,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि यह सूचना विभाग लोकतंत्र में जनता और शासन के बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है । शासन की कल्याणकारी नीतियों की और उसकी प्रगति के लेखे जोखे को जनता तक पहुंचाता है और जनता की जो प्रतिक्रिया होती है, उसको शासन तक पहुंचाता है । मान्यवर, आज हमें सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि पत्रकारिता देश के लिए एक आवश्यक अंग है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पत्रकारिता में जोखिम भी है । पत्रकारिता एक स्वतंत्र व्यवसाय है, परन्तु पूर्ण कालिक व्यवसाय है । इसलिए शासन ने निर्णय लिया है कि पेंशन योजना को प्रवर समिति से वापस आने पर लागू किया जाये । मान्यवर, आज समाचारों को तेजी से पहुंचाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है, अभी तक 23 जिलों में टेली-प्रिंटर की व्यवस्था थी, अब इसको पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिससे समाचार शीघ्र पहुंच सकें। मान्यवर, उर्दू विकास के लिए एक उर्दू सेल की स्थापना कर दी गई है । उर्दू को जो 10 प्रतिशत विज्ञापन दिए जाने का प्राविधान था, उसको पूरा कर लिया गया है । जब तक डिसेन्ट्रालाइजेशन नहीं होगा, शक्तियां इन्हीं मुख्यालय पर बैठेंगी तब तक हम अपने कार्य को ठीक से पूरा नहीं कर सकते है । इसलिए हमने इस पर गम्भीरता से विचार किया था आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो 6 मण्डल थे जिन पर हमारे उप निदेशक थे और जो बाकी बचे 4 मण्डल थे उससे इस वर्ष के अन्त तक यह प्राविधान किया गया है कि उप निदेशक वहां पहुंच जायेंगे । बाकी 2 पर्वतीय मण्डल है उसमें पर्वतीय विकास विभाग से अनुरोध किया गया है । मान्यवर, आज टेलीवीजन की जो सुविधा है जो उसकी आवश्यकताएं है उससे नकारा नहीं जा सकता है । इसको ध्यान में रखते हुए हम यह प्रयास कर रहे है कि गांव-गांव तक हम टेलीवीजन की सुविधा को पहुंचाएं और यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमारा लक्ष्य है सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम हर गांव सभा को एक टेलीवीजन सेट जरूर पहुंचायेंगे । इसके लिए हमने एक नीति निर्धारित की है। प्रत्येक गांव सभा जो 700 रुपए देगी उसको स्वेत श्याम यानि ब्लैक एण्ड ह्वाइट टी0 वी0 दिया जायेगा। और जो 2500 रुपए जमा करेगी उन्हें कलर सेट दिया जायेगा । मैं समझता हूं कि इससे जहां पर ग्रामीणजनों को लाभ होगा वहीं पर एक अच्छा परिवर्तन देखने को आयेगा । हम यह भी चाहते है कि जिलों में जो विकास हो वह दूसरी जगह में पहुंचे । लखनऊ में बैठकर हम यह अंजाम नहीं दे सकते थे इसलिए हमने यह प्रयास किया है कि जिलों के प्रत्येक मुख्यालय पर एक यूनिट की स्थापना की जाय और वहां पर कैसेट बनाए जायं । इसलिए हमने 19 जिलों का चयन भी कराया है। मान्यवर, केन्द्र सरकार से बातचीत करके प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में हम 16 टेलीवीजन ट्रांसमीटर टावर की स्थापना करेंगे यही नहीं 10 नए रेडियो स्टेशन की स्थापना करने का लक्ष्य है और 4 जो हमारे रेडियो स्टेशन बहुत पुराने है उनकी क्षमता को बढ़ाने का भी लक्ष्य है। इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम वचनबद्ध है और इसे हम पूरा करने का प्रयास करेंगे । जिन जगहों पर हम टेलीवीजन टावर स्थापित करने जा रहे है वह कुछ जिले इस तरह से है--बरेली, हरिद्वार, बांदा, बलिया, लखीमपुर, उरई, ललितपुर, पूरनपुर, टनकपुर, रानीखेत, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, गोपेश्वर, गंगोत्री, कासगंज, तथा चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, उत्तरकाशी, आबेरा, झांसी, अलीगढ़ और फैजाबाद । मान्यवर, मैं समझता हूं कि कम समय में यह हमारी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, प्रदेश के हर अंचल में रेडियो और टेलीवीजन के प्रचार-प्रसार की योजना है । मान्यवर, इसी तरह से हम प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार प्रसार करते है।

अभी तक हमने एक प्रदर्शनी की यूनिट बना रखी थी लेकिन मैं समझता हूं कि यह न्यूनता थी इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि 25 जिलों में प्रदर्शनी की व्यवस्था करा दी जाय जिससे कि वह अपने अंचलों में प्रदर्शनी की योजना कर सकें जिनका उनको लाभ मिल सके । इसी तरीके से केन्द्र सरकार ने सांग एण्ड ड्रामा डिवीजन का गठन कर रखा है जिसके माध्यम से हम सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित और प्रसार करने जा रहे हैं बिलकुल इसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश सरकार भी अपने यहां एक सांस्कृतिक इकाई का गठन करने जा रही है। मान्यवर, बम्बई एक महत्व-पूर्ण शहर है जहां की संस्कृति उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है । वहां पर उत्तर प्रदेश का एक सूचना केन्द्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में बहुत दिनों से बात चल रही थी । मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि बम्बई में एक सूचना केन्द्र की स्थापना शीघ्र कर दी जायेगी ।

मान्यवर, आज सिनेमा का जन जीवन में, सामान्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आज उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में जहां पहाड़ों की प्राकृतिक छठा है, जहां कई धार्मिक स्थल हैं, गंगा और यमुना के उद्गम स्रोत हैं, जहां से इनकी धाराएं बहती हैं जहां पर बहुत से ऐसे स्थल हैं जो फिल्म उद्यमियों को अपनी फिल्म बनाने के लिए उन्हें आकर्षित करते रहते हैं, इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए हमने फिल्म व्यवसाय को एक उद्योग का दर्जा दिया है । इसलिए बाहर से आने वाले लोग जो फिल्म निर्माण में, वितरण में और प्रदर्शन में रुचि रखते हों वे यहां पर आकर इस उद्योग को आगे बढ़ाएं । इस तरह से मान्यवर, हमारा चलचित्र निगम अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में 41 सिनेमागृह बना चुका है तथा 9 सिनेमा-गृह निर्माणाधीन हैं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस उद्योग के माध्यम से हम इन छविगृहों का निर्माण करायेंगे। यह सिनेमागृह जनता को सुलभ मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए हैं । मनोरंजन कर के माध्यम से हम लगभग उतनी ही राशि सरकार को वापस करते हैं इसलिए हमारा यह प्रयास पूरी तरह से सफल रहा है ।

मान्यवर, इससे पहले कि माननीय सदस्य इस पर अपना कटौती का प्रस्ताव रखें, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज हम 21वीं सदी की ओर बढ़ रहे हैं, प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, संचार माध्यमों से हमने वह काम करके दिखाए हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आने वाला कल कैसे होगा, उसके लिए मैं अपने कटौती के प्रस्तावक महोदय से कहूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को इस महत्वपूर्ण विभाग के बारे में रखें ही नहीं और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करें ताकि हम प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। एक बार मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने विचार अगर इस पर रखें तो यह भी सुझाव दें कि हम इस विभाग को कैसे आगे बढ़ाएं ।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 88 सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, सूचना और जन संपर्क विभाग शासन और जनता के बीच विचारों का आदान-प्रदान करने के लिये बना हुआ है क्योंकि सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक तरफ शासन की उपलब्धियों,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विकास कार्यों और नीतियों को जन मानस तक पहुंचाया जाता है वहीं पर जनता की समस्याओं और जनभावनाओं को शासन तक पहुंचाने के लिये इस सूचना विभाग से अपेक्षा की जाती है । लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यह सूचना विभाग शासन को भी धोखा दे रहा है क्योंकि सूचना विभाग से अपेक्षा की जाती है कि वह शासन की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे लेकिन वह व्यक्ति विशेष को बढ़ावा देता है और व्यक्ति विशेष की प्रशस्ति में लगा हुआ है और जन मानस की समस्याओं के बारे में कोई भी सूचना शासन के द्वारा नहीं पहुंचाई जाती । मान्यवर, सूचना विभाग, जन सम्पर्क विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से , आकाश-वाणी के माध्यम से जन समस्याओं को शासन तक पहुंचाये लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह विभाग आज केवल प्रेस नोट सरकारी मंत्रियों और सरकारी अफसरों के ही देता है और जन भावनाओं के विषय में कोई समाचार नहीं दिया जाता है । मान्यवर, आज मान्यता समिति का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है वह लगभग 1 साल से भंग हो चुका है । आज पत्रकारों को निदेशक और सचिवों की मर्जी पर रहना पड़ता है कि वह मान्यता प्राप्त सूची में रखेंगे या नहीं रखेंगे । आज सूचना विभाग के द्वारा मंत्रियों और अधिकारियों का प्रचार हो रहा है ।

सूचना विभाग में एक प्रकाशन ब्यूरो है जिससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता की भावना को प्रकाशित करे। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि सूचना विभाग का यह प्रकाशन ब्यूरो पार्टी विशेष के कार्यालय का काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले लोक सभा और विधान सभा चुनावों में 1 करोड़ 75 लाख रुपये की सामग्री फरवरी, 1985 के दूसरे सप्ताह में पी0 सी0 सी0 कार्यालय में गयी जिसका चुनावों में खुल कर प्रयोग किया गया । इसमें मैं कहना चाहता हूं कि दो करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है । हमारे लोकदल की यह रिपोर्ट नहीं है यह अखबारों की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि दो करोड़ का घोटाला हुआ है तो उसमें आपने सस्पेंड किसको किया है । एक तरफ दो करोड़ का घोटाला होता है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें तत्कालीन निदेशक एवं सूचना सचिव का हाथ रहा होगा । मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तत्कालीन सूचना सचिव एवं निदेशक को निलम्बित करें और उसकी जांच की जाय और यह जांच सी0 बी0 आई0 से कराई जाय । इसमें आपने केवल एक साधारण स्तर के स्टोर कीपर को निलम्बित किया है और घोटाला 2 करोड़ का है ।

सूचना विभाग में एक तीसरी साखा निरीक्षण शाखा है। एक तरफ प्रदेश सरकार बार-बार कहती है कि हम सांप्रदायिकता की भावनाओं को फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। और सांप्रदायिकता का वातावरण नहीं बनना चाहिये। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे दल के 10, 10 विधायकों को अनायास ही बंद किया जाता है लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनके विभाग की जो निरीक्षण शाखा है के

द्वारा ऐसा प्रकाशन होता है जिससे सांप्रदायिकता का जहर फैलता है जिसका जीता जागता उदाहरण इनके विभाग द्वारा प्रकाशित साकेत अंक है, जिस के पृष्ठ 27 में छपा है जिसको मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं इसमें लिखा है कि बाबर यहां आया और एक सप्ताह तक ठहरा उसने जन्म स्थान के प्राचीन मंदिर को तोड़वा डाला और उसके स्थान पर मंदिर के सामने से अपनी (बाबर की) मस्जिद बनवाई। इसके बहुत से प्राचीन स्तंभ इस समय भी अच्छी दशा में हैं। जन्म स्थान के नष्टभ्रष्ट होने से हिन्दू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया। किन्तु बाद में जन्म स्थान के लिए मुसलमान और हिन्दुओं में जमकर संघर्ष हुआ। अतः इसके बाद मस्जिद का घेरा बन गया। हिन्दुओं ने बाहरी भाग में अपनी पूजा स्थान बनवाया। आगे इसमें कहा है कि अकबर के समय में मंदिर का पुनः निर्माण किया जिनको औरंगजेब ने तोड़ कर उन जगहों में मस्जिद खड़ी की। इस प्रकार पूरे मुगल काल में अकबर के समय को छोड़कर अयोध्या की संस्कृति, भूदृश्य में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ। बल्कि यहां की संस्कृति और भूदृश्य के प्रतीक पुराने मंदिर और देवस्थान अभी तक तोड़े गये।

मान्यवर, यह बहुत ही आपत्तिजनक लेख है। मैं सरकार पर चार्ज लगाता हूं यह सरकार सांप्रदायिकता के जहर को पूरे प्रदेश में फैलाने का काम कर रही है जिसका नतीजा है कि आज आदरणीय सदन के सामने, शासन और प्रशासन के सामने यह चीज चिन्ता का विषय बन गयी है। निरीक्षण शाखा का यह कर्तव्य है कि वह समीक्षा करे। और यह कहते हैं कि जहां ऐसा साहित्य छपता है उनके खिलाफ हम कार्यवाही करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह का साहित्य, लोकदल के कार्यालय में नहीं छपा है बल्कि आपके विभाग द्वारा छापा ही नही जाता है बल्कि बांटा भी गया है जिससे पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर फैला है और उससे यह पूरा सदन चिंतित है लेकिन लोकदल के विधायकों को बंद किया जाता है, इससे और भी तकलीफ होती है। मान्यवर, इतना बड़ा साहित्य छपा है किन्तु सूचना विभाग इतना नकारा और भ्रष्ट हो गया है कि उसका खेद तक नही प्रकाशित किया है। इसलिये मेरा खुला चार्ज है और मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस्तीफा दें। सूचना मंत्री आज इस विभाग में कोई नहीं है, सचिव इंडिपेंडेन्ट नहीं है, मैं मांग करता हूं कि वह इस्तीफा दें चूंकि इस तरह के प्रकाशन से पूरे प्रदेश में खून खराबी और झगड़े हुये और पूरे प्रदेश की जनता में आपस में बैर बना हुआ है, यह सूचना विभाग द्वारा छपे साहित्य के कारण है।

मान्यवर, यह भी बताया गया है कि सूचना विभाग में पूरे मंडल में, सूबे के अंदर, डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्तियां करेंगे। मंत्री जी ने बड़े उत्साह से बताया तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज सूचना विभाग का यह दुर्भाग्य है कि कहते हैं कि पूरे जिलों में प्रचार का माध्यम बनाया है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में आज 18 जिलों में जिला सूचना अधिकारी नहीं हैं। मान्यवर, आज सूचना विभाग लोक सेवा आयोग के अधीन न रहकर सूचना विभाग के कर्मचारी अधिकारी हाईकोर्ट के अधीन रह गये हैं। 6 डिप्टी डायरेक्टर की नियुक्ति विभाग द्वारा नहीं होती है बल्कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है तो

आपके विभाग ने मजबूर होकर उनको डिप्टी डाइरेक्टर बनाया है और कह रहे हैं कि नियुक्ति कर रहे हैं। इसलिये आप स्पष्ट घोषणा करें कि आपके विभाग में जो मुकदमेबाजी है उसको समाप्त करेंगे। आपका साहित्य में 31 लाख 50 हजार रुपये का प्राविधान किया गया है लेकिन मैं बधाई देता हूं कि यदि इस धन में से 1986-87 के बजट में कहते कि मुकदमेंबाजी के लिये 10 लाख का प्राविधान किया है और उसको सदन से मांग करते। लेकिन आपने वह नहीं किया। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि लाखों रुपये प्रतिवर्ष मुकदमेंबाजी में सरकार खर्च करती है और फिर भी आपका विभाग हारता है।

मान्यवर, अभी सूचना अधिकारियों की नियुक्ति हुई है जो कि हाई कोर्ट के माध्यम से की गयी और आपका विभाग मुकदमेंबाजी में हार गया है।

मान्यवर, 1985-86 में एक पत्रिका बंटी है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं—

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती के लिए किये गये हैं। इसके लिए कार्यवाही हो रही है। 86-87 का जो लिट्रेचर मैंने देखा, उसमें लिखा देखा कि उपयुक्त कन्डीडेट न मिलने के कारण जगह पूरी नहीं की जा सकी, भविष्य में पूरी की जाएगी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह आज आदरणीय सदन को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आपके अधिकारी और कर्मचारी हम विधायकों और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि जो आप उपयुक्त कन्डीडेट न मिलने की बात कहते हैं, वह बिल्कुल बेबुनियाद और असत्य है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम हरिजनों के समर्थन और हमदर्द हैं, लेकिन इनके विभाग में क्लास वन के 8 पद हैं, उसमें एक भी अनुसूचित और बैकवर्ड क्लास का अधिकारी नहीं है। इसी प्रकार कलास-टू में 123 पद हैं, जिसमें 109 भरे गये ही और इनमें से केवल 5 फीसदी ही अनुसूचित जाति के लोग हैं। आप कहते हैं कि क्लास वन और टू के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले। केन्द्र सरकार का सभी प्रदेश सरकारों को और इस सरकार को भी आदेश है अप्रैल, 85 का कि जल्दी से जल्दी अनुसूचित जाति के कैन्डीडेट का कोटा पूरा किया जाय। माननीय नरायण दत्त तिवारी आज हमारे बीच में नहीं हैं, केन्द्र में मंत्री पद सुशोभित कर रहे हैं, उन्होंने 28 अक्तूबर, 84 को सारे सचिवों को आदेश दिया था कि 15 दिन के अन्दर सारे अनुसूचित जाति के पदों को भर लिया जाए, लेकिन यह कहते हैं कि उपयुक्त कैन्डीडेट ही नहीं मिलते हैं। आज उत्तर प्रदेश के गृह सचिव जो अनुसूचित जाति के हो सकते हैं और लखनऊ मंडल के कमिश्नर अनुसूचित जाति के हो सकते हैं, तो आपके सूचना विभाग में क्या विशेषता है कि वहां एक भी व्यक्ति अनुसूचित जाति का उपयुक्त नहीं हो सका। मैं आपकी गलतबयानी के लिए और जो यह लिट्रेचर सदन को गुमराह करने के लिए दिया है, सरकार पर चार्ज लगाता हूं, क्योंकि आपने 18 दिसम्बर, 1984 को लोक सेवा आयोग को यह पत्र लिखा है—तत्कालीन सूचना सचिव योगेन्द्र नारायण ने लोक सेवा आयोग को पत्र में लिखा था कि कोई भर्ती न की जाए, भर्ती रोक दी जाए। और उसमें यह भी कहते हैं कि मंत्रिमण्डल ने चूंकि यह निर्णय लिया है कि इन 10 लोगों की नियुक्ति

कर ली जाए । एसा करना संविधान की भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है । लेकिन मंत्रिमण्डल ने संविधान की भावनाओं की हत्या की है और मंत्रिमण्डल ने जो निर्णय लिया है, जिसका हवाला लेकर 18 दिसम्बर, 84 की तत्कालीन सूचना सचिव श्री योगेन्द्र नारायण जी ने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन श्री पाण्डे जी को यह पत्र लिखा है । तो आप सदन को गुमराह न करें । जब मंत्री जी बोलना शुरू करें तो वह आरक्षण के सवाल पर अपनी बात अवश्य कहें और वह आज सदन में घोषणा करें कि कब तक यह कोटा पूरा हो जाएगा, वरना मैं मानूंगा कि आप हरिजन विरोधी हैं और आपके मनमें हरिजनों के लिए कोई जगह नहीं है ।

मंत्री जी ने टेलीविजन के बारे में बड़ा जोर दिया है । इस सूबे में सामुहिक श्रवण योजना और सामुहिक दूरदर्शन योजना लागू है । दो योजनायें सूचना विभाग के तहत इसमें हैं । एक तो सामुहिक दूरदर्शन की योजना है और दूसरी योजना रेडियो सेट की है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है जितने भी रेडियो सेट दिये गये हैं वह टूट-फूट गये हैं उनकी मरम्मत में इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हजारों रुपये खा जाते हैं । यह योजना बेकार हो गयी है । इसी तरह से सामुहिक दूरदर्शन की योजना है जिसके तहत माननीय मंत्री जी ने टेलीविजन की बहुत चर्चा की है । एशियाड के खेलों के दौरान 50 कलर टेलीविजन खरीदे गये थे । उनके खरीदने के पीछे यह मंशा थी कि वह सार्वजनिक स्थानों और शिक्षा संस्थाओं में लगाये जायेंगे और ग्राम सभाओं तथा पंचायत घरों में लगाये जायेंगे । लेकिन मेरी निश्चित जानकारी है कि वह कलर टी0 वी0 सत्ता पक्ष में बैठे हुये लोगों के यहां हैं । 9 भूतपूर्व मंत्रियों जो आज न तो मंत्री हैं और न एम0एल0ए0 हैं उनके घर में कलर टी0 वी0 लगे हुये हैं । जब विभाग के कर्मचारी वह टी0 वी0 लेने जाते हैं तो भूतपूर्व मंत्रियों के घरों से डंडा लेकर दौड़ाया जाता है और कहा जाता है कि भाग जाओ नहीं तो कुत्ता छोड़ देंगे । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 9 भूतपूर्व मंत्रियों जिनके घरों में कलर टी0 वी0 लगे हैं जो एशियाड के जमाने में खरीदे गये थे उनको कब उन मंत्रियों के घरों से निकाल कर लाया जायगा । आप इसके बारे में स्पष्ट घोषणा करें । आप जो टेलीविजन लगाने की बात करते हैं तो न ही स्कूलों में टेलीविजन लगे हैं न ही पंचायत घरों में लगे हैं, न ग्राम जो आपकी पार्टी के असरदार लोग हैं सभाओं में लगे हैं । टेलीविजन या जो उस इलाके के गुण्डे हैं उन्हीं गुंडों के घरों में लगायें जायेंगे, या अधिकारियों के घरों में लगाये जायेंगे आम जनता को उनका कोई लाभ नहीं मिलेगा । यह जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है उसको आप बरबाद कर रहे हैं ।

आज आपने चलचित्र निगम के बारे में चर्चा की है । फिल्मों के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और सदन को बताना चाहता हूं कि निगम द्वारा एक फिल्म बनायी जा रही है 6 साल से । वह फिल्म हरिजन समस्या पर आधारित है । हरिजन विभाग के द्वारा उस फिल्म के लिये निगम को 8 लाख रुपये का अनुदान दिया गया । चलचित्र निगम के अधि-

कारियों ने 20 लाख रुपये बाम्बे टूर करने में, घूमने में खर्च किया और आज तक हरिजन समस्या पर बनने वाली वह फिल्म तैयार नहीं हो सकी है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरिजन समस्या पर आधारित यह फिल्म कब तक पूरी हो जायगी यह घोषणा सदन में करने की कृपा करें । मान्यवर, मैं एक और फिल्म के बारे में कहना चाहता हूं कि चलचित्र निगम की हालत क्या है । एक फिल्म इन्होंने काकोरी कांड के शहीदों के ऊपर बनायी । वह फिल्म ऐसी है जिसकी बड़ी आलोचना हो रही है । आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा, इस फिल्म की आलोचना की गयी है । वह इसलिये की गयी है कि इसमें हमारे शहीदों, काकोरी कांड के शहीदों ने जो बहादुरी की भूमिका अदा की थी उसे बिगाड़ कर पेश किया गया है, उनके चरित्र को गिरा कर दिखाया गया है जो आलोचना का विषय रहा है। आपने फिल्मों के बारे में बड़ी तारीफ की कि हम फिल्म जगत में जा रहे हैं । आपने कहा कि सब्सिडी दी जा रही है । तो यह जो सब्सिडी है यह कांग्रेस के लोगों को मिनिस्टरों को दी जा रही है । मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि आज के मौजूदा मंत्रिमण्डल के दो मंत्री हैं जो फिल्म में काम करने जा रहे हैं। और वह इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें सब्सिडी मिल जाए । मा0 मंत्री जी यदि कहें तो मैं उनका नाम भी बता सकता हूं। उनकी दरख्वास्त सूचना विभाग के माध्यम से वहां जा भी चुकी है अगर आप कहें तो उसकी मैं फोटो-स्टेट प्रति भी दिखा सकता हूं, उसकी प्रति मेरे पास मौजूद है साथ ही मान्यवर, एक माननीय सदस्य यहां के और हैं जो फिल्मों में काम करने के इच्छुक हैं और वहां आए दिन चक्कर लगाया करते हैं सब्सिडी प्राप्त करने के लिए जो मैं कहना यह चाहता हूं कि आज केवल सब्सिडी अगर मिलेगी तो वह केवल कांग्रेस के एम0 पीज को मिलेगी या कांग्रेस के एम0 एल0 एज0 को ही मिलेगी । साथ ही मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि आज फिल्म वालों के बारे में लोगों की क्या राय है । फिल्म उद्योग के बारे में श्री विश्वनाथ मिश्रा जी ने लिखा है कि चंदा लेकर फिल्म को स्थापना कर लेना तो अच्छा है, परन्तु सरकार से सब्सिडी लेकर फिल्म चलाना नरक है । यह मान्यवर किसका कथन है श्री विश्वनाथ मिश्रा जी का कहना है और आज इसी वजह से फिल्मोत्सव से तमाम प्रतिनिधि वाईकाट कर रहे हैं यह इसलिए कर रहे हैं कि इनकी नीतियां जो हैं, वह ठीक नहीं है, बहुत गलत है इनकी नीतियां । मान्यवर, चलचित्र के बारे में मा0 मंत्री जी ने स्वयं कहा और स्वयं स्वीकारा है कि कुछ लोग चलचित्र के बारे में घाटे की बात करते हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चलचित्र निगम के 41 सिनेमाघर हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 41 जो सिनेमाघर हैं, 1983 से पहले तक इसका कोई एम0 डी0 नहीं था, जिसका नियंत्रण सूचना विभाग का सचिव और डायरेक्टर करता था लेकिन जब से एम0 डी0 का पद क्रियेट हुआ है और वह जब से इस पर सुशोभित हुए हैं इन चलचित्र के सिनेमा घरों की आमदनी में लगातार गिरावट आयी है, वर्ष 1983 से पहले जब कोई इसका एम0 डी0 नहीं था तो 9 लाख

रु0 का फायदा हुआ था इन सिनेमाघरों से परन्तु जब से इन्होंने कार्य-भार संभाला है, तब से लगातार घाटे पर चल रहे हैं बल्कि अब स्थिति यहां तक पहुंच गयी है यदि इन 41 सिनेमाघरों को और जो 9 अभी निर्माणाधीन हैं, सभी को बेंच दिया जाए तब भी इसका कर्ज अदा नहीं हो सकता है, आज स्थिति यहां तक पहुंच गयी है और मान्यवर, यही नहीं इन 41 सिनेमा-गृहों में से दो सिनेमा-घरों को पट्टे पर कांग्रेस के लोगों को दे दिया गया है, एक सिनेमा-घर तो बहुत ही सस्ते दामों पर कांग्रेस के लोगों को दे दिया है और दूसरी-दूसरी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है और एक दूसरे सिनेमा घर को आप लेकर खुद चला रहे हैं, यह बात समझ में नहीं आती कि आप अपने सिनेमाघर तो संभाल नहीं पा रहा है दूसरों को पट्टों पर दे रहे हैं दूसरी तरफ आप के सिनेमाघर लेकर चला रहे हैं । यही वह सारे कारण हैं जिसकी वजह से यहां के चलचित्र निगम की स्थिति बहुत खराब है, कोई अब इस पर एतेवार नहीं कर रहा है, इसलिए इन्हें अब दूसरे प्रदेशों का मुंह देखना पड़ रहा है सहायता के लिए । दूसरे मान्यवर, आपके जो तत्कालीन डायरेक्टर साहब हैं जिनके रहते लाखों और करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है और आज मान्यवर, वह एम0 डी0 साहब बनकर बैठे हैं, उनके बारे में केवल इतना कहना चाहता हूं कि इनकी सम्पत्ति की ही जरा जांच पड़ताल करा लीजिए तो सारी स्थिति स्वयं ही सामने आ जायेगी। वैसे मैं जानता हूं कि इस सरकार में जरा भी दम नहीं है कि वह आई0 ए0 एस0 या अन्य आफिसर्स के खिलाफ कोई कदम उठा सके या कोई कार्यवाही उनके खिलाफ यह कर सकें, नहीं कर सकते हैं । यह अगर कार्यवाही कर सकते हैं तो चपरासियों के खिलाफ आप किसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? चपरासी के खिलाफ, लिपिकों के खिलाफ स्टोर बाबू के खिलाफ, छोटे-छोटे अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे । बड़े-बड़े अफसरों को देखते ही आपका डर लगता है । अगर कार्यवाही करना चाहते हैं बड़े अफसर के खिलाफ, तो मैं आपके एम0 डी0 के खिलाफ साफ-साफ चार्ज लगाता हूं । आपके जो चलचित्र निगम के एम0 डी0 हैं, उन्होंने पांच लाख का एक बंगला, एक साल के अन्दर बनवाया । आप इसकी जांच करवा लीजिए, अगर मेरी बात गलत निकलती है, तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा । आप क्या बात करते हो । मान्यवर, आपके सूचना विभाग का एक सूचना केन्द्र है और आपने बताया है अपने लिटरेचर में कि सूचना केन्द्र उत्तर प्रदेश में 64 है । मान्यवर, आपका सूचना केन्द्र किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में मिसाल देना चाहता हूं । आपके यहां एक जिला सूचना केन्द्र है हजरतगंज में, जहां पर खादी आश्रम है, उसके ऊपर है । उसी आश्राम के ऊपर सूचना केन्द्र का बोर्ड लगा हुआ है । वहां पर 1978-79 के आंकड़ों के अनुसार बिजली के बारे में, सिंचाई के बारे में, कृषि के बारे में, उद्योग के बारे में रेट लगा हुआ है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को जो सूचना विभाग के मंत्री भी हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि 1978-79 से प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है, इसीलिए वहां पर 1978-79 का

आंकड़ा टंगा है, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को बधाई देता हूं उन्होंने अपनी ईमानदारी का परिचय तो दिया है । लेकिन मान्यवर, मुझे तकलीफ होती है, जब माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि नया आयाम और काम का माहौल, लेकिन सूचना केन्द्र नकारा है । जो विकास का, तरक्की का बोर्ड लगा हुआ है, यही बोर्ड आज आपकी आंख के सामने टंगा हुआ है । आज यह आपका नकारा हो गया है । इस प्रकार से इस विभाग का आज कोई गोसइयां नहीं है । मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्नों का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी दें । जो तिवारी जी हैं, इनके पास सूचना विभाग भी नहीं है । ये सूचना विभाग के राज्य मंत्री भी नहीं हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी जो सूचना विभाग के मंत्री हैं, मान्यवर, जो मैंने मुद्दा उठाया है, जिसमें विशेषाधिकार और कानून की भी बातें हैं, उसका जवाब माननीय मुख्य मंत्री ही दे सकते हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आवें और वह हमारे इन सारे प्रश्नों का जवाब वही दें । मान्यवर, मैं आभारी हूंगा कि मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का माननीय सदस्य चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, पुरजोर मतों से स्वागत करें । अगर आपकी करनी इसी तरह से रहेगी, तो आप इधर आ जायेंगे और हम लोग उधर आ जायेंगे। मान्यवर, मेरा इस विभाग से बड़ा लगाव रहा है। मान्यवर, "निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे स्वभाव ।" मान्यवर, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग और माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी बातों को मानें । इनके लिए यह वरदान का काम करेगा, इनको सहयोग करेगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, सूचना विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है क्योंकि यह हमारे जन जीवन से जुड़ा हुआ है और इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्र, पत्रकारिता दोनों का बहुत महत्व है और वह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। हिन्दी दैनिक पत्र भारत वर्ष में सबसे पहले हमारे जनपद प्रतापगढ़ से सन् 1985 में निकला और उसका नाम था हिन्दोस्थान। यह कालाकांकर से निकलता था और श्री रामपाल सिंह इसके संस्थापक थे और उनके ग्रैण्ड सन श्री दिनेश सिंह इस समय संसद सदस्य हैं । पं0 अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ने अपनी किताब समाचारपत्र कला में इसका उल्लेख किया है 143 पेज पर ।

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए)

यह पहले लन्दन से निकलता था बाद में कालाकांकर से निकला। समाचार पत्रों ने हमारे जीवन को मार्डनाइज किया है, हम आधुनिकता की तरफ जाना चाहते हैं । समाचार-पत्रों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है । समाचार पत्र हमारे विचार को, हमारे एटीच्यूड को, हमारे आउटलुक को तब्दील कर सकते हैं। वह एक साधन है हमारे जीवन को नवीन बनाने के लिए इसलिए सरकार को, सबको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समाचार-पत्रों को सुविधा

दें। हर जबान के समाचार पत्र को निकालने में हमें पूरी सहायता देनी चाहिए। समाचार पत्र के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है। समाचार पत्र के मामले में यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक जापान का पूरे तरीके से कवरेज होता है। वैसे एक मानक रखा गया है कि 100 व्यक्ति के पीछे 10 दैनिक अखबार को पूर्ति प्रकाशित हो तभी कहा जा सकता है कि हम मानक के अन्तर्गत आते हैं लेकिन वह हमारे देश में लागू नहीं होता मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस तरह की प्रेस को भी वही सहायता मिलनी चाहिए जैसे हम स्माल स्केल इन्डस्ट्री को देते हैं तो इसी तरह से प्रेस की स्थापना के लिए भी देना चाहिए। हमारे यहां के प्रेस और अखबार दुनिया के और जितने अखबार हैं उनका पूरी तरह मुकाबला कर सकते हैं। अंग्रेजी के भी दैनिक और हिन्दी के भी दैनिक बहुत अच्छे निकलते हैं ऐसा बहुत लोगों ने कहा और यह भी कहा है कि यहां के अखबार पूरे के पूरे मुकम्मिल हैं, स्वतन्त्र हैं। यह बहुत प्रसन्नता को बात है। इनको पूरी सहायता होनी चाहिए। हमारे यहां पत्रकारिता का सही जन्म उस युग से शुरू हुआ जब से अखिल भारतीय कांग्रेस वजूद में आई। 1885 में जब कांग्रेस का पहला सेशन हुआ बाम्बे में उसमें एक तिहाई लोग पत्रकार ही थे। यही नहीं "रीयल डेवलपमेंट आफ आर्ट एंड बिजनेस आफ जर्नलिज्म डेट्स फ्राम दि वर्थ आफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस।" अर्थात कांग्रेस का जब से जन्म हुआ उसी समय से सही माने में पत्रकारिता का भी जन्म हुआ। उस समय के मुख्य पत्र थे यंग इण्डिया, नवजीवन और हरिजन, यह गांधी जी के पत्र थे। एक पत्र इण्डियन ओपिनियन अफ्रीका से छपता था। इनसे पत्रकारिता को बहुत योगदान मिला और हमारी पत्रकारिता आगे बढ़ती रही। इस पत्रकारिता के माध्यम से, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से, नये और आधुनिक युग की बनाने के लिये, आधुनिक लोकतंत्र की दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी अखबारों के माध्यम से हो सकती है। इस सम्बन्ध में हम याद कर सकते हैं, राजा राम मोहन राय, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, जुगुल किशोर, अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, जिन्होंने पत्रकारिता के द्वारा हमारे दिमाग को बदल दिया। हम याद कर सकते हैं सर सैय्यद अहमद खां के बड़े भाई को, हम याद कर सकते हैं अलहिलाल को, जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से हमको ट्रेडिशनल दुनिया से आगे बढ़ाया। पत्रकारिता का बहुत बड़ा महत्व हमारे देश में है। हमको पूरा-पूरा प्रोत्साहन पत्रकारिता को देना चाहिये। अंग्रेजी में कहा गया है कि "देअर कैन नाट बी इन्डिपेन्डेन्ट प्रेस विद आउट सेल्फ रिसपेक्टिंग प्रेस" जब तक आत्म सम्मान नहीं होगा तब तक स्वतन्त्र पत्रकारिता के माध्यम से हमको ट्रेडिशनल तंग नजरिया से ऊपर उठना चाहिये। हमारे पत्रकार शायद समझते हैं कि उन्हीं के इशारे से या हमारे इशारे से दुनिया चल रही है। ऐसा नहीं सोचना चाहिये। मैं चुनाव के समय का अपना एक अनुभव बताना चाहता हूं। आप किसी अखबार को ले लीजिये, उसमें किसी एक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में रहता है, इतनी फला जाति, इतनी फला जाति। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की बात नहीं आनी चाहिये। इससे कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात और हो नहीं सकती है। अखबारों में सच्चाई आनी चाहिये लेकिन इस तरह की बात नहीं आनी चाहिये। बाल्टियर ने कहा है कि यह मैं मानता

हूं कि आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, आपकी बात नापसन्द करता हूं, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि चूंकि आपका अपना हक है, आपके हक को सुरक्षित रखने के लिये मैं अपनी जान दे सकता हूं। दूसरी बात मंत्री जी ने बताया कि टेलीविजन का प्रसार हो रहा है। टेलीविजन का प्रसार हो रहा है। कभी-कभी हमारे विरोध पक्ष के भाई टेलीविजन का विरोध करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि घरों में हमारी माताएँ जब पान खाकर अपने बच्चों के साथ टेलीविजन देखती है तो कितना आनन्द लेती है, मैं बता नहीं सकता। मनोरंजन भी है टेलीविजन। यह हमारी साइंस की उपलब्धि है, क्यों न इसका इस्तेमाल किया जाय। इससे हम आधुनिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे है। समाचार दैनिक के द्वारा हम दुनिया के विचारों को देखते हैं और उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इनका प्रचार और प्रसार बहुत अच्छा है। माननीय मंत्री जी ने जो इनके प्रसार की स्कीमें रखी है, वह काबिले तारीफ हैं। मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, अखबार के सज्जनों का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो अखबारों में यह छपता है कि फला गांव में इतने लोग इस जाति के मार डाले गये इस प्रकार की खबरें समाचारों में नहीं आनी चाहिये। इस प्रकार के झगड़े तो आपस में लगे रहते हैं। मेरा आग्रह है कि समाचार पत्र रचनात्मक रोल अदा करें भारत की एकता को मजबूत करने के लिये।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जनता और शासन के बीच सामन्जस्य स्थापित करने का काम सूचना एवं प्रसारण विभाग करता है। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। लेकिन जनता की बात तो सूचना विभाग द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है। आज प्रदेश में भुखमरी, कंगाली, मंहगाई बढ़ी है। और प्रदेश में भाईचारे की कमी है और आज प्रदेश में सर्वाधिक रूप से जो मसला है, उसमें वैज्ञानिक तकनीक और कृषि में और औद्योगिक क्षेत्र में इसका जो उपयोग होना चाहिये, उस पर जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सूचना विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व है। लेकिन श्रीमन्, शासन के अंकुश के आगे सूचना विभाग उसके दास या सेवक के रूप में काम करता है। यही हमारे जनतन्त्र और लोकतन्त्र की सबसे बड़ी बिडम्बना है। मैं कहना चाहता हूं कि डा0 लोहिया, जय प्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव ने यह अपेक्षा की थी कि यह विभाग लोकतन्त्र में जनता की भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति का साधन बनेगा और शासन तक जनता की भावनाओं को पहुंचाए और शासन की नीतियों से जनता की भावनाओं में जो आक्रोश पैदा हो रहा है, इस विभाग को उस आक्रोश को शासन के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होना और इस कर्त्तव्य को उसे पूर्ण करना चाहिये। लेकिन इस अधिकार का और कर्त्तव्य का प्रयोग सूचना विभाग के जरिये से नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में, मैं दो या तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा। आज के वातावरण में जिस प्रकार से हमारे देश और प्रदेश में जो स्थिति पैदा हो रही है साम्प्रदायिकता की, इस मामले में आज के समय में सूचना विभाग भाईचारे की बढ़ोत्तरी के लिये भारतीय

संस्कृति के जो उच्चतममूल्य हैं, उनको प्रस्तुत करे । यदि यह विभाग भारतीय संस्कृति के जो उच्चतम मूल्य हैं जिससे भाई-चारे को बढ़ावा मिलता है, उनको प्रोत्साहन देता तो आज यह स्थिति न आती । भारतीय संस्कृति के जो उच्चतम मूल्य है, उनसे हिन्दुओं की जातियों में जो विषमताएं हैं, उसको तोड़ने में इस विभाग का इस्तेमाल करना चाहिये । लेकिन यह नहीं हो पा रहा है । इसलिये कि उस पर शासन का अंकुश है और यह शासन की वोट की नीतियों के विरोध में जाता है। शासन उन नीतियों को इसलिये प्रभाव में नहीं लाना चाहता क्योंकि उसके जरिये से वोट बटोरने में कठिनाई होगी इसलिये उसी को करने में लगा रहता है । इसलिये भाईचारा बढ़ाने में और हिन्दुओं की जातियों में विषमता का जो कोढ़ है उसको समाप्त करने के लिये, केवल वोट बटोरने के नाम पर उसका उपयोग करने के लिये शासन ऐसा नहीं करता है । मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल एक ही परिवार के कार्यों की रूपरेखा रखने का यन्त्र यह विभाग बना हुआ है । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय हित में जिन लोगों ने देश की गरीबी कांगाली मिटाने, भाईचारे को बढ़ावा देने आदि का काम किया है, चल चित्र के द्वारा उनके विचारों के अंशों का संकलन कर उन्हें प्रदर्शित किया जाय, उनका प्रचार करना चाहता हूं कि इस विभाग का महत्व लोग पहचानेंगे । डा0 लोहिया की नीतियां क्या हैं, जय प्रकाश नारायण की नीतियां क्या हैं, महात्मा गांधी की नीतियां क्या हैं, जवाहर लाल नेहरू की नीतियां क्या हैं, इन सबको प्रदर्शित न करके केवल एक ही परिवार के लोगों की नीतियां का बखान करना यह जनता के साथ और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विभाग को ठीक करने के लिये, जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति को रखने के लिये राष्ट्रीय चरित्र के नेताओं का क्या चरित्र रहा है, उनकी नीतियों के अंशों को प्रचारित करने का काम इस विभाग को करना चाहिये । दूसरे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस विभाग में बहुत बड़ा घपला है । आपके निदेशक महोदय ने पांच करोड़ रुपये का घपला पकड़ा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी पार्टी एक लम्बे समय से बहुत वर्षों से इस मुहकमे को अपना हथियार चुनाव प्रचार सामग्री के छपवाने और वितरण के लिए बनाए रखे है । कांग्रेस पार्टी ने इस विभाग के जरिये से अपनी सत्ता का प्रचार करने का जो कार्य चुनाव प्रचार में किया है, यह न्याय के विपरीत है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विभाग की जो भ्रष्टाचार की तस्वीर आपके निदेशक महोदय ने खींची है, उस पर प्रभावी काम होना चाहिये । प्रभावी काम नहीं हो रहा है । श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी एक सम्वाद समिति को करोड़ों रुपयों का अग्रिम भुगतान कर दिया गया । इन सम्वाद समितियों को इस तरह से रुपया दे देना ठीक नहीं है । आपका मानना है कि यह सम्वाद समिति आपकी पार्टी का बखान करती है, इस प्रकार से सरकारी धन देना अन्यायपूर्ण है ।

श्री अधिष्ठाता–

[समय 5 बजकर 20 मिनट]

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बिराजें।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं । मैं

कहना चाहता हूं कि संवाद समितियों के साथ धन आवंटन इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण है । आज के परिपेक्ष्य में कहा गया कि टी0 वी0 सेट गांव सभा को देंगे । माननीय तिवारी जी जानते हैं कि ग्राम सभा के पास अपनी कोई आमदनी के साधन नहीं हैं । सात सौ और ढाई हजार रुपया में टी0 वी0 दी जायेगी जब नए चुनाव होंगे, तो वहां का प्रधान उसे अपने घर लेकर चल देगा । मान्यवर, उससे एक विवाद खड़ा हो जायेगा और भ्रष्टाचार का अड्डा बन जायेगा । जहां आप अपनी पार्टी को प्रतिष्ठित करते हैं, वहीं यह आत्मघाती कदम होगा और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। प्रदर्शनियों में ज्यादातर किसानों से संबंधित भाई-चारे से संबंधित, खेती की नई तकनीकियों से संबंधित नहीं होती हैं । जबकि इनसे संबंधित प्रदर्शनियां अधिक से अधिक लगनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, चलचित्र देखें । चलचित्र राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के होने चाहिए। लेकिन, स्थिति क्या है, राष्ट्रीय चरित्र की तरफ ध्यान न देकर आवारागर्दी, नग्न फोटो का प्रदर्शन–उन चलचित्रों के माध्यम से किया जाता है आप सोचें कि इस तरह के चलचित्र प्रदेश और देश को कहीं ले जायेंगे । मुझे तो कहते हुए भी अजीब लगता है । जो आज नवयुवकों में आक्रोश है, तमाम दुर्भावनाएं व्याप्त हैं, उनको दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में किन-किन राष्ट्रीय नेताओं का क्या क्या योगदान है उसकी शिक्षा लड़कों के बीच में दी जाय। राष्ट्रीय चरित्र के नाम पर अच्छी प्रदर्शनियां अच्छे चलचित्र दिखाए जायं । ताकि राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में चलचित्र का उपयोग हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि गत चुनावों में कांग्रेस पार्टी संबंध जो आपने साहित्य भेजा, जिसमें करोड़ों रु0 का मामला है, इसकी आप जांच कराएं । निदेशक महोदय ने जांच कराई है । लेकिन, अगर आपको उनकी जांच पर विश्वास न हो तो पुनः जांच कराके जो 24-25 करोड़ का घपला है, उसकी जांच कराके तथ्यों को जनता के सामने रखें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सूचना विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । जब मैं चुना गया उसके बाद अपने शहर के लोगों से मिला तो लोगों ने मुझे एक बात कही कि हमारे शहर में टी0 वी0 टावर लगवा दीजिए । जो केन्द्र में माननीय गाडगिल जी संचार मंत्री हैं, उनको मैंने पत्र लिखा । उन्होंने यह बात कही कि कुछ संसाधनों की कमी के कारण यह कार्य प्राइवेट कंसर्नस को भी दिया जा रहा है, इससे यह लगेगा । उसको एक साल बीत गया है। माननीय तिवारी जी राज्य मंत्री जी ने अभी पहाड़ों का नाम लिया गंगोत्री, जमनोत्री, उत्तरकाशी, पौड़ी आदि लेकिन वह टिहरी का नाम छोड़ गये हैं । मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह टिहरी का नाम भी उसमें जोड़ दें ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के साथी व अन्य साथी संकीर्ण दृष्टि से अपनी बात को रखने की

कोशिश करते हैं । मान्यवर, भारत सन् 1947 में आजाद हुआ, आज 1986 चल रहा है। आप सोचें कि सन् 1947 में क्या हालत थी देश और प्रदेश की और आज क्या है । हम कितना आगे बढ़े हैं । उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बात कहनी चाहिए । हम एक बड़े प्रदेश के रहने वाले हैं । मान्यवर, यह मुल्क में गिना जाता तो यह दुनिया का छठा मुल्क माना जाता । कांग्रेस की हमेशा एक संस्कृति रही है । जो सम्प्रदाय की बात करते हैं, कांग्रेस की मानसिकता को नहीं समझते। कांग्रेस एक धर्म निरपेक्ष पार्टी है, वह सभी धर्मों का आदर करता है । मुझे ताज्जुब होता है अभी एक हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि कोई ताला खुल गया तो उसका प्रचार हुआ । चाहे बाबरी मस्जिद हो या राम जन्म भूमि–मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा है न मैं इसका इतिहास जानता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी मस्जिद हो या मंदिर ताले के अन्दर बन्द नहीं रह सकती । वह खोली जानी चाहिए । किसी भी प्रजातंत्र के लिए यह अच्छा नहीं है कि मन्दिर-मस्जिद ताले के अन्दर हमेशा बन्द रहे । फिर यह तो सरकार ने नहीं खुलवाया है, यह तो अदालत ने खुलवाया है । यदि यहां अदालत भी है तो जनतंत्र भी है । उत्तेजना में आकर जो ऐसी बातें करते हैं वे संकीर्ण भावनाओं से ग्रसित हैं । मान्यवर, मैं एक शेर के साथ ही अपनी बात समाप्त करता हूं :–

मस्जिद तो बना ली शब भर में,
ईमा को हसरत वालों ने,
मन अपना पुराना पापी,
वर्षों से नवाजी हो न सकीं ।

*डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण विभाग है । इस महत्वपूर्ण विभाग का बजट एक उधार वाले मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे सुबह चार्ज दिया गया था और शाम को बस्ता बांधकर वापस कर दिया जायेगा । पत्रकारों को प्रदेश सरकार द्वारा जो सुविधा दी जा रही है वह बहुत कम है । पत्रकार अपने जन-जीवन को खतरे में डाल कर न्यूज कलेक्ट कर सही बात लिखता है और उसे प्रशासन तक पहुंचाता है । लेकिन आज इसके बदले में उसे क्या मिलता है ? आए दिन घटनाएं पत्रकारों की पिटाई आदि-आदि । मेरा सुझाव है कि पत्रकारों के लिए सामूहिक बीमा योजना होनी चाहिए जिसे यह मंत्रालय देखे और साथ ही साथ इसका प्रीमियम भी यही मंत्रालय दे। पत्रकार दोनों-समाज और प्रशासन के बीच की कड़ी होती है । इसलिए उन्हें जैसे पेट्रोल आदि चीजें आपकी महंगी हो रही हैं इन पर उन्हें छूट या सुविधा मिलनी चाहिए ।

जिला केन्द्रों पर सूचना अधिकारी नहीं हैं । इसके साथ ही मैं एक बात और कहूंगा कि वहां पर पत्रकारों के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उनके लिए वहां पर एक भवन या कक्ष होना चाहिए जहां वह बैठकर विचार-विमर्श कर सकें । उ0 प्र0 में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो प्रोड्यूसर्स और डाइरेक्टर्स उ0 प्र0 की पृष्ठ भूमि में फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं और जिन फिल्मों में उ0 प्र0 के ही कलाकार हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और यदि फिल्में अच्छी हैं तो उन

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

पर इन्टरटेनमेंट टैक्स हटा देना चाहिए। मैं उ0 प्र0 के एक डाइरेक्टर का नाम जानता हूं जिनका नाम शिव कुमार शर्मा जिन्होंने मथुरा की पृष्ठ भूमि पर लल्लू राम नाम की पिक्चर बनाई है । मध्य प्रदेश ने तो इस पर इन्टरटेनमेंट टैक्स माफ कर दिया लेकिन उ0 प्र0 सरकार ने नहीं किया । मैंने उस पिक्चर को देखा है इसलिए मैं चाहूंगा कि उस पर से इन्टर-टेनमेंट टैक्स माफ कर देना चाहिए । छोटे-छोटे समाचार पत्रों के संकलन को बढ़ावा मिलना चाहिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेन्ट दिए जाने चाहिए । माननीय मंत्री जी ने बड़े जोर से कहा कि चलचित्र निगम द्वारा 41 सिनेमा घर बनाए गए हैं इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि जो पैसा उन पर लगा था वह भी हमें वापस मिल गया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह अच्छे दर्जे का उद्यम नहीं है । यदि उनसे और फायदा हो सके तो गवर्नमेन्ट को क्या दिक्कत है । उनमें से ज्यादा से ज्यादा लाभ लेकर जहां पिक्चर हाल नहीं हैं वहां पिक्चर हाल बनाए जायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री किशोरी लाल सकलानी–

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए आपका भी आभार प्रगट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

प्रस्तुत बजट में सूचना विभाग ने जो आम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य किया है, वह प्रशंसा के योग्य है । जो सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचाने की बात बजट में है, उससे सरकार की रुचि किस तरफ है, सरकार की धारणा क्या है और वास्तविकता क्या है, इसका पता चलता है। इस देश में प्रदेश में 80 प्रतिशत जनता कृषक है और उसके लिए जो कार्य किया जा रहा है सूचना विभाग द्वारा, वह निश्चय ही प्रशंसनीय है । देश के कृषक, प्रदेश के कृषकों को उस नई-नई टैक्निक का ज्ञान नहीं था, नई किस्म की कीटनाशक दवाएं और नए-नए बीजों की जो जानकारियां उसको कराई जा रही हैं, उससे वह प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं और इससे उन्होंने हरित-क्रान्ति की ओर नया कदम बढ़ाया है । मैं निवेदन करूंगा कि कृषकों के लिए टेलीवीजन के माध्यम से या सूचना विभाग के माध्यम से जो प्रसारित करते हैं, उसमें और समय दिया जाय, जिससे हमारे कृषकों को नई-नई टैक्निक का ज्ञान हो सके । खेती जिस प्रकार से अलाभकर हो रही है, वह लाभकर में बदल सके । अगर आपका कदम इधर बढ़ा तो निश्चित रूप से कृषकों को नई दिशा मिलेगी ।

इसके अतिरिक्त अनुरोध करूंगा कि जैसे बापू जी की कहानी, स्वर्गीय पं0 जवाहर लाल नेहरू जी की कहानी और उनकी नीतियां, इनका भी समावेश किया जाय ।

आज साम्प्रदायिकता जैसा जहर प्रदेश में, देश में फैल रहा है, उसकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए । जैसे टेली-विजन और समाचार-पत्रों के माध्यम से इसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सूचना विभाग को और सशक्त बनाने के लिये मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसकी व्यवस्था की जाय, जिससे यह आम आदमी तक पहुंच सके ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने सूचना विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं अपने साथी की तरफ से

पेश किये गये कटमोशन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

पिछले साल इस विभाग पर, कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए, मैंने जो बुनियादी सवाल उठाये थे, उसे एक साल गुजर गया, लेकिन प्रदेश के एक केवल राम, एक हरिजन का मामला भी यह सरकार तय नहीं कर सकी। केवल राम, जिसे इसी सदन में उस वक्त के मंत्री जी ने सीना ठोंककर एलान किया था कि सूचना अधिकारी बना दिया गया । 'बना दिया गया' इन्होंने कहा था, प्रोसीडिंग्स में यह जुमला शामिल है। वह सरकार जो तकरीबन 3 साल पहले किये गये एलान का एहतिराम न कर सकी हो, एक साल गुजरने पर भी जो प्रदेश के एक केवल राम को इन्साफ न दे सकी हो, वह इस प्रदेश में रहने वाले हरिजनों को, इस प्रदेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को कैसे बचा पायेगी । मेरी समझ इसमें नाकाम है।

एक सदस्य–

आप समझ भी नहीं पायेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां–

आपकी समझ में आयेगा । जब जनता की समझ आपकी समझ में उतर जायेगी, यह आपकी समझ में 1977 में आया था और अब फिर बहुत जल्दी ही समझ में आयेगा। जिसे खोखले जहन का सबूत आपने दिया है जिसे खोखली सियासत का सबूत आपने दिया है, यह बहुत जल्द आपकी समझ में आ जायेगा। जिस प्रदेश में साम्प्रदायिकता को भड़काने का काम आपने किया है, आपको केवल वोट चाहिये । अब आपकी समझ में आ गया कि मुसलमानों अल्पसंख्यकों और हरिजनों का वोट आपको नहीं मिल सकता और यह अहसास जब आपको हो गया है तो आपने फिरकापरस्ती बढ़ाने का काम शुरु कर दिया है।

मैं पूछता हूं कि क्या यह सच्चाई नहीं है कि मन्दिर और मस्जिद के बंटवारे के नाम पर आपने पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिकता का बीज डाल दिया है? जिस बाबरी मस्जिद का नाम अभी लिया गया....

श्री शिव नारायण मिश्र–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सूचना विभाग पर बोल रहे हैं या बाबरी मस्जिद पर ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

मैं उसी पर बोल रहा हूं जिस पर माननीय सत्ता पक्ष के सदस्य ने अभी कहा। मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन आपने हमें बोलने के लिये मजबूर किया है, सत्ता पक्ष के मुझसे पहले बोले गये सदस्य की हिमायत में आवाजें आयी हैं, मेजें थपथपायी गयी हैं जो हुकूमत के जहन, की अक्कारी करता है । इसके बाद मैं मजबूर हुआ बोलने के लिये। मान्यवर, यह पुस्तिका 'साकेत अंक' एक साल हुआ उत्तर प्रदेश के इस विभाग पर बोलते हुये मैंने एतराज किया था कि इसमें एक लेख लिखा गया है जो कि झूठ है, इन्तिहाई लगू दर्जे का झूठ है कि 1580 में बाबर अयोध्या आये थे। कोई मुसतनद तवारीख नवीस या मुवर्रिख अगर यह साबित कर दे कि बाबर 1580 में अयोध्या की तरफ आया था तो मैं बड़ी से बड़ी सजा जो सदन तजवीज करे, मानने को तैयार हूं। वह बाबर जो कभी अयोध्या नहीं गया जिसने कभी अवध के आगे कदम नहीं रखा उसके लिये यह कहा जाना कि उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर की

गलत है। यह सिर्फ कांग्रेस के दौरे सिआसत में ही ऐसी बात कही और लिखी जा सकती है कि बाबरी मस्जिद मस्जिद नहीं मन्दिर है। और टी0 वी0 पर अपनी कारगुजारी दिखायेंगे और मुसलमानों के जख्मों पर नमकपोशी करके।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह कह रही हूं कि माननीय सदस्य यहां पर सूचना विभाग के बजट पर बोलने के लिये खड़े हुए हैं या बाबरी मस्जिद पर? ये तो पूरा बाबरी मस्जिद पर ही बोले जा रहे हैं, उनको ऐसा कोई हक नहीं है, ऐसी बात यहां कहना, गलत बात है।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपनी बात को बस आधा मिनट में कह कर समाप्त कर दें।

श्री मुहम्मद आजम खां–

43 चलचित्र निगम द्वारा चल चित्र गृह चलते हैं जिसमें से मैं जहां तक जानता हूं आबरा और शक्तिनगर नगर का बस घाटे में नहीं जा रहा है, बाकी सब घाटे में ही चल रहे हैं। कई साल पहले भारत सरकार ने हरिजनों पर फिल्म बनाने का फैसला किया था और इसके लिये 6 लाख रु0 भी दिया था। आज तक नहीं मालुम कि वह रुपया सरकार ने क्या किया? आपके डाईरेक्टर और अन्य अधिकारीगण हवाई जहाज से बम्बई का दौरा करते रहते हैं। इस विभाग पर वैसे ही 30 लाख रु0 पहले से ही उधार है, आपके अधिकारी आज तक उसे अदा नहीं कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि जब मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े होंगे तो इसका जवाब जरूर देंगे।

मैंने जिस किताब का हवाला दिया है, यह साकेत अंक सूचना विभाग से निकलता है मंत्री जी जब आप उत्तर दें तो हमारे इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। आपके पक्ष के माननीय सदस्य ने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है और कहा है कि अदालत के फैसले के आधार पर ताले खोले गये हैं। मैं यह सवाल आपसे व हैसियत कानूनदां से कर रहा हूं और याद रखिये यह ऐसा मौंजू है जिसकी तारीख लिखी जायगी, जानना चाहता हूं कि क्या सेशन कोर्ट को ऐसा तमाम कानून जानते और इन्साफ के बन्धन को तोड़कर फैसला करने का अधिकार है, जबकि मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन हो क्या सेशन कोर्ट कोई फैसले देने में सक्षम है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जब यह बजट प्रस्तुत किया जा रहा था तो मैं समझ रहा था कि विरोध में लोग सूचना के बारे में अपने विचार रखेंगे और जो कटौती का प्रस्ताव रखा है और कहा है कि धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, उसके बजाय यह प्रस्ताव करेंगे कि इस धनराशि को बढ़ा दिया जाये क्योंकि यह धनराशि कम है। माननीय मंत्री जी ने जो भाषण रखा, वह उसकी समझ में आया नहीं और उत्तर में एक दो बात जो सुनने में आयी उससे लगा कि खुशबू या बदबू फैलाने की कोशिश की जा रही है।

मान्यवर, सूचना विभाग के बजट पर बात हो रही है, और हमें अपने मंत्री जी की बात पर अहमियत देना चाहिये, जो उन्होंने कहा है, उस पर गौर करना चाहिये।

सूचना विभाग क्या करता है और क्या करने जा रहा है इस पर विचार रखने चाहिए। मंदिर और मस्जिदों का तजकिरा यहां पर नहीं होना चाहिये, अगर यह होगा तो उससे यह खुशबू आती है कि आपका मकसद क्या है, आपकी मानसिकता क्या है आप इस माननीय सदन को किस पर ले जाना चाहते हैं । आपके नेताओं ने कहा है कि यह मामला कोर्ट के माध्यम से समझ रहे हैं और आगे भी समझेंगे । इस सम्बन्ध में गलत ढंग से प्रचार करना या इस तरह की बात करना कि बाबर कब आया था और गया था, इससे वातावरण दूषित होता है । इससे आपके सोचने का अन्दाज का पता मिलता है आप के प्रोपैगेन्डा से माहौल में खराबी आ गयी है और आपका इस तरह का कहना एक माचिस की तीली डालने के समान होगा । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपके दो चेहरे हैं । इसी मसले को लेकर आपने इटावा और भरथना में एक तबके को शाबासी दी है और वही यहां पर मुख्य मंत्री जी से कहा कि वह इस मसले पर चिन्तित हैं । आप पहले अपने चेहरे को साफ करें । मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सेकुलर राजनीति की बात करती है । इसका धर्म निरपेक्षता का इतिहास है। इसके नेता राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं । (व्यवधान होने पर)

श्री जय नारायण तिवारी–

आप शान्ति से सुनिये । सुनने की आदत भी डालिये ।

श्री हाफिज मोहम्मद उमर–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उर्दू के विकास के लिये और उसकी तरक्की के लिये एक उर्दू सेल की स्थापना की गयी है। हमारी सरकार कहती है, उसी के मुताबिक काम हो रहा है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में केवल एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा और इस माननीय सदन को सही दिशा में ले जाने के लिए यहां भ्रमित करने की बात, जज-बात की बात, भावना फैलाने की बात नहीं करनी चाहिए। हमारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है हम बाहर लाखों लोगों से शराफत का नाम लेकर, तहजीब का नाम लेकर, इल्म का नाम लेकर चुनकर आये हैं। हमें यहां पर वही शराफत की चादर ओढ़कर उसी तहजीब के अन्दाज में बात करनी चाहिए। मैं, माननीय मंत्री जी ने सूचना विभाग का जो बजट रखा है उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जब बजट वस्तुत कर रहे थे . . .

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि व्यवधान न करें जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्हें सुनें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट में बहुत सारी बातें बतायी कि यह बढ़ा रहें हैं, वह बढ़ा रहे हैं। वह तो बतौर स्टेट मिनिस्टर हैं कैबिनेट में तो जाते नहीं हैं, पालिसी क्या है वह क्या जानें । मान्यवर, जो किताब हमें मिली है। इस किताब में जो वार्षिक योजना 1985-86 और 1986-87 को रखा है उसमें इन्होंने 1985-86 में तहसील सूचना कार्यालय पर 6.00 लाख रुपया रखा था और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

1986-87 में 4.00 लाख रुपया कर दिया, 2 लाख रुपया कम कर दिया तो इसका काम कैसे चलगा। दूसरी तरफ मान्यवर, प्रकाशन मद में 36.62 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था अबकी बार एक लाख पचास हजार कर दिया तो यह इसमें क्या करेंगे? मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, सूचना विभाग का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, शासन की नीतियों को गांव-गांव तक की जनता को पहुंचाने का काम एवं जनता की भावनाओं को शासन तक पहुंचाने का काम। सूचना विभाग को जिले के जिलाधिकारी के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट सीधे आपके पास आनी चाहिए क्योंकि जिले के माध्यम से आने पर जिला प्रशासन अपनी कमियों को छिपाकर आपके पास सूचना भेजते हैं। मान्यवर, हमारे जिले में छोटे-छोटे अखबार हैं, बड़े-बड़े अखबार लखनऊ में बैठकर और जगह में बैठकर अपने संवाददाताओं के माध्यम से खबर देते हैं और उनके खबरों के संकलन में असुविधा होती है इसकी कल्पना आप भी कर सकते हैं। सूचना विभाग की यह जिम्मेदारी होती है कि कोई पत्रकार कोई संवाददाता जिले के किसी गांव में समाचार संकलित करने जाता है तो सूचना विभाग को उसकी सहायता करनी चाहिए। जो सूचना विभाग की गाड़ी दिन भर कलेक्टर के बच्चों को ढोने में लगी रहती है उसको वह मिलनी चाहिये। मान्यवर, एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि जो फिल्म प्रभाग है या जो चल चित्र निगम है इसे चलचित्र निगम कहिये या मनोरंजन कहिये, शहरों में मनोरंजन के कई साधन हैं लेकिन गांवों में, देहातों में कोई साधन मनोरंजन के नहीं हैं। टी0वी0 कब तक गांवों में पहुंचेंगे, वह ठीक चलेंगे या नहीं और चलेंगे भी तो उसमें आपके ही कार्यक्रम चलेंगे, दूसरे के नहीं चल पायेंगे। इसमें आपने फिल्म कलाकारों को लिया है। हमारे देहातों में नौटंकी और छोटी-छोटी राम लीला कमेटियां हैं जिसमें अच्छे-अच्छे कलाकार हैं, अच्छे-अच्छे नाटक वे दिखा सकते हैं। मान्यवर, मुझे याद है कि जब राजा हरिश्चन्द्र का नाटक खेला जाता था तो आपने देखा होगा कि कितनी ईमानदारी के साथ, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी को निभाते हुये अपनी पत्नी से अपने बेटे का कर भी वसूल किया था। इसी प्रकार कितने अच्छे-अच्छे नाटक और कलाकार हमारे गांवों में हैं।

यह तो आपको मालूम ही है कि सेंसर बोर्ड से कैसे आपकी फिल्में पास हो जाती हैं। ग्रामीण अंचलों के इन छोटे-छोटे नाटकों और नौटंकियों को इस विभाग द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार उनको ज्यादा अनुदान दे जिससे उनको मनोरंजन के साधन उपलब्ध हो सकें।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने सूचना विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मंत्री जी की ओर से सूचना विभाग का जो बजट रखा गया है, उसकी हिमायत करता हूं और जो विरोध पक्ष द्वारा कटौती का प्रस्ताव आया है, उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, सही बात तो यह है कि इतला का जो बजट है उसमें पत्रकारिता आज किस ढंग से चल रही है, उसको क्या सुविधा दी जाय, क्या खबरें हैं जो सरकार की नीति के मुतल्लिक हैं, जो बुनियादी हैं, जो

जनता को सूचना दी जाती है वह सही अंदाज से पहुंच पा रही है, उसके संसाधनों की बात की जाय तब तो यह बुनियादी सवाल है और यही बात होनी चाहिए थी लेकिन इसके विपरीत जो भावना क्रिएट करने की बात कही गई उससे गलत बुनियाद पड़ती है। मैं बुनियाद साहब को नहीं कह रहा हूं लेकिन एक बुनियादी बात कह रहा हूं। यह सवाल मुस्तरका तवज्जह का है। आज सवाल इस बात का है कि हम कितना हिन्दुस्तानी बना रहे हैं और कितना उसकी तामीर की तरफ हमारा रुख है। हमारी पालिसीज जनहित में हैं या नहीं, वे जनता तक पहुंच रही हैं या नहीं, जनता की भावनायें सरकार तक पहुंच रही हैं या नहीं। जम्हूरियत में कलम और जुबान को आजाद रखा गया है। कलम आजाद रहा, लोग अपने-अपने खयालात का इजहार कर सकें, इस पर क्या रुख बनता है, यह बुनियादी सवाल है। लेकिन आपको तो दो और दो पांच कहना ही है तो कहते रहिये। आप मुस्तरका उद्देश्य को जनम दे रहे हैं, इस बात का भी खयाल रखा जाय। नेशनल इंटीग्रेशन के सिलसिले में जो कार्य होने चाहिए थे, कुछ लोग उसे नहीं होने देना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। हमें मुखतलिफ रूप से हर आदमी को खड़ा होना पड़ेगा। छोटे-छोटे मसले हैं एक घर में पांच आदमी रहते हैं, उनका आपस में टकराव भी होता है लेकिन हमारा प्रदेश 12 करोड़ आदमियों का मुल्क है। कभी-कभी ऐसे मसले आते हैं। अगर कभी कोई ऐसा मसला आता है तो उसके लिये अदालतें बनी हैं। अगर इस तरह से होगा तो कैसे काम चलेगा ?

मान्यवर, सूचना विभाग के सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं। कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए, माननीय अवधेश प्रसाद जी ने बहुत सी बातें कहीं यह सूचना मंत्री भी रहे हैं। मैं किसी की पर्सनल बातें करने का आदी नहीं हूं (व्यवधान) बहुत जल्दी आपसे छुटकारा मिल गया। मैं अपने मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे एलीमेंट्स दोनों तरफ से गड़बड़ियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको खतम करने के लिए नेशनल इंटीग्रेशन काउंसल का कोई ऐसा रूप दें जो प्रेस से अटैच है।

दूसरा बड़े-बड़े शहरों में आपके यहां से खबरें भेजी जाती हैं वह खबरें डाक द्वारा जाती हैं, इसलिए ठीक से नहीं पहुंच पाती हैं उसके लिये बजट में खास प्रोवीजन करने की आवश्यकता है। कानपुर, इलाहाबाद या बनारस में या दूसरे बड़े शहरों में ऐसी सर्विस हो कि वहां खबरें आप जो भेजते हैं समय पर पहुंच सकें। एक खबर लखनऊ के अखबार को जल्दी मिल जाती है लेकिन बनारस या इलाहाबाद के अखबार को वह खबर नहीं मिल पाती है। टेलीप्रिंटर के जरिये से यह खबर जल्दी नहीं पहुंच पाती है उसमें खासा समय लग जाता है।

चलचित्र निगम के माध्यम से सस्ती फिल्में बनाई गयी थीं इसके माध्यम से अच्छा काम हो रहा है। इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करना पड़ेगा और फिल्म के सलैक्सन के लिए एक कमेटी बना कर सलैक्सन करना पड़ेगा ताकि बेहतर काम हो सके। अन्त में मैं एक जुमला कह कर अपनी बात खतम करता हूं— "तुम्हारा नजरिया कुछ हो, हमारा तजुर्बा यह है। अगर दिल में बुराई हो तो नजरिया अच्छा नहीं होता।"

अगर नियत साफ है तो फिर यह बात नहीं आयेगी लेकिन मन में कुछ बात

है तो उससे गलतफहमी पैदा होती है उससे मुल्क कमजोर होता है इसके खिलाफ कांग्रेस ने जिहाद छेड़ा और आगे भी जारी रहेगा । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि आज माननीय मंत्री जी ने पालेकर एवार्ड संस्तुतियों को लागू करने के संबंध में स्पष्ट विवेचना नहीं की । जो बड़े अखबार हैं जिनका सरकुलेशन बड़ा है उसके पत्रकारों और कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के सम्बन्ध, में उनको सुविधा देने के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है । विज्ञापन लेते समय बड़ो-बड़े अखबार आठ-आठ जगहों से प्रकाशित होते हैं और उसमें उनकी विज्ञापन की दरें भी ज्यादा होती हैं लेकिन जब कर्मचारियों और पत्रकारों को वेतन और सुविधायें देने की बात होती है तो उन आठों जगहों से निकलने वाले अखबारों को अलग-अलग दिखाने का काम करते हैं । सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि इन के मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकें ।

दूसरी बात यह है कि मान्यता समिति को भंग हुए तीन महीने से ज्यादा का समय हो गया है उसका गठन करने की बात नहीं की गयी है । तमाम मामले जो विचाराधीन हैं कि किसको मान्यता दी जाय किनको न दी जाय, मान्यता समिति की क्या प्रायोरिटी होगी किस प्रकार वह निष्पक्ष होगी ताकि पत्रकारिता निष्पक्ष बनी रहे इसके संबंध में कोई बात नहीं कही गयी है । तो इसलिए भी मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । चलचित्र निगम की यहां पर बड़ी चर्चा हुई । निगम ने जगह-जगह सिनेमा घर बनाये हैं वह नुकसान पर जा रहे हैं, वह हमारे लिए सफेद हाथी बना हुआ है । जहां प्राइवेट सिनेमाघर मुनाफे में जाते हैं लेकिन चलचित्र निगम के सिनेमाघर घाटे में हैं । यह हमारे लिये बोझ बन रहा है । पिछले दिनों जब माननीय तिवारी जी सूचना मंत्री थे तो उनकी तस्वीरें तमाम अखबारों में देखने को मिली थी कलाकारों के साथ उत्तर प्रदेश में नई फिल्में बनायी जायेंगी और निर्माताओं को तमाम सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी । लेकिन श्री नारायण दत्त तिवारी जी के हटने के बाद इनकी सरकार नहीं समझा पायी, इसलिये वह योजना खटाई में पड़ गयी और चल चित्र निगम की नई फिल्मों के निर्माण में यह कोई सहयोग नहीं कर सके ।

मान्यवर, पिछले दिनों इस पत्रकारिता को प्रभावित करने के लिये 21 लाख रुपये का अनुदान, ऋण सरकार द्वारा "एसोशिएडेड जरनल्स" को सीधे दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि तमाम ऐसी पत्र-पत्रिकायें हैं जो आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही हैं और बंद हो गयी हैं जैसे संसार, प्रताप आदि लेकिन उनको कभी सरकार ने सहायता नहीं दिया, लेकिन वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए एसोशिएटेड जरनल्स को 21 लाख रुपये की सहायता दी गयी, यह क्यों? मान्यवर, जिले के सूचना कार्यालय का तमाम सूचनाओं को गांवों तक पहुंचाने का दायित्व है लेकिन वह पूरी तरह से सरकार के प्रति कमिटेड, प्रतिवद्ध हैं इसलिये जो सूचनाएं जिला अधिकारी या उनसे सम्बद्ध अधिकारी के पास सरकार की सराहना के लिए आती हैं उनका तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकाशन हो जाता है किन्तु सही सूचनाएं दबा दी जाती हैं । इसलिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि छोटे पत्र-पत्रिकायें जो निष्पक्ष पत्रकारिता करना चाहते हैं सरकार उनको कोई सहयोग और सहायता नहीं दे रही है और सरकार केवल उन्हें ही अनुरक्षण प्रदान करती है जो उनकी प्रसंशा करते हैं । तो इस तरह मान्यवर, कैसे निष्पक्ष पत्रकारिता रह पायेगी, यह गंभीर प्रश्न है । मान्यवर, मैं मंत्री जी की काबिलियत पर शक नहीं करता हूं, उनसे कहना भी ठीक नही होगा चूंकि वह अस्थायी मंत्री हैं किन्तु यह शंकायें और समस्यायें हैं जिनके सम्बन्ध में मैंने कहा । इन शब्दों के साथ, मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि वह पालेकर एवार्ड की संस्तुतियों को लागू करायेंगें ?

कर्नल केशरी सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने का मौका दिया ।

मान्यवर, सूचना विभाग का जनतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है कि शासन की नीतियों और कार्यकलापों को जनता तक पहुंचायें और जनता की प्रक्रिया, विचारों से शासन को अवगत कराना सूचना विभाग का काम है जो वह तत्परता से करने में सक्षम है और अनेकों पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं अन्य प्रकाशनों का सूचना विभाग प्रकाशन करता रहा है और जनता को अवगत करता रहा है । मान्यवर, अभी जो योजनायें हैं कि हर जिले में टेलीप्रिंटर की स्थापना की जा रही है तो इससे सूचना भेजने में गति आयेगी । यह सराहनीय कदम है ।

मान्यवर, पत्रकारों को पेंशन देने की जो शासन की नीति है वह स्वागत योग्य है । पत्रकार जन भावना के प्रतीक होते हैं । हमारे देश, प्रदेश की जन भावना को, विचारों को क्रांतिकारी सुधारों की भावना को और इक्कीसवीं सदी में तैयार करने के लिए जनमानस की भावनाओं को उजागर करने में पत्रकारिता की अहम् भूमिका होती है । इसलिये पत्रकारों की समस्याओं को देखने का शासन का कर्तव्य है । इसलिये शासन की पेंशन नीति स्वागत योग्य है ।

मान्यवर, सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना करने की बात है तो इसमें शीघ्रता की जानी चाहिए चूंकि चरित्र निर्माण में संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग रहता है, इसलिये इस पर बल दिया जाना चाहिए । वर्तमान समय में चरित्र निर्माण के लिए हर प्रकार का प्रयास होना चाहिए। जो संस्कृतिक उत्थान से ही सम्भव है ।

मान्यवर, स्वास्थ्य के लिये मनोरंजन का बहुत महत्व है । छोटी-छोटी जगहों पर चल चित्र निगम सिनेमा स्थापित करके जनता का मनोरंजन करता है । शासन को इस बात का विचार करना चाहिए कि कमाटीशन में किस प्रकार इसको लाभदायी बनाया जा सकता है लेकिन मुनाफा कमाने की दृष्टि से नहीं । बल्कि मनोरंजन की दृष्टि से देखना चाहिए कि जनता का मनोरंजन करने में इसका कितना योगदान है । अब मेरे दो-एक सुझाव हैं । बस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, उसकी जनसंख्या 38 लाख से ज्यादा है । वहां की एक तहसील जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए सरकार बस्ती में टेलीविजन टावर लगाने की कोशिश करें, जिससे नौगढ़ तक के लोग टेलीविजन का

लाभ उठा सकें । इसके अलावा प्राइमरी पाठशालाओं में एक-एक बाल पुस्तकालय की स्थापना की जाय और बच्चों को राष्ट्रीय भावना से आंतप्रोत करने के लिए इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । वहां पर छोटे-छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी राष्ट्रवादी आदर्श और शिक्षाप्रद पुस्तकें हों। इसके अलावा गांव-गांव में और ब्लाकों में जनता को पढ़ने के लिए सब्सलाईज्ड रेट पर सरकार द्वारा पुस्तकें एवं समाचार पत्र उपलब्ध कराई जाएं । हर ब्लाक में एक अच्छा सा पुस्तकालय हो । इसके साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों को, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का और सुझाव देने का कार्य किया है । मान्यवर, किसी देश में और प्रदेश में लोकतन्त्र कितना स्वस्थ है का अन्दाजा इस बात से लगता है कि उस देश और प्रदेश में रेडियो और समाचार-पत्र कितने निष्पक्ष और स्वतन्त्र हैं । मैं यहां पर रेडियो और टेलीविजन पर बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यह विषय से विषयान्तर हो जाएगा, लेकिन आज दुर्भाग्य से यह रेडियो, टेलीविजन एक सरकारी बाजा होकर रह गया है । समाचार पत्रों की भी यह हालत है, यद्यपि हमारे तमाम पत्रकार विद्वान और प्रतिभाशाली हैं, चूंकि बड़े-बड़े अखबार पूंजीपतियों के संरक्षण में हैं, पत्रकार बन्धु अपनी भावना को अच्छी तरह से उजागर नहीं कर पाते हैं । इसलिए मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इस विभाग में स्वतन्त्र मंत्री और स्वतन्त्र सचिव की नियुक्ति की जाए । निरीक्षा शाखा में सूचना विभाग का यह काम है कि वह सरकार की बातों को और सरकार की नीतियों को जनता के बीच में सही रूप से पहुंचा दे और जनता की शिकायतों और समस्याओं को शासन तक भलीभांति पहुंचा दे । यह विभाग जनता और सरकार के बीच में सम्पर्क सूत्र का काम भी करता है । इस दिशा में मंत्री जी द्वारा जो साहित्य मिला है, 3 लाख 40 हजार कतरनें काटी गई हैं और छांट कर वह सम्बन्धित मंत्रियों, सचिवों और अधिकारियों के पास भेजी गई हैं । मैं समझता हूं कि आज कतरनों की हालत है, उसका कोई पुरसाहाल नहीं होता है। कतरनें चाहे मंत्री जी के कार्यालय में जाएं, सचिव या अधिकारियों के कार्यालय में जायं, उसको देखकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि एक बुलेटिन इस प्रकार की छपनी चाहिए जिसमें जनसाधरण की क्या-क्या शिकायतें हैं और क्या-क्या समस्याएं हैं उनको किसकों भेजा गया है और उस पर मंत्रियों अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, उसका सारा विवरण दिया हुआ हो । इस तरह की पाक्षिक पत्रिका या बुलेटिन निकलना चाहिए, तब तो उन कतरनों का कोई इस्तेमाल समझा जा सकता है, अन्यथा वह बकवास है, वह रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती हैं ।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यह जो विज्ञापन देने में भेदभाव किया जा रहा है यह भेदभाव नहीं होना चाहिये । लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज लखनऊ में ऐसे अखबार हैं, तीन ऐसे अखबार हैं जो एक पार्टी से संबंधित हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन

यह कहना चाहता हूं कि एक अखबार को 5 लाख रुपये का विज्ञापन अग्रिम दिया गया जबकि विज्ञापन प्रकाशित ही नहीं हुआ । ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन दें कि विज्ञापन देने में भेद भाव नहीं किया जायगा । पालेकर एवार्ड के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जिस अखबार को 5 लाख रुपये का अग्रिम विज्ञापन के लिये दिया गया है वहां के कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या है । वहां के कर्मचारी तड़प रहे हैं लेकिन आज तक पालेकर एवार्ड नहीं लागू किया गया है । तो पालेकर एवार्ड को आप लागू करवायें । दूसरा एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि इस विभाग में जो मुकदमें बाजी होती है उसको खत्म किया जाय । इसको खत्म करके सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करें ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध मधुर रहें। दुर्भाग्य की बात है कि चाहे प्रमोशन का मामला हो या सेलेक्शन का मामला हो या और कोई मामला हो वह सारे मामले हाईकोर्ट द्वारा तय होते हैं । आज लोक सेवा आयोग का प्रभुत्व न होकर आज हाईकोर्ट के तहत हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों का पैसा मुकदमें बाजी में खर्च हो रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री अवधेश प्रसाद–

मेरा यह भी सुझाव है कि जो पत्रकार हैं उनको और अधिक सुविधायें दी जायं और उनकी जीवन रक्षा के बारे में व्यवस्था की जाय । पिछले दिनों बांदा में पत्रकार पर किस तरह से हमला हुआ जिसको हम सभी जानते हैं । सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिये। पत्रकारों के रहने के लिये, वेतन के लिये, यात्रा के लिये अच्छी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये । अगला सुझाव मेरा यह है कि जो पद जनता शासन के दौरान कायम किये गये थे उनके लिये जो व्यवस्था नियमों में और कानून में है उसको लागू किया जाय। यह भी मेरा सुझाव है कि इस विभाग में आरक्षण के कोटे को पूरा किया जाय । इसी तरह से एक सुझाव और देना चाहता हूं कि एक पत्रिका छापी गयी है तो उसके जो संपादक हैं उनको रात को बुलाकर डिप्टी डायरेक्टर बना दिया गया है । ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करके जेल भेजा जाना चाहिये था लेकिन उनको रातोंरात डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया है । अंतिम सुझाव यह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक पाक्षिक पत्रिका है जो ग्रामीण अंचलों के लिये एकमात्र पत्रिका है । इसको जनता शासन काल के दौरान चलाया गया था । आज उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । इसके लिये पेपर की कमी बतायी जा रही है और इसको रोकने का काम किया गया है, तो इस पत्रिका को न रोका जाय।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्नों का स्पष्टीकरण वह अपने उत्तर में दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों का, चाहे वह इन पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं । अवधेश प्रसाद जी ने जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और विपक्ष के सदस्यों के प्रति और भी आभार व्यक्त करता हूं कि चाह कर भी वह विभाग के बारे में कोई स्वस्थ्य आलोचना नहीं कर पाये । केवल आलोचना के नाम पर ही आलोचना की । माननीय अवधेश प्रसाद जी ने कहा है कि यह

सूचना विभाग सरकार और मंत्रियों का प्रचार करता है तो सूचना विभाग इसी लिए बना ही हुआ है कि वह सरकार की नीतियों का प्रचार और प्रसार करे और ऐसा होता भी आया है जब माननीय अवधेश प्रसाद जी सूचना मंत्री रहे होंगे, तो इनका भी प्रचार और प्रसार हुआ होगा अगर कोई अच्छे काम किए होंगे, वैसे मेरी नजर में तो कोई आया नहीं कि इन्होंने उस अवधि में कोई अच्छा कार्य किया है। (हंसी) और मान्यवर, इस विभाग में घपलों के बारे में कुछ बातें कही गयीं, इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि मामले की छानबीन हो रही है और इस जांच के बाद जो भी दोषी पाया जायेगा किसी के साथ कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जायेगी और एक बात यह की गयी कि 18 जोन्स में सूचना अधिकारी नहीं हैं, आप तो सूचना विभाग के भूतपूर्व मंत्री हैं, आपको तो यह बात नहीं कहनी चाहिए क्योंकि सूचना मंत्री कोई सूचनाधिकारियों की नियुक्ति तो करता नहीं है, इनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा होती, हां मांग हमने अवश्य भेज दी है, जब भी नियमानुसार वहां से चयन होकर कोई आ जायेगा, उसकी नियुक्ति कर दी जायेगी। फिल्मों के बारे में कुछ बातें कहीं गयीं और यह भी कहा कि जो मंत्रीगण फिल्मों में काम करने जा रहे हैं, नाम तो उन्होंने बताए नहीं वैसे मान्यवर, मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि यह सरकार फिल्मोद्योग को और बढ़ावा देना चाहती है (व्यवधान), राज नारायण जी की भी बात कुछ बताइए। राज नारायण जी की बात को छोड़ दीजिए, वैसे विरोध पक्ष में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं, अगर उन्हें किसी भी प्रकार का रोल दिया जाए तो वह उसे करने लगेंगे और वह उस रोल के योग्य भी रहेंगे। वैसे अगर मा0 अवधेश प्रसाद जी कोई रोल करना चाहते हों, तो अवश्य बता दें, उनके लिए कोई व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है। माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो सुझाव दिए हैं, उनकी ओर मैं अवश्य विचार करूंगा और जो उन्होंने पत्रकारों की सहायता की बात कही लोन आदि दिए जाने संबंधी तो यह सहायता इनको उद्योग विभाग द्वारा दी जाती है और माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने भी कुछ अच्छे सुझाव रखे वह एक अनुभव शाली व्यक्ति हैं। उन्हीं अनुभवों के आधार पर उन्होंने कुछ सुझाव रखें, उन पर विचार किया जायेगा दूसरे मान्यवर, एक बात और होती है कि सूचना विभाग द्वारा केवल एक ही परिवार के 4 लोगों का प्रचार बहुत जोर-शोर से होता इसके बारे में मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी कथनी और करनी को अवश्य दूसरों के अनुकरण के लिए, लोगों के चारित्रक उत्साह के लिए उजागर किया जाता है. इनमें से कुछ स्वतत्रता संग्राम सेनानी भी हुए हैं, जिनका देश के इतिहास में हमेशा नाम दोहराया जाता रहेगा, इसी प्रकरण से पं0 मोती लाल नेहरू जी हैं, इनको कौन भुला सकता है, पं0 जवाहर लाल नेहरू हैं, इनके बलिदान को कौन नकार सकता है ? इसी प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं और उनके पुत्र श्री राजीव गांधी जो बहुत सी प्रतिभा के धनी हैं, इससे कौन इन्कार कर सकता है। इन्हें और इनके द्वारा किए गए कामों को कौन इतिहास से मिटा सकेगा और कौन नकार सकेगा, यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। (मेजों की थपथपाहट) आपके यहां कोई ऐसा हुआ ही नहीं, जिनका

आए प्रचार व प्रसार करते । दूसरे मान्यवर, जो लोकेन्द्र दत्त सकलानी जी ने बातें कहीं और सुझाव दिए, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे हमें इस संबंध में केन्द्र सरकार से सहायता मिलेगी हम अवश्य इस पर विचार करेंगे। मा0 मुहम्मद आजम खां साहब ने वही बातें दोहराईं जो इन्होंने पिछले साल मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करने पर कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कहीं थीं और उस प्रकरण को भी यहां लाया गया, जिसे मैं समझता हूं कि यहां पर नहीं लाना चाहिए। बाबरी मॉस्जद के प्रकरण को, इस संबंध में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि न्यायालय जो निर्णय है, उसका सम्मान किया गया है और न्यायालय का निर्णय जो आगे भी होगा, उसका भी सम्मान ही किया जायेगा । मान्यवर, बहुत से सुझाव जो आये हैं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं, परन्तु समय कम है।

श्री अधिष्ठाता–

बहुत हो गया है, अब आप समाप्त कर दें ।

[समय 6 बजकर 20 मिनट]

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जो भी सुझाव आये हैं, हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे । माननीय खान गुफरान जाहिदी ने जो सुझाव दिया है, उस पर विचार करूंगा। श्री अवधेश प्रसाद अपने विचारों में मान्यवर, परिवर्तन करें। यह सूचना विभाग पूरे बजट का 7 प्रतिशत है, उससे कटौती का प्रस्ताव क्या रखेंगे ? मैं चाहूंगा कि वह इसको वापस ले लें। यह ऐसा विभाग है जो सबका विभाग है। मैं उनसे चाहूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 88-सूचना विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 88–सूचना विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 4,33,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें श्री राज किशोर सिंह, श्री कौशिक रमा शंकर ने नगर महापालिका, वाराणसी में बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी पाठशालाओं के पचास भवनों पर मालिकों द्वारा कब्जा के बारे में सूचना दी है, उसको स्वीकार किया गया। बाकी सब सूचनाएं अस्वीकृत की गयीं ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में नियुक्ति हेतु टंकक के पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के संबंध में नियम 51 के अंतर्गत वक्तव्य

एक सदस्य–

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

[शासनादेश संख्या–31/6/66 निरक्ति (ख) दिनांक 28-6-1967 द्वारा

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में टाइपिस्टों और रूटिन ग्रेड क्लर्कों के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या हायर सैकेन्ड्री या कोई समकक्ष परीक्षा निर्धारित है।

2—उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंककों के कुल 480 पद हैं, किन्तु इनके विरुद्ध 1845 टंककों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। इसका कारण यह है कि लोक सेवा आयोग द्वारा अवर वर्ग सहायक और प्रवर वर्ग सहायक के उच्चतर पदों हेतु वर्षानुवर्ष चयन नहीं हो पाया है तथा गत वर्षों में जो परीक्षायें हुई हैं उनमें से वर्ष 1983 की परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। इसके अतिरिक्त सेवा निवृत्त, प्रोन्नति, नये पदों का सृजन आदि विभिन्न कारणों से रिक्तियों में वृद्धि होती रहती है। ऐसी स्थिति में टंककों को अवर वर्ग सहायक के पदों पर प्रोन्नत करना पड़ता है। यही नहीं बल्कि उन्हें आगे प्रवर वर्ग सहायक एवं अन्य समकक्ष पदों पर भी प्रोन्नतियां मिल जाती हैं। अवर वर्ग सहायक और प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि है। इंटरमीडिएट परीक्षा पास अभ्यर्थी उच्चतर दायित्वों वाले इन पदों पर कुशलता से कार्य नहीं कर पाते हैं और उनके विरुद्ध प्रायः शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिससे अंततः जन हित की हानि होती है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि शासन के शीर्षस्थ कार्यालय की दक्षता में गिरावट न आये और उसके आधार को मजबूत रखा जाए। अतएव इस दृष्टि से कि टंकक गुरूतर दायित्वों का भविष्य में कुशलता पूर्वक निर्वहन करने में सक्षम रहें उनका स्नातक होना उपादेय है और भावी रिक्तियों की पूर्ति हेतु टंककों का पैनल बनाने के लिए सेवायोजन कार्यालय लखनऊ से ऐसे अभ्यर्थियों की सूची मांगी गयी है जो स्नातक हों। स्नातक अभ्यर्थियों की सूची मांगे जाने के पीछे किसी प्रकार की सांठ-गांठ नहीं है। उद्देश्य सचिवालय के कार्य स्तर को अच्छा रखना है।

3—इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्हें टंकण का अच्छा ज्ञान है, सचिवालय से भिन्न अन्य कार्यालयों में सेवायोजन पा सकते हैं।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह जो वक्तव्य दिया है, यह वक्तव्य शासनादेश के खिलाफ है और शासन की जो घोषित नीति है, उसके खिलाफ है और जो परम्परायें हैं, उनके भी खिलाफ है। इन्होंने जिस शासनादेश का हवाला दिया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों में टाइपिस्टों और रूटिन ग्रेड क्लर्कों के लिपिक वर्गीय पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या हायर सेकेन्डरी स्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा निर्धारित है, इसके बावजूद भी आपने इंटरमीडिएट या हायर सेकेण्डरी स्कूल उत्तीर्ण योगता वाले लोगों को हटा कर बी0ए0 उत्तीर्ण लोगों को मांग लिया है। यह शासनादेश के खिलाफ, शासन की नीतियों के खिलाफ, शासन के कुछ अधिकारियों ने यहां पर सेवायोजन कार्यालय से मांग लिया कि इंटरमीडिएट और हायर सेकेन्डरी स्कूल उत्तीर्ण लोगों को न दीजिए, स्नातक लोगों को दीजिए। आपका कहना है कि बी0ए0 इसलिए मांग रहे हैं, कि चूंकि लोक सेवा आयोग के जरिये चयन नहीं हो पा रहा

है और हमें अवर वर्ग सहायक और प्रवर वर्ग सहायक को प्रोन्नत करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग द्वारा उनका चयन न हो पाये या हाई कोर्ट के फैसले से वह मामला रुका हुआ है, इसलिए, ताकि आप उन्हें अवर वर्ग सहायक और प्रवर वर्ग सहायक के पदों पर प्रोन्नत कर सकें। जिस शासनादेश का हवाला आपने दिया, उस शासनादेश के अंतर्गत टाइपिस्टों और रूटिन ग्रेड क्लर्कों के लिपिक वर्गीय पदों के लिए, शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या हायर सेकेन्डरी उसके समकक्ष है, तो यह व्यवस्था कैसे आपके अधिकारियों ने शासनादेश के खिलाफ और शासन की नीतियों के खिलाफ बदल दिया, यह मैं जानना चाहता हूं।

*श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंककों के कुल पद 480 है और 1845 लोग भर्ती कर चुके है। वहां पर यह मामला न्यायालय में विवादित है। सचिवालय में उनकी क्षमता कम है इसलिए हम यह कर रहे है कि सचिवालय में जो सर्वोच्च कार्यालय है उसकी क्षमता बनी रहे उसके लिए हमने यह कदम उठाया है और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि यहां पर क्षमता बढ़े।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि अवर वर्ग सहायक के पद और प्रवर वर्ग सहायक के पद है, टंकक से इनका संबंध उतना सीधा नहीं है जितना कि काम के लिए सहायकों का होता है। टंकक के काम के लिए आप टंककों की नियुक्ति कर रहे है। मैं सिर्फ आरोप लगाना चाहता हूं कि चन्द लोगों के रिश्तेदार को भर्ती करने के लिए इस आदेश का परिवर्तन किया जा रहा है। जब आपके पास प्राविधान है तो आप उन प्राविधानों को क्यों नहीं अपनाते और टंकक के कार्य के लिए उनकी अर्हता को क्यों नहीं स्वीकार करते ?

श्री प्रमोद कुमार–

टंककों के 480 पद सुरक्षित है उनमें किसी तरह की कटौती नहीं की गई है।

श्री कौशिक रमा शंकर–

टंककों की जो अर्हता है इंटरमीडिएट क्या वह आगे भी सुरक्षित रहेगी?

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठकर बात कर लीजियेगा।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मंत्री जी सिर्फ इतना बता दें कि टंककों की जो अर्हता है वह आगे भी इंटरमीडिएट रहेगी?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह जो 480 पद है उनकी अर्हता इंटरमीडिएट थी।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते है। कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः

17 मार्च, 1986

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी "क"

[देखिए नियम 38(2) के ता0प्र0सं0–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर।]

विवरण

क्रम-सं0	अधिकारी का पदनाम	बैठकों में कितनी बार उपस्थित हुए	क्षेत्र समिति का नाम जिसमें उपस्थित हुए
1	2	3	4
1	सहायक अभियन्ता नहर (खण्ड से सम्बन्धित)	2	1––बीघापुर 2––सिकन्दपुर करन
2	मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा नामित	3	1––सिकन्दरपुर सरौसी 2––सिकन्दरपुर करन (दो बार)
3	जिला विद्यालय निरीक्षक	2	1––फतेहपुर चौरासी (दो बार)
4	प्रभागीय वन निदेशक अथवा नामित (खण्ड से सम्बन्धित)	3	1––फतेहपुर चौरासी (दो बार) 2––बांगरमऊ
5	सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां	2	1––बांगरमऊ 2––औरास
6	जिला पशुधन अधिकारी	2	1––गंज मुरादाबाद 2––सिकन्दरपुर कनन
7	सामान्य प्रबन्धक उद्योग	2	1––नवाबगंज 2––सिकन्दरपुर सरौसी
8	जिला कृषि अधिकारी	5	1––गंज मुरादाबाद 2––बांगरमऊ (दो बार) 3––सिकन्दरपुर करन (दो बार)
9	भूमि संरक्षण अधिकारी	2	1––गंज मुरादाबाद 2––सिकन्दरपुर करन
10	जिला संगठन कर्ता, प्रादेशिक विकास दल	1	1––मियागंज
11	जिला पंचायत राज अधिकारी	3	1––हिलौली (दो बार) 2––सिकन्दरपुर करन
12	अधिशासी अभियन्ता नहर	1	1––सिकन्दरपुर करन
13	अधिशासी अभियन्ता, जल निगम	3	1––हिलौली 2––सिकन्दरपुर सरौसी 3––सिकन्दरपुर करन
14	अधिशासी अभियन्ता, वि0नि0 इकाई	1	1––हिलौली
15	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई	2	1––हिलौली 2––औरास

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 64 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)।

शिकायती पत्र का दिनांक	मुख्य-मुख्य शिकायतें	स्थिति
11-1-83	गूलों का निर्माण गैर तकनीकी ढंग से हुआ है। गूलों के निर्माण में सीमेन्ट नाम-मात्र का प्रयोग किए जाने के कारण अस्सी प्रतिशत गूलें ध्वस्त हो गयी हैं।	किसी विशिष्ट बिन्दु पर शिकायत नहीं है यदि उनके द्वारा विशिष्ट स्थानों का विवरण दिया गया होता तो उनको जांच कराकर कार्यवाही की जाती।
	स्टैंडिंग आदेश के विपरीत अधिक मात्रा में सीमेन्ट इशू किया गया है जिसकी आड़ में तीस हजार बोरे सीमेन्ट का शुद्ध घोटाला किया गया है।	तदैव
	सीमेंट की खाली बोरियां 22 पैसे प्रति बोरी बेची गयी है जबकि वास्तव में एक रुपए साठ पैसे बेंच कर कागज पर 22 पैसे बोरी दिखाया गया है। इसी प्रकार गेहूं की बड़ी बोरी अठहत्तर पैसे प्रति बोरी बेची दिखाई गयी है, जबकि साढ़े चार रुपए प्रति बोरी बेची गयी है।	देवरिया जनपद में खाली बोरियों को इस प्रकार कम दर पर बेचने का कोई प्रकरण नहीं है।
28-5-84	समादेश क्षेत्र विकास परियोजना के कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है। अन्त में कार्यक्रमों की समीक्षा की गयी है जिसमें कुछ कमियां बतायी गयी हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—	
	जितनी भी गूलें बनी हैं 80 प्रतिशत कागज पर है, चक रोड समाप्त हो गए हैं, चक नालियां ध्वस्त हो गयी हैं और निर्माण कार्यों में जो कदाचार किया गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इस भ्रष्टाचार के कीर्तिमान को सदियों बाद भी तोड़ना मुश्किल होगा।	श्री कौशिक द्वारा यह विचार सामान्य रूप से दिए गए हैं, जो सही नहीं हैं, उनके द्वारा विशिष्ट स्थानों का कोई विवरण नहीं दिया गया है जिससे शिकायत की जांच की जा सकती।
	समादेश क्षेत्र में सबसे बड़ी विपत्ति जल जमाव की है, और इस दिशा में जल निकास का कार्य लगभग शून्य रहा है। समादेश परियोजना/प्राधिकारी केवल समादेश क्षेत्र में जल निकास की ही व्यवस्था कर देते तो बड़ी उपलब्धि होती। गण्डक समादेश में अवरुद्ध जल का जमाव की विकराल समस्या है।	तदैव
	जल निकास नालों के निर्माण में अन्तिम पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन में 2550 किलोमीटर का प्राविधान 13 करोड़ 81 लाख रुपये किया गया।	जल निकास नालों का निर्माण समादेश क्षेत्र विकास परियोजना द्वारा नहीं किया जाता है।

भूगर्भ जल स्तर ऊपर आ रहा है और समस्त कृषि योग भूमि दल-दल में बदलने का खतरा हो गया है। इस महा-विपत्ति के निराकरण हेतु गन्डक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी ने अब तक कुछ नहीं किया है।

6-12-85

समादेश क्षेत्र में सीपेज की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप से धारण करती जा रही है। जल भराव तथा रिसाव की रोक-थाम की दिशा में समादेश का कार्य न केवल नगण्य रहा है अपितु शून्य रहा है। समादेश क्षेत्र में विशेषकर पडरौना तथा हाटा तहसील क्षेत्र में गूलों का निर्माण गैर तकनीकी ढंग से हुआ है। जिसकी लिखित रूप से समादेश के एक मात्र मुख्य अभियन्ता सैयद अली नकवी ने स्वीकार किया है। नकवो ने शासन को बार-बार लिखा है। समादेश को सत्तर प्रतिशत चक नालियां गूलें नष्ट प्राय: हो चुकी हैं। गरीब जनपद में गरीब किसानों से चकरोड, चक नालियों तथा गूलों के निर्माण का खर्च किसानों से वसूल करना घोर अनैतिक कार्य है।

पडरौना तहसील में बड़हरा नर्सरी फार्म पर नेगी लूट खसोट की गयी है प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में इन खबरों को विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया है।

समादेश की भूमि संरक्षण इकाइयों ने पक्के कामों के निर्माण में सीमेंट तथा बालू का जो अनुपात किया है वह सा0नि0वि0, सिंचाई तथा अन्य विभागों के निर्माण कार्यों के अनुपात से कहीं अधिक सीमेंट की खपत करने वाला अनुपात है। कृपया उच्च स्तरीय टी0ए0सो0 भेजकर पडरौना एवं हाटा तहसील के निर्माण कार्यों को प्राविधिक परीक्षा कराने का कष्ट करें।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार भूगर्भ जल ऊपर तो अवश्य आ रहा है परन्तु अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि फसलों को लेने में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। इस समस्या पर पहले ही विचार हुआ है और इस समादेश क्षेत्र में सम्वर्धन नलकूपों के लगाने का निर्णय किया जा चुका है और 232 नलकूपों का छिद्रण हो चुका है।

उक्त शिकायत में कोई विशिष्ट बिन्दु उल्लखित नहीं है। श्री कौशिक जी से विशिष्ट बिन्दुओं की जानकारी करने के लिए पत्र 9-12-85, 26-12-85 और 20-1-86 भेजे गए हैं परन्तु उनसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता श्री नकी द्वारा दिए गये सुझावों का प्रश्न है उस पर विचारोपरान्त निर्माण कार्य में मसाले के प्रयोग के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

नत्थी "ग"

(देखिए अत. 0प्र 0सं 0 80 का उत्तर तीछे पृष्ठ 43 पर ।)

अतरांकित प्रश्न संख्या–80 के उत्तर का संलग्नक

रिक्त पद	संख्या	रिक्त की तिथि	पद न भरे जाने का कारण
प्रोफेसर फाइन आर्ट	एक	1 जुलाई 1983	परिनियमों में अर्हताओं का निर्धारण न होना।
रीडर, आर्ट मास्टर ट्रेनिंग	एक	27 जुलाई, 1980	परिनियमों में अर्हताओं का निर्धारण न होना।
कैबिनेट मेकिंग इंस्ट्रक्टर	एक	30 सितम्बर, 1979	पद 7 दिसम्बर, 1985 को विज्ञापित किया गया। आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पद शीघ्र ही भर लिया जायगा।
ड्राइंग मास्टर मेटल वर्क	एक	16अगस्त, 1985	पद 7 दिसम्बर, 1985 को विज्ञापित किया गया। आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पद शीघ्र ही भर लिया जायगा।
क्लेफीगर माडलर	दो	एक पद 1 जुलाई, 1984 दूसरा पद 1968	निर्धारित अर्हताओं में संशोधन प्रस्तावित होने के कारण। पद की आवश्यकता न होने के कारण पद नहीं भरा गया।
प्रवक्ता ब्रोंज कास्टिंग	एक	26 सितम्बर, 1975	ब्रोंज कास्टिंग एक ऐच्छिक विषय है। शिक्षा सत्र 1974-75 से इस विषय का पठन-पाठन न होने के कारण पद भरने की आवश्यकता नहीं रही।
रिपाउजो इंस्ट्रक्टर	एक	31 मार्च, 1982	इस पद में सम्बन्धित पाठयक्रम 1964 में समाप्त कर दिया गया परन्तु पदधारक के स्थाई होने के कारण उसकी सेवा-निवृत्ति तक डिजाइनिंग कार्य के उपयोग में लाई गई। इस पद के भरे जाने की आवश्यकता नहीं रही।
पालिशिंग इंस्ट्रक्टर	एक	1964	इन पदों से सम्बन्धित पाठक्रमों के 1964 में समाप्त किए जाने के कारण पद भरे जाने की आवश्यकता नहीं रही।
इनग्रेविंग इंस्ट्रक्टर	एक	1964	
इनेमलिंग इंस्ट्रक्टर	एक	1964	
गोल्डस्मिथ इंस्ट्रक्टर	एक	1964	

नत्थी "घ"

(देखिए अता0प्र0सं0-96 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

अवधेश प्रसाद द्वारा पूछे गए विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के 6ठे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–96 के उत्तर का संलग्नक—

विकास खण्ड का नाम	गांव सभा का नाम	कार्य की स्थिति
1	2	3
1--सोहावल	1--लखौरी	
	2--रौनाही	
	3--रामनगर धौरहरा	पूर्ण
	4--विसुनपुर लारा	
	5--कोल	
	6--चिर्रा मोहम्मदपुर	पूर्ण
	7--मजनावा	
	8--गौराबभ	
	9--बैदरापुर	पूर्ण
	10--पंडितपुर	पूर्ण
	11--कुन्दुखीं	
	12--जगनपुर	
	13--सुरवानी	
	14--अगेथुआ	पूर्ण
	15--दोस्तपरुरग्घु	
	16--हरबधनपुर	
	17--डेंउगा	
	18--दक्षिण परा	
	19--सारंगापुर	पूर्ण
	20--रसूलपुर सकरावल	
	21--मिश्रौली	
	22--बभनियाबा	
	23--करेरु	
	24--इब्राहिमपुर कंदई	पूर्ण
	25--कुन्दुखी खुर्द	पूर्ण
मसौधा	1--गन्जा	पूर्ण
	2--मलिकपुर	पूर्ण
	3--डाभासेमर	पूर्ण
	4--चांदुपुर हरबंशपुर	पूर्ण
	5--पलिया रिसाली	
	6--बीबीपुर	
	7--सोफिया पारा	पूर्ण

1	2	3
	8—पलियाशाहबदी	.. .. ..
	9—मठ पदुवंशपुर	.. .. पूर्ण
	10—डोलिया बिहारीपुर	.. .. पूर्ण
	11—उसरु	.. ..
	12—बन्दीदासपुर	.. .. पूर्ण
	13—कादीपुर	.. ..
	14—उसरू अमोना	.. .. पूर्ण
	15—अमोना	.. .. ..
	16—हंसेपुर	.. .. ..
	17—फिरोजपुर	.. ..
	18—फनेहपुर सरैया	.. ..
	19—नैपुरा	.. .. पूर्ण
	20—दोस्तपुर	.. .. पूर्ण
	21—पलिया गोंवा	.. .. पूर्ण
	22—मिजापुर निमोली	.. .. .. ,
	23—भोखनुपर	.. ..
	24—बल्लीपुर	.. ..
	25—ताजपुर कोडरा	.. ..
	26—कोटसराय	.. .. , पूर्ण
	27—घाटमपुर	.. .. पूर्ण
	28—मानापुर	.. ..
	29—बनवीरपुर	.. ..
	30—हाजीपुर सिंह	.. ..
	31—गोपालपुर	.. ..
	32—माधवपुर	.. .. ,
	33—धर्मदासपुर	.. .. पूर्ण
	34—अब्बाबा	.. ..
	35—अब्बूसराय	.. ..
	36—गद्दीपुर	.. .. पूर्ण
	37—पूरे हुसेन	.. ..
	38—बरवा	.. .. पूर्ण
	39—रघुपुर	.. .. ..
	40—साधपारा	.. ..
	41—सथरी	.. .. पूर्ण
	42—सिडहिर	.. ..
	43—दौलतपुर	.. .. पूर्ण
	44—गोहनियां	.. .. पूर्ण
	45—भाईपुर	.. ..
	46—कैल	.. ..
	47—राजीपुर माफी	.. ..

3—पूराबाजार	1—कादीपुर	..	..	..
	2—ताहिरपुर बसौली	..	..	..
	3—कस्तुरीपुर	..	..	पूर्ण
	4—जलालुद्दीन नगर	..	..	पूर्ण
	5—भगवाभीट		,	;
	6—रसड़ा			
	7—आशापुर चदई			
	8—ज्ञानापुर			..
	9—भदौली खुर्द	..	..	..
	10—मोदरा	..	..	..
	11—पुरखेपुर	..	..	पूर्ण
	12—दुर्गापुर	..	..	..
	13—करमा मोडरी	..	..	पूर्ण ..
	14—शान्तीपुर	..	..	..
	15—कढ़ा केशवपुर	..	..	..
	16—धर्मपुर सहादत	..	..	..
	17—अंकवारा	..	..	..
	18—अलावलपुर	..	..	..
	19—समाहाकला	..	..	..
	20—ददेरा	..	..	..
	21—हैबतपुर	..	..	..
	22—आशिक बाग	..	..	..
	23—भीखापुर	..	..	..
	24—देवकाली	..	..	..
	25—पाराखान	..	..	..
	26—तिहुरा	..	..	..
	27—रामपुर हलवारा	..	..	..
	28—सराय रांसी	..	..	पूर्ण
	29—रुदौलिया	..	..	..
	30—दुगवा रहीमपुर	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी० एल० 65 वि० सभा (108)—1986—813।